खण्ड-364, अंक-9
मंगलवार, 9 फाल्गुन, शक संवत् 1905
(28 फरवरी, 1984 ई0)

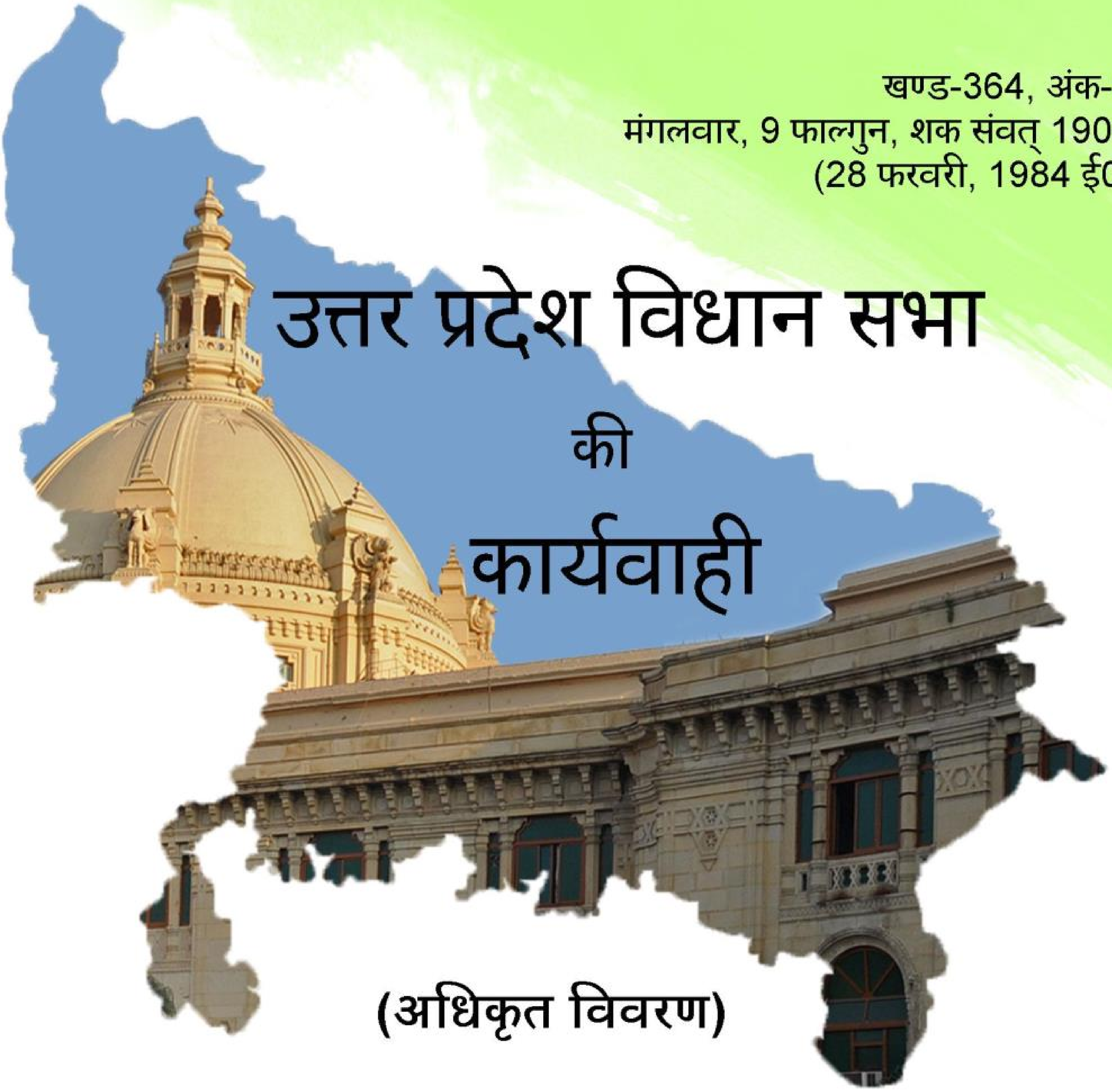

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 364 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1984

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1251–1254
प्रश्नोत्तर	1255–1345
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न	1345–1348
सीतापुर में प्रस्तावित बाई पास अभी तक न बनने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	1348–1349
सेतु निगम द्वारा इलाहाबाद में सराय अकिल महिला मार्ग में पिलहनी नदी पर नये पुल का निर्माण अभी तक न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	1349
कानपुर शहर की सड़कों को सीवर लाइन बिछाने हेतु खोदे जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	1350
इलाहाबाद बोर्ड के परीक्षा केन्द्रों के गठन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	1350
किसान भवन, फैजाबाद के रख रखाव में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	1351
मऊ पावर हाउस के विद्युत कर्मचारियों के अनशन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	1351
बिसवां जिला सीतापुर में दवा विक्रेताओं की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति व पुलिस निष्क्रियता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	1351–1352
बुन्देलखंड क्षेत्र में ओला वृष्टि से हुई हानि के संबंध में राजस्व मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासनों की पूर्ति न किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ..	1352–1354
उत्तर प्रदेश लोक लेखा समिति (1983–84) का द्वितीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	1354
लखनऊ के अतिरिक्त जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं एस0 ओ0 केसरबाग के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	1354–1355
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद (संशोधन) विधेयक, 1984 (पुरःस्थापित किया गया)	1355–1356
कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	1356–1372
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1983 के आननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1984 (अननुमोदन संकल्प अस्वीकृत एवं विधेयक पारित) ..	1372–1404
इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) द्वितीय अध्यादेश, 1983 के अननुमोदन का संकल्प तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1984 (अननुमोदन का संकल्प अस्वीकृत तथा विधेयक पारित)	1404–1423
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	1423
जनपद सीतापुर में बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन विद्यालयों के अध्यापकों को जनवरी 84 से वेतन न दिये जाने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	1423–1425
श्री राज्यपाल के अभिभाषण के समय श्री मुहम्मद आजम खां के व्यवहार की विस्तृत जांच करने हेतु गठित समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा ..	1425–1426
नतिथयां	1427–1432

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दिनांक 28-2-84

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री धर्म सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य--345

अकबर अहमद, श्री	नैनीताल
अकबाल हुसैन, श्री	गोंडा
अजहर ईमाम, श्री	मिर्जापुर
अजीजुर्रहमान, श्री	बिजनौर
अजीत कुमार सिंह, श्री	कानपुर
अनवार खां, श्री	अलीगढ़
अनवार मुहम्मद खां, श्री	फर्रुखाबाद
अबुल कलाम, श्री	आजमगढ़
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह)	फतेहपुर
अमर सिंह, श्री	सहारनपुर
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री	बरेली
अम्बिका सिंह, श्री	बस्ती
अम्मार रिजवी, श्री	सीतापुर
अलमेलु अम्माल, कुमारी	बस्ती
अशफाक अहमद अन्सारी, श्री	बरेली
इन्द्रजीत, श्री	फतेहपुर
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू)	बहराइच
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री	इलाहाबाद
उदयवीर सिंह, श्री	शाहजहाँपुर
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री	गोंडा
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी	एटा
ऊदल, श्री	वाराणसी
ए0सी0 ग्राइस, श्री	नाम निर्देशित आँग्ल भारतीय
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री	ललितपुर
कन्हैया लाल, श्री	मथुरा
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री	लखनऊ
कमला दरियाबादी, श्रीमती	कानपुर
कमला देवी, श्रीमती	हरदोई
कमला प्रसाद सिंह, श्री	जौनपुर
कमला साहनी, श्रीमती	बस्ती
कल्यान सिंह सोलंकी, श्री	बरेली
कल्लू राम रत्नाकर, श्री	मिर्जापुर
किरनपाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री	हमीरपुर
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)	हरदोई
कुबेर भण्डारी, श्री	देवरिया
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री	रायबरेली
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बलराज)	फतेहपुर
कृष्ण मगन सिंह, श्री	बाराबंकी
कृष्णवीर सिंह, श्री	बदायूं
केदार नाथ सिंह, श्री	गोरखपुर
केदार सिंह, श्री	आजमगढ़
केशरी प्रसाद, श्री	जौनपुर
केशोराम, श्री	बदायूं
कैलाश चन्द्र यादव एडवोकेट, श्री	एटा
कैलाश टंडन, श्री	वाराणसी
कैलाश प्रसाद, श्री	गोरखपुर
खरपत, श्री	वाराणसी
खान गुफरान जाहिदी, श्री	फतेहपुर
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री	मुरादाबाद
खुर्शेद अहमद, श्री	बहराइच
खुशहाल सिंह राँगड़, श्री	टिहरी गढ़वाल
खैरुल बशर, श्री	आजमगढ़
ख्वाजा हलीम, श्री	अलीगढ़
गंगा सागर शंखवार, श्री	कानपुर
गजेन्द्र सिंह, श्री	इटावा
गजेन्द्र सिंह, श्री	बाराबंकी
गया सिंह, श्री	उन्नाव
गुलाब सेहरा, श्री	आगरा
गुलाम नबी, श्री	आगरा
गेंदा देवी, श्रीमती	बस्ती
गोपीनाथ दीक्षित, श्री	उन्नाव
गोपीनाथ वर्मा, श्री	फैजाबाद
गोरेलाल शाक्य, श्री	इटावा
गोवर्धन तिवारी, श्री	अल्मोड़ा
गौरी देवी, श्रीमती	गोरखपुर
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	इटावा
गौरी शंकर भैय्या, श्री	बलिया
चन्दन सिंह, श्री	मथुरा
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो0	बाँदा
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री	आजमगढ़
चन्द्र भान सिंह, श्री	बाँदा
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री	पौड़ी गढ़वाल

चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री	लखनऊ
चेतराम गंगवार, श्री	बरेली
छत्तर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
छेदा लाल चौधरी, श्री	खीरी
छेदी लाल, श्री	गोंडा
जंग बहादुर, श्री	जौनपुर
जगदीश नरायन, श्री	फतेहपुर
जगदीश प्रसाद, श्री	इलाहाबाद
जगदीश सिंह, श्री	शाहजहाँपुर
जगदीश सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
जटाशंकर सिंह, श्री	बहराइच
जसवन्त सिंह बिष्ट, श्री	अल्मोड़ा
जावेद अली, श्री	मथुरा
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
जितेन्द्र शाह, श्री	जालौन
जियाराम शुक्ल 'विकल' साकेती, श्री	फैजाबाद
जैराज गौतम, श्री	सुल्तानपुर
तपेश्वर, श्री	आजमगढ़
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री	खीरी
तेज बहादुर गंगवार, श्री	पीलीभीत
तेजबहादुर सिंह, श्री	जौनपुर
दयाल कृष्ण, श्री	मथुरा
दलजीत सिंह, श्री	रामपुर
दलसिंगार, श्री	आजमगढ़
दामोदर शर्मा, श्री	मेरठ
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	बस्ती
दीनानाथ, श्री	बस्ती
दीपक कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
दीप नरायन वन महन्थ, श्री	गोंडा
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री	आजमगढ़
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया
दधनाथ राजभर, श्री	आजमगढ़
देवी प्रसाद, श्री	बहराइच
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल, श्री	कानपुर
द्वारिका नाथ धवन, श्री	देहरादून
धनीराम वर्मा, श्री	इटावा
धनेश्वरी देवी, श्रीमती	वाराणसी
धरमपाल, श्री	बहराइच
धर्मवीर सिंह, श्री	मेरठ
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री	मुजफ्फरनगर
धर्म सिंह, श्री	बुलन्दशहर
ध्रुव प्रसाद राय, श्री	देवरिया
नकली सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
नत्थू लाल, श्री	हरदोई
नन्द किशोर सिंह, श्री	देवरिया
नन्हे राम, श्री	बरेली
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री	पिथौरागढ़
नाजिर अली, श्री	शाहजहांपुर
नियाज हसन खाँ, श्री	प्रतापगढ़
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)	बलिया
नेत्रपाल सिंह राघव, श्री	एटा
नौनिहाल सिंह, चौधरी	इलाहाबाद
पंचाननराय, श्री	आजमगढ़
पन्ने लाल, श्री	गोरखपुर
परमाई लाल, श्री	हरदोई
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री	बस्ती
परागी लाल चौधरी, श्री	सीतापुर
पहलवान, श्री	जौनपुर
पारवती देवी, श्रीमती	बाराबंकी
पुष्पा चौहान, श्रीमती	अलीगढ़
पूरन चन्द्र, श्री	अलीगढ़
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री	हमीरपुर
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री	प्रतापगढ़
प्रभू नारायण सिंह, श्री	जौनपुर
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री	बुलन्दशहर
प्रियदर्शी जेतली, श्री	फैजाबाद
प्रेमवती, श्रीमती	बदायूं
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती	लखनऊ
फखरे आलम, श्री	बदायूं
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री	गोरखपुर
बंशीधर, श्री	रामपुर
बंशीधर राज, श्री	खीरी
बच्चा पाठक, श्री	बलिया
बदन सिंह, श्री	आगरा
बनवारी राम, श्री	वाराणसी
बब्बन सिंह, श्री	बलिया
बलराम सिंह यादव, श्री	इटावा
बलबीर सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
बल्देव सिंह आर्य, श्री	उत्तरकाशी
बाबू राम, श्री	पीलीभीत
बाबू लाल, श्री	गोंडा
बाबू लाल, श्री	हमीरपुर
बाबू सिंह, श्री	अलीगढ़
बिहारी लाल, श्री	नैनीताल
बिहारी लाल दोहरे, श्री	फर्रुखाबाद
बृजकिशोर मिश्र, डाक्टर	देवरिया
बेनी बाई, श्रीमती	झांसी
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री	इलाहाबाद
ब्रह्मदत्त, श्री	देहरादून
भगवती सिंह विशारद, श्री	उन्नाव
भगवानदीन कुशवाहा, श्री	कानपुर

भागीरथ, श्री	झांसी
भास्कर पाण्डेय, श्री	देवरिया
भीखा लाल, श्री	उन्नाव
भूधर नारायण मिश्र, श्री	कानपुर
भूप सिंह केन, श्री	गाजियाबाद
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री	गोरखपुर
भोला पाण्डेय, श्री	बलिया
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री	बस्ती
मजर अहमद, श्री	मेरठ
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री	बस्ती
मसरुर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज), श्री	गोंडा
महाराज सिंह, श्री	आगरा
महारानी दोइरे, श्रीमती	इटावा
महेश उपाध्याय, श्री	आगरा
महेशचन्द्र, श्री	मेरठ
महेश प्रसाद, श्री	देवरिया
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री	वाराणसी
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	बस्ती
माधव प्रसाद, श्री	फैजाबाद
मान बहादुर, श्री	गोंडा
मारकण्डेय चन्द्र, श्री	गोरखपुर
मित्रसेन, श्री	फैजाबाद
मीर मजहर अली, श्री	बदायूं
मुईद अहमद, श्री	सुल्तानपुर
मुख्तार अनीस, श्री	सीतापुर
मुन्शी लाल, श्री	मैनपुरी
मुरलीधर मुनीम, श्री	गोंडा
मुहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मेंहदी असगर, श्री	मुजफ्फरनगर
मोती लाल देहलवी, श्री	कानपुर
मोहन लाल, श्री	हमीरपुर
मोहन सिंह, श्री	देवरिया
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री	बदायूं
मोहम्मद उमर, डाक्टर	गोंडा
मोहम्मद नबी, श्री	बस्ती
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री	लखनऊ
मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी, श्री	वाराणसी
यदुनाथ सिंह, श्री	मिर्जापुर
यमुना प्रसाद, श्री	बाराबंकी
यशपाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
योगेन्द्र सिंह, कुंवर	फर्रुखाबाद
योगेश चन्द्र, श्री	वाराणसी
रघुराज प्रसाद उपध्याय, श्री	गोंडा
रघुबीर सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
रमाकान्त मिश्रा, श्री	इलाहाबाद
रमेशचन्द्र शुक्ल, श्री	रायबरेली
राज किशोर राव, श्री	बहराइच
राजकुमार राय, श्री	आजमगढ़
राजपति देवी, श्रीमती	सुल्तानपुर
राजपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
राममंगल पाण्डेय, श्री	देवरिया
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री	झांसी
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री	सीतापुर
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
राजेन्द्र सिंह, श्री	एटा
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
राधेश्याम पटेल, श्री	इलाहाबाद
राधेश्याम वर्मा, श्री	फर्रुखाबाद
राम अवध प्रसाद, श्री	बस्ती
राम आसरे पासवान, श्री	बस्ती
राम आसरे वर्मा, श्री	हरदोई
राम औतार दीक्षित, श्री	हरदोई
राम करन, श्री	वाराणसी
राम कुंवर सिंह, श्री	आजमगढ़
राम कुमार भार्गव, श्री	सीतापुर
राम कृष्ण उपाध्याय, डा0	जौनपुर
राम कृष्ण महेश्वरी, श्री	मुरादाबाद
राम गोविन्द, श्री	बलिया
राम चन्द्र, श्री	वाराणसी
रामचरण सिंह, श्री	मिर्जापुर
राम जनम सिंह, श्री	वाराणसी
रामजीराम, श्री	फैजाबाद
राम धनी, श्री	गजीपुर
राम नारायण सिंह, श्री (एडवोकेट)	गाजीपुर
राम नरेश शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
राम नारायण पाठक, श्री	कानपुर
रामपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
राम प्यारे पाण्डेय, श्री	फतेहपुर
श्याम प्रसाद, श्री	जालौन
राम भजन लाल, श्री	खीरी
राम लाल, श्री	सीतापुर
राम लाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम शिरोमणि, श्री	जौनपुर
राम समुझावन, श्री	जौनपुर
राम सागर, श्री	बाराबंकी
राम सिंह खन्ना, श्री	बरेली
राम सिंह रावल, श्री	एटा
राम स्वरुप निम, श्री	सहारनपुर
राम स्वरूप वर्मा, श्री	कानपुर
राम हर्ष मिश्र, श्री	बहराइच
राम हर्ष राय, श्री	गाजीपुर
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री	बरेली
रामेश्वर प्रसाद, श्री	बांदा
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री	बाराबंकी

रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
रियासत हुसैन, श्री	मुरादाबाद
रुद्र प्रताप सिंह, श्री	देवरियां
रूप राम, श्री	शाहजहांपुर
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणिजी)	इलाहाबाद
लटरी सिंह, श्री	एटा
लल्लू सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
लाल प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
लालसा, श्री	आजमगढ़
लोकमणि शर्मा, श्री	मथुरा
विजय कुमार, श्री	लखनऊ
विजयपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
विजय शंकर सिंह, श्री	गाजीपुर
विजय सिंह, श्री	मिर्जापुर
विद्या भूषण, श्री	मुजफ्फरनगर
विद्या सागर नौटियाल, श्री	टिहरी गढ़वाल
विनोद कुमार तिवारी, डाक्टर	पीलीभीत
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विलायती राम कत्याल, श्री	कानपुर
विशन लाल, श्री	बिजनौर
विश्वनाथ, श्री	देवरिया
विश्राम दास, श्री	इलाहाबाद
विष्णु दयाल वर्मा, श्री	मैनपुरी
वीर बहादुर सिंह, श्री	गोरखपुर
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री	सीतापुर
वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
वीरेन्द्र सिंह ढ़ाना, कुंवर	गाजियाबाद
वृद्धि नारायण सिंह, श्री	वाराणसी
शंकर सिंह, श्री	जालौन
शम्भूनाथ, श्री	आजमगढ़
शरीयतुल्ला, श्री	मुरादाबाद
शिरोमणि, श्री	बांदा
शिव दर्शन, श्री	रायबरेली
शिव नरेश, श्री	बाँदा
शिव नारायण सिंह, नेगी	नैनीताल
शिवपाल सिंह, श्री	उन्नाव
शिव बालक, श्री	रायबरेली
शिव मंगल सिंह, श्री	मैनपुरी
शिवराज सिंह, श्री	अलीगढ़
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर	पौड़ी गढ़वाल
शौनाथ सिंह, श्री	बिजनौर
श्याम नरायन तिवारी, श्री	गोरखपुर
श्याम लाल वाजपेयी, श्री	बाराबंकी
श्याम सिंह, श्री	बिजनौर
श्रीनाथ सिंह, श्री	वाराणसी
संकटा प्रसाद, श्री	वाराणसी
सच्चिदानन्द, श्री	उन्नाव
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री	इलाहाबाद
सत्यपाल सिंह, श्री	शाहजहाँपुर
सन्त बख्श रावत, श्री	लखनऊ
सन्तोष कुमारी, श्रीमती	बदायूं
सरजू प्रसाद सरोज, श्री	प्रतापगढ़
सरदार सिंह, श्री	मथुरा
साहब सिंह, श्री	गाजीपुर
सिकन्दर अली खां नवाब, श्री	शाहजहांपुर
सुखदा मिश्रा, श्रीमती	इटावा
सुखबीर सिंह गहलौत, श्री	गाजियाबाद
सुनीता चौहान, श्रीमती	रायबरेली
सुनील शास्त्री, श्री	गोरखपुर
सुन्दर सिंह, श्री	बहराइच
सुमन लता, श्रीमती	कानपुर
सुरेन्द्र कपिल, श्री	सहारनपुर
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी)	गाजियाबाद
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री	बस्ती
सुरेन्द्र सिंह, श्री	गाजीपुर
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री	अलीग
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री	जालौन
सुल्तान सिंह, श्री	मुरादाबाद
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री	जौनपुर
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती	लखनऊ
स्वामी नेमपाल, श्री	बुलन्दशहर
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री	हमीरपुर
हंसराज सिंह वर्मा, श्री	एटा
हरगोविन्द वर्मा, श्री	सीतापुर
हरदेव, श्री	बलिया
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री	बाँदा
हरिद्वार पाण्डेय, श्री	गोरखपुर
हरिप्रसाद कुरील, श्री	उन्नाव
हरिवंश सहाय, श्री	देवरिया
हरी किशन श्रीवास्तव,	कानपुर
हरी शंकर, श्री	हरदोई
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री	मुरादाबाद
हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
हेमचन्द निमेष, श्री	मेरठ

नोट—पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास राज्य मन्त्री श्री राम सजीवन भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 28 फरवरी, 1984 ई0

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश सचिवालय में अनुभाग अधिकारी के पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की पूर्ति

**1–श्री मोतीलाल देहलवी तथा श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 1984 तक उत्तर प्रदेश सचिवालय में कुल कितने अनुभाग अधिकारी कार्यरत हैं? उनमें से कितने अनुभाग अधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं एवं उनके आरक्षण का प्रतिशत क्या है? क्या आरक्षण कोटा पूर्ण है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या 1978 के लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित प्रतियोगितात्मक परीक्षा के आधार पर अनुमोदित कार्यरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उपलब्ध प्रवर वर्ग सहायकों में से आरक्षण कोटे को पूरा करने के संबंध में श्री राम लाल वर्मा, विधायक का कोई पत्र उन्हें मिला? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

सूचना एवं सार्वजनिक उद्योग राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

उत्तर प्रदेश सचिवालय में जनवरी, 1984 तक 316 अनुभाग अधिकारी कार्यरत थे। उनमें से 25 अनुभाग अधिकारी अनुसूचित जाति के हैं तथा उनके आरक्षण का प्रतिशत 7.91 है। अनुसूचित जनजाति का कोई अनुभाग अधिकारी कार्यरत नहीं है। आरक्षण कोटा पूर्ण नहीं है क्योंकि गत चयन वर्षों में पर्याप्त संख्या में अनुसूचित जाति/जनजाति के अर्ह एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं थे। 1978 की लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित प्रतियोगितात्मक परीक्षा के आधार पर अनुमोदित कार्यरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उपलब्ध सहायकों में से आरक्षण कोटा पूरा करने के सम्बन्ध में श्री राम लाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 18 दिसम्बर, 1983 शासन को प्राप्त हुआ है। इस पत्र में कुछ मौलिक तथा नीति विषयक बिन्दु उठाये गये हैं जिनका परीक्षण किया जा रहा है।

श्री मोतीलाल देहलवी–

इस उत्तर को देखने से लगता है मान्यवर, कि चिराग तले अंधेरा है। इस सचिवालय में ही अनुसूचित जाति के लोगों का कोटा पूरा नहीं है। कहा यह जा रहा है कि योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हुए। मैं जानना चाहता हूं कि चयन हेतु कब कब अभ्यर्थियों को बुलाया गया और वे किन-किन कारणों से उपयुक्त नहीं पाये गये?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इसके लिये लोक सेवा आयोग से कहा गया था और उसने ही परीक्षा ली। जो उपयुक्त पाये गये उनको रख लिया गया। यह प्रयास किया जा रहा है कि जैसे ही ये लोग, उपयुक्त पात्रता वाले उपलब्ध होंगे उन्हें रख लिया जायेगा।

श्री राम स्वरूप निम–

मैं आपके माध्यम से मंत्री से जानना चाहता हूं कि जिनकी पदोन्नति की गयी और जो इस सचिवालय में पदोन्नति के लिए ड्यू हैं उनकी पदोन्नति न करने का क्या कारण है?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नति की गयी है। जो उपयुक्त पाये गये उनकी पदोन्नति की गयी है और जो उपयुक्त नहीं पाये गये उनकी पदोन्नति नहीं हो पा रही है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

मान्यवर, सेवा नियमावली में प्रवर वर्ग सहायकों के लिये 10 वर्ष सेवा का प्राविधान है? यदि हां तो क्या इसमें समय-समय पर जारी राजाज्ञायें कहिये या और कोई अधिसूचनायें कहिये, के आधार पर 10 साल के अलावा 5 साल की भी सेवा पर अनुसूचित जाति के लोगों को प्रोन्नत करने का प्राविधान है? यदि हां, तो इसमें शासन को क्या आपत्ति है?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मौजूदा नियमावली में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है।

श्री मोती लाल देहलवी–

मान्यवर, उपयुक्त अभ्यर्थी मौजूद हैं। सरकार इसको जानबूझ कर छिपा रही है। प्रचार इस बात का बहुत होता है कि अनुसूचित जाति के लोगों की उन्नति के लिये यह सरकार बड़े-बड़े काम कर रही है लेकिन यदि वास्तविकता देखी जाय तो इस प्रश्न से साफ जाहिर है कि हाथी के दांत खाने के और, और दिखाने के और होते हैं। मैं निश्चित रूप से सरकार को यह बता रहा हूं कि उपयुक्त अभ्यर्थी जो डिजर्व करते हैं, अनुसूचित जाति के ऐसे लोग इस सचिवालय में हैं लेकिन जानबूझकर उनका चयन नहीं किया जा रहा है। 10 वर्षों से टाला जा रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप इसकी छानबीन करायेंगे कि कौन से अभ्यर्थी अनुसूचित जाति के मौजूद हैं जो इस पद के लिए उपयुक्त हैं और माननीय अध्यक्ष को आप सूचना देंगे?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, जहां तक यह प्रश्न है कि जानबूझकर नहीं किया जा रहा है तो मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि मौजूदा शासन कृत संकल्प है, कटिबद्ध है कि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के उपयुक्त उम्मीदवार हैं उनकी पदोन्नति अवश्य की जाय और समय-समय पर शासन ने ढील भी दी है। रही बात कि उपयुक्त व्यक्ति मौजूद हैं तो मैं माननीय सदस्य से निवेदन करता हूं कि जिसको वह उपयुक्त समझें नियमावली के हिसाब से, उनका नाम दे दें। मान्यवर, आपको या माननीय सदस्य को मैं अवगत करा दूंगा कि उनकी पदोन्नति क्यों नहीं हो पा रही है। अगर वह उपयुक्त होंगे तो मैं निश्चित रूप से उनकी पदोन्नति कराऊंगा।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, पहले उपलब्ध नहीं होते थे अब उपयुक्त नहीं होते हैं यह स्थिति अनुसूचित जाति के साथ जुड़ गयी है। मैं जानना चाहता हूं कि उपयुक्तता का आधार क्या है और उपयुक्तता की कसौटी पर कसने के बाद पदोन्नति करने की कार्यवाही कितने दिनों में करवा देंगे?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, नियमावली के अनुच्छेद–5 में उपयुक्तता का आधार दिया गया है। अगर आपका आदेश हो तो पढ़ दूं।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, यह कोई बात नहीं हुयी, किताब में तो सब कुछ है। मान्यवर, सवाल हमारा यह है कि उपयुक्तता की कुछ शर्तें होंगी और वह शर्तें क्या हैं? उन शर्तों के आधार पर पदोन्नति करने की कार्यवाही कितने दिनों में कर दी जायगी?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, उपयुक्तता की कसौटी नियम 5 में दी हुयी है। माननीय सदस्य देखना चाहें तो मैं उन्हें दिखा सकता हूं।

श्री अध्यक्ष–

आप सारांश बता दें।

श्री प्रमोद कुमार–

"मान्यवर, इसमें यह है कि" स्थायी सहायक अधीक्षकों में से और ऐसे प्रवर वर्ग सहायकों में से जिन्होंने प्रवर वर्ग सहायक के रूप में या और किसी उच्चतर पद पर कम से कम दस वर्ष की सेवा (जिसके अन्तर्गत अस्थायी सेवा भी है) की हो, पदोन्नति द्वारा। मान्यवर, यह है।

श्री भीखा लाल–

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिस नियम का उल्लेख अभी उन्होंने पढ़कर किया, उस नियम के अनुसार कितने ऐसे अभ्यर्थी थे, उनकी पात्रता सूची कोई बनायी गयी? यदि बनायी गयी, तो जनवरी, 1984 तक कितनों को पदोन्नत किया गया और उसकी सूची क्या है?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, बड़ा वृहद प्रश्न है, इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी। लेकिन मान्यवर, जो पात्रता सूची बनाई गयी है, जो उपयुक्त पाये गये, उनको ले लिया गया। यदि कोई विशेष व्यक्ति के बारे में ये बतायेंगे, और वह उपयुक्त होगा, तो उसको पदोन्नति दे दी जायगी।

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, अनुभाग अधिकारी की पदोन्नति यदि शासन करता है, तब तो माननीय मंत्री जी कह देंगे कि हम आसानी से करा देंगे, और यदि वह लोक सेवा

आयोग की परिधि में आता है, क्योंकि आयोग के सामने बहुतेरे चयन के काम रहते हैं और पदोन्नति के मामले में जिस तेजी से उनको काम करना चाहिए, नहीं कर पाते हैं। मान्यवर, 1978 के बाद कोई भी पदोन्नति सम्बन्धी मामले का निस्तारण नहीं किया गया। मान्यवर, अनुभाग अधिकारी के पद रिक्त हैं, और अनुसूचित जाति का कोटा पूरा नहीं हो रहा है। तो क्या शासन अधिकारियों की कोई समिति बना कर जो रिक्त पद हैं, कोटा पूरा करा देंगे और इस सम्बन्ध में लोक सेवा आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए लिखने की कृपा करेंगे? मैं इसका आश्वासन चाहता हूं।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, बहुत से मामले शासन के विचाराधीन हैं, जिनका परीक्षण कराया जा रहा है, जैसे ही परीक्षण पूरा हो जायगा, उपयुक्त अभ्यर्थी जैसे ही मिल जायेंगे, अवश्य कोटा पूरा कर दिया जायगा।

श्री मोती लाल देहलवी–

मान्यवर, अनुपयुक्तता का मामला कई बार सदन में आया, लेकिन इसका समाधान अभी तक निकला नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जब, जहां कहीं भी जिस विभाग में अनुपयुक्त जैसे मामले नजर में आते हैं, क्या उसके लिए ऐसी समिति बनाने के लिए माननीय मंत्री जी तैयार हैं कि जो अनुपयुक्त बताये जाने के लिये जांच करें कि ये अभ्यर्थी अनुसूचित जाति का उपयुक्त हैं अथवा अनुपयुक्त हैं? ऐसी समिति इस समय बनाने के लिए आप तैयार हैं?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, किस प्रकार की समिति चाहते हैं? उसके लिए तो एक समिति पहले से बनी हुई है।

श्री अध्यक्ष–

जो कोटा पूरा नहीं हो रहा है, वह क्यों नहीं पूरा हो रहा है?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, कोटा पूरा करने के लिये प्रयास किया जा रहा है।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, हम लोग जब अपने क्षेत्रों में जाते हैं, तो हजारों की तादाद में हरिजन ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स बेकार पड़े हुए हैं, वे दरख्वास्त देते हैं और मान्यवर, इसी सदन में एक सवाल मैंने किया था, सिंचाई विभाग में एक धर्मदेव प्रसाद हरिजन थे, उसको निकाल दिया गया। मान्यवर, हरिजन का कोटा वहां पर भी पूरा नहीं है। दूसरा सवाल आजमगढ़ रोडवेज में भी कोटा पूरा नहीं है, उसके बारे में लीपा-पोती की जा रही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हरिजन का कोटा पूरा करने के लिए जो माननीय मोहन सिंह ने कहा है कि ऐसी कोई समिति बना दी जाय, जिसमें तीन अधिकारी हों और तीन अधिकारियों में से दो हरिजन हों, जो इन चीजों की छानबीन करे और वह इसके लिए सुनिश्चित प्रयास करे?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इस सन्दर्भ में मैंने कहा कि परीक्षण कराया जा रहा है। मान्यवर, इस सम्बन्ध में माननीय रामलाल जी का भी पत्र प्राप्त हुआ है। मान्यवर, परीक्षण कराया जा रहा है और कोटा पूरा करने के लिए प्रयास किया जा रहा है।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, हरिजनों के साथ अन्याय हो रहा है। मान्यवर, हम लोग अपने क्षेत्रों में जाते हैं, तो हजारों व्यक्ति इस प्रकार की दरख्वास्त देते हैं। मान्यवर, हरिजनों का कोटा पूरा नहीं है।

श्री हुकुम सिंह–

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सन् 1978 से लोक सेवा आयोग ने कोई परीक्षा इस प्रकार की नहीं करायी तो तदर्थ रूप में पदोन्नति करने में क्या कठिनाई है? क्यों नहीं एक कमेटी बनाकर तदर्थ नियुक्ति कर देते हैं?

श्री प्रमोद कुमार–

देरी हो रही थी। इसीलिये तदर्थ नियुक्तियां कर दी गयी हैं।

मुरादाबाद जनपद के ग्राम कनखल में थाना हसनपुर की पुलिस से मुठभेड़ की जांच

**2–श्री मंजूर अहमद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 29 जनवरी, 1984 को थाना हसनपुर, जिला मुरादाबाद के अन्तर्गत ग्राम कनखल में थाना हसनपुर की पुलिस ने मुठभेड़ दिखा कर पांच व्यक्तियों को गोली मार कर हत्या कर दी थी? यदि हां, तो वे व्यक्ति कौन हैं और घटना का पूर्ण विवरण क्या है?

परिवहन मंत्री (श्री गुलाब सेहरा)–

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 29/30-1-84 को रात्रि लगभग 11 बजे ग्राम कनखल के निवासियों श्री डल्लू व श्री हरीराम, प्रधान के घरों में कुछ डकैतों द्वारा डकैती डालने की योजना की सूचना थानाध्यक्ष हसनपुर को प्राप्त हुई। इस सूचना के प्राप्त होने पर थानाध्यक्ष ने मय पुलिस फोर्स तथा कुछ ग्रामीणों के साथ उक्त ग्राम की घेराबंदी की। थानाध्यक्ष के द्वारा डकैतों के आत्मसमर्पण के लिए कहने पर डकैतों ने पुलिस पर फायर किये जिस पर पुलिस ने भी फायर किया जिसके परिणाम-स्वरूप मौके पर ही 5 अज्ञात डकैत मारे गये जिनकी शिनाख्त किसी के द्वारा नहीं की गयी। इस पुलिस मुठभेड़ की मजिस्टीरियल जांच के आदेश दिये जा चुके हैं।

श्री मोहन सिंह–

इस सरकार को जब झूठ बोलना होता है तो यही मंत्री मिलते हैं।

श्री पंचानन राय–

परिवहन मिल गया लेकिन पुलिस से छूटे नहीं।

श्री श्याम लाल वाजपेयी–

यह पुलिस विभाग के विशेषज्ञ हैं, महारत हासिल है।

श्री मंजूर अहमद–

मान्यवर, [***] मुख्य मंत्री के सहायक मंत्री से यह जानना चाहूंगा. . .

श्री अध्यक्ष–

अपंग की आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

श्री मंजूर अहमद–

पुलिस वालों को कितनों को गोली लगी, उनका डाक्टरी मुआयना हुआ होगा और पांच आदमियों को जो अज्ञात बताया है उनका भी डाक्टरी मुआयना हुआ होगा। वह रिपोर्ट क्या है और पुलिस वालों को कितने को गोली लगी इसका उत्तर दे दें ?

श्री गुलाब सेहरा–

पांचों मृतकों का पोस्ट मार्टम डा0 आर0 खरे मेडिकल अफसर ने किया था और बताया कि गोली लगने से मृत्यु हुई। पुलिस वालों को गोली नहीं लगी।

श्री मंजूर अहमद–

मैं यह जानना चाहूंगा कि उसी क्षेत्र के विधायक श्री जितेन्द्र पाल सिंह इसी काण्ड को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी और पांचों व्यक्ति को अज्ञात किस आधार पर कहा जा रहा है?

श्री गुलाब सेहरा–

मृतकों की शिनाख्त किसी ने नहीं की। माननीय सदस्य जितेन्द्र पाल सिंह अनशन पर बैठे थे। उस वक्त थानाध्यक्ष को स्थानान्तरित कर दिया गया था और श्रीमन्, इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि इस मुठभेड़ के फलस्वरूप गांव के लोगों ने एफीडेविट दिया कि हमारे सामने मुठभेड़ हुई। मरने वालों की शिनाख्त नहीं हो पायी।

श्री रियासत हुसैन–

क्या मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जब जितेन्द्र पाल सिंह अनशन पर बैठे और उनका अनशन खत्म कराया गया उस वक्त क्या-क्या आश्वासन दिये गये थे और उनकी पूर्ति हुई या नहीं? क्या यह सही है कि उस थानाध्यक्ष को हसनपुर से हटाकर उससे अच्छा थाना ठाकुरद्वारे का मुरादाबाद में है, उसका इंचार्ज बना दिया गया ?

श्री श्याम लाल वाजपेयी–

पैसा दे दिया होगा एस0 एस0 पी0 को ।

श्री गुलाब सेहरा–

मैजिस्टीरियल इंक्वायरी विचाराधीन है। उसकी रिपोर्ट आने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। थाने की मेरिट जितना रियासत भाई जानते हैं उतना हमें नहीं मालूम ।

श्री मंजूर अहमद–

मेरी जो जानकारी है वह यह है कि थानाध्यक्ष वहां से हटा है, मैं माननीय मंत्री जी के सहायक से जानना चाहूंगा कि वह कृपया यह बतायें कि उसने अपने रहते

नोट : [* * *] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

हुए वहां पांच से हटकर अन्य कितने आदमियों को मारा है और उनकी जांच कौन कर रहा है ?

दूसरी बात यह है कि क्या माननीय मंत्री जी के सहायक, माननीय मंत्री जी तो इस वक्त हैं नहीं होते तो भी शायद वह जवाब न दे पाते, तो क्या माननीय मंत्री जी के सहायक यह बताने की कृपा करेंगे कि इसकी मजिस्ट्रेट जांच न करके इसको सी0 आई0 डी0 की जांच को सुपुर्द करने का कष्ट करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा–

श्रीमन्, मैजिस्टीरियल इंक्वायरी होने के बाद विचार कर लिया जायेगा।

श्री जितेन्द्र पाल सिंह–

मान्यवर, मेरी एक मांग है कि सी0 बी0 आई0 से जांच कराने का कष्ट करें ?

श्री गुलाब सेहरा–

अध्यक्ष जी, मैं एक बात विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि इसमें जो व्यक्ति मारे गये उनकी शिनाख्त हो। जब कोई चीज आप दें। मैंने कहा अग्रिम इन्क्वायरी करने के उपरान्त शासन इस पर विचार कर लेगा।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

जो 20 मिनट इसके लिए निर्धारित है वह समय समाप्त हो गया।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त प्रश्न]

केन्द्र सरकार की भांति प्रदेश के पत्थर तुड़ाई मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण

*1–श्री मित्रसेन–

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि माह नवम्बर, 1983 में केन्द्रीय सरकार ने अपनी अधिसूचना जारी कर कृषि मजदूरों, सार्वजनिक निर्माण, पत्थर तुड़ाई आदि श्रमिकों की न्यूनतम वेतन में वृद्धि कर दी है? यदि हां, तो प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में मजदूरों की वेतन वृद्धि को लागू न किये जाने के क्या कारण हैं? इस दिशा में अब तक शासन स्तर से कौन-कौन से निदेश कब दिये गये हैं?

श्रम राज्य मंत्री (श्री सुनील शास्त्री)–

केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना दिनांक 19 अक्टूबर, 1983 द्वारा कृषि, सार्वजनिक निर्माण, पत्थर तुड़ाई मजदूरों का वेतन पुनरीक्षित किया है। प्रदेश सरकार द्वारा कृषि मजदूरों का वेतन पुनरीक्षण इसके पूर्व ही 13 जुलाई, 1983 की अधिसूचना द्वारा किया जा चुका है जिसके अनुसार प्रदेश में विभिन्न सम्भागों के लिए न्यूनतम मजदूरी रु0 8.00 से रु0 9.50 तक प्रतिदिन निर्धारित की गयी है।

प्रदेश में सड़कों के निर्माण करने या निर्माण प्रक्रियाओं में सेवायोजन या पत्थर तोड़ने या पत्थर कूटने में लगे श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दरें अधिसूचना दिनांक 24 फरवरी, 1983 द्वारा निर्धारित की जा चुकी है। जिसके अनुसार न्यूनतम मजदूरी रु0 208/- प्रतिमास या रु0 8/- प्रतिदिन निर्धारित की गई है।

निर्धारित न्यूनतम दरें विभिन्न विभागों द्वारा लागू करने के सम्बन्ध में निदेश 18 जून, 1983 तदोपरान्त पुनः 29 अगस्त, 1983 को निर्गत किये गये थे।

कृषि मजदूरों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दिलाने के सम्बन्ध में विशेष प्रयास करने हेतु शासन द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश 20 जुलाई, 1983 को निर्गत किये गये थे।

यदि कहीं से न्यूनतम मजदूरी न दिये जाने की शिकायत प्राप्त होगी तो जांचोपरान्त तुरन्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायगी।

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन्होंने कहा है कि केन्द्र सरकार की पुनरीक्षित मजदूरी के पहले ही जुलाई में प्रदेश सरकार ने लागू कर दिया है तो मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने पुनरीक्षित किया है और आपने जो किया है उसमें कोई अन्तर है या नहीं?

श्री सुनील शास्त्री–

मान्यवर, जो केन्द्र सरकार न्यूनतम वेतन निर्धारित करती है वह केन्द्रीय जो हैं उन पर लागू होता है और प्रदेश सरकार का अपना विभाग है उन पर लागू होता है। जो कृषि मजदूर हैं जिसके उत्तर में कहा कि 13 जुलाई, 1983 को अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें समय-समय पर पुनरीक्षित कर दी जाती है इसी के आधार पर कृषि मजदूर की मजदूरी निर्धारित की गयी है।

श्री भीखा लाल–

मान्यवर, पत्थर तोड़ने वाले मजदूरों का न्यूनतम वेतन क्या है? केन्द्र सरकार ने किया है और आपने भी किया है। लेकिन आपका कम है, तो इसके क्या कारण हैं?

श्री सुनील शास्त्री–

मान्यवर, जिस समय वेतन पुनरीक्षण किया गया था, सब बातों को ध्यान में रखते हुए 208 रुपये प्रति माह या 8 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से किया गया था, लेकिन चूंकि 50 बिन्दु, जो प्राइसइंडेक्स का होता है, उसमें बढ़ोत्तरी हो गयी है, इसलिये फिर से भारत सरकार प्रदेश के पत्थर तोड़ने और सड़क निर्माण के कार्य में कार्यरत श्रमिकों का वेतन पुनरीक्षण करने जा रही है।

उत्तर प्रदेश के राजपत्रित अधिकारियों में अनुसूचित जाति/जनजाति तथा पिछड़े वर्ग का आरक्षण

*2—श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या राष्ट्रीय एकीकरण मंत्री कृपया बतायेंगे कि 31 दिसम्बर, 1983 को उत्तर प्रदेश में कुल कितने राजपत्रित अधिकारी थे, उनमें से कितने अनुसूचित जाति के एवं कितने जनजाति के, कितने पिछड़े वर्ग के और कितने अल्प-संख्यक वर्ग के थे?

शिक्षा एवं राष्ट्रीय एकीकरण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़े वर्ग के राजपत्रित अधिकारियों के सम्बन्ध में वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

जहां तक अल्पसंख्यक वर्ग का प्रश्न है, उनके लिये राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण नहीं है अतः इनके बारे में सूचना एकत्र नहीं की जाती है।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि सूचना कब तक एकत्र हो जायेगी, उसमें कितना समय लगेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, जब यह प्रश्न मिला था कार्यालय से उस समय निवेदन किया गया था कि यह मामला उत्तर प्रदेश के समस्त विभागों से संबंधित है और उत्तर प्रदेश के सभी हिस्सों से जवाब आना है, इसलिये 2 माह का समय चाहिए।

ग्राम प्रधान केशवपट्टी द्वारा थानाध्यक्ष चौरी चौरा, गोरखपुर के विरुद्ध आत्मदाह की सूचना पर कृत कार्यवाही

*3—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सरकार को ज्ञात है कि 26 जनवरी, 1984 को गणतंत्र दिवस के पुनीत राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर ग्राम प्रधान केशवपट्टी, ब्लाक सरदार नगर, थाना चौरी चौरा, गोरखपुर ने अपने परिवार सहित राष्ट्रीय ध्वज के सामने थानाध्यक्ष, चौरी चौरा, गोरखपुर के विरुद्ध अपने साथ सम्पूर्ण परिवार लेकर आत्मदाह करने की पूर्व सूचना दी है? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री गुलाब सेहरा—

जी हां।

दिनांक 23-1-84 को जिलाधिकारी गोरखपुर के समक्ष क्षेत्रीय व स्थानीय संभ्रान्त व्यक्तियों के हस्तक्षेप व समझाने बुझाने तथा इस आश्वासन पर कि मामले की जांच करायी जायेगी तथा समुचित सुरक्षा दी जायेगी ग्राम प्रधान केशवपट्टी ने सपरिवार आत्मदाह न करने की घोषणा की। अतः 26-1-1984 को कोई आत्मदाह नहीं हुआ।

ग्राम केशवपट्टी में सुरक्षा की दृष्टि से उप निरीक्षक एवं आरक्षियों को समय-समय पर भेजा जाता है। इस समय वातावरण शान्त है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

अध्यक्ष जी, यह मामला स्थानीय अधिकारियों और शासन के विरुद्ध 26 जनवरी को राष्ट्रीय झंडे के समक्ष ग्राम केशवपट्टी के ग्राम प्रधान का स्वयं और अपने परिवार के

समस्त सदस्यों के साथ आत्मदाह करने की घोषणा का है। प्रश्न के उत्तर में दिया है कि जिलाधिकारी के समक्ष क्षेत्रीय व स्थानीय संभ्रान्त व्यक्तियों के, यह जो कार्यक्रम रखा गया था आत्मदाह का, द्वारा हस्तक्षेप किया गया । मैं जानना चाहूंगा कि उस समय जो जांच की बात थी तो उस समिति में कौन-कौन से प्रमुख लोग थे और क्या आश्वासन दिया गया था ? क्या आश्वासन के आधार पर संबंधित थानेदार को वहां से हटाया गया या निलम्बित कर दिया गया ?

श्री गुलाब सेहरा–

श्रीमन्, यह एक व्यक्तिगत मामला था। एक एफ0 आई0 आर0 के ऊपर आत्मदाह की धमकी दी गयी थी । वहां के प्रतिष्ठित लोगों ने समझाया बुझाया और ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जांच की। थानेदार ने कोई गड़बड़ी नहीं की । जो एफ0 आई0 आर0 में था, इस तरह की कोई बात नहीं हुई ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

मान्यवर, मामला ऐसा नहीं है। मैं मंत्री जी के उत्तर की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जिलाधिकारी ने स्वयं उसमें रुचि ली, अगर रुचि न लिये होते, डी0 आई0 जी0 ने भी रुचि ली । क्या मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि उस थानेदार से संबंधित, डकैती का मामला चोरी लिखा गया? जो अनेक पैम्पलेट और पोस्टर पूरे जिले में संबंधित विधायकों और सम्भ्रान्त नागरिकों के मिले, उनकी मूल-मूल बातें क्या थीं ?

श्री गुलाब सेहरा–

श्रीमन्, वहां के डिप्टी कलेक्टर श्री बी0 डी0 शुक्ला ने मामले की जांच की कि यह क्यों आत्मदाह करना चाहते थे। उसकी उन्होंने रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में यह दिया गया कि ग्राम प्रधान एक एफ0 आई0 आर0 की वजह से नाराज थे कि थानेदार की जो एफ0 आई0 आर0 थी उसमें डकैती क्यों नहीं लिखी गयी, 323 क्यों किया गया । मान्यवर, एक उल्लेखनीय बात यह भी है कि ग्राम प्रधान आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है । इनके खिलाफ 3 केसेस में चालान भी हो चुके हैं । उन्होंने अपनी विस्तृत रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया है कि किसी व्यक्ति को इन्होंने एक छोटा सा सार्टिफिकेट देना था और उस व्यक्ति से वह 4 हजार रुपये मांग रहे थे, किन्तु उस आदमी ने 4 हजार रुपये नहीं दिए । इस मुद्दे पर इन दोनों में मार-पीट हो गयी । इस मार-पीट की रिपोर्ट को वह (ग्राम प्रधान) एफ0 आई0 आर0 में लिखाना चाहते थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि ग्राम प्रधान ऐसा करके अपने हाथ में कानून को लेना चाहते थे ।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस प्रश्न के उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं, इसलिये इसे प्रश्न और संदर्भ समिति को निर्दिष्ट कर रहा हूं ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न].

ओबरा पावर हाउस में अग्निकाण्ड से क्षति तथा जांच

*1—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री मुंशी लाल, श्री बंशीधर, श्री नत्थू लाल, श्री पूरन चन्द्र, श्री रेवती रमण सिंह, श्री राम गोविन्द चौधरी, श्री मित्रसेन, श्री जनार्दन प्रसाद झोझा, श्री कुंवर सिंह नेगी, श्री सरदार सिंह तथा श्री पंचानन राय—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ओबरा पावर हाउस में अभी हाल में ही दो बार आग लगी ? यदि हां, तो अनुमानित क्षति क्या है? क्या सरकार ने आग लगने के लिए, किसकी जिम्मेदारी है, इस बारे में कोई जांच कराई?

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)—

जी हां :

अनुमानित क्षति लगभग 30 करोड़ रुपये है ।

जी हां ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, प्रश्न के उत्तर के अन्त में लिखा है "जी हां"। इसका मतलब जांच करायी गयी । माननीय मंत्री जी इस मामले की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए कि आग 3 खण्ड नीचे लगी और वह ऊपर तक आ गयी तथा इसकी जानकारी वहां के प्रभारी अधिकारी को नहीं हुई । प्रभारी बाहर बैठकर ताश खेल रहे थे तथा आरक्षी लोगों ने दरवाजे नहीं खोले । इस सन्दर्भ की सूचना भी दी जाती रही है कि वहां रख-रखाव ठीक नहीं है तथा आग बुझाने का कोई प्रबन्ध नहीं है । इसकी जांच किससे करायी गयी तथा उसे कौन-कौन से बिन्दु संदर्भित किए गये? "जी हां" जो उत्तर के अन्त में लिखा गया है, इसका मतलब है उसकी रिपोर्ट भी आयी है। उस रिपोर्ट का सारांश क्या है ?

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, इस सारे प्रकरण की जांच दो स्तर से करायी गयी। एक तो इसमें समिति नियुक्त की गयी । उसे संदर्भित किया गया कि इस घटना में किस स्तर से शिथिलता बरती गयी और इसमें क्या असावधानी हुई, अगर यह है तो उसका उत्तर-दायित्व क्या है । भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिये क्या सुझाव दिये जायं । दूसरी जांच जो है वह सी0बी0आई0 कर रही है। समस्त प्रकरण की संक्षेप में रिपोर्ट प्राप्त हुई है, विस्तृत रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। साथ ही साथ सी0बी0आई0 की जांच की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसके उपरान्त ही कुछ बताना जनहित में होगा ।

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने पूरी बात नहीं बतायी । केन्द्रीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 100 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है, परन्तु जवाब में कहा गया है कि वहां आग बुझाने की समुचित व्यवस्था नहीं है । क्या इसके लिये चेयरमैन, डिप्टी जनरल मैनेजर, मैम्बर, जनरेशन जिम्मेदार नहीं है? तीसरी बात यह है कि एक

समिति चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में जांच कर चुकी है तथा उससे अपनी रिपोर्ट दे दी है, तो उसके बाद इसे सी0बी0आई0 को सौंपने का क्या औचित्य है?

श्री ब्रह्म दत्त–

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि एक समिति बनाई गयी थी । माननीय सदस्य उसे केन्द्रीय समिति कह रहे हैं, परन्तु मैं उसे एक समिति कह रहा हूं, इस समिति से एक संक्षिप्त रिपोर्ट प्राप्त हुई है। विस्तृत रूप से रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विस्तृत रूप से रिपोर्ट के प्राप्त होने के बाद ही हम कार्यवाही करेंगे । सारे प्रकरण की जांच सी0बी0आई0 द्वारा करायी जा रही है तथा उसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा करना उचित भी है।

श्री राम गोविन्द–

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जब सन् 1964 में सान्याल जी वहां पर डिप्टी जनरल मैनेजर थे उस समय भी वहां पर आग लगी थी ?

श्री ब्रह्म दत्त–

मान्यवर, यह सन् 1964 की बात तो हमें देखनी पड़ेगी।

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि 30 करोड़ रुपये की क्षति हुई है। पहली बात तो यह है कि मैं इसे प्रोटेस्ट करना चाहता हूं। दूसरी बात माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि, हम लोगों की सूचना के अनुसार यूनिट नम्बर 10 और 11 पूरा जलकर खत्म हो गया है और ये दोनों यूनिट इंश्योर्ड की गई थी। जिस समय इंश्योर्ड की थी, उस समय इनकी कीमत कितनी आंकी गयी थी और यदि उसे आधार माना जाय तो कितना नुकसान हुआ इन दोनों का जो बंधक है एल0 आई0 सी0 का वह कितना आंका गया है?

श्री ब्रह्म दत्त–

वह सभी यूनिट देखी गयी है, मैं 5 नवम्बर को वहां गया था, जहां तक यूनिट नं0 10, 11 का सवाल है, वे यूनिट क्षतिग्रस्त नहीं हुई है, केवल गैलरी, उसके स्विच और इसी तरह की अन्य चीजों की बात है, उसका विस्तृत इस्टीमेट मंगाया है । पूरी मरम्मत के लिए 30 करोड़ रुपए की जरूरत है । इनकी बाबत पूरा इस्टीमेट हमने मंगाया है। जहां तक इंश्योरेंस का मामला है, इसकी सूचना मुझे प्राप्त करके देनी पड़ेगी। लेकिन, मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि यूनिट नं0 10 और 11 की मुख्य मशीनें क्षतिग्रस्त नहीं हुई हैं।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसकी बाबत प्रश्नों के उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं। मैं इसे प्रश्न एवं संदर्भ समिति के सुपुर्द कर रहा हूं, जांच इत्यादि के लिए, ताकि मामले में शीघ्र से शीघ्र निर्णय हो सके।

(श्री अध्यक्ष द्वारा अगला प्रश्न लेने पर)

श्री ब्रह्म दत्त–

मान्यवर, मैं पूरे विस्तृत जवाब के लिए तैयार था। आपकी आज्ञा वैसे शिरोधार्य है, लेकिन प्रश्न समिति के सामने भी वही बात आयेगी। इसमें ऐसी कोई

बात ही नहीं है कि किसी चीज को छिपाया जा रहा है, या उत्तर नहीं दिया जा रहा है।

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, एक तो 50 करोड़ में इंश्योर्ड है और दूसरा 71 करोड़ में इंश्योर्ड है।

मंगलवार, 28 फरवरी, 1984 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न

*1–श्री प्रियदर्शी जेतली–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

जिला चमोली की वन सम्बन्धी समस्याओं एवं मांगों के बारे में ज्ञापन

*2–श्री कुंवर सिंह नेगी (अनुपस्थित)–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 28 सितम्बर, 1983 को उन्हें उनके गोपेश्वर आगमन पर जिला चमोली की वन सम्बन्धी समस्याओं एवं मांगों के बारे में ज्ञापन प्रस्तुत किया था? यदि हां, तो प्रमुख मांगें क्या थीं और उनके सामाधान हेतु क्या कार्यवाही की गयी है?

वन एवं पशुधन राज्य मंत्री (श्री संजय सिंह)–

जी हां, तथाकथित ज्ञापन प्राप्त हुआ जिसमें प्रमुख मांगे निम्नलिखित है:–

1–वन्य जन्तु संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत काश्तकारों के पालतू पशुओं के हिंसक वन्य जन्तुओं द्वारा मारे जाने पर मुआवजा दिया जाना।

2–वन विभाग में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की नियुक्तियों में स्थानीय अभ्यार्थियों को प्राथमिकता।

3–गोपेश्वर के नजदीक स्थान गुंगर में मिनी जू की स्थापना।

4–वन संरक्षण अधिनियम से विकाय कार्य में उत्पन्न गतिरोध हटाना एवं जन जीवन की सुविधाओं की वैकल्पिक व्यवस्था।

उपरोक्त मांगों के समाधान हेतु निम्नवत कार्यवाही की गयी:–

1–चमोली जनपद में केवल नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क से सम्बन्धित ही ऐसे मामलें प्रकाश में आये है जिसमें अब तक कुल 10 मामलों में मुआवजा स्वीकृत किया जा चुका है तथा 4 में जांच की जा रही है।

2–चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियां स्थानीय रोजगार कार्यालयों से अभ्यर्थियों की सूची मंगाकर प्रभागीय स्तर पर नियमानुसार परीक्षा लेकर की जाती है। तृतीय श्रेणी के उन पदों जिनके नियुक्ति अधिकारी वन संरक्षक हैं, पर नियुक्ति वृत्त के अन्तर्गत आने वाले जिलों के रोजगार कार्यालयों से पास अभ्यर्थियों की सूची मंगाकर नियमानुसार परीक्षा लेकर की जाती है। इस प्रकार स्थानीय पात्र अभ्यार्थियों को स्वतः ही प्राथमिकता मिल जाती है। माह नवम्बर, 1983 में केदारनाथ कस्तूरा मृग बिहार तथा फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क के लिए परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर

21 पदों पर की गयी नियुक्तियों में से चमोली जनपद के 18 तथा पौड़ी, अल्मोड़ा तथा टिहरी जनपद के क्रमशः एक-एक अभ्यर्थियों को चुना गया।

3—गोपेश्वर के निकट सगर में मिनी जू बनाना व्यवहारिक नहीं है क्योंकि वहां बहुत कम पर्यटक जाते हैं तथा सस्ते मांस एवं चारे की कमी के कारण प्रस्तावित जू में वन्य जीवों को रखना कठिन होगा।

4—(क) वन संरक्षण अधिनियम, 1980 भारत सरकार द्वारा पारित अधिनियम है। इसके अनुसार वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोजन हेतु उपयोग के लिए भारत सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक है। यह अधिनियम वनों के दुरुपयोग को रोकने एवं उनकी सुरक्षा के लिए है। विकास कार्यों के लिए भी वनभूमि का नियमानुसार यथासम्भव हस्तान्तरण किया जा रहा है।

(ख) चरान-चुगान पर रोक केवल नन्दादेवी फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्कों में ही है शेष क्षेत्र जहां नये वृक्षारोपण कार्यक्रम नहीं चल रहे हैं वहां चरान-चुगान खुला हुआ है।

(ग) चमोली जनपद की किसी भी वनाधारित औद्योगिक इकाई को लकड़ी आबन्टन हेतु उद्योग विभाग द्वारा संस्तुति न किये जाने के कारण लकड़ी का आबन्टन नहीं किया गया है।

सचिवालय कालोनी, महानगर में रिटायर्ड कर्मचारियों से आवास खाली न कराए जाने का कारण

*3—श्री मोतीलाल देहलवी—

क्या मुख्य मंत्री को इस बात की जानकारी है कि सचिवालय कालोनी, महानगर, लखनऊ में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिन्हें रिटायर हुए 6 वर्ष से भी अधिक हो गये हैं और वे अभी भी सरकारी क्वार्टर्स में रह रहे हैं? उनसे सरकारी आवास खाली न कराए जाने के क्या कारण हैं?

श्री प्रमोद कुमार—

जी नहीं। सचिवालय कालोनी महानगर, लखनऊ में ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है जिसे रिटायर हुए 6 वर्ष से भी अधिक हो गया हो और वह सरकारी क्वार्टर्स में रह रहा हो।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि वह संख्या 6 वर्ष की नहीं है। लेकिन, 5 वर्ष की हो सकती है। इसलिए मैं यह स्पष्ट रूप से उनसे जानना चाहता हूं कि क्या इस तरह के कोई अधिकारी या कर्मचारी हैं, उनकी वर्ष की संख्या कुछ भी हो, जो रिटायर होने के बाद भी उन क्वार्टर्स में रह रहा है?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा था कि 6 वर्ष से अधिक के ऐसे कितने लोग हैं और उसकी सूची उपलब्ध करायी जाय, उसका उत्तर आ गया। अब यह जानना चाह रहे हैं कि 3 साल या 4 साल की श्रेणी में ऐसे कितने लोग हैं? तो, मान्यवर, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे इस सूचना के लिये अलग से प्रश्न कर लें, मैं उसका उत्तर दे दूंगा।

श्री मोती लाल देहलवी–

मान्यवर, यह इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। मान्यवर, न 6 वर्ष सही, 5 वर्ष या 4 वर्ष के हो सकते हैं। इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि कुछ कर्मचारी अधिकारी रिटायर होने के बाद भी क्वार्टर्स में रह रहे हैं, जो क्वार्टर्स उन्हें सेवारत रहते हुए दिये गये थे?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, प्रश्न 6 वर्ष से अधिक का किया गया था, उसकी सूचना मेरे पास उपलब्ध है। उसका उत्तर मैंने दे दिया है।

प्रदेश के विभिन्न जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति के घंटों का निर्धारण

*4–श्री जयदीप सिंह बरार (अनुपस्थित)–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में विभिन्न जिलों के देहाती क्षेत्र को विद्युत सप्लाई के घंटों का निर्धारण इन जिलों के प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग के उल्टे अनुपात में किया जायेगा, के प्रश्न पर विचार कर, आदेश जारी करने की कृपा करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त–

जी नहीं।

प्रदेश के विभिन्न जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों को प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति के घंटों का निर्धारण जिलों के प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग के अनुपात के आधार पर नहीं किया जाता है वरन् प्रदेश में विद्युत उपलब्धता तथा सिंचाई की मांग के आधार पर किया जाता है।

प्रान्तीय खण्ड, बहराइच में तारकोल की चोर बाजारी की सतर्कता जांच

*5–श्रीमती गौरी देवी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रान्तीय खण्ड, बहराइच में तारकोल की चोर-बाजारी के सम्बन्ध में जुलाई व अगस्त, 83 में कोई जांच शासन द्वारा करायी गयी है? यदि हां, तो क्या जांच पूरी कर ली गयी है? यदि हां, तो सम्पूर्ण जांच रिपोर्ट क्या है?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री विद्या भूषण)––

खुली सतर्कता जांच चल रही है।

श्रीमती गौरी देवी––

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जांच कब प्रारम्भ हुई तथा कब पूरी होगी और जांच कौन कर रहा है?

श्री विद्या भूषण--

इसकी जांच के लिये विभाग को कोई जानकारी नहीं है यह सीधी कंपलेंट सतर्कता विभाग को दी गयी है, सतर्कता विभाग इसकी जांच कर रहा है और जुलाई अगस्त के महीने से कर रहा है । इसकी बाबत सतर्कता विभाग से रिपोर्ट मांगी गयी है, सतर्कता विभाग ने कह दिया है कि वे अभी पूरी रिपोर्ट देने में असमर्थ हैं ।

श्रीमती गौरी देवी--

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जांच में अब तक क्या तथ्य प्रकाश में आये हैं ?

श्री विद्या भूषण--

मैंने अभी बताया कि सतर्कता विभाग ने कुछ भी बताने से मना कर दिया है जब तक पूरी जांच न हो जाय ।

*6-श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

प्रदेश के अधिकारियों को दौरे के संबंध में दिए गए निर्देश

*7-श्री श्यामलाल वाजपेयी-

क्या मुख्य मंत्री प्रदेश शासन को चुस्त एवं जनहितकारी बनाने हेतु प्रदेश स्तर के विभागीय सचिवों एवं पुलिस महानिरीक्षकों के लिए बगैर बताए हुए महीने में पांच दिन जिलों का दौरा तथा आयुक्त एवं पुलिस महानिरीक्षकों को सम्बन्धित मंडलीय जिलों में अनिवार्य रूप से महीने में दो बार प्रत्येक जिलों के आकस्मिक निरीक्षण करने की घोषणा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासन जिलों में अधिकारियों के दौरे के समय जन प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श की अनिवार्यता पर भी विचार करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रमोद कुमार--

दौरा करने वाले समस्त अधिकारियों को निर्देश है कि वे नियमित दौरे के अतिरिक्त प्रत्येक माह आकस्मिक दौरे भी किया करें । तदनुसार मण्डलायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक तथा उप पुलिस महानिरीक्षकों से भी आकस्मिक दौरे करना अपेक्षित है । विभागीय सचिवों से शासन के मुख्यालय पर उनके उत्तरदायित्वों को देखते हुये नियमित दौरों की अपेक्षा नहीं की जाती है । इन अधिकारियों के लिये आकस्मिक दौरों की संख्या निर्धारित करना आवश्यक नहीं है ।

अधिकारियों द्वारा जिलों में दौरे के समय जनप्रतिनिधियों से अनिवार्य रूप से विचार-विमर्श करने की अपेक्षा करना व्यवहारिक नहीं होगा ।

श्री श्याम लाल वाजपेयी-

यह इतने लोक महत्व का प्रश्न आपके माध्यम से मैंने पूछा है । प्रदेश शासन को चुस्त बनाने के लिये लोकशाही और अफसरशाही का सामंजस्य बैठाने के लिये मैंने प्रश्न किया था । आप इसको फिर पढ़कर समझने का प्रयास करें । इसमें मैंने कोई असाधारण बात नहीं कही । केवल यह कहा कि प्रदेश स्तर के जो सचिव हैं वे और जो पचासों की संख्या में आई0 जी0 नियुक्त हो गये हैं, 30 दिनों में

5 दिन बगैर बताये हुए जिलों का दौरा करने के लिये कहा था और दूसरी बात, मंडलायुक्त और उप पुलिस महानिरीक्षक यानी डी0आई0जी0 अपने सम्बन्धित जिलों में बगैर बताये हुए केवल महीने में 2 दिन आकस्मिक दौरा करें । तीसरी बात, जब जिले में ये अधिकारी जायं तो जनतंत्र के प्रतीक जनप्रतिनिधियों से बुलाकर अनिवार्य रूप से विचार-विमर्श करें । ये तीनों लोकमहत्व की बातें हैं । नीम हकीम खतराए जान, ये जो उत्तर देने के लिये बैठाए गये हैं, इनको पता नहीं है कि सदस्य पूंछ क्या क्या रहा है और यह उत्तर क्या दे रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न करें ।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

मान्यवर, प्रश्न ही पूंछ रहा हूं ।

(व्यवधान)

मैं कोई अनुसूचित बात नहीं कहना चाहता हूं । यह एक प्रजातांत्रिक बात है और संसदीय प्रणाली के अनुरूप है । आपने अपने उत्तर में कहा है कि दौरा करने वाले समस्त अधिकारियों को निर्देश है कि वे नियमित दौरे के अतिरिक्त प्रत्येक माह आकस्मिक दौरे भी किया करें । इस आदेश के तहत प्रदेश के कितने अधिकारियों ने आकस्मिक दौरा किया ? दूसरी बात, जहां उन्होंने अपने उत्तर में यह बताया है कि सचिवों के लिये और आई0जी0 के लिये व्यावहारिक नहीं है कि वे महीने में 5 दिन दौरा कर सकें, इसका क्या कारण है ? आकस्मिक दौरे के बारे में कहना चाहता हूं कि कदम्ब, कंचन और कामिनी की सरिता में ये आपके अधिकारी . . . .

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं, आप बैठिए ।

(व्यवधान)

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

मैं पूंछ रहा हूं कि कौन से विशेष कारण हैं कि प्रदेश स्तर के अधिकारी नियमित दौरे नहीं कर सकते ? कौन से ऐसे कारण हैं कि सचिवों और आई0जी0 के लिये आकस्मिक दौरों की संख्या निर्धारित नहीं की जा सकती ? जिलों में ये अधिकारी जायेंगे तो विधायकों से क्यों नहीं बात करेंगे ?

मैं उसकी अनिवार्यता की घोषणा चाहता हूं कि जाने वाला अधिकारी जब उस जिले में जाए तो निश्चित रूप से क्षेत्रीय विधायक से विचार-विमर्श करें ।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मुख्य सचिव ने 22 सितम्बर, 81 को एक पत्र जारी किया है, जिसमें यह निर्देश दिए हैं कि सभी अधिकारी आकस्मिक दौरा करें और आकस्मिक दौरे के दौरान क्षेत्रीय विधायक से भी सम्पर्क स्थापित करें, लेकिन इसकी अनिवार्य रूप से घोषणा इसलिए नहीं की जा सकती है कि फिर वह आकस्मिक दौरा नहीं रह जायेगा ।

श्री श्याम लाल वाजपेयी—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी आकस्मिक दौरे की परिभाषा को समझें। आकस्मिक रूप से जिलों में जाएं और जब वहां पर पहुंचकर थानों व अन्य जगहों पर मुआयना कर लें, तब क्षेत्रीय विधायक को बुलायें ऐसा तो कर सकते हैं क्योंकि मान्यवर, देखा यह जाता है कि जन प्रतिनिधि सचिवालय में कोई पत्र देता है तो वह पत्र जिला स्तर पर पहुंचने में 3 माह का समय लगता है और कुछ इधर-उधर की जांच करके मामले में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं होती है। इसलिए ऐसे मामलों को जब अधिकारीगण वहां जाएं तो उसको उस जन-प्रतिनिधि के सामने विचार विमर्श करके निपटा दें। क्या ऐसा करने में कोई माननीय मंत्री जी को दिक्कत है ?

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, मेरा अनुभव तो बहुत कम है, लेकिन लगता है मा0 सदस्य को भी जानकारी नहीं है कि इस प्रकार के आदेश पहले ही दिये जा चुके हैं कि जब अधिकारीगण आकस्मिक दौरा करें तो जनप्रतिनिधि से सम्पर्क अवश्य करें।

श्री श्याम लाल वाजपेयी—

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने कहा कि मा0 सदस्य को जानकारी नहीं है, इसलिए मा0 मंत्री जी को मैं बताना चाहता हूं कि जितने दिनों का उनका मंत्रित्व-काल है, उसका कई गुना हमारा सामाजिक जीवन रह चुका है। इसलिए मान्यवर, मेरा निवेदन है कि जब अधिकारीगण जिलों में जाएं तो केवल चपरासी से उनके आने की सूचना भिजवाना जनप्रतिनिधि को काफी नहीं है, बल्कि जब उनको यह मालूम होगा कि क्षेत्रीय विधायक से विचार-विमर्श करना उनका बहुत जरूरी है तो वह इसके प्रयास करेंगे, मान्यवर, इसको स्पष्ट करवाने की कृपा करें मा0 मंत्री जी से।

श्री प्रमोद कुमार—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मा0 सदस्य की बात का स्वागत करते हुए यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के आदेश उनको पहले ही दिये जा चुके हैं कि जब वह जनपदों में जाएं तो वहां के जनप्रतिनिधियों से सम्पर्क करें। यह बात जैसा कि मैंने पहले बताया कि 22 सितम्बर के पत्र में मुख्य सचिव द्वारा यह आदेश भेजे जा चुके हैं। बल्कि उसमें यह भी है कि जन-सामान्य से भी बात करें और जब जन-सामान्य से मिलेंगे तो जन-प्रतिनिधियों से भी मिलेंगे ही।

निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों का परीक्षण एवं गुण नियंत्रण जनपद स्तर पर कराने की मांग

*8—श्री चंदन राय—

क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उनके विभाग के मुख्य अभियन्ताओं द्वारा हाल ही में ऐसे निर्देश जारी किए गये हैं कि निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों का परीक्षण एवं गुण नियन्त्रण जनपद स्तर पर ही करा लिया जाय ? यदि हां, तो यह व्यवस्था किन-किन स्थानों पर लागू की जा

रही है और क्या उन स्थानों पर आवश्यक प्रयोगशालाएं एवं वैज्ञानिक उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो उक्त परीक्षण का आधार क्या होगा ?

श्री विद्या भूषण--

जी नहीं प्रमुख अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नवम्बर, 1983 में जारी किये गये परिपत्र में यह निर्देश दिये गये हैं कि फील्ड स्टाफ द्वारा कराये जा रहे कार्यों के गुणस्तर नियंत्रण से सम्बन्धित परीक्षण कराने का दायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता व अधीक्षण अभियन्ता पर है । जिन खण्डों में प्रयोगशालायें हैं उनका उपयोग गुणनियंत्रण में प्रभावी रूप से किया जायेगा । अधीक्षण अभियन्ता जिन कार्यों के नमूने का परीक्षण सार्वजनिक निर्माण विभाग अन्वेषणालय द्वारा आवश्यक समझेंगे उसे अन्वेषणालय को ही भेजेंगे । खण्डों की प्रयोगशालाओं में परीक्षण कार्य विभागीय सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता देखते हैं तथा उनकी सहायता के लिये प्रयोगशाला सहायक भी हैं । इन प्रयोगशालाओं में ऐसे परीक्षण किये जाते हैं जो केवल सहायक अभियन्ता तथा अवर अभियन्ता की क्षमता के अन्दर हैं । विशेष प्रकार के परीक्षण अन्वेषणालय में ही कराये जाते हैं ।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, जरा यह प्रश्न आप देख लें ।

इसके पहले हिस्से में कहा है कि "जी नहीं" और दूसरे में कहा है कि "हां" । मैंने प्रश्न किया था कि निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों का परीक्षण एवं गुण नियंत्रण जनपद स्तर पर ही करा लिया जाय ? तो उन्होंने उत्तर दिया कि "जी नहीं" और फिर आगे अपने उत्तर में मंत्री जी कहते हैं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि फील्ड स्टाफ के द्वारा गुणस्तर नियंत्रण से संबंधित परीक्षण संबंधित अधिशासी अभियन्ता व अधीक्षण अभियन्ता पर है । मैं प्रश्न यह करना चाहता हूं कि आप भी जानते हैं, मंत्री जी भी जानते हैं कि जो काम आज हो रहा है उसमें तमाम घटिया किस्म की सामग्री प्रयोग की जा रही है । फील्ड स्टाफ द्वारा कराये जाने वाले काम में अधीक्षण अभियन्ता व अधिशासी अभियन्ता का दायित्व फील्ड स्टाफ पर होता है । मैं यह जानना चाहता हूं कि बिना प्रयोगशालाओं के जो हर जिलों में काम हो रहा है और जिसमें घटिया किस्म की सामग्री इस्तेमाल हो रही है, उसकी जांच करने के लिये हर जिलों में प्रयोगशालायें उपलब्ध नहीं हैं जो मैटीरियल प्रयोग हो रहा है तो उसके गुण की जांच आप किस प्रकार से करायेंगे ?

श्री विद्या भूषण—

मान्यवर, हमारे प्रदेश में 9 जिलों में प्रयोगशालाएं हैं और पूरे प्रदेश में प्रयोगशालाएं खोलने के लिये यह विचाराधीन विषय है । नौ जिलों में जो प्रयोगशालाएं हैं उनमें स्वायल टेस्टिंग का कार्य होता है तथा अन्य सभी टेस्टिंग लखनऊ अन्वेषणालय की प्रयोगशाला में की जाती है ।

श्री पंचानन राय—

मंत्री जी के उत्तर में लिखा हुआ है कि फील्ड स्टाफ के द्वारा प्रयोग की जाने वाली सामग्री का परीक्षण किया जाता है जिसमें अधिशासी अभियन्ता और अधीक्षण अभियन्ताओं का दायित्व होता है । यह जो अभियन्ता होते हैं वह कहते हैं कि जिलों में जांच हो रही है क्योंकि उनके पास कोई इंस्ट्रूमेन्टस् नहीं हैं, तो मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वे हर जिले में प्रयोगशाला उपलब्ध करा दें जिससे कि प्रयोग की जाने वाली सामग्री का परीक्षण किया जा सके। इसके लिये आप क्या कोई सुनिश्चित व्यवस्था करेंगे कि घटिया किस्म की सामग्री जो प्रयोग की जा रही है, उसकी समुचित जांच हो सके ?

श्री विद्या भूषण—

मान्यवर, मैंने पहले ही कहा कि यह विषय विचाराधीन है कि हर जिलों में प्रयोग-शालाएं खोल दी जायं ।

स्थानापन्न रूप से कार्यरत प्रवर वर्ग सहायकों को स्थायी किये जाने की मांग

*9—श्री अकबाल हुसैन (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1965 में लोक सेवा आयोग के परामर्श से स्थानापन्न प्रवर सहायकों की कोई विशेष अर्हकारी परीक्षा ली गयी थी और उक्त परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक पाने वाले समस्त सहायकों को प्रवर वर्ग सहायक के पद पर स्थायी कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार दीर्घ समय से स्थानापन्न रूप से कार्यरत प्रवर वर्ग सहायकों को स्थायी करने हेतु पुनः विशेष अर्हकारी परीक्षा कराने के मामले में विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)—

जी नहीं ।

मुख्य मंत्री द्वारा हेलीकाप्टर से किया गया दौरा तथा व्यय

*10—श्री मोहन सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने 29/30 अक्टूबर, 1982 को किन-किन स्थानों का हेलीकाप्टर से दौरा किया और राज्य के दो हेलीकाप्टरों पर इन दो दिनों में कितने रुपये का पेट्रोल व्यय हुआ ?

श्री गुलाब सेहरा—

मुख्य मंत्री ने अक्टूबर 29, 1982 को राजकीय हेलीकप्टर से गोरखपुर, रुद्रपुर एवं बलिया का दौरा किया । दो हेलीकप्टरों की उड़ान पर रु0 4526·90 का पेट्रोल व्यय हुआ ।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, मैंने प्रश्न किया था कि मुख्य मंत्री जी ने 29/30 अक्तूबर, 1982 को किन-किन स्थानों का हेलीकाप्टर से दौरा किया। माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं केवल 29 अक्तूबर के बारे में । मेरी स्वयं की जान-कारी है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में राजीव गांधी के दौरे के अवसर पर मुख्य मंत्री जी उनके वाहक की हैसियत से गये थे। उनके दोनों राजकीय हेलीकाप्टर किन-किन स्थानों तक

उड़ान भरे और कहां-कहां गये और उन पर कितना ईंधन व्यय हुआ, यह मंत्री जी कृपया बता दें ?

श्री गुलाब सेहरा–

हेलीकाप्टर में औसत इंधन दो सौ लीटर प्रति घंटा खर्च होता है। उन्होंने उस दिन कुल 4 घन्टा और 50 मिनट दौरा किया जिसमें 1015 लीटर ईंधन व्यय हुआ। 30 अक्तूबर को माननीय मुख्य मंत्री ने कोई हेलीकाप्टर का इस्तेमाल नहीं किया ।

श्री मीखा लाल–

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह मुख्य मंत्री का दौरा माननीय राजीव गांधी के साथ था, मुख्य मंत्री का दौरा नहीं था, माननीय मुख्य मंत्री राजीव गांधी के सहयोगी के रूप में उनके साथ गये थे ?

श्री गुलाब सेहरा–

मैंने स्पष्ट किया कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने हेलीकाप्टर द्वारा गोरखपुर, रुद्रपुर, बलिया—इन तीन स्थानों पर स्वयं दौरा किया था ।

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी तथ्यों को छिपा रहे हैं । वह कह रहे हैं कि कुल यात्रा में केवल 4 घन्टे की उड़ान की । मान्यवर, वह गोरखपुर, रुद्रपुर, घोसी फिर बालया गये, इतने में 4 ही घन्टे नहीं लगे । माननीय मंत्री जी सही खबर नहीं दे रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि दोनों हेलीकाप्टरों पर कितने धन का फ्यूल व्यय हुआ और कुल कितने घन्टे की यात्रा की? इसकी मुस्तकिल सूचना देने का कष्ट करें ।

श्री गुलाब सेहरा–

मान्यवर, मैंने पूरा विवरण बता दिया । माननीय सदस्य 2 हेलीकाप्टर की बातें कर रहे हैं । मान्यवर, एक तो पहले से ही गोरखपुर में था ।

श्री मोहन सिंह–

वह गया तो लखनऊ से ही होगा ।

श्री रियासत हुसैन–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उस पर कौन-कौन लोग सवार थे ?

श्री गुलाब सेहरा–

श्रीमन्, उस पर माननीय मुख्य मंत्री जी, श्री सुखदेव प्रसाद, केन्द्रीय मंत्री श्री सी० पी० एन० सिंह, श्री अरुण नेहरू और श्री राजीव गांधी थे ।

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह लोग किस कार्यक्रम में वहां पर गये थे ? क्या कार्यक्रम लगा हुआ था ?

श्री गुलाब सेहरा–

यह कार्यक्रम 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत लगा हुआ था ।

श्री कृष्णधर उपाध्याय, पत्रकार, दैनिक जागरण, जनपद फैजाबाद को एस0 ओ0 कुमारगंज द्वारा जान से मार डालने की धमकी की शिकायत

*11—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री कृष्णधर उपाध्याय, पत्रकार, दैनिक जागरण, कुमारगंज, जनपद फैजाबाद ने क्रमांक 2883, दिनांक 20-8-83 को तार द्वारा एस0 ओ0, थाना कुमारगंज, फैजाबाद द्वारा उन्हें जान से मार डालने की धमकी से संबंधित शिकायत उनसे की है ? यदि हां, तो दिए गए तार का पूर्ण विवरण क्या है ? तथा क्या जांच के दौरान शिकायतकर्ता से भी लिखित बयान लिया गया है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट व बयान के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा—

कृष्णधर पत्रकार का प्रश्न में उल्लिखित विषय का तार दिनांक 20-8-83 प्राप्त हुआ था तार की प्रतिलिपि संलग्न है । जांच के दौरान शिकायतकर्ता से लिखित बयान लिया गया है । इस मामले की जांच करायी गयी । पुलिस कर्मियों के विरुद्ध लगाये गये आरोप जांच से प्रमाणित नहीं हुए । प्रशासनिक आधार पर दो पुलिस उप-निरीक्षक सर्वश्री हरिशचन्द्र भारती व पी0 एन0 चौधरी का स्थानान्तरण अन्यत्र कर दिया गया है । प्रश्न के शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिए नत्थी "क" आगे पृष्ठ 1427 पर।)

श्री गोपी नाथ वर्मा—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि श्री हरिश चन्द्र भारती और श्री पी0 एन0 चौधरी, उप पुलिस निरीक्षकों का स्थानान्तरण किन प्रशासनिक कारणों से किया गया है? कौन से आधार हैं जिनके कारण इनका स्थानान्तरण किया गया है?

श्री गुलाब सेहरा—

इनका स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर किया गया है । किन-किन तथ्यों पर किया गया है, उनका उल्लेख नहीं है ।

श्री गोपी नाथ वर्मा—

माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि श्री कृष्णधर पत्रकार, शिकायतकर्ता का बयान लिया गया, तो मैं जानना चाहता हूं कि उसका पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, उनका तो बयान आया ही है, उनके भाई विद्याधर उपाध्याय का भी बयान लिया गया है ।

(अगला प्रश्न पुकारे जाने पर)

श्री गोपी नाथ वर्मा—

मान्यवर, पत्रकार को मारा गया और उनके भाई को भी मारा गया । यह सब योजना बना कर हुआ । आप इसकी जांच करा लें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

*12–श्री जसवन्त सिंह विष्ट–

[7 वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या–5 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मिर्जापुर के आबेरा वन प्रभाग तथा रेनुकूट वन प्रभाग में अवैध कटान की जांच

*13–श्री विजय सिंह (अनुपस्थित)–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के शिकायत पर वन उप मंत्री श्री सुरेन्द्र सिंह द्वारा दिनांक 11 मार्च, 1982 से 16 मार्च, 1982 तक जनपद मिर्जापुर के आबेरा वन प्रभाग तथा रेनुकूट वन प्रभाग में हुए लाखों रुपए के बांस व साखू के अवैध कटानों का मौके पर निरीक्षण कर एक विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार करके दिनांक 26/27-3-82 को वन राज्य मंत्री को दी गयी थी ? यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री संजय सिंह–

जी हां ।

दिनांक 12 से 15 मार्च, 1982 को दिये गये निरीक्षण की रिपोर्ट 1 मई, 1982 को मुख्य मंत्री जी को प्रस्तुत की गयी थी । रिपोर्ट में उल्लिखित अवैध कटान की जांच विभाग एवं सर्तकता अधिष्ठान द्वारा कराई गयी। जांच के आधार पर दोषी पाये गये ठेकेदारों से जुर्माने की वसूली कुछ मामलों में कर ली गयी है और कुछ में की जा रही है । दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध भी नियमानुसार कुछ मामलों में कार्यवाही की जा चुकी है और कुछ मामलों में विचाराधीन है ।

जनपद गोरखपुर की पुलिस द्वारा डकैत समीउल्ला का एनकाउन्टर

*14–श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आज से लगभग 10 माह पूर्व गोरखपुर की पुलिस ने डकैत समीउल्ला को मार डालने का दावा किया था और पुरस्कार तथा पदोन्नति भी प्राप्त कर ली है ? क्या यह सच है कि उक्त डकैत समीउल्ला अभी भी जीवित है ? यदि हां, तो जिस निर्दोष व्यक्ति की हत्या पुलिस ने समीउल्ला समझ करके की थी, क्या सरकार उस व्यक्ति का नाम तथा घर का पता करके उस परिवार को सहायता करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा–

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद गोरखपुर की पुलिस द्वारा न तो समीउल्ला नामक कोई डकैत जनपद गोरखपुर में मारा गया है और न ही कोई दूसरा व्यक्ति ही समीउल्ला समझ कर मारा गया है । शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ–

मान्यवर, मैंने पूछा है कि नवम्बर, 1982 और दिसम्बर, 1982 में गोरखपुर में कोई एनकाउन्टर हुआ और उसमें कुल कितने व्यक्ति मारे गये ? क्या उनमें समीउल्ला नाम का कोई व्यक्ति था और यदि वह नहीं था तो वह कौन सा व्यक्ति था जो मारा गया, उसका नाम क्या है ?

श्री गुलाब सेहरा–

मान्यवर, इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं मारा गया ।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ–

मान्यवर, इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं मारा गया तो कौन सा व्यक्ति मारा गया, यह बता दें ?

श्री अध्यक्ष–

वे कहते हैं इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं मारा गया । आप सन्तुष्ट नहीं हैं तो नियम 49 में लिखकर दीजिये ।

चितकाना शेरपुर, थाना परीक्षतगढ़, जनपद मेरठ के जंगल में चार सगे भाइयों का इंकाउन्टर किये जाने की अपराध अनुसन्धान शाखा द्वारा जांच

*15–श्री मंजूर अहमद–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि दिनांक 31 दिसम्बर, 1980 को मोहल्ला तारापुरी, मेरठ में रात के 11 बजे चार सगे भाइयों का घर से ले जाकर चितकाना शेरपुर, थाना परीक्षतगढ़, जनपद मेरठ के जंगल में इनकाउन्टर कर दिया गया था ? यदि हां, तो इनकाउन्टर करने वाले एस0 ओ0 जगरोशन व अन्य पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारियों के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा–

विवेचना से प्रश्नगत मुठभेड़ सही नहीं पायी गयी है । अतः संबंधित पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके विवेचना की जा रही है । विवेचना समाप्त होने के पश्चात् नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

श्री मंजूर अहमद–

मान्यवर, 31 दिसम्बर, 1980 को ये सगे चारों भाई असगर वगैरह की हत्या कर दी गयी । एक साल पहले पुलिस के खिलाफ थाना मिसौड़ी में मुकदमा कायम किया गया था किन्तु अभी तक कोई गिरफ्तारियां नहीं हुई । मैं जानना चाहता हूं कि ये गिरफ्तारियां कब तक हो जायेंगी?

श्री गुलाब सेहरा–

श्रीमन्, 6 सब-इन्सपेक्टर्स के विरुद्ध तथा 8 कांस्टेबुल्स के विरुद्ध एफ0 आई0 आर0 कर दी गयी है । उसमें सी0 आई0 डी0 की विवेचना चल रही है । इस विवेचना के पश्चात् ही आगे की कार्यवाही की जायेगी ।

श्री मंजूर अहमद–

मान्यवर, मैंने निश्चित सवाल किया है कि 31 दिसम्बर, 1980 को ये सगे चारों भाई मारे गये । इनको निश्चित रूप से यह मालूम होगा कि मुठभेड़ में ये लोग मारे गये और मुकदमा कायम हो गया । एक साल पहले यह मुकदमा कायम हो गया था और मुल्जिमान की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई । इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि ये गिरफ्तारी कब तक हो जायेंगी?

श्री गुलाब सेहरा–

अध्यक्ष जी, मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि सी0 आई0 डी0 द्वारा विवेचना चल रही है, मुकदमा कायम कर दिया गया है। जैसे ही यह विवेचना समाप्त हो जायेगी, वैसे ही कार्यवाही की जायेगी।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, दफा 302 में अदम तफतीश का कोई प्रबन्ध नहीं है। 302 में एफ0 आई0 आर0 लौज होने के बाद तफतीश नहीं होती और मुल्जिमान गिरफ्तार होते हैं और मुल्जिमान भागे हुये हैं तो उनकी कुर्की होती है। मुल्जिमान शहरी हैं या सरकारी नौकर हैं, इससे 302 में कोई फर्क नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि 302 में कब से कदम तफतीश का सिलसिला शुरू हुआ है जिसको देखते हुये सन् 80 से अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है ?

श्री गुलाब सेहरा–

श्रीमन्, शीघ्रता करने के लिये कहा गया है और जैसा कि हमारे भाई मंजूर अहमद ने कहा है कि प्राइमरी स्टेज पर ही सी0 आई0 डी0 ने मान लिया कि पुलिस वालों की कमी है। श्रीमन्, एफ0आई0आर0 हो गई, विवेचना चल रही है। वह शीघ्र ही समाप्त होने वाली है।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष–

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं, आप बैठें।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि सी0 आई0 डी0 से जांच करने की मांग किस आधार पर की गई ? जब एफ0 आई0 आर0 दर्ज थी, मुल्जिमान का नाम था तो किस आधार पर सी0 आई0 डी0 की जांच करायी गई और यह मांग किसने की ?

श्री गुलाब सेहरा–

श्रीमन्, इसमें मांग किसने की इसके लिए मुझे सूचना की आवश्यकता पड़ेगी।

श्री भीखा लाल–

अध्यक्ष जी, यह सामान्य नियम है कि 302 में मुलजिम नामजद होने के बाद फौरन गिरफ्तार होते हैं। विवेचना चलती रहती है चाहे पुलिस करे या सी0 आई0 डी0 करे। जब इस मामले में मुलजिम नामजद हैं तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की गयी? इसका जवाब माननीय मंत्री जी नहीं दे रहे हैं। अगर अब भी जवाब नहीं देते हैं तो इस प्रश्न को प्रश्न समिति को भेज दें।

श्री गुलाब सेहरा–

श्रीमन्, मैंने कहा अपराध अनुसंधान शाखा ने एफ0 आई0 आर0 कराई है और वही उसकी विवेचना कर रही है उनकी विवेचना समाप्त होते ही शीघ्र कार्यवाही हो जायेगी।

श्री मुहम्मद आजम खां–

क्या सरकार की गैरमामूली दिलचस्पी इन पुलिस को बचाने के लिए इसलिए तो नहीं है कि यह सारे पुलिस कर्मी माननीय मंत्री जी के निकट के संबंधी हैं और इनसे लेनदेन का रिश्ता है. . .

श्री अध्यक्ष–

मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं । इससे यह प्रश्न नहीं उठता है । आप बैठें ।

श्री मंजूर अहमद–

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे, हालांकि मुख्य मंत्री इन्हीं को होना चाहिये था क्योंकि यह उस समय डिपुटी लीडर थे. . .

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करें, नुक्ताचीनी न करें ।

श्री मंजूर अहमद–

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मृतक चार सगे भाई थे ? दूसरा क्या यह सही है कि ड़ेढ़ साल पहले इसका मुकदमा थाना लिसाड़ी गेट पर कायम हुआ लेकिन मुलजिमान अभी भी वर्दी पहन कर सर्विस में ड्यूटी दे रहे हैं तो उनकी गिरफतारी अब तक क्यों नहीं की गयी ?

श्री गुलाब सेहरा–

श्रीमन्, मैं माननीय सदस्य को बता चुका हूं विशेष रूप से दुबारा समय निश्चित किया गया कि तुरन्त विवेचना उपस्थित करें . . .

श्री विद्यासागर नौटियाल–

मान्यवर, इसमें विवेचना की बात नहीं है। बार-बार यही जवाब आ रहा है। हम जानना चाहते हैं कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई?

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, इस पत्रावली को मेरे सचिव को भेज दें मैं इसका परीक्षण करूंगा ।

रेलवे पुलिस (जी0 आर0 पी0) द्वारा महिला यात्री के पैर का पंजा काटने के विरुद्ध कार्यवाही

*16–श्री प्रदीप कुमार यादव (अनुपस्थित)–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि क्या यह सही है कि मुगल सराय रेलवे स्टेशन जनपद वाराणसी पर 10 अक्टूबर, 1983 को रेलवे पुलिस (जी0 आर0 पी0) ने एक महिला यात्री के पैर का पंजा काट डाला ? यदि हां, तो क्या पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)–

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्न में उल्लिखित आरोप जांच में सही नहीं पाये गये । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

ललितपुर जनपद के परगना अधिकारियों एवं जिलाधिकारी द्वारा कथित काम बन्द हड़ताल

*17—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सितम्बर, 1983 में ललितपुर जनपद के सभी परगना अधिकारियों एवं जिलाधिकारी ने काम बन्द हड़ताल की थी ? यदि हां, तो क्यों ? क्या शासन ने इसकी कोई जांच करवाई है ? यदि हां, तो उसके परिणाम क्या हैं ?

श्री प्रमोद कुमार—

सितम्बर, 1983 में ललितपुर जनपद के परगनाधिकारियों एवं जिलाधिकारी ने कोई कलम बन्द हड़ताल नहीं की ।

शेष प्रश्न के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी तथ्यों को छुपा कर सूचना दे रहे हैं । यह सरकार नौकरशाही के चंगुल में फंसी है इसका यह पूरा नमूना है । क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 10, 11 सितम्बर, के आसपास किसी तिथि में ललितपुर जनपद के टेलीफान एक्सचेज के कर्मियों ने इसलिए हड़ताल की थी कि वहां के ए0 डी0 एम0 महोदय ने टेलीफोन आपरेटर को बाहर निकाल कर मारा और उसे शराब पिलायी और फिर उसे अस्पताल में भर्ती करके डाक्टरों से लिखाना चाहा कि यह शराब पीये था और इन्हीं कारणों से सारे उत्तर प्रदेश के टेलीफोन आपरेटरों ने शासन को हड़ताल की धमकी दी और इसी कारण से माननीय मुख्य मंत्री ने ए0 डी0 एम0 का ट्रांसफर कर दिया ? और इसके परिणामस्वरूप वहां के परगनाधिकारी और जिलाधिकारी ने शासन को इस प्रकार की सूचना दी थी कि जब तक इनका ट्रांस्फर नहीं रोका जाता है तब तक हम हड़ताल पर रहेंगे । उसके लिए शासन ने झांसी मंडल में हड़ताल समाप्त कराने के लिए आयुक्त महोदय को भेजा था ?

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, जहां तक प्रश्न के पहले भाग का संबंध है यह सच है कि वहां के टेलीफून एक्सचेन्ज इम्पलाइज और ए0 डी0 एम0 के बीच विवाद हुआ था जिसके कारण हड़ताल हुई थी ।

उसकी जांच आयुक्त ने किया था। और उन्हीं की संस्तुति पर ए0 डी0 एम0 का ट्रान्सफर किया गया और वह स्थानान्तरित होकर चले गये।

मान्यवर, जहां तक दूसरे प्रश्न का सवाल है कि समस्त अधिकारियों ने हड़ताल किया था तो उसमें मेरा कहना है कि ऐसी कोई कलमबंद हड़ताल नहीं हुई।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या टेलीफोन आपरेटर एसोसिएशन की मांग पर मुख्य मंत्री द्वारा ललितपुर में कार्यरत ए0 डी0 एम0 का ट्रान्सफर किया गया था?

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, उस विवाद में आयुक्त ने जांच किया और उनकी संस्तुति पर उनका ट्रान्सफर किया गया था।

श्री शंकर सिंह–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि, मंत्री जी ने कहा कि आयुक्त ने जांच किया था, जांच में क्या ए0 डी0 एम0 के ट्रान्सफर की संस्तुति किया है या उनको दोषी पाया गया तब ट्रान्सफर किया गया। दूसरा प्रश्न यह है कि जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, निश्चित रूप से जब देखा गया कि विवाद है तो उसको सुलझाने की दृष्टि से उनका ट्रान्सफर किया गया।

श्री रियासत हुसैन–

मान्यवर, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो आयुक्त ने रिपोर्ट दिया है जिसके आधार पर एक्शन की शक्ल में ट्रान्सफर उनका हो गया लेकिन उसके बाद ए0 डी0 एम0 के खिलाफ आयुक्त ने क्या संस्तुति किया है?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, विवाद होने पर जांच किया और तब पाया गया कि कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिये ट्रान्सफर किया जाये इसलिये ए0 डी0 एम0 का ट्रान्सफर वहां से कर दिया गया और जहां ट्रान्सफर किया गया वहां उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी निश्चित रूप से बतायेंगे कि आयुक्त ने जो जांच किया था तो जांच में कौन-कौन बिन्दु संदर्भित थे और जांच रिपोर्ट क्या है चूंकि जांच के बाद एक्शन लेना शासन का काम है तो जो एक्शन हुआ वह रिपोर्ट से समीचीन है कि नहीं, यह बाद में देखा जायेगा, लेकिन टर्म्स आफ रेफेरेन्स क्या हैं और जांच रिपोर्ट क्या है यह मंत्री जी बता दें?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, जब टेलीफोन इक्सचेंज के कर्मचारियों में हड़ताल हुई तो शासन अवगत हुआ और वहां कार्य सुचारु रूप से चलता रहे इसलिए आयुक्त को आदेश दिये गये कि समस्त तथ्यों की जांच करें जिस पर उन्होंने जांच किया और पाया कि कुछ गलत काम हुआ तभी तो उनके ट्रान्सफर की संस्तुति आयुक्त ने किया था।

(श्री रियासत हुसैन के खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष–

परिवहन मंत्री जी, आप 3.30 बजे मेरे कक्ष में आयेंगे ।

श्री रियासत हुसैन–

मान्यवर, मेरा यही कहना था।

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जांच के बिन्दु क्या थे? दूसरे आयुक्त महोदय की रिपोर्ट क्या है?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इसमें सूचना की आवश्यकता है।

श्री खैरुल बशर–

मान्यवर, मंत्री जी साफ उत्तर नहीं दे रहे हैं, इसलिये इनको भी 3.30 बजे आप बुलायें।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ए0 डी0 एम0 का ट्रान्सफर कब हुआ और कब वह ललितपुर से कार्यमुक्त हुए। दूसरी बात मैं यह भी जानना चाहता हूं कि आयुक्त महोदय को शासन ने किन-किन बिन्दुओं पर जांच के लिये कहा था?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, 13-9-83 को ए0 डी0 एम0 को ट्रान्सफर आदेश निर्गत किये गये थे।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

मान्यवर, आप हमें संरक्षण दें। मैंने यह जानना चाहा कि उनको कब से कार्यमुक्त किया गया? किन्तु उसका उत्तर नहीं आया। इनके पास कोई सूचना नहीं है सिवाय झूठ बोलने के। मैं यह इनसे जानना चाहता हूं कि टेलीफोन आपरेटर्स एसोसिएशन ने अपना जो मांग पत्र मुख्य मंत्री जी के सामने पेश किया कि यदि हमारी मांगें दो दिन में पूरी नहीं होती तो उत्तर प्रदेश भर के अन्दर हड़ताल प्रारम्भ हो जाएगी, उस मांग पत्र में बिन्दु क्या-क्या हैं, शासन ने किन-किन बिन्दुओं पर जांच के लिए आयुक्त महोदय को आदेश दिया था? और मुख्य मंत्री के द्वारा उसका स्थानान्तरण वहां से किस तिथि को किया गया और ए0 डी0 एम0 ललितपुर से किस दिन कार्यमुक्त हुए हैं?

श्री प्रमोद कुमार–

यह 13-9-83 को इटावा के लिए स्थानान्तरित हुए और इन्होंने 11-10-83 को वहां पर ज्वाइन किया है। दूसरे बिन्दुओं के बारे में जैसा मैंने कहा है सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री धर्मवीर सिंह–

मंत्री जी ने अभी कहा है कि उनके पास जांच रिपोर्ट नहीं है, तो जब उनके पास जांच रिपोर्ट ही नहीं है तो वह निश्चित तौर पर यह कैसे कह रहे हैं कि कमिश्नर ने केवल ए0 डी0 एम0 के स्थानान्तरण के लिए रेकमेण्ड किया था?

श्री अध्यक्ष–

पत्रावली के आधार पर कह रहे हैं।

श्री धर्मवीर सिंह–

जांच रिपोर्ट आयी होगी उसी के आधार पर तो कह रहे हैं और वही पत्रावली पर होगा ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं यह पत्रावली के आधार पर कह रहा हूं।

*18–श्री रियासत हुसैन–

[दिनांक 6-9-83 को तारांकित प्रश्न संख्या-15 द्वारा उत्तरित।]

श्री बद्री लोहार के विरुद्ध आरोप की परगनाधिकारी फतेहपुर, जिला बाराबंकी द्वारा जांच

*19—डाक्टर बृज किशोर मिश्र—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 118 (7वें मंगलवार) के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संबंधित प्रार्थना-पत्र पर परगनाधिकारी, फतेहपुर, जिला बाराबंकी द्वारा माह दिसम्बर, 1982 में जांच की गयी थी ? यदि हां, तो परगनाधिकारी ने क्या रिपोर्ट दी ? क्या यह भी सत्य है कि उक्त मामले में पुनः दूसरे परगनाधिकारी द्वारा जांच कराई गयी? यदि हां, तो उसकी जांच रिपोर्ट क्या है ? क्या यह भी सत्य है कि दोनों जांच कर्ताओं ने सन्दर्भित शिकायती-पत्र में लगाए गये आरोपों को सत्य पाया है? क्या जांच रिपोर्टों के आधार पर फर्जी मुकदमें को वापस लेने तथा दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गुलाब सेहरा—

जी हां।

प्राप्त सूचना के अनुसार परगनाधिकारी फतेहपुर जिला बाराबंकी की जांच में श्री बद्री लोहार को झूठा आरोप लगाकर फंसाने और मारे पीटे जाने के आरोप सही पाये गये। इस मामले में किसी दूसरे परगनाधिकारी द्वारा जांच नही करायी गयी है। अतः दूसरी जांच आख्या का प्रश्न नही उठता। परगनाधिकारी फतेहपुर द्वारा की गयी संस्तुति के अनुसार पुलिस कर्मियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही के आदेश दिये गये थे किन्तु इस संबंध में इसलिये कोई कार्यवाही नही की गयी क्योंकि मामला न्यायालय के विचाराधीन है। उक्त वाद को वापस लेने अथवा न लेने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है।

डा0 बृज किशोर मिश्र—

मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहूंगा जब उन्होंने स्वयं अपने जवाब में कहा है कि फतेहपुर के एस0 डी0 एम0 ने जांच किया तो वह जांच-रिपोर्ट फर्जी पायी गयी, तो जब जांच रिपोर्ट फर्जी पायी गयी तो उसमें पुलिस कर्मियों के खिलाफ अब तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ? और जो मामला न्यायालय में विचारधीन है तो जब सारा मामला ही फर्जी है तो क्या उसको न्यायालय से वापस लेने की कृपा करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, प्रथम कानूनी पहलू यही है कि जो न्यायालय में चल रहा है उसको वापस लें और उसके बाद अन्य कार्यवाही करें।

डा0 बृज किशोर मिश्र—

मान्यवर, यह सन्तोषजनक उत्तर नहीं हुआ ।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मंत्री जी अपने उत्तर को ध्यान में रखकर यह बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस ने इसमें फर्जी मुकदमा दायर किया था, तो जो प्रशासनिक प्रक्रिया है मैजिस्ट्रेट की जांच रिपोर्ट शासन के पास जिलाधिकारी के माध्यम से उसकी संस्तुति

के बाद ही आयी होगी बिना जिलाधिकारी के हस्ताक्षर के वह कापी यहां आयी नहीं होगी। तो फिर जिलाधिकारी से दोबारा संस्तुति मंगाने की क्या जरूरत आ पड़ी?

श्री गुलाब सेहरा–

मुकदमा वापस लेने की संस्तुति नहीं आयी थी उसी बारे में बाराबंकी के जिलाधिकारी से संस्तुति मांगी गयी।

*20–श्री राम आसरे वर्मा–

[नियम 301 के अन्तर्गत सूचना मिल जाने के कारण निरस्त ।]

अतारांकित प्रश्न

थाना जलालपुर, जनपद फैजाबाद में श्री पीर मुहम्मद द्वार श्री इजहारुल हसन व श्री राम लखन आदि के विरुद्ध दर्ज मुकदमा व जांच

1–श्री गोपीनाथ वर्मा–

क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि थाना जलालपुर जनपद फैजाबाद में श्री पीर मुहम्मद द्वारा दिनांक 8-9-79 को श्री इजहारुल हसन व रामलखन आदि के विरुद्ध अपराध संख्या 251/79, धारा 218/466 के तहत मुकदमा कायम कराया गया है? यदि हां, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट क्या है ? उक्त मामले का जांच अधिकारी कौन है? जांच रिपोर्ट के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री श्रीपति मिश्र–

जी हां। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादी ने अभियुक्तों के विरुद्ध साजिश करके उसकी भूसम्पति हड़प लेने का आरोप लगाया है। प्रश्नगत मामले के जांच अधिकारी श्री रमाशंकर सिंह एस0 आई0 एस0 फैजाबाद हैं । जांच अभी प्रचलित है अतः उसके आधार पर अभी किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

2–श्री गोपीनाथ वर्मा–

क्या यह भी सही है कि स्थानीय पुलिस जान-बूझकर मामले को छिपाना चाहती है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भी जांच कराकर लापरवाही करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीपति मिश्र–

जी नहीं। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद में न्योरी वाया रफी गंज जलालपुर रोड पर निर्माणाधीन पुल

3–श्री गोपीनाथ वर्मा–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में नेवरी वाया रफीगंज, जलालपुर रोड पर कोई पुल निर्माण कराये जाने हेतु सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो पुल निर्माण हेतु धन स्वीकृत करके निर्माण शुरु करा दिया गया है ? उक्त निर्माण पर अनुमानित व्यय क्या है ?

श्री विद्या भूषण–

जनपद फैजाबाद में न्योरी वाया रफीगंज जलालपुर मार्ग के कि0 मी0 12 में मियाव नाले पर 3×6 मीटर स्पान का पुल निर्माणाधीन है ।]

उक्त निर्माण की अनुमानित लागत रु0 5.20 लाख है।

---

*नोटः–तारांकित प्रश्न संख्या 19 के उपरान्त तारांकित प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

ग्राम आंदरा, ब्लाक व तहसील टांडा, जनपद फैजाबाद में नलकूपों का विद्युतीकरण

4—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम आंबरा, ब्लाक व तहसील टांडा, जनपद फैजाबाद में 6 नलकूपों का विद्युतीकरण होना 1980 में स्वीकृत हुआ? यदि हां, तो अब तक विद्युत लाइन दिए जाने हेतु क्या कार्यवाही की गयी? क्या यह भी सही है कि उक्त 6 नलकूपों को विद्युत लाइन दिए जाने हेतु खम्भा आदि खड़ा कर दिया गया है? यदि हां, तो अब तक लाइन न दिए जाने का क्या कारण रहा तथा कब तक विद्युत लाइन दे दी जायगी ?

श्री ब्रह्मदत्त—

प्रश्नगत ग्राम आंबरा नहीं बल्कि आंदरा है। ग्राम आंदरा ब्लाक व तहसील टाण्डा जनपद फैजाबाद में 5 नलकूपों का विद्युतीकरण माह मार्च, 1981 में तकनीकी साध्यता की उपलब्धि के अनुसार स्वीकृत हुआ है। उपरोक्त नलकूपों को कनेक्शन देने का कार्य ग्राम आंदरा के विद्युतीकरण का कार्य आर0 ई0 सी0 योजना चतुर्थ के अन्तर्गत आरम्भ कर दिया गया है और जून 1984 तक विद्युतीकरण होने की संभावना है और तब उपभोक्ताओं को कनेक्शन देने की कार्यवाही की जायगी। नलकूपों को कनेक्शन देने के लिये कोई कार्य नहीं किया गया है। ग्राम आंदरा के विद्युतीकरण का कार्य पूरा होने पर ही उपरोक्त नलकूपों को कनेक्शन देने की कार्यवाही संभव है।

श्रीमती दलसाजी, ग्राम किछौछा, फैजाबाद द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र की जांच

5—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद की श्रीमती दलसाजी, ग्राम किछौछा, तहसील टांडा, फैजाबाद द्वारा कोई शिकायती-पत्र जो श्रीमती दलसाजी को हत्या के केस में फर्जी तौर पर फंसाये जाने व बेइज्जत किए जाने से सम्बन्धित है दिनांक 19-5-83 को आई0 जी0 पुलिस, उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त मामले की जांच सी0 आई0 डी0 विभाग द्वारा कराये जाने पर सरकार विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्रीमती दलसाजी का दिनांक 19-5-83 का पुलिस महानिरीक्षक को सम्बोधित एक प्रार्थना पत्र उसकी पतोहू को बेइज्जत किये जाने के संबंध में प्राप्त हुआ है। चूंकि प्रार्थना पत्र की जांच क्षेत्राधिकारी द्वारा की जा चुकी है। अतः मामले की सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच की आवश्यकता नहीं रह गयी है।

श्री सत्य नारायण उपाध्याय पर थानाध्यक्ष, बीकापुर द्वारा गोली चलाए जाने का दर्ज मुकदमा की जांच

6—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना बीकापुर, जिला फैजाबाद के अन्तर्गत श्री सत्यनारायण उपाध्याय नामक व्यक्ति पर थानाध्यक्ष, बीकापुर द्वारा गोली चलाए जाने के कारण माह दिसम्बर, जनवरी, 1982-83 में थानाध्यक्ष श्री बृज मोहन

शुक्ला एवं सब इन्सपेक्टर उदय प्रताप को लाइन हाजिर किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त मामले की जांच करायी गयी तथा जांच का पूर्ण विवरण क्या है ? जांच में लाइन हाजिर दोनों पुलिस व्यक्तियों को दोषी पाया गया ? यदि हां, तो अब तक उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र–

दिनांक 31-12-82 को श्री बृज मोहन शुक्ला थानाध्यक्ष बीकापुर, फैजाबाद व अन्य के विरुद्ध धारा 307/147/148 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत दर्ज कराये गये मुकदमें के आधार पर थानाध्यक्ष श्री बृज मोहन शुक्ल एवं उप निरीक्षक श्री उदय प्रताप सिंह को लाइन हाजिर किया गया तथा मामले की मजिस्टीरियल जांच कराई गई। जांच में उक्त दोनों अधिकारी निर्दोष पाये गये। अतः उनके विरुद्ध किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गयी। फिर भी मामला सी0 आई0 डी0 के जांच के लिए सुपर्द कर दिया है।

7–श्री गोपीनाथ वर्मा–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

राष्ट्रीय रोजगार योजना के अन्तर्गत कोसी बैराज से भवानीगंज रामनगर, जनपद नैनीताल तक सड़क का निर्माण

8–श्री जसवन्त सिंह विष्ट–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1982-83 में राष्ट्रीय रोजगार योजना के अन्तर्गत कोसी बैराज से भवानीगंज राम नगर, जनपद नैनीताल तक वन विभाग द्वारा सड़क का निर्माण किया गया है? यदि हां, तो उस पर कितना व्यय हुआ? क्या यह सत्य है कि उपरोक्त मार्ग में 25 हजार से कम खर्च हुआ है जबकि वन विभाग रामनगर ने 84 हजार से अधिक व्यय दिखाया है? क्या सरकार इसकी जांच करेगी और दोषी अधिकारियों को दण्ड देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री संजय सिंह–

जी नहीं। प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

ग्राम बेलहर खुर्द, जिला बस्ती के श्री नागेश्वर तथा श्री रामफेर को शेर द्वारा घायल किए जाने से आर्थिक सहायता की मांग

9–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या वन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र दिनांक 4 अगस्त, 82 बाबत श्री नागेश्वर पुत्र चिलई तथा रामफेर पुत्र श्री जमुना, ग्राम बेलहर खुर्द, तहसील बांसी, जिला बस्ती को शेर द्वारा घायल किये जाने के कारण आर्थिक सहायता दिए जाने के विषय में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या उपरोक्त किसानों को विभाग द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की गयी? यदि हां, तो कब और कितना-कितना धन दिया गया? यदि नहीं, तो उक्त सहायता अभी तक न दिए जाने का कारण क्या है?

श्री संजय सिंह–

जी हां, तथाकथित पत्र प्राप्त हुआ था परन्तु इन व्यक्तियों को तत्सम्बन्धी शासन के आदेशों के अन्तर्गत आर्थिक सहायता अनुमन्य नहीं है।

10—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

[दिनांक 14-2-84 को अतारांकित प्रश्न संख्या 132 द्वारा उत्तरित।]

मत्स्य विकास अभिकरण द्वारा गोरखपुर मण्डल में जल क्षेत्र विकसित करने का लक्ष्य

11—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या मत्स्य विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष 82-83 में मत्स्य विकास अभिकरण द्वारा गोरखपुर मण्डल के किन-किन जनपदों में कितना-कितना जल क्षेत्र विकसित करने का लक्ष्य था और कितना-कितना जल क्षेत्र विकसित किया गया? इस कार्य हेतु कुल कितना-कितना धन किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा यात्रा व्यय तथा गाड़ियों के डीजल इत्यादि पर व्यय हुआ? क्या यह भी सत्य है कि विकसित जल क्षेत्र लक्ष्य का 10 प्रतिशत भी नहीं है? यदि हां, तो इसका कारण क्या है?

श्री संजय सिंह—

गोरखपुर मंडल के जनपदों के विषय में वांछित सूचना निम्नवत् है :—

मद	गोरखपुर	आजमगढ़	बस्ती	देवरिया
1—जल क्षेत्र विकसित करने का लक्ष्य (हेक्टेयर)	405	105	280	300
2—विकसित जलक्षेत्र की स्थिति (हेक्टेयर)	.90	4.59	8.39	—
3—अधिकारियों/कर्मचारियों पर यात्रा व्यय (रु0 लाखों में)	0.05	0.10	0.14	0.07
4—गाड़ियों के डीजल इत्यादि पर व्यय (रु0 लाखों में)	0.21	0.10	0.12	0.08

यह सत्य है कि विकसित जलक्षेत्र, लक्ष्य का 10% भी नहीं है।

जलक्षेत्र के विकास का कार्य लक्ष्य के अनुरूप निम्न कारणों से नहीं हो सका:–

1–जलक्षेत्र के विकास हेतु नई परियोजना लागू किये जाने के कारण बैंकों से वित्त पोषण में कठिनाई।

2–मत्स्य पालक विकास अभिकरणों में कर्मचारियों की कमी।

3–ग्रामीण अंचल में योजना के विषय में समुचित जानकारी का अभाव।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, लखनऊ में अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता के स्वीकृत पद

12–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सा0 नि0 विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में शासन द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल कितने पद अधिशासी अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता के स्वीकृत हैं, उनमें से उक्त पदों में से कितने स्थान भरे जा चुके हैं और कितने स्थान रिक्त हैं? उन्हें भरने के लिए सरकार क्या-क्या कार्यवाही कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री विद्या भूषण–

सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक 1.1.84 को अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता तथा अधिशासी अभियन्ता के स्वीकृत भरे हुए एवं रिक्त पदों की स्थिति निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	पद नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त
1	2	3	4	5
1–	अवर अभियन्ता	6284	4502	1782
2–	सहायक अभियन्ता	1546	1485	61
3–	अधिशासी अभियन्ता	342	326	16

अवर अभियन्ता के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 26-11-83 को विभिन्न समाचार-पत्रों में विज्ञात्मक प्रकाशित किया जा चुका है।

सहायक अभियन्ता के रिक्त पदों को लोक सेवा आयोग से प्राप्त, चयनित अभ्यर्थियों की सूची में से भरे जाने की कार्यवाही की जा रही है।

अधिशासी अभियन्ता के रिक्त पदों को सहायक अभियन्ता के पदों से प्रोन्नत करके भरे जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

पालेकर अवार्ड की परिधि में आने वाले समाचार-पत्र

13—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में पालेकर एवार्ड लागू किये जाने की परिधि में कुल कितने समाचार-पत्र आते हैं? इनमें से ऐसे कौन-कौन हैं, जिन्होंने अभी तक एवार्ड लागू नहीं किया है ? एवार्ड लागू कराने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है?

श्री सुनील शास्त्री—

उत्तर प्रदेश में कुल 83 समाचार-पत्र पालेकर एवार्ड की परिधि में आते हैं। इनमें से 66 समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों ने पालेकर एवार्ड लागू कर दिया है और 5 प्रतिष्ठानों ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है। शेष निम्नलिखित 10 प्रतिष्ठानों ने एवार्ड लागू नहीं किया है :—

1—वीर भारत, कानपुर
2—दिन रात, इटावा
3—तरुण भारत, लखनऊ
4—दैनिक प्रतिदिन, लखनऊ
5—ग्राम दूत, बस्ती
6—दैनिक पर्वतीय
7—दैनिक उत्तर उजाला, हलद्वानी, नैनीताल
8—मृग क्षेत्र, बलिया
9—दैनिक बम्बार्ड, बांदा
10—दैनिक मध्य युग, बांदा

एवार्ड न लागू करने वाले उक्त "वीर भारत" कानपुर समाचार-पत्र प्रतिष्ठान के विरुद्ध प्राभियोजन दायर किया गया है और अन्य 9 प्रतिष्ठानों के नियोजकों को कारण बताओ नोटिस दिया गया है।

श्री तेजवीर सिंह का थाना अतरौली, जिला अलीगढ़ में डकैती के सम्बन्ध में पत्र की अपराध अनुसन्धान विभाग द्वारा जांच

14—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र संख्या 10,515/1983 दि. 27-6-83 जो श्री तेजवीर सिंह पुत्र श्री निहाल सिंह चौमुहा, थाना अतरौली, जिला अलीगढ़ में 28-5-83 की डकैती तथा 29-5-83 को अतरौली पुलिस द्वारा गांव की लूट करने के सम्बन्ध में था, मिला? यदि हां, तो शासन द्वारा अब तक उस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां। घटना के सम्बन्ध में थाना अतरौली, जनपद अलीगढ़ पर पंजीकृत अभियोग संख्या 166/83 अन्तर्गत धारा 147/148/149/307/302/332/353/333 भा0 द0 वि0 की विवेचना अपराध शाखा, अपराध अनुसन्धान विभाग द्वारा की जा रही है। इसलिए प्रश्नकर्ता के कथित पत्र के साथ प्राप्त श्री तेजबीर

सिंह का शिकायती प्रार्थना-पत्र अपराध अनुसन्धान विभाग को सन्दर्भित अभियोग की विवेचना में उपयोगार्थ भेज दिया गया है।

परगनाधिकारी, ज्ञानपुर सहित तहसील के अधिकारियों द्वारा अनियमितता बरते जाने के विरुद्ध कार्यवाही

15—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद के तहसील ज्ञानपुर के ग्राम सभा जयरामपुर, भवानीपुर एवं माधोसिंह की मतदाता सूचियों के अपमार्जन में परगनाधिकारी सहित तहसील के अधिकारियों द्वारा गम्भीर अनियमितता बरते जाने की जानकारी तत्कालीन जिलाधिकारी, वाराणसी को दिए जाने पर अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) ज्ञानपुर ने दिनांक 25-5-82 को अपनी जांच रिपोर्ट में आरोपों को सही बताते हुए सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किए जाने हेतु संस्तुति की थी ? यदि हां, तो कितने अधिकारियों को दोषी पाया गया और उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां,

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) ज्ञानपुर द्वारा अपनी आख्या दिनांक 25-5-82 द्वारा जिलाधिकारी वाराणसी को अवगत कराया गया कि तहसील ज्ञानपुर के ग्राम सभा जयरामपुर, भवानीपुर एवं माधोसिंह की मतदाता सूचियों के परिवर्धन व अपमार्जन में अनियमितता हुई है। जांच आख्या के आधार पर प्रथम दृष्टतया इस अनियमितता के लिए क्षेत्रीय लेखपाल स्थल पर भली-भांति जांच न करने का दोषी पाया गया। इसके अतिरिक्त एक मामले में स्थल निरीक्षण किये बिना ही गलत रिपोर्ट देने के लिए सम्बन्धित नायब तहसीलदार को दोषी पाया गया। एक अन्य मामले में अपने पूर्वपारित आदेशों को स्वयं निरस्त करने की विधिक दृष्टि से दोषपूर्ण प्रक्रिया अपनाने के लिए परगनाधिकारी को उत्तरदायी पाया गया।

सम्बन्धित लेखपाल को निलम्बित किया गया तथा विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। विभागीय कार्यवाही के आधार पर नियुक्ति अधिकारी/परगनाधिकारी द्वारा सम्बन्धित लेखपाल को भविष्य में विवेक में काम करने की चेतावनी देते हुए सवेतन बहाल किया गया। सम्बन्धित नायब तहसीलदार तथा परगनाधिकारी ज्ञानपुर का स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। सम्बन्धित नायब तहसीलदार को कठोर चेतावनी दी गयी तथा परगनाधिकारी ज्ञानपुर को अनियमितता के लिए सचेत किया गया।

उ0 प्र0 राज्य भण्डारागार निगम के अतरौली स्थित भंडार गृह में मटर व चना गायब होने की दर्ज रिपोर्ट

16—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 24-3-83 को थाना अतरौली जिला अलीगढ़ में श्री अनूप कुमार सक्सेना द्वारा आई0पी0सी0 की धारा 406 के अधीन कोई रिपोर्ट उ0 प्र0 राज्य भंडारागार निगम के अतरौली गोदम से 133 बोरा मटर तथा 28 बोरा चना चोरी जाने की लिखायी गयी ? यदि हां, तो उस पर अभियुक्तों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र–

प्राप्त सूचना के अनुसार अलीगढ़ जनपद में उ0 प्र0 राज्य भंडारागार निगम के अतरौली स्थित भंडार गृह से 128 बोरा मटर व 23 बोरा चना गायब होने के संबंध में भंडार गृह प्रभारी श्री अनिल कुमार सक्सेना द्वारा दिनांक 24-3-83 को थाना अतरौली पर लिखाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर अ0सं0 107/83, अन्तर्गत धारा 406, भा0द0वि0, अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त शिव बहादुर पुत्र श्रीपाल, ग्राम देवमई, थाना मलवा, जिला फतेहपुर व बलवीर सिंह पुत्र कल्लू कहार, निवासी पुराना, थाना डिबाई, जिला बुलन्दशहर को गिरफ्तार करके दिनांक 16-4-83 को जेल भेजा गया। उक्त अभियुक्त सी0जे0एम0 अलीगढ़ के न्यायालय से दिनांक 19-4-83 को जमानत पर छोड़े गये। साक्ष्य के अभाव में दिनांक 10-6-83 को इस मामले की विवेचना अन्तिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त की गयी।

श्री तेजराम सिंह, थाना उझियानी, जिला बदायूं द्वारा पुलिस अत्याचार के खिलाफ दिया गया प्रार्थना-पत्र

17–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री नवाब सिंह पुत्र श्री तेजराम सिंह, निवासी मोहल्ला गंज सहीदा कस्बा व थाना उझियानी, जिला बदायूं ने शासन को कोई प्रार्थना-पत्र पुलिस अत्याचार के खिलाफ जून, 83 में दिया है? यदि हां, तो उस पर अब तक प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं?

श्री श्रीपति मिश्र–

जी हां, इसमें पुलिस के विरुद्ध लगाये गये अत्याचार के आरोप जांच से प्रमाणित नहीं हुए।

आजमगढ़ जिले की मऊनाथ भंजन की स्थानीय पुलिस द्वारा शोषण किये जाने के सम्बन्ध में शिकायत

18–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 8 जून, 1983 तथा 25-6-83 जिसमें आजमगढ़ जिले के मऊनाथ भंजन की स्थानीय पुलिस द्वारा सम्मानित व्यक्तियों को अपमानित करने और अकारण बिना पूर्व सूचना के घरों में घुसकर गरीबों का शोषण किये जाने के सम्बन्ध में जिसकी शिकायत श्रीकान्त त्रिपाठी, महा मंत्री भाजपा, मऊनाथ भंजन द्वारा की गयी, उन्हें मिला? यदि हां, तो शासन द्वारा अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री श्रीपति मिश्र–

जी हां। प्रश्नगत मामले में जिलाधिकारी की जांच करके आवश्यक कार्यवाही करने हेतु आदेश दिये गये हैं।

प्रवक्ता श्री चक्रधर द्विवेदी की हत्या तथा मुल्जिमों के असलहे जमा कराने की मांग, उनकी पत्नी द्वारा दिया गया कथित शिकायती-पत्र

19—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती राम लाल द्विवेदी, पत्नी स्व0 चक्रधर द्विवेदी, ग्राम पो0 निगोहा, थाना मोहनलालगंज, लखनऊ का शिकायती-पत्र 31-8-83 के आस-पास उन्हें मिला, जिसमें उन्होंने शिकायत की है कि उनके पति के हत्यारे उन्हें (श्रीमती द्विवेदी) को भी मार डालना चाहते हैं और पुलिस उनके असलहे भी नहीं जमा कराती है? यदि हां, तो मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या हैं तथा उन पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्रश्न में उल्लिखित शिकायती-पत्र दिनांक 31-8-83 के आसपास शासन को प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता।

20—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला लखनऊ के थाना गोसाईगंज स्थित रामपाल त्रिवेदी इण्टर कालेज, गोसाईगंज के एक प्रवक्ता श्री चन्द्रधन द्विवेदी की हत्या (22 जुलाई, 83) से सम्बन्धित मुल्जिमों के असलहे अभी तक न जमा कराने के क्या कारण हैं ? यदि जमा हो गये हैं तो किन-किन अभियुक्तों को असलहे जमा करने का आदेश कब-कब दिया गया तथा उन्होंने किन-किन तिथियों को कहां-कहां जमा किया ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 22-7-83 को श्री चन्द्रधन द्विवेदी नामक किसी भी व्यक्ति की हत्या का होना नहीं पाया गया।

जनपद मिर्जापुर में रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत अनधिकृत कब्जों का विनियमितीकरण की मांग

21—श्री विजय सिंह—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में रेनुकूट (दुद्धी) वन प्रभाव के अन्तर्गत शासन द्वारा अनाधिकृत कब्जों को विनियमितीकरण हेतु 1975 में जो शासनादेश हुआ था उसके अधीन रेनुकूट (दुद्धी) वन प्रभाग के जिन गांवों में भू-अभिलेख क्रिया नहीं चल रही है उनमें कितने लोगों के अनाधिकृत कब्जे नियमित किये गये?

श्री संजय सिंह—

जनपद मिर्जापुर के रेनुकूट वन प्रभाग में 1975 के शासनादेश के अनुसार स्थानीय लोगों के अनाधिकृत कब्जों को नियमित किया जाना था । इस शासनादेश के अनुसार सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत निर्धारित सीमा तक ही अतिक्रमण नियमित किये जाते थे। इस वन प्रभाग के अधिकांश ग्रामों में भू-अभिलेख क्रियायें प्रगति में होने के कारण भूमि धारक की कुल भूमि का पता नहीं लग सकता क्योंकि शासन के आदेशों के अनुसार भू-अभिलेख क्रियाओं के अन्तर्गत एक निश्चित सीमा तक वन भूमि के अवैध कब्जों को नियमित किए जाने का प्राविधान है। अतः

बिना भू-अभिलेख क्रिया के पूर्ण हुये इस बात को सुनिश्चित करना कि किसी व्यक्ति विशेष की धारित भूमि सीलिंग सीमा तक है अथवा इससे अधिक है, सम्भव नहीं है। इन्हीं कठिनाइयों के फलस्वरूप नियमितीकरण में प्रगति नहीं हो सकी है। अब भारत सरकार द्वारा पारित वन संरक्षण अधिनियम 1980 के लागू हो जाने के उपरान्त वन भूमि के समस्त गैर वानिकी प्रयोजन हेतु उपयोग के लिए भारत सरकार की अनुमति आवश्यक है।

श्री जगत नारायण राय, सहायक अभियन्ता का स्थानान्तरण आदेश निरस्त करके अस्थाई खण्ड–2 में ही समायोजित किये जाने के आदेश, टी0 ए0 सी0 द्वारा जांच

22–श्री अबुल कलाम–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जे0 एन0 राय, सहायक अभियन्ता का निर्माण खण्ड–3 का आजमगढ़ से डिजाइन डिवीजन, लखनऊ में स्थानान्तरण हुआ था तथा इसके बाद आई0 पी0 पी0 आजमगढ़ में स्थानान्तरण हुआ? यदि नहीं तो दोनों बार स्थानान्तरण किन परिस्थितियों में निरस्त किया गया?

श्री विद्या भूषण–

जी हां।

प्रश्नकर्ता की शिकायत पर श्री जगत नारायण राय, सहायक अभियन्ता सा0 नि0 वि0, अस्थाई खण्ड नं0–3 का स्थानान्तरण कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, परियोजना, लखनऊ किया गया था। श्री राय की पारिवारिक कठिनाइयों को देखते हुए प्रमुख अभियन्ता द्वारा उक्त स्थानान्तरण को निरस्त करके आई0 पी0 पी0, आजमगढ़ में ही समायोजित कर दिया गया था।

पुनः आई0 पी0 पी0 आजमगढ़ में किये गये स्थानान्तरण आदेश को प्रशासनिक कारणों से निरस्त करते हुए श्री राय को आजमगढ़ में ही अस्थाई खण्ड–2 में ही समायोजित करने के आदेश दिये गये थे।

23–श्री अबुल कलाम–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि श्री जे0 एन0 राय, सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड–3, आजमगढ़ के विरुद्ध टी0 ए0 सी0 द्वारा कोई जांच कराई गयी है और टी0 ए0 सी0 ने रिकवरी के आदेश दिए हैं ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री विद्या भूषण––

जी हां, लेकिन टी0 ए0 सी0 द्वारा किसी वसूली की संस्तुति नहीं की गई। प्राविधिक समीक्षा कोष्ठ की जांच के अनुसरण में दोषी व्यक्तियों के स्पष्टीकरण मांग कर कार्यवाही की जा रही है।

बड़ई गांव (जौनपुर) में जले ट्रांसफारमर की बदली में हुई देरी के कारणों की जांच

24–श्री प्रभूनारायण सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के दूसरे मंगलवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्त्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या-54 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या विद्युत मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त अनियमितता हेतु कौन दोषी था और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ब्रह्मदत्त--

चड़ई ग्राम के 27 जून, 1982 को जले ट्रांसफार्मर को बदलने में हुई देरी के कारण की जांच करने पर यह पाया गया कि उपरोक्त ट्रांसफार्मर से पोषित 9 में से 8 उपभोक्ता विद्युत बिलों का भुगतान नहीं कर रहे थे । उपभोक्ताओं से प्रभावी भुगतान प्रवृत करने के लिये जले हुए ट्रांसफार्मर का विस्थापन नहीं किया गया । यह कार्य परिषद् के हित को दृष्टिगत रखते हुए किया गया तथा कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया ।

जौनपुर वाराणसी मार्ग पर स्थित सई नदी का दूसरा नया पुल निर्मित कराये जाने की मांग

25--श्री प्रभूनारायण सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि जौनपुर वाराणसी मार्ग पर स्थित सई नदी का पुल क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण भारी वाहनों का उस पर से आवागमन अवरुद्ध कर दिया गया है ? क्या सरकार इस प्राचीन एवं क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर दूसरा नया पुल निर्मित कराएगी ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण--

जी, हां ।

जी, हां ।

आय-व्ययक 1984-85 पारित होने पर स्वीकृति के पश्चात् कार्य शुरू किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वाराणसी-जौनपुर राजकीय मार्ग में स्थान फूलपुर में बाईपास को चालू किये जाने की मांग

26--श्री ऊदल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी-जौनपुर राजकीय मार्ग में स्थान फूलपुर, में बाईपास बन गया है ? क्या यह सत्य है कि दो पेड़ उत्तर तरफ एक नीम एक आम व एक पेड़ दक्षिण तरफ बाईपास में होने के वजह से आज तक बाईपास चालू नहीं हो पाया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण--

बाईपास नहीं बनाया गया है बल्कि सड़क पर पड़ने वाले तीव्र मोड़ को सीधा करने के लिए मार्ग बनाया गया है । यह मार्ग यातायात के लिए नहीं खोला जा सका है क्योंकि उसके बीच में पड़ने वाले पेड़ों को काटने के लिए वन विभाग की अनुमति अभी प्राप्त नहीं हो सकी है ।

पिण्डरा बाजार के अन्दर नाले के पुल को चौड़ा कराने की मांग

27--श्री ऊदल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी-जौनपुर राजकीय मार्ग पिण्डरा बाजार के अन्दर नाले का पुल बहुत ही सकरा व नीचा है जिससे पूरा पानी नहीं निकल पाता ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पुल को चौड़ा करके बनवाएगी ?

श्री विद्या भूषण—

पुल संकरा और नीचा नहीं है। निरन्तर कूड़ा डालने से नाले में बहाव अवरुद्ध है। अवरूद्ध है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

28—श्री ऊदल—

[दिनांक 6-9-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या-140 द्वारा उत्तरित ।]

श्री प्रकाश शाही, पत्रकार द्वारा पुलिस प्रताड़ना के सम्बन्ध में दिया गया शिकायती पत्र

29—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह जुलाई, 83 में श्री प्रकाश शाही पत्रकार ने पुलिस प्रताड़ना के सम्बन्ध में कोई पत्र उनको और जिलाधिकारी, गोरखपुर को दिया है ? यदि हां, तो गुण्डा दमन के सबइंस्पेक्टर श्री आर0 के0 सिंह के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां ।

जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हुए । अतः गुण्डा दमन दल के सब इंस्पेक्टर श्री आर0 के0 सिंह के विरुद्ध किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पायी गयी ।

भूतपूर्व सैनिकों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के समान सुविधा प्रदान करने का विचार

30—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को ज्ञात है कि प्रदेश में पोस्टवार रिकांस्ट्रक्शन फण्ड के अन्तर्गत भू0 पू0 सैनिकों के आश्रितों को अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति या अनुदान दिया जाता है ? यदि हां, तो इस हेतु भू0 पू0 सैनिकों के लिए वर्तमान न्यूनतम सेवा अवधि तथा उनके आश्रितों के लिए न्यूनतम अर्हताएं क्या हैं ? क्या सरकार भू0 पू0 सैनिकों की आर्थिक कमजोरी (विशेषकर प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाले, पेंशन न पाने वाले पर्वतीय व सीमान्त क्षेत्रों के भू0 पू0 सैनिक) को ध्यान में रखते हुए वर्तमान नियमों को उदार बनाने के लिए शीघ्र राजाज्ञा जारी करेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार भू0 पू0 सैनिकों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के समान सुविधा प्रदान करने का विचार करेगी ? यदि नही, तो क्यों ?

हरिजन एवं समाज तथा सैनिक कल्याण मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

जी हां,

उत्तर प्रदेश पोस्टवार रिकान्सट्रक्शन फण्ड के अन्तर्गत भू0 पू0 सैनिकों के आश्रितों को छात्रवृत्ति दी जाती है, परन्तु इसके लिये संबंधित भू0 पू0 सैनिक की मासिक आय रु0 500/—से अधिक नहीं होनी चाहिये तथा वह द्वितीय विश्व युद्ध (1939-45) के समय कम से कम छः माह तक सेवारत रहा हो, यह छात्रवृत्ति कक्षा 7 (सात) से आगे की कक्षाओं में अध्ययन करने वाले छात्रों को ग्राह्य होती है, परन्तु कक्षा 11 व 12 में छात्रवृत्ति पाने के लिये कक्षा 10 में 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है । इसी प्रकार कक्षा 12 से आगे की कक्षाओं में छात्रवृत्ति पाने के लिये कक्षा 12 में 50

प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है । यह छात्रवृति पुरुष छात्रों को केवल 21 वर्ष की आयु तक ही देय होती है। कुमारी छात्राओं के लिए आयु का कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

भू0 पू0 सैनिकों की आर्थिक कमजोरी (विशेषकर प्रथम व द्वितीय विश्वयुद्ध में भाग लेने वाले, पेंशन न पाने वाले पर्वतीय व सीमान्त छोत्रों के भू0 पू0 सैनिकों) को ध्यान में रखते हुये वर्तमान नियमों को उदार बनाना तथा भू0 पू0 सैनिकों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के समान सुविधा दिया जाना सम्भव नहीं है । क्योंकि सैनिक पुनर्वास निधि एक न्यास है जो कि माननीय राज्यपाल महोदय की अध्यक्षता में मैनेजिंग कमेटी द्वारा पारित किये हुये प्रस्तावों को ही कार्यान्वित करती है न कि किसी राजाज्ञा के अन्तर्गत। इस सम्बन्ध में अभी तक कोई ऐसा प्रस्ताव मैनेजिंग कमेटी के सम्मुख नहीं आया है और न ही मैनेजिंग कमेटी ने इस प्रश्न पर विचार किया है ।

लखनऊ में स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला में कार्यरत विभिन्न विशेषज्ञों एवं कर्मचारियों को उपलब्ध सुविधायें

31—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ में महानगर स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला में कार्यरत विभिन्न विशेषज्ञों कर्मचारियों को सरकार की ओर से गवाही देने के लिए प्रदेश के विभिन्न व सुदूर न्यायालयों तक जाना पड़ता है ? इस हेतु सरकार ने कर्मचारियों व उनके परिवार की सुरक्षा, यात्रा सुविधा निकटम स्थान में आवास सुविधा के लिए क्या विशेष प्रबन्ध किए हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीपति मिश्र—

यह सही है कि लखनऊ में महानगर स्थित राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में कार्यरत विभिन्न विशेषज्ञों एवं कर्मचारियों को प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में गवाही देने के लिए जाना पड़ता है, जिनमें दूरस्थ न्यायालय भी शामिल है । सरकारी कर्मचारी होने के नाते इन्हें देय एवं अनुमन्य विभिन्न सुविधायें उपलब्ध होती हैं । इनके कर्तव्यों में गवाही देना भी शामिल होने मात्र से इनके परिवार को सुरक्षा, और इन्हें यात्रा एवं आवास की विशेष सुविधायें दी जांय, इसका औचित्य उपलब्ध नहीं है ।

जिला नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल स्थित कार्बेट नेशनल पार्क व टाइगर प्रोजेक्ट क्षेत्र के शेर, हाथी व अन्य वन्य जीवों द्वारा मानव तथा पशुधन क्षति रोकने के लिए उपाय

32—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या वन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा में स्थित कार्बेट नेशनल पार्क व टाइगर प्रोजेक्ट क्षेत्र के शेरों, हाथियों, व अन्य जंगली जानवरों द्वारा मानव व पशुधन की क्षति को रोकने के लिए क्या-क्या उपाय किए गये हैं और जिनकी इस क्षेत्र में हानि होती है, उन्हें क्या-क्या मुआवजा दिया जाता है? केवल 5 कि0 मी0 की सीमा तक ही मुआविजा देने का प्राविधान क्यों किया गया है जबकि ये जंगली जानवर इससे अधिक दूरी तक क्षति पहुंचते हैं?

श्री संजय सिंह–

जिला नैनीताल तथा पौड़ी गढ़वाल स्थित टाइगर प्रोजेक्ट क्षेत्र के शेर, हाथी एवं अन्य वन जीवों द्वारा मानव तथा पशुधन मति रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं:–

1–पार्क क्षेत्र के चारों ओर के ग्रामीणों को हिदायत दी गई है कि वे पार्क क्षेत्र में बिना अनुमति के प्रवेश न करें। अनुमति प्राप्त होने पर भी वे हमेशा चौकन्ने रहें तथा अकेले कभी प्रवेश न करें। जहां तक हो सके पैदल न चलें अपितु गाड़ियों का प्रयोग करें।

2––पार्क के मुख्य द्वार पर नोटिस भी लगा है कि पार्क में प्रवेश अपनी जिम्मेदारी पर करें तथा पर्यटक पार्क में जब कभी भी भ्रमण पर जायें तो बिना किसी अस्त्रधारी वन रक्षक/गाईड के न जायें।

3––यदि किसी को शारीरिक क्षति पहुंचती है तो उसे अविलम्ब प्राथमिक चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती है तथा इसके बाद तुरन्त निकटतम अस्पताल में पहुंचाया जाता है।

4––पार्क की सीमा के भीतर पशुधन की क्षति की घटनायें बहुत ही कम है, क्योंकि पार्क के भीतर 3-4 समीपवर्ती ग्रामों के लोगों को पशुओं की चरायी का अधिकार प्राप्त है। इन्हें हिदायत दी गई है कि बिना चरवाहे के पशु कभी पार्क में न घुसने दें तथा हमेशा चौकन्ने रहें और चराई उन्हीं सीमित क्षेत्रों में करें जहां उन्हें अधिकार प्राप्त है। बिना अधिकार प्राप्त क्षेत्रों में यदि मवेशी चोरी से भेजे जाते हैं तो उनकी क्षति का उत्तरदायित्व उन्हीं पशु स्वामियों का होगा क्योंकि इस प्रकार की चराई नाजायज है।

5–पार्क की सीमा के बाहरी क्षेत्रों में मानव या पशुधन क्षति के संबंध में भी उपरोक्त सभी हिदायतें दी गई हैं। पार्क की सीमा के बाहरी क्षेत्र में वन्य जन्तुओं से क्षति बचाने के लिए स्थानीय वन रक्षकों को स्थाई आदेश है कि जब कभी भी हाथी आदि किसी क्षेत्र में घुसे तो उसे तुरन्त हवाई फायर करके पार्क के भीतर भगा दिया जाय। इस प्रकार कृषि की क्षति बहुत नगण्य होती है। वन्य जन्तुओं द्वारा मानव क्षति की घटनाओं की जानकारी होने पर वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्राविधानों के अन्तर्गत ऐसे वन्य जन्तु को मानव भक्षी घोषित कर उसे पकड़ने अथवा नष्ट करने की कार्यवाही की जाती है।

6––पार्क/पशु बिहार क्षेत्र में जहां हिंसक वन्य जन्तु शेर, गुलदार, हाथी भालू आदि निवास करते हैं वहां विशेषकर पशुधन क्षति शत-प्रतिशत रोकना सम्भव नहीं है क्योंकि शेर, गुलदार, भालू आदि हिंसक पशुओं के भोजन चौपाए होते हैं। मनुष्य उनके भोजन में शामिल नहीं है तथा इन हिंसक वन्य जन्तुओं से मानव क्षति कम से कम कार्बेट पार्क के या उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में बहुत ही कम है।

7—मानव क्षति के लिए तत्सम्बन्धी शासनादेश के अन्तर्गत निम्नलिखित दरों पर मुआवजा स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था है :

व्यस्क व्यक्ति के मारे जाने पर रु0 5000/-

अवयस्क व्यक्ति के मारे जाने पर रु0 2500/-

वन्य जीवों द्वारा घायल व्यक्तियों को निम्नलिखित दर से आर्थिक सहायता दिये जाने की व्यवस्था है:—

1—पूर्णतया अपंग (इनवैलिड) जाने की दशा में रु0 3000/-
2—आंशिक रूप से अपंग (विकलांग) होने की दशा में रु0 2000/-
3—गम्भीर रूप से घायल होने की दशा में रु0 1000/-

पशुधन क्षति होने पर निम्नलिखित दर से आर्थिक सहायता दिये जाने की व्यवस्था है:—

(1) बैल रुपया 1500/- तीन वर्ष या तीन वर्षों से अधिक आयु का
(2) भैंसा या भैंस रुपया 1000/-
(3) दो वर्ष से उपर तथा तीन वर्ष से कम आयु वाला गाय का बछड़ा, बछिया या भैंस का पड्डा या पड्डिया रु0 350/-
एक वर्ष से दो वर्ष तक की आयु वाले के लिए रु0 200/-
एक वर्ष से कम आयु वाले के लिए रु0 100/-
(4) बकरी या बकरा जो एक वर्ष या उससे अधिक आयु का हो रु0 100/-
(5) एक वर्ष से कम आयु वाले के लिए कुछ नहीं।
(6) नर या मादा भेड़े जो एक वर्ष या उससे अधिक आयु की हो (एक वर्ष से कम आयु के लिए कुछ नहीं अनुमन्य होगा) रु0 100/-
(7) गाय के लिए रु0 750/-
(8) घोड़ा/खच्चर/ऊंट रु 750/-
(9) गधा रु0 300/-

8—प्रदेश के सीमित वित्तीय संसधानों के कारण यह मुआवजा वर्तमान में नेशनल पार्क एवं पशु बिहारों की सीमा से 5 कि0 मी0 के भीतर के क्षेत्र में हुई क्षति के लिए ही स्वीकृत किया जाता है।

पर्वतीय अंचलों के विकास खण्ड मुख्यालयों में सेना में भर्ती कराने की मांग

33—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या मुख्य मंत्री भारत के रक्षा मंत्रालय से सिफारिश करने पर विचार कर रहे हैं कि पर्वतीय अंचलों के विकास खण्ड मुख्यालयों में सेना में भर्ती कराने की व्यवस्था की जाय? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?.

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं।
प्रश्न नहीं उठता।

राजिक अधिकारियों/रेंजरों के रिक्त पदों की पूर्ति

34—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लगभग 76 राजिक अधिकारियों/रेंजरों के पद 1-9-79 से रिक्त हैं? यदि हां, तो क्या सरकार 18 वर्ष से अधिक अवधि के स्थायी उप राजिक अधिकारियों की उक्त पदों पर पदोन्नति करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री संजय सिंह—

प्रश्नगत पद 1-9-79 से रिक्त नहीं हैं।

35—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

एम्बेसेडर टैक्सी तथा उसके चालक श्री लखविन्दर सिंह को अराजक तत्वों द्वारा अपहृत किये जाने के सम्बन्ध में दर्ज रिपोर्ट

36—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 4-4-83 को श्री लखविन्दर सिंह आत्मज श्री सेवासिंह को लखनऊ स्थित कपूर होटल से एम्बेसेडर टैक्सी नं0 यू0 एस0 एच0 4400 के साथ कुछ अराजक तत्वों द्वारा अपहृत किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 8-4-83 को थाना हजरतगंज, लखनऊ में श्री सेवा सिंह द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराने के बावजूद अभी तक पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है? क्या सरकार उक्त घटना की सी0 आई0 डी0 से जांच कराने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 8-4-83 को श्री सरदार सेवा सिंह निवासी नई लेबर कालोनी, एशबाग, लखनऊ ने थाना हजरतगंज में इस आशय की लिखित सूचना दी कि दिनांक 4-4-83 को उनकी एम्बेसडर टैक्सी यू0 एस0 एच0 4400 जिसके चालक उनके पुत्र लखविन्दर सिंह थे, को एक व्यक्ति कपूर होटल के सामने से किराये पर ले गया और टेलीफोन एक्सचेंज के पास 4-5 व्यक्ति टैक्सी में बैठे। इसके बाद से श्री लखविन्दर सिंह तथा टैक्सी का कुछ पता नहीं चला। इस सूचना पर थाना हजरतगंज में मु0 अ0 संख्या 448 धारा 365 भा0 दं0 वि0 का पंजीकृत हुआ।

इसकी विवेचना पुलिस द्वारा तत्काल शुरू की गयी। विवेचना के दौरान दो अभियुक्त (1) मंजूर आलम तथा (2) रामलाल निवासी लखनऊ प्रकाश में आये जिन्होंने उक्त टैक्सी को ले जाने और लखविन्दर सिंह की हत्या कर गाड़ देना स्वीकार किया। अभियुक्त रामलाल की निशानदेही पर श्री लखविन्दर की लाश ग्राम रहेतुआ, थाना अटरिया, जिला सीतापुर के एक खेत में बरामद की गयी, जिसकी मृतक के पिता श्री सेवा सिंह ने पहचान की। अतः इस अभियोग को धारा 364/302/201/394 भा0 दं0 वि0 में परिवर्तित करके दोनों अभियुक्तों को जेल भेजा गया। अभियुक्तों ने अपने एक साथी देशराज पाण्डे को भी इस अभियोग में सम्मिलित होना और लूटी हुई टैक्सी को बहराइच-नेपाल सीमा पर बेचना बताया।

विवेचना के पश्चात् दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 11-8-83 को प्रेषित किया गया है जो विचाराधीन न्यायालय है। तीसरे अभियुक्त देशराज पाण्डे की दिनांक 16-7-83 को मृत्यु हो चुकी है। कार की बरामदगी के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा काफी प्रयास किया गया किन्तु अभी तक उसकी बरामदगी नहीं हो सकी है।

इस प्रकार प्रश्नगत मामले में स्थानीय पुलिस द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही करके ही इस जघन्य अपराध का अनावरण किया गया है। प्रश्नगत मामले में प्रभावी कार्यवाही की जा चुकी है और यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है अतः इस मामले की जांच अपराध अनुसंधान विभाग से कराये जाने की आवश्यकता नहीं है।

राज्याधीन सेवाओं में भर्ती हेतु अधिकतम सीमा

37—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 18/2/1981 कार्मिक- दिनांक 24-2-1983 द्वारा राज्याधीन सेवाओं में भर्ती हेतु अधिकतम सीमा 28 वर्ष से बढ़ा कर 30 वर्ष की गयी है? यदि हां, तो क्या उन्हीं कारणों तथा उद्देश्यों की पृष्ठभूमि का विवरण देते हुए स्वयं अन्य प्रान्तों के साक्ष्य लेकर केन्द्र सरकार से भी ऐसा ही करने का निवेदन सरकार करेगी?

श्री श्रीपति मिश्र—

केन्द्रीय सरकार अपनी नीति आवश्यकतानुसार स्वयं बनाती है। राज्य सरकार के मत में उपरोक्त संस्तुति करना अनुपयुक्त होगा।

38—श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

प्राविधिक शिक्षा विभाग में कर्मशाला अनुदेशकों की वरिष्ठता

39—श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राविधिक शिक्षा विभाग में कर्मशाला अनुदेशकों की वरिष्ठता सूची शासनादेश संख्या जी-1-1977/दस-220-67 के अनुसार बनायी गयी है? यदि हां, तो श्री भवानी शरण मिश्र अनुदेशक मशीन शाप का वरिष्ठता क्रम में सही स्थान क्यों नहीं है?

श्री सुनील शास्त्री—

जी नहीं। श्री भवानी शरण मिश्र की वरिष्ठता प्रश्न में संदर्भित शासनादेश के अनुसार नहीं बनायी जानी है एवं वरिष्ठता सूची में उनका स्थान सही जगह पर है।

थाना त्रिलोकपुर, जनपद बस्ती के ग्राम बुढ़ऊ के श्री नगेश्वर आदि हरिजनों को जाने से मारने के सम्बन्ध में दर्ज रिपोर्ट

40—श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना त्रिलोकपुर, जनपद बस्ती के ग्राम बुढ़ऊ के श्री नगेश्वर आदि 13 हरिजनों द्वारा श्री धर्मजीत पाण्डेय, श्री रमाकान्त

ग्राम गड़ावर, थाना त्रिलोकपुर के खिलाफ हरिजन उत्पीड़न, उनकी बहू-बेटियों को बिक्री करना तथा बेगार लेने और जान से मारने का मुकदमा धारा 363/366/368 आई0 पी0 सी0 के तहत दिनांक 14-12-82 को दर्ज किया गया था? यदि हां, तो इसमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी, कितने मुल्जिम गिरफ्तार किये गये और उपरोक्त हरिजनों की सुरक्षा का क्या प्रबन्ध किया गया।

श्री श्रीपति मिश्र–

प्रश्नगत अपराध पंजीकृत हुआ था परन्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट में बेगार लिये जाने का आरोप नहीं था। मामले में विवेचनोपरान्त नामित अभियुक्त रमाकान्त व धर्मजीत पाण्डेय के विरुद्ध धारा 363/366/368 भा0 द0 वि0 का अपराध नहीं पाया गया अपितु उपर्युक्त दोनों के साथ-साथ पलटन ग्राम-खरौली के विरुद्ध भा0द0 वि0 की धारा-372 का अपराध पाया गया तथा आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। दो अभियुक्त पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये तथा अन्य एक ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। हरिजनों की सुरक्षा के संबंध में अपराध पंजीकृत करके अभियुक्तों को गिरफ्तार करके विधि के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की गयी जिससे हरिजनों ने सुरक्षित महसूस किया। जब गश्ती पार्टियां उस गांव में जाती हैं तो इन लोगों से पूछताछ करती हैं। अतः हरिजन अपने आपको असुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं।

डुमरियागंज टाउन के अन्दर पक्की नाली बनवाने की मांग

41–श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 23 अक्तूबर, 1982 को उन्हें कोई पत्र जनपद बस्ती के डुमरियागंज टाउन के अन्दर जल भराव को पक्की नाली बनवाकर समाप्त करने के लिये लिखा था? यदि हां, तो क्या मंत्री जी ने अपने संयुक्त सचिव श्री माथुर द्वारा संबंधित अधिकारियों से जो आख्या मंगायी थी वह उन्हें प्राप्त हो गयी है? यदि हां, तो वहां के अधिशासी अभियन्ता की आख्या क्या है और नाली बनाने की कब तक व्यवस्था कर दी जायेगी?

श्री विद्या भूषण–

जी हां।

वांछित आख्या अभी प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

थानाध्यक्ष त्रिलोकपुर, जनपद बस्ती द्वारा अभद्र व्यवहार करने के मामले की जांच

42–श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 25-11-82 के पत्रांक संख्या 1412/लो0 द0/82 द्वारा कोई शिकायती पत्र प्रश्नकर्ता ने उन्हें प्रेषित किया है जिसमें श्री माता प्रसाद पाण्डेय विधायक के साथ थानाध्यक्ष, त्रिलोकपुर, जनपद बस्ती द्वारा अभद्र व्यवहार करने के मामले की जांच, जो सी0 आई0 डी0 क्राइम ब्रांच गोरखपुर के इंस्पेक्टर द्वारा की जा रही थी उसे बदलवाकर दूसरे इंस्पेक्टर से करवाने, मामले को समाप्त करने तथा पुलिस की अनुचित मदद करने के आरोप लगाए गये हैं, उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो अब तक उसमें क्या कार्यवाही की गयी?

श्री श्रीपति मिश्र–

जी हां। प्रश्नगत पत्र में लगाये गये आरोपों की जांच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा करायी गयी। जांच से तत्कालीन पुलिस अधीक्षक बस्ती एवं वर्तमान पुलिस अधीक्षक अपराध अनुसंधान विभाग श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव के विरुद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं हुए।

43–डाक्टर बृज किशोर मिश्र–

[माननीय सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

ग्राम दशरथपुर में नवीन थाने की स्थापना पर विचार

44–श्री लटूरी सिंह–

क्या गृह मंत्री ग्राम अमृतपुर जैथरा, जनपद एटा के ग्राम के पास जो वन है उसमें बदमाश अधिकांशतः शरण लेते हैं? यदि हां तो क्या अमृतपुर या दशरथपुर पर थाना खुलवाने का कष्ट करेंगे ? क्या सरकार अलीगंज, जनपद एटा के अमृतपुर से दशरथपुर तक सड़क बनवाने का कष्ट करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र–

प्राप्त सूचना अनुसार जनपद एटा में थाना जैथरा के ग्राम अमृतपुर के पास जो जंगली इलाका है, उसमें डकैत गैंग शरण लेते रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुये ग्राम दशरथपुर में एक नवीन थाने की स्थापना के प्रस्ताव पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है।

2–प्रश्नगत मार्ग जिला सेक्टर योजना के अन्तर्गत आता है। जिला सेक्टर के कार्यों की स्वीकृति देने के लिए जिला समिति का अनुमोदन आवश्यक होता है। अतः इस मार्ग का निर्माण जिला समिति का अनुमोदन प्राप्त हो जाने तथा आवश्यक धन की व्यवस्था कर लिये जाने पर सम्भव होगा।

लखनऊ स्थित बादशाहनगर कालोनी में सचिवालय के नए आवासीय ब्लाकों में जल सम्पूर्ति की व्यवस्था

45–श्री प्रियदर्शी जेतली–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित बादशाहनगर कालोनी में सचिवालय के कर्मचारियों के 7 नए आवासीय ब्लाकों में जल सम्पूर्ति पुरानी कालोनी के समान नहीं की जाती है? यदि हां, तो दोनों कालोनियों में जल सम्पूर्ति किस-किस समय और कितनी अवधि तक की जाती है? क्या पुरानी कालोनी के समान जल सम्पूर्ति करायेंगे? यदि हां, तो कब से? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीपति मिश्र–

जी हां।

पुरानी कालोनी में जल सम्पूर्ति निम्नांकित समय की जाती है:–

सुबह 5.30 बजे से 9.30 बजे तक

अपरान्ह 12.30 बजे से 1.30 बजे तक

सायंकाल 5.30 बजे से 9.30 बजे तक।

नये आवासीय ब्लाकों में जल सम्पूर्ति निम्नांकित समय में की जाती है:—

सुबह 7.30 से 8.30 बजे तक

अपरान्ह 1.00 से 2.00 बजे तक

सायंकाल 5.00 से 6.00 बजे तक

रात्रि 9.30 से 10.30 बजे तक

बादशाह नगर कालोनी में पुराने बने आवासों तथा नव निर्मित आवासों में जल वितरण की व्यवस्था भिन्न-भिन्न है। अतः दोनों कालोनी में समान व्यवस्था किया जाना सम्भव नहीं है।

अपराध अनुसंधान विभाग की ईकाई कम्प्यूटर केन्द्र में उपनिरीक्षकों की नियुक्ति

46—श्री प्रियदर्शी जेतली—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सी0बी0सी0आई0डी0, उत्तर प्रदेश में कोई कम्प्यूटर सेल, लखनऊ में स्थापित है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त सेल में जो शुद्ध टेक्निकल कार्य है, में सिविल पुलिस के उपनिरीक्षकों की भी वहां नियुक्ति की गयी है ? यदि हां, तो कितने लोगों की ? क्या सिविल पुलिस भर्ती के समय इन उप निरीक्षकों को कम्प्यूटर की भी ट्रेनिंग दी जाती है? यदि नहीं, तो इनकी वहां नियुक्ति का औचित्य क्या है?

श्री श्रीपति मिश्र—

लखनऊ में स्थित कम्प्यूटर केन्द्र, अपराध अनुसंधान विभाग की एक इकाई है। पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र में अपराध/अपराधियों सम्बन्धी अभिलेखों की सूचना के एकत्रीकरण एवं कोडीफिकेशन का कार्य किया जा रहा है जिसके लिए केन्द्र में नागरिक पुलिस के 15 उपनिरीक्षकों की नियुक्ति की गई है। इनको अपराध सम्बन्धी अभिलेखों से वांछित सूचना के एकत्रीकरण एवं ''कोडीफिकेशन'' के कार्य का प्रशिक्षण दिया गया है। नागरिक पुलिस के उप निरीक्षकों की भरती के बाद प्रशिक्षण के दौरान इस कार्य का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।

विधायक श्री प्रियदर्शी जेतली के सूटकेस की चोरी व जांच

47—श्री प्रियदर्शी जेतली—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गृह सचिव, उ0 प्र0 को माह मार्च, 83 से जून, 83 के बीच में प्रश्नकर्ता के सूटकेस की चोरी व एटा थाना, जिला जालौन में बरामदगी के संबंध में प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही हुई है ? किन कारणों से थाना एटा द्वारा संबंधित सूटकेश के बरामद व शिनाख्त होने के बाद भी प्रश्नकर्त्ता को उसकी सूचना पहले से नहीं दी गयी?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां। उक्त प्रार्थना पत्र में उल्लिखित आरोपों की जांच भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा करा ली गयी है। पुलिस द्वारा कुछ समान रख लिये जाने का आरोप

जांच से प्रमाणित नहीं हुआ । सूटकेश की बरामदगी की सूचना देने आदि में असावधानी बरतना पाया गया जिसके लिये सम्बन्धित कर्मचारियों को दंडित किया जा चुका है ।

48–श्री प्रियदर्शी जेतली–

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त।]

अकबरपुर राज्य कताई मिल के श्रमिक विवादों में तत्कालीन श्रमायुक्त के पंच निर्णय की सूचना

49–श्री प्रियदर्शी जेतली–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र उन्हें माह जून, अथवा जुलाई, 1983 में अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 46 (एम0एच0आई0) 36–2-ए0 क्यू0 5 (एस0 एम0)/83 श्रम अनुभाग दो, 2 मई, 1983 के संदर्भ में प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री–

माननीय सदस्य का एक पत्र दिनांक 3 जुलाई, 1983 प्राप्त हुआ है जो अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 46(एम) (एच0 आई0)/36-2-ए0 क्यू-5 (एस0 एम0)/83 दिनांक 2 मई, 1983 के संदर्भ में न होकर अकबरपुर राज्य कताई मिल के श्रमिक विवादों में तत्कालीन श्रमायुक्त के पंच निर्णय के विषय में है। पंच निर्णय के कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना माननीय सदस्य के इसी सत्र के पिछले मंगलवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 1 के उत्तर में दी जा चुकी है।

राजकीय पशु चिकित्सालय हैवलक रोड, लखनऊ में बीमार पशुओं के भर्ती करने की व्यवस्था

50–श्री रामगोविन्द–

क्या पशुधन मंत्री को जानकारी है कि राजकीय पशु चिकित्सालय हैवलक रोड, लखनऊ में शासन द्वारा बीमार पशुओं को भर्ती करने की व्यवस्था होते हुए भी बीमार जानवरों को कभी भी भर्ती नहीं किया जाता? यदि हां, तो उक्त स्थान किस प्रयोग में लाया जाता है?

श्री संजय सिंह–

व्यवस्था उपलब्ध है।

आवश्यकतानुसार बीमार पशुओं को यदि पशु स्वामी चाहें तो भर्ती कर सकते हैं।

अन्तरवासी चिकित्सा हेतु शेडेड बरामदा बना हुआ है जिसमें चारे-दाने के प्रबंध हेतु नाद बनी हुई है। जिसके एक भाग में दो "केज" कुत्तों को रखने के लिए है। यह सम्पूर्ण भाग खाली ही रहता है। जब कभी केन्द्रीय भण्डार में अधिक सामान हो जाता है तब कुछ समय के लिए इसके कुछ भाग का उपयोग किया जाता है।

51–श्री जसवंत सिंह विष्ट–

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त।]

52–श्री जसवन्त सिंह विष्ट–

[3रे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या-137 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री गबर सिंह भण्डारी, सेवा निवृत्त वन रेन्जर को भविष्य निर्वाह निधि का अंतिम भुगतान

53–श्री जसवंत सिंह विष्ट–

क्या वन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल के श्री गबर सिंह भण्डारी, सेवा निवृत्त रेंजर (जो 1976 में सेवा निवृत्त हो चुके हैं), की आज तक पेंशन, ग्रेच्युटी, फण्ड आदि का भुगतान नहीं किया गया? यदि हां, तो विलम्ब के लिए कौन जिम्मेदार है और क्या उक्त अधिकारी को पेंशन आदि देने का आदेश सरकार तुरन्त जारी करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री संजय सिंह–

श्री गबर सिंह भण्डारी, सेवा निवृत्त वन रेंजर, को उनके भविष्य निर्वाह निधि का अंतिम भुगतान किया जा चुका है। श्री सिंह का ग्रेच्युटी तथा पेन्शन का भुगतान अभी तक नहीं किये जाने का कारण श्री सिंह के कार्यकाल से संबंधित रु0 13,176-45 की राजकीय धनराशि की वसूली न हो पाना है। पेंशन व ग्रेच्युटी का शीघ्र नियमानुसार भुगतान किये जाने के मामले में प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

54–श्री जसवन्त सिंह विष्ट–

[3रे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या-154 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

रानीखेत विधान सभा क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को केन्द्रीय/राज्य सरकार से प्राप्त पेंशन

55–श्री जसवन्त सिंह विष्ट–

क्या राजनैतिक पेंशन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 31-12-80 को रानीखेत विधान सभा क्षेत्र में कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और उनमें से कितनों को राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार की पेंशन मिल रही है? तब से उनमें से कितनों का स्वर्गवास हो गया है और उनकी पत्नियों को राज्य तथा केन्द्र सरकार की पेंशन कितनों को दी जा रही है, कितने मामले पेंशन स्वीकृति हेतु विचाराधीन हैं? यह कब तक स्वीकृत हो जायेंगे ?

नियोजन एवं राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)–

दिनांक 31-12-80 को रानीखेत विधान सभा क्षेत्र के 75 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को केन्द्रीय/राज्य पेंशन प्राप्त हो रही थी। इनमें से 31-12-83 तक 9 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का स्वर्गवास हो गया था तथा 6 सेनानियों की विधवाओं को केन्द्रीय/राज्य पारिवारिक पेंशन प्राप्त हो रही है। शेष 3 दिवंगत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से एक सेनानी की मृत्यु 7-11-83 को हुई है। अतः उनकी विधवा

को परामर्श दिया गया है कि वे कोषाधिकारी से सम्पर्क कर पारिवारिक पेंशन का भुगतान प्राप्त करें क्योंकि 1-9-83 के बाद जिन सेनानियों की मृत्यु हुई है उनकी विधवाएं या अन्य पात्र आश्रित सीधे जिला कोषागार से पारिवारिक पेंशन का भुगतान प्राप्त कर सकते हैं । दो दिवंगत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की विधवाओं से पारिवारिक पेंशन हेतु कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं । अतः उन्हें परामर्श दिया गया है कि वे पारिवारिक पेंशन हेतु आवेदन-पत्र शासन को भेजें । इसी प्रकार दिवंगत सेनानियों की विधवाओं को यह भी परामर्श दिया गया है कि वे केन्द्रीय पेंशन हेतु आवेदन-पत्र भारत सरकार को भेजें ।

राजकीय पालीटेक्निक श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल के विद्यार्थी श्री गजेन्द्र सिंह सजवान की अलकनन्दा नदी में डूब जाने से मृत्यु

56—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि राजकीय पालिटेक्निक श्रीनगर, जिला पौड़ी गढ़वाल का विद्यार्थी श्री गजेन्द्र सिंह सजवान, जो दिनांक 14-9-1979 को पालिटेक्निक से ही लापता हुआ था, उसका पता लगाने के लिए स्थानीय जिला पुलिस ने क्या-क्या कार्यवाही की है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 19-4-1979 को श्री गजेन्द्र सिंह सजवान लगभग 8 बजे प्रातः अपने कुछ छात्र साथियों के साथ अलकनन्दा में स्नान करने गया था जहां पर अचानक पैर फिसल जाने व नदी के तेज बहाव के कारण वह डूब गया।

थाना श्रीनगर के पुलिस कर्मचारियों ने एस0 एस0 बी0 के जवानों की सहायता से काफी खोज की थी लेकिन तेज बहाव के कारण उसका मृत शरीर प्राप्त नहीं हो सका। श्री सजवान के खास दोस्त श्री सुरेन्द्र प्रसाद बेदवाल व अन्य से स्थानीय पुलिस द्वारा पूंछ-तांछ की गयी । पुलिस द्वारा किये गये प्रयासों से यही तथ्य प्रकाश में आया है कि सजवान अलकनन्दा में डूब गया है ।

वन पंचायत दौलाबलिया के अन्तर्गत क्षति पहुंचाने वाले व्यक्तियों पर प्रतिकर का निर्धारण

57—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1978 का पहला मंगलवार दिनांक 22-8-78 के तारांकित प्रश्न संख्या—4 के सन्दर्भ में क्या वन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आंशिक रूप से जुर्मदारों से कितना रुपया जमा हुआ, कितना बाकी है और वसूल की गयी धनराशि कब और कहां जमा की गयी ?

श्री संजय सिंह—

वन पंचायत दौलाबलिया के अन्तर्गत क्षति पहुंचाने वाले 18 व्यक्तियों पर 127.00 रुपया प्रतिकर निर्धारित किया गया था। ये व्यक्ति ग्राम मल्ला गखां पट्टी भोरंग (चौपाता) तहसील पिठौरागढ़ के निवासी हैं ।

तहसीलदार पिठौरागढ़ के द्वारा वसूली की कार्यवाही की गई । अभी तक आंशिक रूप से दो व्यक्तियों से रु0 24.70 पै0 की वसूली हुई है तथा 102–30 पै0 की वसूली होनी शेष है । वसूल की गई धनराशि वन पंचायत दौलाबलिया के कोष में जमा की गई है ।

राम सागर मिश्र नगर स्थित एल–2 टाइप के आवासों में दरवाजे लगाने का निर्देश

58–श्री जसवन्त सिंह बिष्ट–

प्रथम सत्र 82 के पांचवें मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–160 के सन्दर्भ में क्या राज्य सम्पत्ति मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 4 सितम्बर, 81 को शासनादेश जारी होने के बाद उसका कार्यान्वयन 6 माह बाद भी नहीं सम्पादित किया गया ? ऐसा क्यों ? क्या दोषी अधिकारियों को दण्डित करने का कष्ट करेंगे ?

श्री श्रीपति मिश्र–

प्रश्नगत शासनादेश दिनांक 4 सितम्बर, 81 द्वारा स्वीकृत कार्यों में दरवाजे लगाने का कार्य सम्मिलित नहीं था । दरवाजे लगाने का निर्देश 19-2-83 को भेजा गया था । इस विशेष कार्य के लिये प्राप्त आगणन की स्वीकृति शासन द्वारा जनवरी 1983 में दी जा चुकी है तथा कार्य पूर्ण हो चुका है । किसी अधिकारी को दण्डित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जफर अली नकबी, तत्कालीन उप वन मंत्री द्वारा वनराजिक की रेन्ज तैनाती के विषय में कथित आदेश

59–श्री जसवन्त सिंह बिष्ट–

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरी व दक्षिणी खीरी में कितने वन राजिकों की रेंज तैनाती किए जाने बावत 1980 में श्री जफर अली नकबी, उप वन मन्त्री ने आदेश दिए थे ? उक्त आदेशों का माह दिसम्बर, 80 से 30-4-81 तक पालन न करने के कारण सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री संजय सिंह–

श्री जफर अली नकवी, तत्कालीन उप वन मन्त्री जी ने वर्ष 1980 में उत्तर तथा दक्षिणी खीरी वन प्रभागों में किसी भी वनराजिक की रेंज तैनाती हेतु कोई आदेश नहीं दिये थे ।

जिला पिथौरागढ़ के पंचायती जंगल की कीमती लकड़ी बेचे जाने के संबंध में कार्यवाही

60–श्री जसवन्त सिंह बिष्ट–

क्या शासन को इस बात की जानकारी है कि ग्राम दौलाबलिया बेरीनाग ब्लाक जिला पिथौरागढ़ के पंचायती जंगल की कीमती लकड़ी वहां के सरपंचों द्वारा 1975 से 81 तक बेची गई है ? यदि हां, तो क्या इसके लिए शासन से उन्होंने अनुमति ली थी ? यदि हां, तो इस धनराशि का क्या हुआ ? यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संजय सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री अजय सिंह, एस0 पी0 (तत्कालीन) उन्नाव के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच की मांग

61–श्री श्याम लाल वाजपेयी–

क्या मुख्य मन्त्री को ज्ञात है कि 26-11-82 को प्रश्नकर्ता ने एक पत्र गृह सचिव को उनके कार्यालय में तथा पुलिस महानिदेशक को श्री अजय सिंह, एस0 पी0 (तत्कालीन) उन्नाव के विरुद्ध 27-11-83 को उन्नाव के पुलिस अधिकारियों तथा थानाधिकारियों की लखनऊ हाजिरी तथा अन्य बातों के सम्बन्ध में दिया था ? यदि हां, तो पत्र में वर्णित मुद्दों की जांच किस एजेंसी द्वारा करायी गयी और उसके क्या परिणाम निकले ?

श्री श्रीपति मिश्र–

जी हा, । कथित शिकायती पत्र में श्री अजय सिंह, तत्कालीन एस0 पी0, उन्नाव के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच पुलिस उप महानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र, द्वारा करायी गयी । जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हुए ।

जनपद जौनपुर के जलालपुर एवं मुर्तजाबाद उप केन्द्रों में पुनर्स्थापित ट्रान्सफार्मर

62–श्री प्रभू नारायण सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के जलालपुर एवं मुर्तजाबाद उप केन्द्रों के अन्तर्गत वर्ष 1981-82 में किन-किन स्थानों के ट्रांसफार्मर पुन:स्थापित किये गये ? उनके पुनर्स्थापित के कारण क्या थे? क्या खराब ट्रांसफार्मरों को सुरक्षित रखकर उन्हें ठीक कराया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त–

जनपद जौनपुर के जलालापुर एवं मुर्तजाबाद उपकेन्द्रों के अन्तर्गत वर्ष 1981-82 में क्रमश: 7 एवं 15 ट्रान्सफार्मर पुनर्स्थापित किये गये जिसका विवरण सूची 1 व 2 में दर्शाया गया है।

इनकी पुनर्स्थापना का कारण इनका जलना अथवा दोषपूर्ण हो जाना था।

सभी ट्रान्सफार्मरों को सुरक्षित स्थान पर रखकर उन्हें ठीक करा दिया गया है।

(देखिए नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 1428 पर ।)

ग्रामीण चौकीदारों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की समकक्षता देने की मांग

63–श्री प्रभू नारायण सिंह–

क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि पुलिस विभाग में कार्यरत ग्रामीण चौकीदार आज भी मात्र उन्नीस रुपए प्रति माह की दर से वेतन पाते हैं ? क्या सरकार इनके जीवन-यापन के लिए इन्हें भी वही वेतन व अन्य सुविधायें उपलब्ध करायेगी जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को प्राप्त हैं? यदि हां, तो कब से? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीपति मिश्र–

ग्राम चौकीदारों को अब 15 रुपये प्रतिमाह वेतन तथा 7 रुपये साइकिल भत्ता, कुल 22 रुपयों का भुगतान हो रहा है। चौकीदार अंशकालिक कर्मचारी होते हैं जो चौकीदार के कार्य के अतिरिक्त अपने, निजी कार्य, व्यवसाय तथा खेती आदि भी करते हैं और इनकी नियुक्ति के लिये शैक्षिक योग्यता आदि का भी कोई निर्धारण नहीं है। अतएव इनको न तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की समकक्षता दी जा सकती है और न वेतन।

जनपद जौनपुर, तहसील केराकत के ब्लाक जलालपुर एवं मुफ्तीगंज में वृद्धावस्था पेंशन

64–श्री प्रभू नारायण सिंह–

क्या श्रम मंत्री कृपया बतलायेंगे कि जनपद जौनपुर के तहसील केराकत के ब्लाक जलालपुर एवं मुफ्तीगंज में वर्ष 1981 से 1-6-83 तक कितने व्यक्तियों को कितनी धनराशि वृद्धावस्था पेंशन के रूप में प्रदान की गयी? इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों के नाम और पते क्या हैं? वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत करने का मापदण्ड क्या है और क्या उपरोक्त में इसका पालन किया गया?

श्री सुनील शास्त्री–

वर्ष 1981 से 1-6-83 तक 21 व्यक्तियों को 37,800.00 रुपये की धनराशि वृद्धावस्था पेंशन के रूप में प्रदान की गयी।

लाभार्थियों के नाम व पते की सूची संलग्न है।

वृद्धावस्था पेंशन योजना प्रदेश के सभी ऐसे निराश्रित व्यक्तियों के लिये है, जो 65 वर्ष या इससे अधिक आयु के हैं। विधवाओं तथा अपंगों के मामले में आयु सीमा 60 वर्ष निर्धारित है। ऐसे सभी व्यक्ति वृद्धावस्था पेंशन के पात्र हैं यदि उनके 20 वर्ष या इससे अधिक उम्र का पुत्र या पुत्र का पुत्र न हो तथा उसकी निजी आय 30 रु0 औसत प्रतिमाह से अधिक न हो। भिखारी, साधु या शरणार्थी गृहों में निःशुल्क पोषण वाले वृद्धावस्था पेंशन के पात्र नहीं हैं।

जी हां।

(देखिये नत्थी "ग" आगे पृष्ठ 1429 पर।)

हीवेट पालीटेक्निक, लखनऊ में आटोमोबाइल ट्रेड प्रशिक्षण की पुनर्व्यवस्था की मांग

15–श्री प्रभू नारायण सिंह–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि हीवेट पालीटेक्निक, लखनऊ में आटोमोबाइल ट्रेड में वर्ष 1982 में प्रवेश बन्द कर दिया गया है? क्या यह भी सत्य है कि उक्त ट्रेड का शिक्षक उपलब्ध है और इस हेतु शासन से अनुदान भी प्राप्त है? यदि हां, तो सरकार उक्त ट्रेड के प्रशिक्षण की पुनः व्यवस्था करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री–

जी हां।

उक्त पाठ्यक्रम में नियुक्त शिक्षक अब यांत्रिक अभियंत्रण विभाग में कार्यरत है। इस पाठ्यक्रम हेतु अब कोई अनुदान नहीं दिया जा रहा है। पूर्व स्वीकृत अनावर्तक अनुदान रु0 10,000 अप्रयुक्त है जिसे समायोजित करने की कार्यवाही की जा रही है।

पाठ्यक्रम में सीमित रोजगार अवसर होने तथा छात्रों की रुचि न होने के कारण पाठ्यक्रम को पुनः चलाने का विचार नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर में मछलीशहर-केराकत वाया मड़ियाहूं मार्ग पर केरावत में गोमती नदी पर पुल निर्माण की मांग

66—श्री प्रभूनारायण सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद जौनपुर के अन्तर्गत मछलीशहर से मड़ियाहूं होते हुए केराकत तक जाने वाली सड़क पर केराकत में गोमती नदी पर पुल न होने से जनता को आवागमन में घोर असुविधा होती है? यदि हां, तो क्या सरकार इस स्थल पर शीघ्र पुल का निर्माण करायेगी?

श्री विद्या भूषण—

सामान्य मौसम में पान्टून पुल तथा वर्षा के समय नावों द्वारा यातायात सम्पन्न होता है। अतः यातायात को घोर असुविधा नहीं होती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर की सड़कों में रखरखाव पर व्यय की गई धनराशि

67—श्री प्रभूनारायण सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1981-82 में जनपद जौनपुर की सड़कों के मररम्मत व रखरखाव पर कुल कितना धन व्यय किया गया और उसमें से केराकत से मड़ियाहूं जाने वाली सड़क पर कितना धन व्यय किया गया? क्या यह सत्य है कि उक्त धन का उपयोग न किए जाने से केराकत—मड़ियाहूं मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है? यदि हां, तो क्या सरकार इस अनियमितता की जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी?

श्री विद्या भूषण—

वर्ष 1981-82 में जनपद जौनपुर की सड़कों की मरम्मत व रख रखाव पर कुल 78.13 लाख रुपये व्यय किया गया और उसमें से केराकत से मड़ियाहूं जाने वाली सड़क पर 1.68 लाख रुपये व्यय किया गया।

धन का उपयोग न किये जाने की बात सही नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जलालपुर में सड़क की पटरी पर अनधिकृत कब्जे के विरुद्ध कार्यवाही

68—श्री प्रभूनारायण सिंह

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जौनपुर—वाराणसी मार्ग पर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जलालपुर की चहारदीवारी से सटाकर सड़क की पटरी पर अनधिकृत रूप से कुछ मकान निर्माण कर लिया है? यदि हां, तो क्या विभाग द्वारा उक्त निर्माण कार्य रोका गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री विद्याभूषण—

जी हां। जौनपुर—वाराणसी मार्ग पर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जलालपुर की चहारदीवारी से सटाकर पांच व्यक्तियों ने उक्त मार्ग के नियंत्रित क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से मकानों का निर्माण कर लिया है। उक्त निर्माणों को रोकने के लिए विभाग ने निर्माणकर्ताओं को समय से नोटिस जारी की थी और उनके विरुद्ध "यू0 पी0 रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट, 1945" के अधीन मुकदमें मुख्य दण्डाधिकारी जौनपुर के न्यायालय में दायर कर दिये गये हैं।

पुलिस थानों पर सफाई कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की मांग

69—श्री प्रभूनारायण सिंह—

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि पुलिस थाना पर सफाई करने वाले कर्मचारियों को कुल मिलाकर मात्र पचास रुपये प्रति माह वेतन मिलता है? क्या सरकार इन कर्मचारियों को जीने लायक वेतन देगी? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

श्री श्रीपति मिश्र—

शासन के आदेशानुसार 1 सितम्बर, 1978 से जिला स्तर के थानों पर कार्यरत अंशकालिक सफाई मजदूरों का वेतन 60 रुपये प्रतिमाह तथा ग्रामीण क्षेत्र के थानों पर कार्य करने वाले अंशकालिक सफाई मजदूरों को 50 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाता है।

चूंकि अंशकालिक सफाई मजदूर कुछ ही समय कार्य करते हैं और उसके बाद वे अन्यत्र अथवा अपने निजी कार्य करते हैं इसलिए उन्हें पूर्ण वेतन देने का औचित्य नहीं है। जिन थानों पर आवश्यकतानुसार पूर्णकालिक सफाई मजदूर नियुक्त किये गये हैं वहां उन्हें शासन द्वारा निर्धारित वेतन (रु0 305—390) एवं मंहगाई भत्ता दिया जाता है।

कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, धनोरा जनपद मुरादाबाद के तत्कालीन अध्यक्षों के विरुद्ध कृत कार्यवाही

70—श्री रियासत हुसैन—

क्या गृह मंत्री को विदित है कि को आपरेटिव मारकेटिंग सोसाइटी, धनोरा जिला मुरादाबाद के तत्कालीन अध्यक्षों (1979-80) के खिलाफ धारा 408, 468, 420, 471 आई0 पी0 सी0 के अन्तर्गत कोई मुकदमा थाना बछरावां, जिला

मुरादाबाद में हुआ था और जिसकी जांच एस0 आई0 एस0, मुरादाबाद द्वारा करायी गयी थी? यदि हां, तो क्या अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया? यदि नहीं, तो क्यों? जांच रिपोर्ट क्या है?

श्री श्रीपति मिश्र–

जी हां। अभियुक्त रईसुद्दीन, को छोड़कर सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया अथवा उन्होंने न्यायालय में आत्मसमपर्ण किया। सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किये जा चुके हैं। जाब्ता फौजदारी के अनुसार गिरफ्तारी अनिवार्य नहीं है।

विवेचना से पाया गया कि अभियुक्तों ने षडयन्त्र करके गल्ले की फर्जी खरीद दिखाकर काश्तकारों के नाम चेक काटकर स्वयं सरकारी धन का गबन किया था।

एस0 एच0 ओ0, गोंडा (श्री एस0 एन0 सिंह सेंगर) का स्थानान्तरण रोकने का कारण

71–श्री रियासत हुसैन–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि एस0 एच0 ओ0 गोंडा (श्री एस0 एन0 सेंगर) का शिकायतों के आधार पर बाराबंकी स्थानान्तरण किया गया था परन्तु दिनांक 25-5-83 को उस स्थानान्तरण को रोक दिया गया? यदि हां, तो स्थानान्तरण रोकने का क्या कारण है?

श्री श्रीपति मिश्र–

श्री एस0 एन0 सिंह सेंगर का स्थानान्तरण शिकायतों की जांच के परिपेक्ष्य में गोंडा से बाराबंकी किया गया था जिसे दिनांक 25-5-83 को नहीं बल्कि दिनांक 21-6-83 को प्रशासनिक आधार पर निरस्त कर दिया गया।

भोला कामर्शियल कालेज, दुर्विजयगंज सराय, लखनऊ द्वारा टेलेक्स का जाली प्रमाण-पत्र जारी करने की कथित जांच

72–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि भोला कामर्शियल कालेज, दुर्विजयगंज सराय, लखनऊ द्वारा टेलेक्स का जाली प्रमाण-पत्र जारी करने के सम्बन्ध में अनेक शिकायती-पत्र वर्ष 83 में जनता से प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उन पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? क्या जनता की विजिलेंस द्वारा जांच करने की मांग को स्वीकार करते हुए इसकी विवेचना उससे कराई गयी? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा? यदि जांच नहीं करायी गयी, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री–

जी नहीं।

भोला कामर्शियल कालेज दुर्विजयगंज सराय, लखनऊ द्वारा टेलेक्स का जाली प्रमाण-पत्र जारी करने के सम्बन्ध में कोई शिकायती पत्र वर्ष 83 में क्षेत्रीय सेवा-योजन कार्यालय लखनऊ या प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ अथवा शासन में प्राप्त नहीं हुआ।

वर्णित परिस्थितियों में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

73–श्री हरगोविन्द वर्मा–

[दिनांक 17-2-84 को अतारांकित प्रश्न 1-2 द्वारा उत्तरित।]

74–श्री विजय सिंह–

[पुनरावृत्ति होने के कारण निरस्त।]

75-76–श्री विजय सिंह–

[दिनांक 6-9-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या 15-16 द्वारा उत्तरित।]

चलचित्र निगम द्वारा चुनार, जनपद मिर्जापुर में छविगृह का निर्माण

76–अ–श्री रामचरण सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चुनार जनपद मिर्जापुर में चलचित्र निगम द्वारा स्वीकृत छविगृह का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ किया गया और निर्माण कब पूर्ण होगा?

श्री श्रीपति मिश्र–

चूनार, जनपद मिर्जापुर, में चलचित्र निगम द्वारा सिनेमागृह का निर्माण जून, 1981 में प्रारम्भ किया गया था। इस सिनेमागृह का 95 प्रतिशत सिविल कार्य पूर्ण हो चुका है और शेष निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है।

76–(ब)–श्री रियासत हुसैन–

[करण 26(1) के अन्तर्गत उत्तरित।]

आजमगढ़ जनपद के रौनापार–लालघाट मार्ग पर स्थित अप्रोच रोड पर ली गयी जमीन के प्रतिकर के भुगतान की मांग

77–श्री पंचानन राय–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में रौनापार–लालघाट मार्ग पर स्थित अप्रोच रोड पर ली गयी जमीन के प्रतिकर के भुगतान से सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 18-5-83 अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री विद्या भूषण–

जी हां।

भूमि अध्याप्ति के प्रस्ताव बनाकर विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, आजमगढ़ को जनवरी 1984 में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिये गये हैं।

आजमगढ़ जनपद के हरैया ब्लाक में बेदौली से बरडीहा सम्पर्क मार्ग का निर्माण तथा प्रस्तावित व्यय

78—श्री पंचानन राय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में हरैया ब्लाक में स्थित बेदौली से बरडीहा होते हुए खेतापुर तक के पांच कि0मी0 लम्बे सम्पर्क मार्ग का निर्माण प्रान्तीय खण्ड द्वारा किया गया था? यदि हां, तो इसके निर्माण में कितनी धनराशि व्यय होगी? अब तक कितनी व्यय की जा चुकी है? और उसमें कितना निर्माण हुआ है तथा शेष निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?

श्री विद्या भूषण—

जी नहीं ।

इस मार्ग का निर्माण, निर्माण खण्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग आजमगढ़ द्वारा किया जा रहा है। इस मार्ग पर 5 किलोमीटर मिट्टी तथा 1 किलोमीटर खड़ंजा के लिए रु0 2.835 लाख व्यय प्रस्तावित है।

दिसम्बर 83 तक रु0 2.33 लाख व्यय हो चुका है।

प्रश्नगत मार्ग के कि0 मी0 1 में मिट्टी, पुलिया तथा खड़ंजा का कार्य पूर्ण है। कि0 मी0 2 में 800 मीटर तथा कि0 मी0 5 में 800 मीटर की लम्बाई में मिट्टी का कार्य पूर्ण है। शेष लम्बाई में कृषकों द्वारा स्वेच्छा से भूमि न दिये जाने के कारण कार्य नहीं हो सका है। कार्य का पूर्ण होना भूमि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

जनपद आजमगढ़, के ग्राम काखभार में हरिजन बस्ती के विद्युतीकरण की मांग

79—श्री पंचानन राय—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम काखभार, विकास खण्ड अजमतगढ़ जनपद आजमगढ़ के हरिजनों का हरिजन बस्ती के विद्युतीकरण से सम्बन्धित पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 30-4-83 के साथ विद्युत विभाग के जनपदीय अधिकारियों को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ब्रह्मदत्त—

जी नहीं ।

अतः इस पत्र पर कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

दीवानी वाद संख्या 554/80 उत्तर प्रदेश बनाम राजमंगल आदि मुकदमें की जिलाधिकारी, आजमगढ़ द्वारा जांच

80—श्री पंचानन राय—

क्या न्याय मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वाद संख्या 554/80 स्टेट आफ उत्तर प्रदेश बनाम राजमंगल आदि जनपद आजमगढ़ में जिला अधिकारी आजमगढ़ ने 20-3-82 को मौके की जांच कराई, जिसमें श्रीमती फूलबदन के विरुद्ध मुकदमें को अनुचित पाया गया ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 7-4-83 शासन को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो इसमें क्या कार्यवाही हुई ?

श्री श्रीपति मिश्र–

जी हां । दीवानी वाद संख्या 554/80 में छठे विवाद के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, आजमगढ़ द्वारा दिनांक 20-3-82 को मौके की जांच कराई गई और यह पाया गया कि विवादग्रस्त भूमि विकास खण्ड कार्यालय 1956 से उपयोग कर रहा है । प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 7-4-83 शासन को प्राप्त हुआ था किन्तु क्योंकि विवाद, दीवानी प्रकृति का है अतएव मुकदमें को वापस लेने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

जनपद आजमगढ़ में भीमवर बाजार गोसाई मार्ग की स्वीकृति, व्यय तथा निर्माण

81–श्री पंचानन राय–

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में स्थित भीमवर बाजार गोराई मार्ग कब से स्वीकृत है ? इसके निर्माण में (पेंटिंग तक) कुल कितना व्यय प्रस्तावित है ? अब तक इसके निर्माण पर कितनी धनराशि व्यय की गयी है तथा इसका निर्माण कार्य कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

श्री विद्या भूषण–

प्रश्नगत मार्ग शासनादेश दिनांक 23 नवम्बर, 1978 द्वारा स्वीकृत हुआ था।

इस मार्ग के निर्माण हेतु (पेंटिंग तक) कुल रु0 7.50 लाख स्वीकृत है । अब तक इसके निर्माण में रु0 6.20 लाख व्यय हो चुका है । निर्माण कार्य का पूरा होना धन उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

प्रा0 पा0 मण्डनपुर, विकास खण्ड अजमतगढ़, जनपद आजमगढ़ का भवन निर्माण पूर्ण कराने की मांग

82–श्री पंचानन राय–

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रा0 पा0 मण्डनपुर विकास खण्ड अजमतगढ़, जनपद आजमगढ़ के भवन का निर्माण इस कारण रोक दिया गया कि उसमें निम्न स्तर की सामग्री प्रयोग किए जाने की शिकायत प्रश्नकर्ता द्वारा 7-4-83 को की गयी ? यदि हां, तो इसका निर्माण पुनः कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा और कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

श्री विद्या भूषण–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम इसरापार, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ के जीयनपुर उपकेन्द्र से विद्युत आपूर्ति की मांग

83–श्री पंचानन राय–

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम इसरापार तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ को जीयनपुर उपकेन्द्र से विद्युत आपूर्ति किये जाने से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 6-4-83 अधिशासी अभियन्ता को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इसमें क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ब्रह्मदत्त–

जी हां ।

जीयनपुर उपकेन्द्र से ग्राम इसरापार की ओर जाने वाली लाइन पर पहले ही क्षमता से अधिक भार है । अतः इस उपकेन्द्र द्वारा उक्त ग्राम को विद्युत उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं हो सका ।

84–85---श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय--

[3रे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या–161-162 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री श्रवण कुमार सक्सेना (रेखाकार) के विरुद्ध आरोपों की जांच

86–श्री कुबेर भण्डारी–

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 17-5-83 एवं जून, 1983 का श्री जगदीश सिंह, विधायक का कोई शिकायती-पत्र श्री श्रवण कुमार सक्सेना (ड्रफ्ट्समैन) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता लखनऊ बी0 डी0 ई0-11 सार्वजनिक निर्माण विभाग के विरुद्ध, उन्हें तथा प्रमुख अभियन्ता को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उनमें क्या-क्या तथ्य थे तथा उन पर उक्त श्री सक्सेना के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण–

श्री जगदीश सिंह विधायक का शिकायती-पत्र दिनांक 24 मई, 1983 तथा अनुस्मारक दिनांक 24 जून, 1983 प्राप्त हुए । उक्त शिकायती-पत्र दिनांक 24-5-1983 में श्री श्रवण कुमार सक्सेना, रेखाकार के विरुद्ध लगाये गए आरोपों की जांच की गयी ।

जांच के फलस्वरूप आरोप सत्यापित नहीं हुए । अतः उक्त श्री सक्सेना के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

बादशाह नगर राजकीय कालोनी, लखनऊ में आवासित सेवानिवृत्त कर्मचारियों से आवास खाली कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही

87–श्री कुबेर भंडारी–

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित बादशाहनगर राजकीय कालोनी में कितने आवास ऐसे हैं, जिनमें दिनांक 30-10-83 तक सेवा निवृत्त कर्मचारी रह रहे हैं ? उनके नाम व आवास संख्या क्या हैं तथा उनके भवन खाली कराकर नए व्यक्तियों को कब तक आवंटित कर दिए जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र–

लखनऊ स्थित बादशाहनगर राजकीय कालोनी में 12 आवास ऐसे हैं जिनमें दिनांक 30-10-83, तक सेवा निवृत्त कर्मचारी रह रहे हैं ।

अध्यासित सेवानिवृत्त कर्मचारियों के नाम निम्नांकित हैं तथा आवास संख्या उनके नाम के सम्मुख अंकित हैं :

अध्यासी का नाम	आवास संख्या
(1) श्री दामोदर पांडेय	यू–19/1
(2) श्री वी0 बी0 सिंह	यू–18/1
(3) श्री आर0 के0 जैन	यू–15/1
(4) श्री पी0 एन0 वर्मा	यू–6/5
(5) श्री दयानन्द पाण्डे	यू–6/4
(6) श्री आर0 बी0 लाल	यू–3/1
(7) श्री आर0 ए0 सिद्दीकी	यू–4/4
(8) श्री एन0 के0 अमात्या	यू–18/5
(9) श्री एस0 डी0 पाण्डेय	यू 9/1
(10) श्री प्रेम प्रकाश सक्सेना	एल 2/9
(11) श्री शिवमूर्ति	एल–17/4
(12) श्री बी0 एम0 शर्मा	एल–16/1

उक्त आवासों को खाली कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है तथा आवास रिक्त होने पर प्रतीक्षारत कर्मचारियों को आवंटित कर दिये जायेंगे ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आजमगढ़-गोरखपुर मार्ग पर ग्राम महुला में अवैध निर्माण कराने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

88–श्री पंचानन राय–

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में स्थित आजमगढ़-गोरखपुर मार्ग पर ग्राम महुला में सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि पर किन-किन व्यक्तियों द्वारा स्थायी निर्माण कराया गया ? इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का प्रश्न दिनांक 6-4-83 जिला अधिकारी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इसमें क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री विद्या भूषण–

जनपद आजमगढ़ में आजमगढ़–दोहरीघाट–गोरखपुर मार्ग पर ग्राम महुला में सर्वश्री राम समुझ, चौथी, दशरथ, अलगू, कुम्भकरण, मुमताज व हरिहर ने अवैध रूप से स्थायी निर्माण कराया है । उक्त अवैध निर्माणों को हटाने के लिए ''यू0 पी0 रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट, 1945'' के अधीन विभाग ने उक्त सभी व्यक्तियों के विरुद्ध नोटिस जारी कर दी है ।

जी हां । उक्त पत्र पर सम्बन्धित व्यक्तियों के खिलाफ उक्त कानूनी कार्यवाही कर ली गयी है ।

श्री नरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव हसनगंज, लखनऊ के घर आर्म्ड पुलिस की तैनाती का औचित्य

89—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री नरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव पुत्र श्री राम केदार नाथ श्रीवास्तव, निवासी 130-ए, आनन्द भवन, थाना हसनगंज, लखनऊ के घर पर आर्म्ड पुलिस तैनात है? यदि हां, तो किस दिनांक से तथा किसके आदेश से? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त आर्म्ड गार्ड्स की तैनाती का पैसा श्री नरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव से वसूल किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

श्री नरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव की सुरक्षा हेतु ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ के आदेश से दिनांक 23 सितम्बर, 1982 से सशस्त्र गार्ड तैनात है । उक्त गार्ड पर होने वाला व्यय श्री श्रीवास्तव से नहीं वसूल किया गया है क्योंकि श्री श्रीवास्तव के जीवन को गम्भीर भय है तथा यह गार्ड सम्बन्धित व्यक्ति के साथ-साथ सम्पूर्ण क्षेत्र की भी देखभाल करते हैं ।

गुप्ता ब्रादर्स, सीमेंट स्टाकिस्ट, हरदोई के प्रोप्राइटर ओम प्रकाश गुप्त के विरुद्ध कथित आरोपों की जांच

90—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जाफर हुसैन पुत्र श्री राजनफर हुसैन, मो0 सिविल लाइन्स, निकट आनन्द सिनेमा न्यू फाइन आर्ट स्टूडियो, हरदोई ने गुप्ता ब्रादर्स, सीमेंट स्टाकिस्ट, निकट आनन्द सिनेमा, हरदोई के प्रोप्राइटर ओम प्रकाश गुप्त के विरुद्ध मिलावटी सीमेंट बेचने के बारे में दिनांक 8-7-82 को प्रार्थना-पत्र पुलिस अधीक्षक, हरदोई को दिया तथा उसके आधार पर कोतवाली शहर हरदोई में मुकदमा अपराध संख्या 362 सन् 82 धारा 420 आई0 पी0 सी0 व धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत कायम किया गया ? यदि हां, तो अब तक उपरोक्त प्रकरण में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां ।

इस अभियोग की विवेचना से इतना साक्ष्य नहीं मिला जिससे यह सिद्ध हो सके कि छत बनाने में वही सीमेंट प्रयोग किया गया था जो वादी श्री जाफर हुसैन ने प्रतिवादी श्री ओम प्रकाश गुप्ता से क्रय किया था । अतः साक्ष्य के अभाव में मामले में अन्तिम रिपोर्ट दिनांक 18-3-83 को प्रेषित की गयी है ।

इस मामले की जांच परगना मजिस्ट्रेट सदर हरदोई द्वारा भी की गई।

मजिस्टीरियल जांच से भी यही तथ्य प्रकाश में आया कि यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वादी श्री जाफर हुसैन ने जो 15 बोरी सीमेंट प्रतिवादी श्री ओम प्रकाश गुप्त की दुकान से क्रय की थी वही गिरी हुई सिलेव में प्रयोग की गयी थी ।

ग्राम सभा रसूलपुर विकास खण्ड शुकुल बाजार, जनपद सुल्तानपुर में वृक्षारोपण की मांग

91—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा रसूलपुर विकास खण्ड शुकुल बाजार, जिला सुल्तानपुर तालाबों एवं सड़कों, गलियारों, नहरों व बंजर भूमि पर पेड़ लगाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्या इन स्थानों पर पेड़ों को वन विभाग की ओर से लगवाने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संजय सिंह—

ग्राम सभा रसूलपुर, विकास खण्ड शुकुल बाजार, जिला सुल्तानपुर में जगदीशपुर-शुकुल बाजार सड़क के किनारे किमी0 9 से 18 तक 9,470 वृक्ष लगाये गये हैं। तालाबों, गलियारों, नहर तथा बंजर भूमि पर वृक्षारोपड़ नहीं किया गया है।

ग्राम रसूलपुर में चकबन्दी का कार्य चल रहा है। चकबन्दी का कार्य समाप्त होने के बाद भूमि उपलब्ध होने पर वृक्षारोपण किया जायेगा।

एस0 एस0 आई0 श्री कन्हैया लाल पाण्डेय के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

92—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि पुलिस महानिरीक्षक अभिसूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को जनपद जालौन के एल0 आई0 यू0 के आफिस में तैनात एस0 एस0 आई0 श्री कन्हैया लाल पाण्डेय के क्रियाकलापों से सम्बन्धित, वहां के सम्पूर्ण स्टाफ की ओर से कोई शिकायती-पत्र अभी हाल ही में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध कौन सी शिकायतें हैं तथा उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्रश्न में उल्लिखित आशय का गुमनाम शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें श्री कन्हैया लाल पाण्डेय के विरुद्ध फर्जी यात्रा भत्ता लेने तथा कार्यालय समय में अनुपस्थित रहने आदि की शिकायतें की गयीं। गुमनाम शिकायती पत्र पर सामान्यतः कोई कार्यवाही नहीं की जाती है फिर भी टिप्पणी हेतु उसे ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, जालौन को भेज दिया गया है। उनकी टिप्पणी प्राप्त हो जाने तक किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

श्री संजय गांधी पालीटेक्निक के लिए विकास खण्ड जगदीशपुर, जनपद सुल्तानपुर में भवन तथा हास्टल निर्माण की मांग

93—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या विकास खण्ड जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर में श्री संजय गांधी पालीटेक्निक का अपना कोई भवन तथा हास्टल नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार जगदीशपुर, शुकुल बाजार सरकारी मार्ग के पास जो निहालगढ़ रेलवे क्रासिंग एवं गऊघाट पुल (रसूलपुर) के मध्यवर्ती जमीन पड़ी है, पर उक्त पालिटेक्निक हेतु भवन तथा हास्टल निर्मित करने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री–

विकास खण्ड जगदीशपुर जिला सुल्तानपुर में श्री संजय गांधी पोलीटेक्निक का अभी अपना कोई भवन तथा होस्टल नहीं है । इस संस्था के लिए भवन निर्माण हेतु यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0 के औद्योगिक क्षेत्र जगदीशपुर से 20 एकड़ भूमि प्राप्त की जा चुकी है । इसी पर भवन निर्माण कराया जायगा । अब अन्यत्र भूमि प्राप्त करने का प्रश्न नहीं है ।

94–श्री राम आसरे वर्मा–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

तदर्थ वैयक्तिक सहायकों की ज्येष्ठता/विनियमितीकरण की प्रकाशित सूची के विरुद्ध प्रत्यावेदन

95–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिवालय प्रशासन अधिष्ठान अनुभाग–2 के ज्ञाप संख्या 265/20–ई–2–1982, दिनांक 14 जनवरी, 1982 द्वारा 240 तदर्थ वैयक्तिक सहायकों को विनियमितीकरण करते हुए ज्येष्ठता सूची प्रसारित की गयी है? क्या ज्येष्ठता/विनियमितीकरण करने से पूर्व कार्मिक विभाग, न्याय विभाग से राय ली गयी थी ? क्या यह सही है कि कुछ वैयक्तिक सहायकों ने अपना प्रत्यावेदन प्रशासकीय विभाग को 1982 में दिये थे ? यदि हां, तो क्या उन पर कोई निर्णय लेकर प्रत्यावेदकों को अवगत कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र–

जी हां ।

आवश्यकता नहीं थी ।

जी हां ।

जी नहीं । प्रत्यावेदनों पर इस कारण निर्णय नहीं लिया जा सका क्योंकि विनियमितीकरण/ज्येष्ठता निर्धारण के सिद्धांत एवं उसकी वैधता के विरुद्ध प्रत्यावेदन प्राप्त हो गया था तथा उस पर विचार किया जा रहा था । इस सम्बन्ध में निर्णय हो चुका है तथा प्रत्यावेदकों के इन्डिविजुअल प्रत्यावेदनों पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जा रहा है तथा शीघ्र ही उन्हें निर्णय से अवगत करा दिया जायेगा ।

लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित, उत्तर प्रदेश सचिवालय प्रवर वर्ग सहायक परीक्षा 1981 से वंचित अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदनों पर विचार

96–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश सचिवालय प्रवर वर्ग सहायक परीक्षा, 1981 में कुछ अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र जारी नहीं किये गये, जिससे वे उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने से रह गये? क्या इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ के आदेशानुसार उक्त कर्मचारियों ने दिसम्बर, 1981 में शासन एवं लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद को प्रत्यावेदन दिया था तथा अनेक अनुस्मारक भी दिये हैं ? यदि हां, तो क्या अनुपूरक परीक्षा आयोजित की गयी? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अगली परीक्षा में ऐसे प्रत्यावेदक कर्मचारियों को सम्मिलित किये जाने का सरकार आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र–

प्रश्न में उल्लिखित विषय, उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ में विचाराधीन एक रिट याचिका संख्या 2424/1983 में विवादित है। अतएव जनहित में प्रश्न का उत्तर दिया जाना उचित नहीं है।

श्री मदन सिंह द्वारा थाना छावनी, जनपद कानपुर में दर्ज मुकदमा

97–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि श्री मदन सिंह 109, 313/ए, रामकृष्ण नगर, कानपुर ने दिनांक 3–2–80 को एक मुकदमा अपराध संख्या 112 के अन्तर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 का पुलिस थाना छावनी, जनपद कानपुर में दर्ज कराया था? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीपति मिश्र–

जी हां, प्रथम सूचना पंजीकृत करायी गयी थी। उक्त अभियोग में साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी जो न्यायालय द्वारा स्वीकृत की गयी।

जनपद आजमगढ़ स्थित ग्राम दुर्वासा के समीप टोंस नदी पर पुल के निर्माण के संबंध में कथित निर्णय

98–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ स्थित दुर्वासा (फूलपुर) समीप टोंस नदी पर पुल के निर्माण के सम्बन्ध में शासन द्वारा कोई निर्णय हाल ही में लिया गया है ? यदि हां, तो पुल का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ होगा और कब तक पूर्ण हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री विद्या भूषण–

जी, नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

धनाभाव के कारण।

श्री विजय नरेश मित्तल, अधिशासी अभियन्ता के निवास स्थान से सरकारी जीप की चोरी, वसूली के आदेश

99–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ विद्युत खण्ड एक के तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता श्री मित्तल द्वारा 1980 में सरकारी जीप हड़पने का कोई प्रकरण हुआ था जिसकी जांच के उपरान्त उनसे जीप रिकवरी के आदेश हुए थे? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या उन्हें चार्जशीट दी गयी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण–

श्री विजय नरेश मित्तल, अधिशासी अभियन्ता के निवास स्थान से सरकारी जीप संख्या–यू0आर0ए0-7768 दिनांक 9-10 जून, 1980 की रात्रि में चोरी चली गयी थी। श्री मित्तल के विरुद्ध आरोप पत्र देकर विधिवत जांच करायी गयी। जांच आख्या पर सम्यक विचारोपरान्त श्री मित्तल से 20,000.00 रुपये (बीस हजार रुपये मात्र) की वसूली के आदेश कर दिये गये हैं।

गौरा दुर्वासा राज मार्ग, जनपद आजमगढ़ का निर्माण

100—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में कप्तानगंज, गौरा-दुर्वासा राज मार्ग, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्माणाधीन है? यदि हां, तो वह कब तक पूर्ण हो जायेगा ? प्रश्नगत राजमार्ग के निर्माण हेतु शासन द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गयी है ? तथा प्रश्नगत मार्ग के निर्माण कार्य को अब तक पूर्ण न होने के क्या कारण हैं ?

श्री विद्या भूषण—

इस मार्ग की 23.00 कि0मी0 लम्बाई में से केवल 8.00 कि0मी0 का निर्माण स्वीकृत है जो पूर्ण हो चुका है । प्रथम 6 कि0मी0 सितम्बर, 72 में, 7वां कि0मी0 दिसम्बर, 76 में तथा 8वां कि0मी0 दिसम्बर, 79 में स्वीकृत हुआ था ।

मुख्य विद्युत निरीक्षणालय, लखनऊ में आशुलिपिक के चयन हेतु आयोजित परीक्षा

101—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य विद्युत निरीक्षणालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ में आशुलिपिक पद पर चयन हेतु दिसम्बर, 1982 या उसके आस-पास कोई परीक्षा आयोजित की गयी थी? यदि हां, तो क्या विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के लिए कोई कोटा फिक्स था ? यदि हां, तो कितने विभागीय कर्मचारियों का चुनाव हुआ? यदि नहीं, तो कोटा फिक्स न करने का क्या कारण था ? क्या सरकार ऐसी लिस्ट को निरस्त करने पर विचार करेगी ? क्या उपर्युक्त परीक्षा में विभागीय तथा सामान्य अभ्यर्थियों को अलग-अलग श्रुतिलेख दिया गया? क्या इस विषय में विभागीय अभ्यर्थियों ने कोई प्रार्थना-पत्र दिया था ? यदि हां, तो उसमें क्या शिकायतें थीं तथा उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री ब्रह्मदत्त—

जी हां, विभागीय कर्मचारियों को कोई कोटा निर्धारित नहीं था । क्योंकि विद्युत निरीक्षणालय लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली 1973 में उक्त पद हेतु कोई विभागीय कोटा निर्धारित करने का प्राविधान नहीं है अस्तु चयन सूची निरस्त करने का प्रश्न नहीं उठता । विभागीय एवं सामान्य अभ्यर्थियों को अलग-अलग श्रुतिलेख नहीं दिये गये थे। 17 विभागीय कर्मचारियों में से 3 लोगों ने प्रार्थना-पत्र दिये थे जिसमें यह मांग की थी कि विभागीय कर्मचारी होने के नाते उन्हें श्रुतिलेख परीक्षा में सामान्य अभ्यर्थियों की अपेक्षा शिथिलता बरती जाय। चूंकि उक्त सेवा नियमावली में विभागीय कर्मचारियों को किसी प्रकार की छूट दिये जाने का प्राविधान नहीं है, अस्तु उनके प्रार्थना पत्रों को विचारोपरान्त अस्वीकृत कर दिया गया।

अकबरपुर राज्य कताई मिल के श्रमिकों का हाजिरी रजिस्टर थाना सम्मनपुर की पुलिस द्वारा कब्जे में लिया जाना

102—श्री प्रियदर्शी जेतली—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह जून व जुलाई, 1983 में किसी विधायक का पत्र गृह सचिव को इस आशय का प्राप्त हुआ है कि जिला फैजाबाद स्थित थाना सम्मनपुर पुलिस द्वारा अकबरपुर राज्य कताई मिल के श्रमिकों का हाजिरी रजिस्टर अपने कब्जे में लिया गया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? उक्त रजिस्टर पुलिस द्वारा अपने कब्जे में कब और क्यों लिया गया है?

श्री श्रीपति मिश्र–

जी हां । जांच कराई गयी । प्रश्नगत रजिस्टर को पुलिस ने दिनांक 7 फरवरी, 1982 को थाना–सम्मनपुर पर दर्ज अपराध संख्या –147/81 धारा–396 भा0द0 वि0 के विषय में न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिये अपने कब्जे में लिया है ।

टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना, फैजाबाद में बालाजी कम्पनी खण्ड की सतर्कता विभाग द्वारा जांच

103–श्री प्रियदर्शी जेतली–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1983 के प्रथम मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 78 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दोषी पाये गये अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध अलग-अलग क्या-क्या आरोप सिद्ध पाये गये ? क्या यह भी सही है कि जांच परिषद् ने अपनी जांच में बालाजी कम्पनी का कहीं भी होना नहीं पाया है?

श्री ब्रह्मदत्त–

उक्त प्रश्न के उत्तर में यह पहले ही बताया गया है कि सतर्कता विभाग द्वारा खुली जांच आरम्भ किये जाने के कारण दोषी पाये गये अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही स्थगित कर दी गयी है। अतः आरोपों के सिद्ध होने का प्रश्न नहीं उठता । उक्त जांच में बालाजी कम्पनी के अस्तित्व से इन्कार नहीं किया गया है।

श्री रामसुधि यादव निवासी ग्राम सिवारालाला, जिला बस्ती की हत्या तथा अभियुक्तों को गिरफ्तार किये जाने की कार्यवाही

104–श्री मित्रसेन–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री रामसुधि यादव निवासी ग्राम सिवारालाला, थाना छावनी, जिला बस्ती की हत्या दिनांक 21-9-83 को इसी ग्राम के निवासी श्री रामशंकर सिंह, शिव पूजन सिंह और कौशल किशोर सिंह आदि ने दिन दहाड़े गोली मारकर कर दी है और हत्यारे तथा उनके सहयोगी अब भी मृतक परिवार के लोगों को आतंकित कर रहे हैं? यदि हां, तो उनकी गिरफ्तारी न किये जाने तथा लाइसेन्स निरस्त न किये जाने का क्या कारण है? अब तक इस सन्दर्भ में क्या कार्यवाही की गयी?

श्री श्रीपति मिश्र–

प्राप्त सूचना के अनुसार यह सही है कि श्री रामसुधि यादव की हत्या दिनांक 21-9-83 को प्रश्नगत अभियुक्तों द्वारा की गयी थी परन्तु मृतक परिवार के लोगों को अभियुक्तों द्वारा आतंकित किये जाने की बात सही नहीं है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु हर सम्भव स्थानों पर पुलिस द्वारा दबिश दी गयी। फलस्वरूप सभी अभियुक्तों ने दिनांक 24 व 26 सितम्बर, 1983 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया तथा उन्हें जेल भेजा गया। अभियुक्त रामशंकर सिंह के नाम की एक नाली बन्दूक का लाइसेन्स निरस्त करने हेतु दिनांक 1-10-83 को ही कार्यवाही की जा चुकी है जिसके फलस्वरूप रामशंकर सिंह ने अपनी लाइसेन्सी बन्दूक को आग्नेयास्त्र की दुकान में जमा कर दिया है। विवेचनोपरान्त सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र 19-10-83 को न्यायालय प्रेषित किया गया है।

बाराबंकी कारागार से श्री अजय सिंह, विचाराधीन बन्दी द्वारा भेजे गये पत्र की फोटो स्टेट कापी के तथ्यों की जांच

105—श्री श्यामलाल वाजपेयी—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के तीसरे मंगल के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-111 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 30-8-82 को मुख्य मंत्री को दिए गये पत्र के सम्बन्ध में 7-11-83 तक क्या कार्यवाही हुई ? प्रेषित पत्र के तथ्यों की जांच किस अधिकारी ने अथवा एजेंसी ने किया ? सम्बन्धित विषय में कौन-कौन व्यक्ति दोषी पाए गये ? क्या उन पर कोई कार्यवाही हुई ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत मामले की जांच अपराध अनुसंधान विभाग के एक पुलिस उप अधीक्षक द्वारा की गयी जिसमें दिनांक 7-11-83 तक प्रायः सभी सम्बन्धित साक्षियों के साक्ष्य लिये गये थे। जांच 27-12-83 को पूर्ण की जा चुकी है इस जांच में कोई व्यक्ति दोषी नहीं पाया गया है । अतः किसी के भी विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम सरावल, जिला एटा में तस्कर श्री मेघसिंह के काले धन की जांच

106—श्री विष्णुदयाल वर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री लाखन सिंह नि0 कुल्ली, थाना सिढ़पुरा, जिला एटा का प्रार्थना पत्र दिनांक 12-9-83 जिसमें ग्राम सरावल, थाना सिढ़पुर, जिला एटा में तस्कर मेघसिंह पुत्र मुकुन्दी शाक्य के करीब 15 लाख रु0 काले धन की जांच कराने की मांग की गई, मुख्य मंत्री, निदेशक, सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ, आयकर अधिकारी, एटा को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर जांच किसके माध्यम से कराई गयी और जांच का क्या परिणाम निकला ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री गजराज सिंह, निवासी ग्राम धर्मपुरा, एटा के प्रार्थना पत्र पर जांच

107—श्री विष्णु दयाल वर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री गजराज सिंह शाक्य निवासी धर्मपुरा, थाना सिढ़पुरा, जिला एटा का प्रार्थना-पत्र दिनांक 12-9-83 जिसमें ग्राम सरावल, थाना सिढ़पुरा, जिला एटा के अन्तर्गत अघन्य अपराधी एवं उनके पोषण कर्त्ताओं की जांच और उचित कार्यवाही करने की मांग की गयी है, मुख्य मंत्री, गृह सचिव, निदेशक सतर्कता अधिष्ठान, लखनऊ व ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, एटा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर जांच किसके माध्यम से करायी गयी और जांच का क्या परिणाम निकला ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीपति मिश्र--

मा0 मुख्य मंत्री को सम्बोधित तथा अन्य को पृष्ठांकित श्री गजराज सिंह, निवासी ग्राम धर्मपुरा, थाना सिढ़पुरा, जनपद एटा का प्रार्थना-पत्र दिनांक 12-9-83 शासन को प्राप्त हुआ था । इसमें उल्लिखित आरोपों की जांच पुलिस के राजपत्रित अधिकारी से करायी गयी और जांच से आरोपों की पुष्टि नहीं हुई । इसकी जांच परगना मजिस्ट्रेट द्वारा भी करायी जा रही है ।

सूचना विभाग में उर्दू सेल की स्थापना

108–श्री मोहम्मद अबरार अहमद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत अप्रैल, 82 में उर्दू एडीटर्स एण्ड पब्लिशर्स कांफ्रेंस में तत्कालीन मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) ने सूचना विभाग में उर्दू सेल बनाए जाने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो इस संबंध में शासन ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां ।

सूचना विभाग में उर्दू सेल की स्थापना कर दी गयी है ।

जनपद बदायूं में सैदपुर करेंगी मार्ग पर निर्माण कार्य तथा सड़कों के निर्माण में ब्लाक वार धन आवंटन

109–श्री मोहम्मद अबरार अहमद–

विधान सभा में द्वितीय सत्र 1981 में प्रश्नकर्त्ता के दूसरे मंगल के लिए अता0प्र0सं0 193 के सन्दर्भ में क्या सा0नि0वि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं में सैदपुर करेंगी मार्ग का निर्माण कार्य धनाभाव के कारण अधूरा रह गया था ? वह कब तक पूरा होने की आशा है ? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि विगत वित्तीय वर्ष एवं चालू वित्तीय वर्ष में शासन ने जनपद बदायूं को सा0नि0वि0 को सड़कों के निर्माण हेतु प्रत्येक ब्लाक को कितना-कितना धन आवंटित किया है ?

श्री विद्या भूषण--

पूर्व प्रश्न संख्या-193 के उत्तर में सड़क के पांच किलोमीटर के जिस भाग का निर्माण अपूर्ण बताया गया था वह मई, 1983 में पूर्ण हो गया है ।

सैदपुर-करेंगी मार्ग के कि0मी0 8 से 12 का निर्माण भी स्वीकृत हो गया है और उस पर कार्य प्रगति पर है। सड़क पूर्ण होना धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

ब्लाक वार धन आवंटन का निम्न प्रकार है:—

क्र0 सं0	ब्लाक का नाम	वर्ष 82-83 में आवंटित धनराशि लाख रु0 में	वर्ष 83-84 में आवंटित धनराशि लाख रुपये
1	2	3	4
	1—आसफपुर	6.06	5.49
	2—अम्बियापुर	7.97	13.60
	3—इस्लामनगर	6.86	12.37
	4—बिसौली	14.90	5.98
	5—वजीरगंज	7.16	5.46
	6—रजपुरा	11.01	7.79
	7—जूनापई	2.29	2.95
	8—गुन्नौर	1.00	1.55
	9—उझानी	4.79	9.57
	10—सहसवान	4.44	2.21
	11—कादर चौक	3.89	7.61
	12—दहगवां	7.98	6.47
	13—जगत	3.28	3.05
	14—भ्याऊ	10.90	10.70
	15—सलारपुर	1.31	7.62
	16—समरेर	5.83	5.85
	17—दातागंज	4.91	2.15
	18—उरावा	6.07	6.74

जिला स्टेरिंग कमेटी द्वारा जनपद बुलन्दशहर के लिए सड़कों के बारे में प्रस्ताव

110—श्री किरन पाल सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 83-84 के लिए जिला स्टेरिंग कमेटी द्वारा जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बुलन्दशहर के लिए सड़कों के बारे में जो प्रस्ताव प्रदेश सरकार के पास भेजे गए थे उन सभी प्रस्तावों को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निरस्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण—

जी हां ।

जनपद बुलन्दशहर को, 1983-84 के लिये, आवंटित परिव्यय, उक्त वर्ष में अधिनीत कार्यों की लागत के 50 प्रतिशत से कम है ।

श्री वी0बी0 सिन्हा की आयुक्त मुरादाबाद मण्डल के पद पर नियुक्ति

111—श्री जितेन्द्रपाल सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्री वी0 बी0 सिन्हा, जिलाधिकारी, मुरादाबाद को जिला अधिकारी कार्यकाल में आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद नियुक्त किया गया था? यदि हां, तो वह नियुक्ति किस तारीख से किस तारीख के लिए की गयी थी तथा इस नियुक्ति का आदेश शासन द्वारा किस तारीख में पारित किया गया व इस आदेश की विज्ञप्ति (नोटीफिकेशन) नं0 व दिनांक क्या है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां ।

श्री वी0 बी0 सिन्हा को आयुक्त मुरादाबाद मण्डल के पद पर दिनांक 4 मई, अपराह्न से 6 जून, 1981 पूर्वाह्न तक एवं दिनांक 22 जनवरी से 15 जून, 1982 तक नियुक्त किया गया। इस संबंध में आदेश क्रमशः दिनांक 4 मई, 1981 तथा 15 जनवरी, 1982 को प्रसारित किये गये और विज्ञप्ति संख्या-6373/दो-1-81-4/। (65)/80 दिनांक18 अगस्त, 1981 तथा संख्या-4480/दो-1-4/1 (65)/80 दिनांक 21 अगस्त, 1982 जारी की गई ।

मंत्रियों तथा विशिष्ट व्यक्तियों के आवास पर आवंटित रंगीन टी0 वी0 सेटों का वितरण

112—श्री मित्रसेन—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जन सम्पर्क विभाग ने सार्वजनिक संस्थाओं, स्कूलों और सूचना केन्द्रों के लिए एशियाड दिखाने हेतु रंगीन टी0 वी0 सेट खरीदे थे ? क्या यह सही है कि उन्हें सार्वजनिक संस्थाओं एवं सूचना केन्द्रों पर न लगाकर मंत्रियों एवं अधिकारियों के यहां लगाया गया? यदि हां, तो किसके आदेश से ये सेट लगाए गये और खरीदे गये टी0वी0 सेटों की कुल लागत क्या थी?

श्री सूचना राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)—

वस्तुतः मंत्रियों तथा विशिष्ट व्यक्तियों के आवास पर पूर्व में आवंटित ब्लैक एण्ड व्हाइट टेलिविजन सेटों के स्थान पर रंगीन टेलीविजन सेटों की व्यवस्था होनी थी ।

संयोगवश, यह व्यवस्था "एशियाड" के अवसर पर ही सम्पन्न हो सकी । ये सेट सूचना-निदेशक, उत्तर प्रदेश को, उपयोग में लाए जाने हेतु, दिए गए थे । इन टी0 वी0 सेटों के वितरण की सूची संलग्न है । इन रंगीन टी0 वी0 सेटों की कुल लागत रु0 3,24,555.40 थी ।

(देखिये नत्थी "घ" आगे पृष्ठ 1430—1431 पर।)

ग्राम बड़ी अकोहरी, जनपद उन्नाव में हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण

113—श्री गौरीशंकर भैय्या—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बड़ी अकोहरी, परगना मौरावां, तह0 पुरवा, जनपद उन्नाव के हरिजन बस्ती में विद्युतीकरण नहीं किया गया है जबकि अन्य मोहल्लों में विद्युतीकरण कर दिया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है।

श्री ब्रह्मदत्त—

जनपद उन्नाव में बड़ी अकोहरी ग्राम अकोहरी का मजरा है, जिसमें 5 हरिजन बस्तियों में से 4 का विद्युतीकरण कर दिया गया है । पांचवी हरिजन बस्ती बिजली की समीपतम लाइन से लगभग 300 मीटर की दूरी पर है। इस कारण आर्थिक आधार पर इसका विद्युतीकरण अभी सम्भव नहीं है ।

उ0प्र0 निर्माण निगम में चयनित स्टोरकीपरों का जारी किये गये नियुक्ति-पत्र

114—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 निर्माण निगम में चयनित स्नातक स्टोरकीपर बेरोजगार हैं ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है कि 26-12-81 को चयन लिस्ट प्रकाशित होने के उपरान्त अब तक प्रति-नियुक्त स्टोर कीपरों को पैत्रिक विभाग में नहीं भेजा गया है? क्या निगम की इस उपेक्षा को दूर करके शासन चयनित 42 स्टोरकीपरों को रोजगार प्रदान करेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री विद्या भूषण—

जी नहीं ।

सभी चयनित 42 स्टोरकीपरों को नियुक्ति पत्र जारी किये चुके हैं ।

विकास खण्ड जैतीपुर तथा तिलहर में हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण की मांग

115—श्री सत्यपाल सिंह—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1983-84 में जिला शाहजहांपुर में स्वीकृत हरिजन बस्ती की विद्युतीकरण की सूची में विकास खण्ड जैतीपुर तथा तिलहर की कोई भी हरिजन बस्ती ग्रामों को न लिए जाने का क्या कारण है, जबकि जनपद के विकास खण्डों में कुछ हरिजन बस्तियां विद्युतीकरण हेतु ली गई हैं ?

श्री ब्रह्मदत्त—

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जैतीपुर तथा तिलहर में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा कोई स्वीकृत योजना नहीं है । इस कारण उपरोक्त विकास खण्डों के किसी भी ग्राम व उसकी हरिजन बस्ती का एल0 टी0 लाइन बिछाकर विद्युतीकरण का कार्य राजकीय सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जा सकता है अगर ग्रामवासियों से प्राप्त प्रार्थना-पत्रों के आधार पर कम से कम 15 प्रतिशत प्रस्तावित वार्षिक प्रतिलाभ प्राप्त हो सके और 10 प्रतिशत प्रतिलाभ के बराबर ग्रामवासी अनुबन्ध कर लें । अब तक इन विकास खण्डों से किसी भी ग्राम के ग्रामवासियों से प्रार्थना-पत्र नहीं प्राप्त हुए हैं जिससे कि परिषद के उपरोक्त नियमानुसार ग्राम तथा हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण किया जा सके ।

केवल उन्हीं हरिजन ग्रामों/बस्तियों का वर्ष 1983-84 में विद्युतीकरण चयन किया गया है जहां से समुचित मात्रा में कनेक्शन लेने हेतु प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं अथवा वे ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत योजना में सम्मिलित हैं ।

जनपद शाहजहांपुर की अन्य तहसीलों में रात्रि में दो फेज विद्युत की व्यवस्था की मांग

116—श्री सत्यपाल सिंह—

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला शाहजहांपुर की तहसील पुवायां में रात्रि के समय दो फेज की आपूर्ति वर्ष भर की जाती है, जबकि जनपद की अन्य तहसीलों में सप्ताहवार की जाती है ? क्या सरकार दो फेज विद्युत की आपूर्ति अन्य तहसीलों में करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त—

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् की नीति के अनुसार जिन गांवों/नगरों की आबादी 1971 की जनगणना के अनुसार 10,000 से अधिक थी अथवा वह टाउन एरिया थे अथवा 1981 की जनगणना के अनुसार आबादी 15,000 से अधिक थी उनको द्वितीय श्रेणी के नगरों के समान रात्रि के समय प्रकाश हेतु 2 फेज विद्युत की व्यवस्था है। नगर (जिला शाहजहांपुर) भी इसी श्रेणी में आता है।

शेष सभी गांव/तहसील एवं नगर जो उपरोक्त श्रेणी में नहीं आते हैं, उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों की भांति साप्ताहिक चक्रीय कार्यक्रम के अनुसार रात एवं दिन में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार रात में 8 घंटा तथा दिन में 6 घंटा है। विद्युत आपूर्ति की जाती है। वर्तमान विद्युत की उपलब्धता को देखते हुये शाहजहांपुर जनपद की अन्य तहसीलों में दो फेज प्रकाश हेतु रात्रि में विद्युत आपूर्ति कर पाना सम्भव नहीं है ।

ग्राम गिर्द बड़गांव, तहसील ज्ञानपुर में कृषकों की ली गयी कथित भूमि

117—श्री पंचानन राय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बनारस जनपद में स्थित महराजगंज चौरी मार्ग में ग्राम गिर्द बड़गांव, तहसील ज्ञानपुर, जनपद वाराणसी के किन-किन किसानों की जमीन ली गयी है तथा उनमें से किन-किन किसानों को मुआवजा दे दिया गया है ? क्या यह सही है कि चक नं0 13 के भू-स्वामी श्री अजीत सिंह को मुआवजे का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है ? यदि हां, तो इनका भुगतान कब तक करा दिया जायगा ?

श्री विद्या भूषण—

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जनपद वाराणसी में स्थित महराजगंज चौरी मार्ग हेतु ग्राम गिर्द बड़गांव तहसील ज्ञानपुर के किसी किसान की भूमि अध्यापित नहीं की गयी है । अतः इस विभाग द्वारा किसी को मुआवजा दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री शिव शंकर लाल अग्निहोत्री, यूपिका भवन, कानपुर का कथित शिकायती पत्र

118—श्री पंचानन राय—

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एच0 बी0 टी0 आई0 कानपुर के निर्देशक के विरुद्ध श्री शिवशंकर लाल अग्निहोत्री यूपिका भवन, कानपुर का शिकायती-पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 11-7-83 के साथ मुख्य मन्त्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रमुख शिकायतें क्या हैं और उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सुनील शास्त्री—

प्रश्नकर्ता का उक्त पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

शेष प्रश्न का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सेवा मुक्त होने के बाद री-इम्प्लायमेन्ट न दिये जाने के निर्देश

119—श्री रियासत हुसैन—

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि प्रधान मन्त्री भारत सरकार का कोई पत्र उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त हुआ है, जिसमें यह निर्देश दिया गया है, कि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को सेवा मुक्त होने के बाद री-इम्प्लायमेन्ट या एक्सटेन्शन न दिया जाय ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उस निर्देश की अवहेलना करके उत्तर प्रदेश में कुछ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सेवा मुक्त होने के बाद री-इम्प्लायमेंट या एक्सटेन्शन दिया गया है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सरकारी खजाने पर खुली डकैती के सम्बन्ध में शिकायती पत्र

120—श्री रियासत हुसैन—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 17-5-83 सा0नि0वि0 गोण्डा द्वारा सरकारी खजाने पर खुली डकैती के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्री एवं सा0नि0 मन्त्री को प्राप्त हुआ है जिसमें विस्तृत रूप से भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप एवं शिकायतें थीं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री विद्या भूषण—

जी हां ।

प्रश्नगत शिकायती पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच की जा रही है ।

सचिवालय में प्रवर वर्ग सहायक सन्दर्भदाता के विभागीय कोटे, रिक्त पद तथा स्थायीकरण पर विचार

121—श्री रियासत हुसैन—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में इस समय प्रवर वर्ग सहायक सन्दर्भदाता के विभागीय कोटे के कुल कितने पद रिक्त हैं और यह पद कब से रिक्त हैं तथा इन पदों के विरुद्ध समय से स्थायीकरण की कार्यवाही न किए जाने का क्या कारण है ? इन पदों को भरने की कार्यवाही में अभी कितना समय और लगेगा ?

श्री श्रीपति मिश्र—

उत्तर प्रदेश सचिवालय में प्रवर वर्ग सहायक संवर्ग में विभागीय कोटे की रिक्तियों को भरे जाने का मामला उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ में लम्बित रिट याचिकाओं में विवादित है, अतएव जनहित में प्रश्न के संबंधित अंश का उत्तर देना उचित नहीं है ।

संदर्भदाता संवर्ग में सम्प्रति लगभग 237 स्थायी पद रिक्त हैं । ये पद 1-7-77 या उसके बाद की तिथियों से रिक्त हैं । इन पदों पर चयन की कार्यवाही लोक सेवा आयोग के विचाराधीन है । पद यथानियम, यथाक्रम भरे जायेंगे ।

122—श्री रियासत हुसैन—

क्या मुख्य मन्त्री यह भी बतायेंगे कि जनवरी, 1978 से जुलाई, 1982 तक प्रवर वर्ग सहायक/सन्दर्भदाता के विभागीय कोटे के कितने कर्मचारियों को स्थायी किया गया तथा उन कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है, जो इस बीच स्थायीकरण का लाभ पाने के पूर्व ही रिटायर हो गए ? क्या विभागीय कोटे के उक्त कर्मचारियों की वरिष्ठता संख्या निर्धारित कर दी गयी है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री श्रीपति मिश्र—

उत्तर प्रदेश सचिवालय में प्रवर वर्ग सहायक संवर्ग में विभागीय कोटे की रिक्तियों को भरे जाने का मामला उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ में लम्बित रिट याचिकाओं में विवादित है, अतएव जनहित में प्रश्न के संबंधित अंश का उत्तर देना उचित नहीं है ।

संदर्भदाता में जनवरी, 1978 से जुलाई, 1982 तक उपलब्ध होने वाली स्थायी रिक्तियों में अभी तक स्थायीकरण नहीं किया गया है । सेवा निवृत्त हो गए पात्र अभ्यर्थियों को उपयुक्त पाये जाने पर रिक्तियों की उपलब्धतानुसार उनके सेवा-निवृत्त होने के पूर्व की तिथि से नियमानुसार स्थायी किया जाता है । चयन का परिणाम घोषित होने के पश्चात् नियमानुसार ज्येष्ठता निर्धारित की जाती है ।

सचिवालय में कार्यरत प्रवर वर्ग सहायक, अवर वर्ग सहायक टंकक सम्वर्ग के कर्मचारियों को अपेक्षित सरकारी आवास उपलब्ध कराने की मांग

123—श्री मित्रसेन—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में कार्यरत प्रवर वर्ग सहायक, अवर वर्ग सहायक तथा टंकक सम्वर्ग के कर्मचारियों को क्रमशः 3 कमरे 2 कमरे का सरकारी आवास आवंटित किये जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो प्रवर वर्ग सहायकों, अवर वर्ग सहायकों तथा टंककों जिन्हें एक कमरे का आवास आवंटित किया गया है, उनको बदलकर क्या सरकार उन्हें अपेक्षित आवास उपलब्ध करा देने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां ।

कर्मचारियों द्वारा दी गयी वरीयता के अनुसार आवासों की उपलब्धता के आधार पर प्रतीक्षा सूची में क्रम आने पर अपेक्षित आवास उपलब्ध कराये जा सकेंगे ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मत्स्य विभाग में मत्स्य विकास कार्यकर्ताओं के पदों पर चयन करने हेतु समाचार पत्रों में निकाला गया विज्ञापन

124—श्री मित्रसेन—

क्या पशुधन तथा मत्स्य विकास मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि लगभग एक साल पहले मत्स्य निदेशालय से फील्ड डेवलपमेंट आफीसर्स, सुपरवाइजर्स आदि कर्मचारियों के चयन के लिए समाचार-पत्रों में विज्ञाप्पन निकलवा कर प्रार्थना-पत्र मंगाए गए थे, परन्तु बाद में श्रम विभाग की इस आपत्ति पर कि प्रार्थना-पत्र जिलों के सेवा-योजन अधिकारियों द्वारा मंगाया जाना चाहिए था, शासन ने चयन की कार्यवाही अगले आदेश तक रोक दी थी ? यदि हां, तो क्या शासन निदेशालय द्वारा मंगाए गए सभी प्रार्थना-पत्र जिनमें सेवायोजन कार्यालयों का रजिस्ट्रेशन नम्बर अंकित है, निदे-शालय को चयन का आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संजय सिंह—

मत्स्य विभाग में मत्स्य विकास कार्यकर्ताओं के पदों पर चयन करके भरने के लिये निदेशक मत्स्य द्वारा मई 1981 में विज्ञापन निकाले गये थे। इस सम्बन्ध में सेवायोजन कार्यालय ने विज्ञापन के आधार पर सीधी भर्ती किये जाने पर आपत्ति की थी और निदेशक मत्स्य को सूचित किया था कि चयन केवल सेवायोजन कार्यालय से नामों की सूची मांग कर ही किया जा सकता है । इस आपत्ति को दृष्टि में रखते हुये निदेशक द्वारा विज्ञापन को निरस्त कर दिया गया था और सम्बन्धित उप निदेशकों तथा जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये कि प्रश्नगत पदों के लिये सेवायोजन कार्या-लयों से सूची मांग कर अपने-अपने क्षेत्र में चयन कर लें । यह चयन की कार्यवाही उस समय की गयी । अब शासन द्वारा चयन के लिये कोई आदेश देने का प्रश्न नहीं उठता है ।

चोपन, जनपद मिर्जापुर में सोन नदी पर निर्मित पुल की लागत

125—श्री मित्रसेन—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि चोपन, जनपद मिर्जापुर में सोन नदी पर निर्मित पुल की लागत क्या है और अब तक की कुल टोल टैक्स से वसूल धनराशि क्या है ? क्या इस पुल की टोल टैक्स की वसूली ठेके पर की जा रही है ? यदि हां, तो यह टैक्स कब तक वसूल किया जाता रहेगा ?

श्री विद्या भूषण—

चोपन, जनपद मिर्जापुर में सोन नदी पर निर्मित पुल की लागत 50 लाख रुपये है और दिसम्बर 1983 तक इस पुल पर रु0 2,88,19,134.25 का पथकर वसूल हुआ है । इस पुल पर पथकर वसूली ठेके पर की जा रही है । पथकर, अधिसूचना सं0 2174/23—सा0नि0 दो—62/76 दिनांक 2-6-76 के प्रस्तर 3 के अनुसार, उस समय तक वसूल किया जायगा जब तक कि पुल के निर्माण की कुल लागत व उस पर ब्याज व रख रखाव पर व्यय पूर्ण रूप से वसूल न हो जाय।

थाना इनायतनगर में बढ़ती हुई अपराध स्थिति से संबंधित शिकायती पत्र

126—श्री मित्रसेन—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का जिला कारागार, फैजाबाद के माध्यम से प्रेषित कोई शिकायती-पत्र श्री फरहत अली आयुक्त, फैजाबाद को दिनांक 29-11-82 को प्राप्त हुआ है, जो थाना इनायत नगर में बढ़ती हुई अपराध स्थिति से सम्बन्धित है ? यदि हां, तो उनके अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या मेमो/बे0स0 दिनांक 2 दिसम्बर, 1982 के सन्दर्भ में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां प्रश्नगत मामले की जांच क्षेत्राधिकारी, बीकापुर द्वारा करायी गयी । जांचोपरान्त पुलिस के विरुद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं हुए । श्री रूप चन्द्र थानाध्यक्ष इनायत नगर का स्थानान्तरण अन्यत्र कर दिया गया ।

स्वर्गीय श्री पुष्कर सिंह नेगी, लाइनमैन, विद्युत वितरण खण्ड की पत्नी को पेंशन, ग्रेच्युटी का भुगतान

127—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वर्गीय श्री पुष्कर सिंह नेगी, विद्युत वितरण खंड, गोपेश्वर, चमोली के अधीन अगस्तमुनि में लाइनमैन पद पर कार्यरत थे, जहां दिनांक 22 अगस्त, 1979 को सेवाकाल के दौरान उनकी मृत्यु हुई है? यदि हां, तो उनके सामूहिक बीमा, पेंशन, ग्रेच्युटी, भविष्य निर्वाह निधि का भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो कब तक भुगतान कर दिया जायगा?

श्री ब्रह्मदत्त–

जी हां। मृतक के सामूहिक बीमा की धनराशि रु0 12,406.31 उनकी पत्नी श्रीमती रेवती देवी को तहसीलदार, कर्ण प्रयाग द्वारा भुगतान कर दी गयी है।

मृतक श्री नेगी ई0 पी0 एफ0 या जी0 पी0 एफ0 के सदस्य नहीं थे इसलिए पारिवारिक पेंशन भी स्वीकृत कर दी गयी है तथा रु0 1,368/- की धनराशि स्वीकृत ग्रेच्युटी के रूप में दे दी गयी है। मृतक के 3 वयस्क पुत्रों को भी रु0 684/- प्रति पुत्र के हिसाब से ग्रेच्युटी की धनराशि स्वीकृत कर दी गयी है। इस प्रकार ग्रेच्युटी की मद में कुल रु0 3420/ के भुगतान की स्वीकृति दे दी गयी है।

मृतक श्री नेगी ई0 पी0 एफ0 या जी0 पी0 एफ के सदस्य नहीं थे इसलिए भविष्य निर्वाह निधि के भुगतान का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली में वन्य जन्तुओं द्वारा पालतु पशुओं के मारे जाने पर क्षतिपूर्ति हेतु प्रार्थना-पत्र

128–श्री कुंवर सिंह नेगी–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी, 1982 से लेकर 1 मई, 1983 तक जनपद चमोली से वन्य जन्तुओं द्वारा पालतु पशुओं के मारे जाने पर मुआवजे हेतु कितने प्रार्थना-पत्र विभाग को प्राप्त हुए? इनमें से कितनों को नियमानुसार मुआवजा दिया गया ?

श्री संजय सिंह–

प्रश्नगत अवधि में चमोली जनपद से वन्य जन्तुओं द्वारा पालतू पशुओं को मारे जाने पर क्षति पूर्ति हेतु कुल 114 प्रार्थना-पत्र विभाग को प्राप्त हुए। इनमें से कुल 25 मामलों में तत्सम्बन्धी शासनादेश के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति अनुमन्य प्रतीत हुई। अब तक जांचोपरान्त 10 मामलों में क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जा चुका है, 9 मामलों में क्षतिपूर्ति के भुगतान की स्वीकृति दे दी गयी है तथा शेष 6 मामले जांच में हैं।

जनपद चमोली के केदारनाथ एवं बद्रीनाथ वन प्रभागों द्वारा वन प्रभाग में पैदल मार्गों का नव निर्माण तथा व्यय

129–श्री कुंवर सिंह नेगी–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1982-83 में जनपद चमोली में केदारनाथ एवं बद्रीनाथ वन प्रभाग ने अपने वन प्रभागों में कितने कि0 मी0 पैदल मार्गों की मरम्मत की तथा कितने कि0 मी0 पैदल मार्गों का नव निर्माण किया, इन कार्यों पर इन वन प्रभागों द्वारा कितनी धनराशि व्यय की गयी है?

श्री संजय सिंह–

वर्ष 1982-83 में जनपद चमोली के केदारनाथ एवं बद्रीनाथ वन प्रभागों द्वारा

अपने वन प्रभाग में निम्न प्रकार से पैदल मार्गों की मरम्मत तथा नव निर्माण कार्य किया गया और उनके सम्मुख अंकित धनराशियां व्यय की गयीं :—

पैदल मार्गों की मरम्मत का कार्य

वन प्रभाग का नाम	लम्बाई कि0मी0	व्यय की गयी धनराशि
केदारनाथ	35·10	70,520·00
बद्रीनाथ	—	—
योग	35·10	70·520·00

पैदल मार्गों का नव निर्माण कार्य

केदारनाथ	5·000	20,035·00
बद्रीनाथ	5·142	48,712·00
योग	10·142	68,747·00

प्रभागीय वनाधिकारियों के लिये भ्रमण की अवधि

130—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रभागीय वनाधिकारियों के लिए अपने वन प्रभागों के भ्रमण हेतु प्रति माह कोई अवधि निश्चित की गयी है? यदि हां, तो जनपद चमोली में बद्रीनाथ वन प्रभाग के वनाधिकारी ने अपने वन प्रभाग में 1 जनवरी, 1982 से लेकर 1 मई, 1983 तक किन-किन क्षेत्रों में कितना कि0मी0 भ्रमण किया है?

श्री संजय सिंह—

प्रभागीय वनाधिकारियों के लिए भ्रमण की अवधि मासिक आधार पर नहीं वरन् वार्षिक आधार पर, कम से कम 120 दिन व 90 रात्रि, निर्धारित की गयी है। प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ द्वारा अपने प्रभाग में 1 जनवरी, 1982 से 1 मई, 1983 तक 167 दिन तथा 110 रात्रि का भ्रमण, पूर्वी पिण्डर, पश्चिमी पिण्डर नन्द प्रयाग, चमोली, जोशीमठ आदि क्षेत्रों में 15007 कि0मी0 जीप से तथा 281 कि0मी0 पैदल किया गया है।

वन संरक्षण अधिनियम से वृक्षों के कटान पर प्रतिबन्ध, पर्वतीय क्षेत्र में ईंधन की वैकल्पिक व्यवस्था कराये जाने की मांग

131—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि वन संरक्षण अधिनियम से सभी प्रकार के पेड़ों के कटान पर रोक लग जाने से पर्वतीय क्षेत्र में जलौनी लकड़ी की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गयी है ? यदि हां, तो विभाग पर्वतीय क्षेत्र में सस्ता एवं समुचित मात्रा में ईंधन उपलब्ध कराने की क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर रहा है ?

श्री संजय सिंह–

वन संरक्षण अधिनियम के लागू होने से पेड़ों के कटान पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। अपितु पर्यावरण एवं परिस्थितिकी में संतुलन बनाये रखने के दृष्टिकोण से 1000मी0 की ऊंचाई से ऊपर के क्षेत्रों में वृक्षों के कटान पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। तथापि स्थानीय ग्रामवासियों को वनों में गिरी पड़ी सूखी जलौनी लकड़ी एकत्र करने के अधिकार प्रभावित नहीं हुये हैं।

इसके अतिरिक्त संलग्नक सूची में उल्लिखित पर्वतीय क्षेत्र के स्थानों में उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा स्थापित डिपो पर सस्ती जलौनी लकड़ी की आपूर्ति की जा रही है और वन निगम को यह निर्देश भी दिये जा चुके हैं कि आवश्यकता पड़ने पर मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में ईंधन उपलब्ध कराया जाय।

(देखिये नत्थी "ङ" आगे पृष्ठ 1431 पर।)

132–श्री कुंवर सिंह नेगी–

[4थे बुधवार में अतारांकित प्रश्न 116 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद चमोली में मत्स्य पालन विकास हेतु योजना

133–श्री कुंवर सिंह नेगी–

क्या पशुधन एवं मत्स्य पालन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में मत्स्य पालन विकास हेतु कौन-कौन सी नई योजनाएं बनायी गयी हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री संजय सिंह–

चमोली जनपद में मत्स्य विकास हेतु कोई नई योजना स्वीकृत नहीं की गयी है। मत्स्य विभाग द्वारा कार्यान्वित सामान्य योजना के अन्तर्गत तलवाड़ी हैचरी पर मिरर कार्प जाति की मछली के प्रजनन एवं पोषण का कार्य सम्पन्न किया जा रहा है।

कानपुर में हुए शिया-सुन्नी दंगे के एकल सदस्य जांच आयोग की जांच रिपोर्ट में मैजिस्ट्रेटों के विरुद्ध कार्यवाही

134–श्री कुंवर सिंह नेगी–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 29 सितम्बर, 1977 को कानपुर में हुए शिया-सुन्नी दंगे के एकल सदस्य जांच आयोग ने अपनी जांच रिपोर्ट में उल्लेख किया है श्री रामरतन राम, तत्कालीन अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) श्री एन0 के0 मिश्र, अपर नगर मजिस्ट्रेट, प्रथम और श्री राम जनम सिंह, नगर मजिस्ट्रेट, कानपुर ने अपने कर्तव्यों का पालन करने में कमी का प्रदर्शन किया? यदि हां, तो सरकार ने इन दोषी मजिस्ट्रेटों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीपति मिश्र–

मामला शासन के विचाराधीन है।

पलासड़ा नरेन्द्रनगर से टिहरी डैम के लिए बाईपास निर्माण से श्री मुकुन्द राम नौटियाल की क्षतिग्रस्त हुई भूमि

135—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1973 में ऋषिकेश-टिहरी मोटर मार्ग पर पलासड़ा-नरेन्द्र नगर से टिहरी डैम के लिए बाईपास निर्माण से श्री मुकुन्द राम नौटियाल पुत्र श्री किर्तीदत्त नौटियाल, निवासी पलासड़ा, नरेन्द्र नगर, जिला टिहरी गढ़वाल की कृषि भूमि, पानी की डिग्गी तथा पाइप लाइन क्षतिग्रस्त हुई है, जिसके मुआविजे की धनराशि मुबलिक रु0 20,000 (बीस हजार रुपए) के भुगतान हेतु जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल ने अपने पत्र संख्या मेमो 8-मा0व0 दिनांक नरेन्द्र नगर अप्रैल 17, 1976 को अधिशासी अभियन्ता सा0नि0 वि0 टिहरी को लिखा था, ? यदि हां, तो मुआवजा भुगतान में विलम्ब का क्या कारण है ? कौन अधिकारी इसके लिए उत्तरदायी है और कब तक भुगतान निश्चित रूप से करा दिया जायेगा ?

श्री विद्या भूषण—

ऋषिकेश टिहरी मोटर मार्ग पर पलासड़ा नरेन्द्र नगर से टिहरी डैम के लिए बाईपास निर्माण से श्री मुकुन्द राम नौटियाल की कृषि भूमि पानी की डिग्गी तथा पाइप लाइन क्षतिग्रस्त नहीं हुई थी । जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल ने अपने पत्र-संख्या मेमो/8-मा0व0 दिनांक नरेन्द्र नगर अप्रैल, 17, 1976 में इस सम्बन्ध में दण्डाधिकारी की जांच के आधार पर 20,000.00 रुपये मुआवजा देने के लिए अधिशासी अभियंता को लिखा था परन्तु बाद में जिलाधिकारी व विभाग की सम्मिलित जांच के फलस्वरूप कोई मुआवजा देय नहीं पाया गया । शेष प्रश्न नहीं उठता है।

कारबेट नेशनल पार्क में अवैध रूप से शिकार करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

136—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 1982 के प्रथम सप्ताह में कारबेट नेशनल पार्क में अवैध रूप से (पोलिंग) शिकार करने में मुरादाबाद मण्डल के आयुक्त तथा अन्य कई अधिकारी पकड़े गए थे ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री संजय सिंह—

जी हां। प्रकरण में अध्यक्ष, राजस्व परिषद् से जांच करायी गयी। उनकी जांच प्राप्त हो गयी है जो शासन के विचाराधीन है ।

जनपद चमोली में हत्याएं

137—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में 1 जनवरी, 1983 से 1मई, 1983 तक कितने आदमियों की हत्या की घटनाएं घटित हुई हैं ? उनमें कितनी घटनाएं ऐसी हैं जिनमें कातिलों का पता नहीं लग पाया है?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद चमोली में प्रश्नगत अवधि में तीन व्यक्तियों की हत्याएं हुई हैं जिनमें से एक व्यक्ति की हत्या के हत्यारों का पता नहीं लग पाया है ।

पुलिस विभाग में अनुसूचित जन जाति के सब इंसपेक्टर व इंसपेक्टर की पदोन्नति

138—श्री कुंवर सिंह नेगी—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के पहले मंगलवार के प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 105 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जनजाति के उक्त अवधि में पुलिस निरीक्षक पद पर कौन-कौन व्यक्ति थे और किन कारणों से उन्हें पदोन्नति नहीं दी गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

आलोच्य अवधि में निरीक्षक के पद पर अनुसूचित जन जाति के निम्नलिखित व्यक्ति थे :—

1—श्री रोशन लाल

2—श्री माधोसिंह पाल

3—श्री ललित सिंह तौलिया

4—श्री छोटेलाल नायक

निरीक्षक के पद पर स्थायी न होने के कारण ये पात्रता क्षेत्र में नहीं थे अतः इन्हें पदोन्नति नहीं दी गयी।

139—श्री कुंवर सिंह नेगी—

[करण संख्या 26(1) के अन्तर्गत उत्तरित ।]

श्री वीरेन्द्र सिंह असवाल, भंडार नायक, प्रान्तीय खण्ड, रुद्रप्रयाग को निलम्बन काल का वेतन भत्ते आदि का भुगतान

140—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री वीरेन्द्र सिंह असवाल, भंडार नायक, प्रान्तीय खण्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, रुद्रप्रयाग (चमोली) को जिला सत्र न्यायालय पौड़ी गढ़वाल ने जनवरी, 1979 में आरोपों से मुक्त कर दिया था और आदेश दिया था कि इनका निलम्बन काल समस्त प्रयोजनों में राजकीय सेवाएं माना जायेगा? यदि हां, तो क्या श्री असवाल को उनके निलम्बन काल का वेतन, भत्ते आदि का भुगतान कर दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब?

श्री विद्या भूषण—

जी हां ।

श्री असवाल को निलम्बन काल का वेतन भत्ते आदि का भुगतान 26-3-83 को कर दिया गया है ।

श्री धर्मपाल सोनकर, पदोन्नति प्राप्त ए0 आर0 ओ0, बहराइच के विरुद्ध प्रतिकूल प्रविष्टियां होने के बावजूद पदोन्नति की जांच

141–श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 29 जुलाई, 1983 को कोई पत्र राजस्व सचिव उत्तर प्रदेश, शासन को श्री धर्मपाल सोनकर पदोन्नति प्राप्त ए0आर0ओ0, बहराइच के भ्रष्टाचार और उनके चरित्र पंजिका में लगातार प्रतिकूल प्रविष्टियों से संबंधित लिखा है ? यदि हां, तो इतनी प्रतिकूल प्रविष्टियां होने के बावजूद उनकी पदोन्नति कैसे कर दी गयी ? क्या उनकी सम्पूर्ण पत्रावली की छानबीन करके उनकी पदोन्नति समाप्त कर, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र–

जी हां । उनकी पदोन्नति एक उच्च स्तरीय चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए की गयी है। श्री सोनकर के विरुद्ध प्राप्त प्रश्नकर्ता की शिकायत की जांच की जा रही है, जिसकी आख्या प्राप्त होने पर तद्नुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

मौलाना मोहम्मद अली जौहर पर आयोजित सेमिनार पर कुल व्यय

142–श्री मोहम्मद अबरार अहमद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उर्दू अकादमी ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर पर 7 जनवरी, 83 को जो सेमिनार किया था, उस पर कुल कितना खर्च आया? क्या उर्दू अकादमी ने मौलाना मो0 अली जौहर पर जो किताब प्रकाशित की है उसमें काफी त्रुटियां पायी गयी हैं और इसकी वजह से उसकी मुद्रित प्रतियों की बिक्री बन्द कर दी गयी है ? यदि हां, तो उसके लिये कौन अधिकारी दोषी पाया गया है और उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री अम्मार रिजवी–

मौलाना मोहम्मद अली जौहर पर 7 जनवरी, 1983 को आयोजित सेमिनार पर कुल रु0 5252.55 पैसे व्यय हुये। मौलाना मोहम्मद अली जौहर पर उर्दू अकादमी द्वारा प्रकाशित "मकालात यौम जौहर" नामक पुस्तक में कहीं-कहीं प्रकाशन सम्बन्धी सामान्य त्रुटियां पायी गयी हैं जो प्राचीन लीथो प्रणाली के प्रकाशन में प्रायः हो जाती हैं जो नगण्य हैं । उक्त पुस्तक की मुद्रित प्रतियों की बिक्री बन्द नहीं की गयी है ।

सैनिक क्षेत्र बबीना के विस्तार हेतु ग्रामों को अधिग्रहीत किये जाने का प्रस्ताव

143–श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जनपद में ब्लाक बबीना के कितने आबादी वाले गांवों को सैनिक क्षेत्र के अन्तर्गत घोषित किया गया है तथा उन ग्रामवासियों को अन्यत्र बसाने के लिये शासन द्वारा क्या किया जा रहा है तथा वे सभी कहां बसाए जा रहे हैं और उनकी संख्या क्या है?

श्री श्रीपति मिश्र–

वर्ष 1962 तक सैनिक क्षेत्र बबीना के विस्तार हेतु 19 ग्रामों को अधिग्रहीत किया गया था । इन ग्रामों के निवासियों को पुनर्वास क्षेत्र के 34 ग्रामों में बसा दिया गया है।

सैनिक क्षेत्र बबीना के विस्तार एवं टैंकोड्रोम की स्थापना हेतु उक्त ब्लाक के 13 अतिरिक्त ग्रामों की क्रमशः 2000 एवं 896 एकड़ भूमि अधिग्रहीत करने का प्रस्ताव है । अब तक किये गये सर्वेक्षण के अनुसार उक्त 13 ग्रामों के अधिग्रहण के फलस्वरूप 12650 लोग प्रभावित होंगे । उन्हें बसाये जाने की कार्यवाही भूमि के अधिग्रहण के बाद की जायेगी । चूंकि अभी भूमि का अधिग्रहण ही नहीं किया गया है अतः न तो किन्हीं के विस्थापित होने का और न ही उनको अन्यत्र बसाये जाने का फिलहाल कोई प्रश्न उठता है ।

सदर तहसील फर्रुखाबाद में वृद्धावस्था पेंशन हेतु आवेदन-पत्र

144–श्री विमल प्रसाद तिवारी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सदर तहसील फर्रुखाबाद में 1 जनवरी, 1982 से 30 नवम्बर, 1983 तक कितने आवेदन पत्र वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने हेतु प्राप्त हुए और उनमें से कितनों को यह पेंशन स्वीकृत की गयी तथा शेष पर पेंशन स्वीकृत न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री सुनील शास्त्री–

सदर तहसील फर्रुखाबाद में दिनांक 1 जनवरी, 1982 से 30 नवम्बर, 1983 तक 303 आवेदन पत्र वृद्धावस्था पेंशन हेतु प्राप्त हुए जिनमें से 53 व्यक्तियों को पेंशन नहीं स्वीकृत की गयी । इनमें से 37 व्यक्ति पेंशन के पात्र नहीं पाये गये, 15 प्रकरणों में आयु संबंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया तथा एक प्रकरण की जांच चल रही है ।

ग्राम कोटेश्वर तथा भुवनेश्वर में स्थित गुफाओं के विद्युतीकरण की मांग

145–श्री जसवन्त सिंह विष्ट–

क्या सरकार को ज्ञात है कि सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में कोटेश्वर तथा भुवनेश्वर नाम की प्राचीन मूर्ति कलाओं से युक्त गुफा है, जहां प्रति वर्ष हजारों तीर्थ यात्री दर्शन करने पहुंचते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उन गुफाओं के अन्दर विद्युतीकरण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त–

ग्राम कोटेश्वर तथा भुवनेश्वर का विद्युतीकरण करने हेतु अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं है ।

जहां तक इन गांवों में स्थित गुफाओं में विद्युतीकरण का प्रश्न है, राज्य विद्युत परिषद् द्वारा यह कार्य नहीं किया जाता है । गांव में एल0 टी0 लाइन बिछाने के पश्चात् उपभोक्ता के कनेक्शन लेने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने पर राज्य विद्युत परिषद् द्वारा कनेक्शन की स्वीकृति की जाती है और उपभोक्ता द्वारा औपचारिकतायें पूरी करने पर कनेक्शन देने की कार्यवाही की जाती है ।

146–श्री जसवन्त सिंह विष्ट–

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त ।]

विधायक श्री प्रियदर्शी जेतली के पत्र पर कृत कार्यवाही

147–श्री प्रियदर्शी जेतली–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता को सम्बोधित अनुसचिव, (श्री बैकुण्ठ नाथ श्रीवास्तव) शिक्षा विभाग, के अ0 शा0 पत्र सं0 म0 322/18–प्र0 शि0 2/81 अनुभाग–2, दिनांक 13-5-81 व अ0शा0प0सं0 5221/18 प्र0 शि0 2/82 अनुभाग–2, दिनांक 5-10-82 के उत्तर में प्रश्नकर्ता के पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो वे पत्र क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री–

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

सैनिक विश्रामगृहों में निवासित अधिकारियों से नियमित किराया वसूल करने की कार्यवाही

148–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास के भवनों में भिन्न-भिन्न विभागों से सम्बद्ध अधिकारी रह रहे हैं और नियमित किराया अदा नहीं करते हैं ? क्या यह सत्य है कि उत्तर प्रदेश में जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास भवनों में नियमों के विपरीत रहने वाले सैकड़ों व्यक्तियों के विपरीत किराये के लाखों रुपये शेष हैं? यदि हां, तो सरकार उक्त व्यक्तियों से भवनों को खाली कराने तथा शेष किराया वसूल करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां। भिन्न-भिन्न विभाग से सम्बद्ध अधिकारी सैनिक विश्रामगृह में निवास करते हैं । जिनमें से कुछ अधिकारी नियमित रूप से किराया अदा नहीं करते हैं । सैनिक विश्रामगृह में निवास करने वाले व्यक्तियों के विपरीत केवल रु0 34,966·50 किराया अवशेष है । सैनिक विश्रामगृहों को खाली कराने तथा शेष किराया वसूल करने के संबंध में निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उत्तर प्रदेश द्वारा कार्यवाही की जा रही है ।

उप-संचालक चकबन्दी, वाराणसी श्री परमानन्द के खिलाफ आरोपों की जांच

149–श्री ऊदल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप-संचालक, चकबन्दी, वाराणसी श्री परमानन्द के खिलाफ भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, आदि के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने मुख्य मंत्री को 12 सितम्बर, 83 व मुख्य मंत्री के सचिव को 22 सितम्बर, 83 को पत्र लिखा था? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी?

श्री श्रीपति मिश्र–

जी हां । प्रश्नगत आरोपों के सम्बन्ध में चकबन्दी निदेशालय की जांच आख्या प्राप्त हो गयी है जो शासन के विचाराधीन है ।

जिला जौनपुर में सरकारी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को आवास कालोनी के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण तथा प्रतिकर का भुगतान

150—श्री भीखा लाल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम हुसैनाबाद, तहसील व जिला जौनपुर में सरकारी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को आवास कालोनी के निर्माण के लिये भूमि का अधिग्रहण वर्ष 66-67 में किया गया था जिस पर कालोनी का निर्माण भी हो गया है लेकिन संबंधित किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है? यदि हां, तो क्यों और मुआवजा कब तक दे दिया जायेगा?

श्री विद्या भूषण—

जी हां।

नवम्बर, 1970 में प्रतिकर व ब्याज का अभिनिर्णय घोषित किया गया था परन्तु भू-स्वामियों ने प्रतिकर प्राप्त नहीं किया और प्रतिकर की वृद्धि हेतु भूमि अध्यापित अधिनियम के अन्तर्गत संदर्भ प्रस्तुत किया। अतः प्रतिकर की धनराशि भू-स्वामियों के नाम से 1 जनवरी, 1971 को रेवेन्यू डिपाजिट कर दी गयी। जिला जज जौनपुर द्वारा प्रतिकर में वृद्धि की गयी और जिलाधिकारी ने सम्पूर्ण धनराशि सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्राप्त करके वर्ष 1983 में संबंधित भू-स्वामियों को वितरित कर दी।

पर्वतीय क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग को आवंटित धनराशि

151—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 81-82 एवं 82-83 में पर्वतीय क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग को कुल कितनी धनराशि प्रत्येक वर्ष आवंटित की गयी? इस धनराशि को अलग-अलग वर्षवार विभाग द्वारा किन मदों में खर्च किया गया है?

श्री विद्या भूषण—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जौनपुर महाराजगंज मार्ग पर स्थित कथित नगहर ग्राम की ली गयी भूमि

152—श्री पंचानन राय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ के जौनपुर महराजगंज में स्थित नगहर ग्राम के निवासियों से सड़क निर्माण के लिए ली गयी भूमि के प्रतिकर का भुगतान उन्हें कर दिया गया? यदि नहीं, तो यह भुगतान कब तक उन्हें कर दिया जायेगा?

श्री विद्या भूषण—

जनपद आजमगढ़ में जौनपुर महराजगंज मार्ग पर नगहर नाम का कोई ग्राम नहीं पड़ता है अतः वहां के निवासियों को प्रतिकर के भुगतान का प्रश्न नहीं उठता।

ट्रक संख्या यू0 टी0 सी0 9963 पर रोड टैक्स तथा रजिस्ट्रेशन शुल्क की बकाया धनराशि

153—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती प्रेमवती तिवारी, विधायिका का दिनांक 10-1-1983 का पत्र जो ट्रक संख्या यू0 टी0 सी0 9963 को अवैधानिक तरीके से उपयोग करने के सम्बन्ध में था, डायरेक्टर जनरल, पुलिस, उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर दिनांक 30-10-1983 तक क्या कार्यवाही की गयी तथा उपरोक्त ट्रक पर किस दिनांक से रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन शुल्क बकाया है तथा अनधिकृत रूप से चलाने की अनुमति किस अधिकारी द्वारा दी गयी है? उसके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्रश्नगत पत्र पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ था। उस पर क्षेत्राधिकारी, यातायात द्वारा जांच करायी गयी। परिवहन विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत ट्रक का रोड टैक्स तथा रजिस्ट्रेशन शुल्क 1-7-80 से बकाया बताया गया है।

पुलिस विभाग के किसी अधिकारी द्वारा इस ट्रक के अनधिकृत रूप से चलने की अनुमति नहीं दी गयी है। अतः किसी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

पर्वतीय जिलों के राजकीय पालीटेक्निकों में अध्यापकों के रिक्त स्थानों पर पूर्ति किये जाने की मांग

154—श्री जसवंत सिंह बिष्ट—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि पर्वतीय जिलों में 30 जनवरी, 80 व 31-1-83 को राजकीय पालीटेक्निकों में क्रमशः कितने अध्यापकों के स्थान कब से रिक्त पड़े हुए हैं? उनके न भरे जाने के क्या कारण हैं? क्या इन स्थानों को शीघ्र भरने के लिये इन्हीं जिलों में उपलब्ध प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को वरीयता देकर शीघ्र नियुक्त किये जाने पर विचार किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री—

सूचना अब भी एकत्रित की जा रही है।

जनपद देवरिया में भारतीय जनता पार्टी द्वारा पुलिस के वर्तमान कार्य-व्यवहार के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री को दिया गया ज्ञापन

155—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया में 21-9-82 को भारतीय जनता पार्टी द्वारा पुलिस के वर्तमान कार्य-व्यवहार के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, देवरिया के माध्यम से मुख्य मंत्री को कोई ज्ञापन दिया गया था? यदि हां, तो उस ज्ञापन में कितने बिन्दुओं की शिकायत की गयी थी तथा अब तक उन बिन्दुओं के जांच के आधार पर कौन सी कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीपति मिश्र–

महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी गरुलपार, देवरिया के दिनांक 22-9-82 के पत्र के साथ प्रश्नगत विषय पर एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था। प्रश्नगत ज्ञापन में कुल 41 बिन्दुओं का उल्लेख था जिसमें से 15 पुलिस की कार्यवाहियों के विषय में था तथा शेष 26 बिन्दु पुलिस कर्मियों के न्यायालय में उपस्थित न होने या उनपर इस्तगासे कायम होने के बारे में था। जांच के उपरान्त पुलिस के विरुद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं हुए तथा न्यायालय से सम्बन्धित बिन्दुओं पर टिप्पणी देना उचित प्रतीत नहीं होता। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

(12 बजकर 20 मिनट)

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

प्रश्नों के संबंध में मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, मैंने पिछले दिन भी इसी तरह का प्रश्न उठाया था। कार्य संचालन प्रक्रिया नियमावली के नियम 38 के अनुसार प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार दिये जायेंगे उसकी व्यवस्था है। उस नियम में यह है कि जो प्रश्न पूछे जायेंगे और जिन्हें आप ग्राह्य करेंगे उनका उत्तर मंत्री जी की ओर से सुसंगत होना चाहिए। अभी जो गृह विभाग के भार साधक माननीय राज्य मंत्री एक प्रश्न का जवाब दे रहे थे उसमें जांच रिपोर्ट के आधार पर यह तो कह रहे थे कि उनका ट्रान्सफर कर दिया, पर जब जांच रिपोर्ट पूछी गयी तो कह दिया वह पत्रावली में नहीं है। यह मान्यवर, कैसे विश्वास किया जा सकता है कि जिस जांच रिपोर्ट के आधार पर वह जवाब दे रहे हों वह जांच रिपोर्ट पत्रावली में न हो।

(श्री प्रमोद कुमार के उठने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय तिवारी जी, आपसे ही संबंधित प्रश्न पर यह व्यवस्था का प्रश्न चल रहा है, आप कृपया जायें नहीं, बैठें।

(श्री प्रमोद कुमार बैठ गये)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं किसी की नीयत पर शंका नहीं करता, पर वह जांच रिपोर्ट अवश्य पत्रावली में होनी चाहिए। जो एक्शन लिया गया वह संदर्भित था जांच रिपोर्ट के आधार पर। जांच कर्ता को अपनी रिपोर्ट देने का अधिकार है, पर एक्शन लेने का काम सरकार का है। उस जांच रिपोर्ट में वहां के कई प्रश्न उजागर हुए हैं, ये मेरी जानकारी है। मेरा आरोप है कि जानबूझ कर माननीय मंत्री जी ने तथ्यों को छिपाया है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जैसा कि पूर्व प्रश्न के उत्तर से असंतुष्ट होने पर आपने आदेश दिया कि पत्रावली आपके सचिव के पास भेज दी जाये, वैसे ही आप इस संबंध में भी पत्रावली मंगाने का कष्ट करें क्योंकि जानबूझ कर तथ्यों को छिपा कर मंत्री जी ने सदन का समय नष्ट किया है। अगर प्रशासनिक अधिकारी ने उस जांच रिपोर्ट को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]

पत्रावली में नहीं रखा है तो पूरे तथ्यों को माननीय मंत्री जी की जानकारी में न लाने के कारण उस अधिकारी के खिलाफ भी एक्शन लिया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी, (श्री प्रमोद कुमार से) आप कृपया पत्रावली हमारे सचिव के पास भेज दें।

श्री प्रमोद कुमार–

अच्छी बात है।

श्री प्रियदर्शी जेतली–

मान्यवर, मेरा एक अतारांकित प्रश्न संख्या 103 था जिसका जो उत्तर मुझे मिला है वह सही नहीं है क्योंकि इसी से संबंधित एक प्रश्न पहले भी मैंने इसी सदन में किया था और मुझे उत्तर में यह बताया गया था कि विभागीय विजिलेन्स जांच में फलां-फलां अधिकारी दोषी पाये गये। मान्यवर, मैंने आज प्रश्न पूछा था उक्त विभागीय विजिलेन्स जांच में कि उनके खिलाफ क्या-क्या आरोप थे तो जवाब आया है कि उनके खिलाफ खुली जांच की जा रही है इसलिए आरोपों का प्रश्न नहीं उठता। मान्यवर, इसी सम्मानित सदन में मंत्री जी ने स्वीकार किया था कि उन पर यह आरोप हैं। मैंने आज जो प्रश्न पूछा कि दोषी पाये गये अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध अलग-अलग क्या आरोप सिद्ध पाये गये तो जवाब में कहा जा रहा है कि आरोपों का प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें। आप हमको लिखकर दे दीजियेगा।

श्री रियासत हुसैन–

श्रीमन् आप सफा 25 पर प्रश्न 119 पर नजर डालें। मैंने एक पत्र के बारे में प्रश्न किया था। प्रधान मंत्री ने एक पत्र उत्तर प्रदेश की सरकार को लिखा है। प्रधान-मंत्री ने जो रि-इंप्लायमेंट या एक्सटेंशन के बारे में निर्देश दिया है स्टेट्स को, उसी पत्र के बारे में मैंने प्रश्न किया था। उत्तर दो महीने के बाद यह आ रहा है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। तो श्रीमन्, जरा इसको आप देखें, क्या इससे आप संतुष्ट हैं?

श्री अध्यक्ष–

मैं इसको देखूंगा।

श्री जसवंत सिंह विष्ट–

अध्यक्ष जी, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

आप किस विषय पर बोल रहे हैं?

श्री जसवंत सिंह विष्ट–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अतारांकित प्रश्न सं0 154 के बारे में है।

श्री अध्यक्ष–

आप लिखकर दे दीजियेगा।

श्री जसवंत सिंह विष्ट–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष–

आप मेरा ध्यान आकर्षित करें। लिखकर दीजियेगा।

(श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें, मैंने श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री को बुलाया है। इसके बाद कहियेगा।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

श्रीमन् जब हम इस सचिवालय में प्रवेश करते हैं, इस सचिवालय के सामने कृषि अभियंत्रण डिप्लोमा के जो छात्र हैं 22 तारीख से अनशन पर बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष–

किस नियम के अन्तर्गत आप अपनी बात कह रहे हैं? आप लिखकर दीजिएगा। मैं जबानी सुनने के लिए तैयार नहीं हूं।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

जब हम सत्र में भाग लेने के लिये आते हैं तो इससे अवरोध पैदा होता है।

श्री अध्यक्ष–

आप हड़ताल तुड़वाइये।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

मान्यवर, शासन ने अभी उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। उनकी मांगें नहीं मानी गयी हैं। आमरण अनशन पर वह बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें, उन्होंने सुन लिया।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आज प्रश्नों के उत्तर मिले। प्रश्नों और उत्तरों के परिप्रेक्ष्य में अगर कोई माननीय सदस्य तत्काल अपनी बात कहना चाहता है तो उसकी अनुमति मिलनी चाहिए। आप यह अनुमति दे भी रहे हैं। अभी विष्ट जी ने अपने प्रश्न के सिलसिले में एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया। तो उनको अपनी बात कहने का अधिकार मिल जाता है।

श्री अध्यक्ष–

मैंने उनसे कहा था कि लिखकर भेजें।

श्री जसवंत सिंह विष्ट–

मान्यवर, मेरी बात सुन तो लें।

श्री अध्यक्ष–

चलिए सुनाइये।

*श्री जसवन्त सिंह विष्ट–

मान्यवर, आज का अतारांकित प्रश्न संख्या 154 देख लीजिए। मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। मान्यवर, जिले में ही नहीं बल्कि प्रदेश में बहुत से आई0 टी0 आई0 में अध्यापकों के पद रिक्त हैं और राजकीय पालीटेक्निकों में पद रिक्त हैं, मान्यवर, आज से ही नहीं बहुत सालों से रिक्त चले आ रहे हैं। और मान्यवर, ऐसा भी नहीं है कि अनुभवी व्यक्ति न मिलते हों, मान्यवर, अनुभवी व्यक्ति भी उपलब्ध हैं। मान्यवर, इसी सम्बन्ध में मैंने प्रश्न पूछा था कि क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि पर्वतीय जिलों में 30 जनवरी, 80 व 31-3-83 को राजकीय पोलीटेक्निकों में क्रमशः कितने अध्यापकों के स्थान कब से रिक्त पड़े हुए हैं?

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात को मैं समझ गया हूं, मैं इसको देख लूंगा। कृपया बैठें आप।

श्री जसवंत सिंह विष्ट–

मान्यवर, बच्चों का जीवन खराब हो रहा है, माननीय मंत्री जी कहते हैं कि सूचना अब भी एकत्रित की जा रही है। मान्यवर, अगर माननीय मंत्री जी का लड़का वहां पर पढ़ता हो, तो क्या माननीय मंत्री जी इसको बरदाश्त करते?

सीतापुर में प्रस्तावित बाई पास अभी तक न बनने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

नियम 301 के अन्तर्गत मुझे आज 14 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें 7 सूचनाएं स्वीकृत हुई हैं और शेष अस्वीकृत हुई हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री राम आसरे वर्मा, श्री मित्रसेन, श्री खैरुल बशर, श्री राम कुमार भार्गव की सूचनाएं स्वीकृत हुई हैं।

श्री नन्द राम, श्री राम स्वरूप निम एवं श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ की सूचनाएं अस्वीकृत हैं। श्री फिरंगी प्रसाद विशारद की सूचना 200 शब्दों से अधिक थी, इसलिए उसे अस्वीकृत किया। श्री मेंहदी असगर की सूचना वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है। वक्तव्य के लिए 6-3-84 रखा है। श्री रियासत हुसैन एवं श्री राम गोविन्द की सूचना वक्तव्य के लिए स्वीकृत है। नियम 51 में वक्तव्य के लिए दिनांक 17-3-84 को रखा है। श्री मसरूर जाफरी की सूचना अस्वीकृत हुई। श्री हुकुम सिंह की सूचना को दिनांक 16-3-84 को वक्तव्य के लिए स्वीकृत किया है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

मान्यवर, मेरी सूचना में 185 शब्द थे।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सूचना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, राष्ट्रीय मार्ग नं0 24 के सीतापुर नगर में वाईपास हेतु भूमि अधिग्रहण करने के लिये सरकारी कोष से लगभग सात-सात लाख रुपया भूमि मालिकों को दिया जा चुका है। इसके बाद भी यह वाईपास सीतापुर की जनता के लिये स्वप्न बन कर रह गया है। 5.2 किलोमीटर लम्बे इस नगरीय भाग के लिये वाईपास की योजना पर 1964 से कार्य प्रारम्भ हुआ और प्रगति मात्र इतनी हुई है कि 'वाईपास यहां से पास होता है' इसका मात्र बोर्ड लग गया। मान्यवर, इस राष्ट्रीय महापथ से 24 घंटे में 4 हजार से अधिक भारी गाड़ियां गुजरती हैं। आए दिन मार्ग दुर्घटनाएं होती हैं। परन्तु विभागीय अधिकारियों की उदासीनता से सीतापुर नगर के वासियों का जीवन नरकमय बन गया है। नगर के बीच से निकलने वाले मार्ग को चौड़ा करने का भी प्रस्ताव 3 वर्ष से शासन के विचाराधीन है। परन्तु उस पर भी सरकार ने कुछ नहीं किया। वाईपास न बनने से आवागमन में बड़ी बाधा पड़ती है।

अतएव आपके माध्यम से शासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करते हुए मांग करता हूं कि प्रस्तावित वाईपास तुरन्त बनवाना प्रारम्भ किया जाये तथा शहर के बीच से निकलने वाले महापथ को तत्काल चौड़ा कराया जाये, जिससे आए दिन होने वाली दुर्घटनाएं बच सकें।

सेतु निगम द्वारा इलाहाबाद में सराय अकिल महिला मार्ग में पिलहनी नदी पर नये पुल का निर्माण अभी तक न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

मान्यवर, जनपद इलाहाबाद में सराय अकिल महिला मार्ग पिलहनी नदी पर नये पुल का निर्माण कार्य 3 वर्षों से खटाई में पड़ा है। इस पुल का शिलान्यास सेतु निगम द्वारा 11-9-83 को कराया गया था। निगम का नया कीर्तिमान हर छठे दिन एक 'सेतु' परन्तु खेद है कि शिलान्यास के 6 माह बाद भी निगम ने निर्माण की कोई परवाह नहीं की है। जबकि सेतु निगम शासन से 17 लाख रुपया एक वर्ष पूर्व ही ले चुकी है।

मान्यवर, सेतु निगम के धोखाधड़ी से पुल का निर्माण तत्काल प्रारम्भ न कराने से क्षेत्रीय जनता में भारी असंतोष व्याप्त है। इस पुल से मेरे निर्वाचन क्षेत्र की जनता ब्लाक कर्नलगंज प्रमुख रूप से प्रभावित है। 3 वर्षों से बसों का आवागमन बन्द है तथा कोई भी विकास कार्य नहीं हो पा रहा है।

अतएव लोक महत्व के इस सुनिश्चित अविलम्बनीय प्रश्न पर आपकी अनुज्ञा से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए मांग करता हूं कि सेतु निगम की इस धोखा धड़ी, लापरवाही तथा एक वर्ष पूर्व लिये गये धनराशि की जांच कराकर जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कानपुर शहर की सड़कों को सीवर लाइन बिछाने हेतु खोदे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अति लोक महत्व की तथा अविलम्बनीय प्रश्न सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं ।

कानपुर महानगर में आवागमन की मुख्य सड़कों पर सीवर लाइन बिछाने के लिये चौड़े तथा गहरे गड्ढे प्रशासन के द्वारा खोद दिये गये हैं । एक वर्ष का समय समाप्त होने पर भी सीवर लाइन नहीं बिछ सकी है, सड़कें कम चौड़ी होने के कारण आवागमन में भयंकर कठिनाई उपस्थित है, प्रति दिन आवागमन के समय दुखदायी घटनाएं घटित हो रही हैं और सड़कें घण्टों जाम रहती हैं, जनता द्वारा सीवर लाइन बिछाने के सम्बन्ध में शासन का ध्यान शीघ्र दिलाया गया है लेकिन ऐसा लगता है कि शासन के पास समस्या के समुचित निदान हेतु समय ही नहीं है। दुर्घटनाएं घटित होने से जनता में काफी आक्रोश है, विस्फोटक स्थिति बन सकती है। अतः आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं–

(1) तुरन्त सीवर लाइन बिछाने का कार्य प्रारम्भ किया जाय, सम्पूर्ण कार्य युद्ध स्तर पर किया जाय ।

(2) संबंधित उदासीनता के लिये जिम्मेवार लापरवाह अधिकारियों को दंडित किया जाय ।

(3) इस उद्देश्य से खोदी गयी खाइयों की वजह से जितनी मृत्यु हुई हैं उनके परिवार को मुआवजा दिया जाय ।

इलाहाबाद बोर्ड के परीक्षा केन्द्रों के गठन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम आसरे वर्मा–

हाई स्कूल एवं इण्टरमीडियट परीक्षाओं के सिलसिले में परीक्षा केन्द्रों को बनाने में इस वर्ष बोर्ड द्वारा न तो शासन के निर्देशों की परवाह की गयी है और न परीक्षार्थियों की असुविधा को ही ध्यान में रखा गया है। 8 कि0मी0 से ज्यादा दूरी पर परीक्षा केन्द्र न बनाये जायं ऐसे आदेश अब तक रहे हैं । किन्तु इस वर्ष संस्थागत, व्यक्तिगत दोनों छात्र दूर-दूर परीक्षा केन्द्रों पर फेंके गये हैं । छात्राओं को, जिन्हें बाहर परीक्षा केन्द्रों पर अब तक नहीं भेजा जाता था, ऐसे स्थानों पर फेंका गया है जहां आवासीय एवं अन्य संकट उत्पन्न हो गये हैं ।

सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए शासन से मांग करता हूं कि परीक्षा केन्द्रों का गठन गत वर्षों की भांति ही किया जाय ।

श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह अहम प्रश्न है। इसमें देरी की गयी तो लाखों छात्र छात्राओं के सामने संकट उत्पन्न हो जायेगा । इसलिये बेहतर होगा कि मंत्री जी से वक्तव्य दिला दें ।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी देख लीजिये, जैसा कह रहे हैं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किसान भवन, फैजाबाद के रखरखाव में भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री मित्रसेन–

माननीय अध्यक्ष, किसान भवन स्थित कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज, फैजाबाद में उपलब्ध लाखों रुपये के सामानों की अधिकारियों ने जान बूझ कर बन्दर बांट कर ली है। जो किसानों के लिए नई वैज्ञानिक एवं तकनीकी कृषि प्रदर्शन हेतु उपलब्ध करायी गयी है। किसान भवन में उपलब्ध दो जेनरेटर, 2 प्रोजेक्टर, 3 रेडियो, 3 टेप कम ट्रांजिस्टर, और 75 कम्बल तथा दो टेलीविजन अधिकारी लोग अपने निजी प्रयोग में कर रहे हैं। उक्त किसान भवन का रख रखाव प्रसार निदेशक डा0 राम प्रताप सिंह का पूर्ण दायित्व है। किन्तु वे स्वयं उक्त गम्भीर भ्रष्टाचार के भागीदार हैं और किसान समुदाय के लिये उपलब्ध संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं। जिससे स्थानीय जनता और किसानों में गहरा असन्तोष और आक्रोश व्याप्त है।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन के माध्यम से शासन से कार्यवाही की मांग करता हूं।

मऊ पावर हाउस के विद्युत कर्मचारियों के अनशन के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

*श्री खैरुल बशर–

मऊनाथ भंजन, आजमगढ़ के 300 बिजली कर्मचारी 7-2-84 से क्रमिक अनशन और धरना दे रहे हैं। उनकी मांग है कि मऊ पावर हाउस को भी सोहवल और गोरखपुर की भांति चालू किया जाय। उनका धरना जारी है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र की तीन लाख जनता और समस्त जन संगठनों का उनको समर्थन प्राप्त है। उनकी मांगों पर अब तक सरकार द्वारा कोई ध्यान न दिए जाने के कारण जनता में रोष और असंतोष व्याप्त है। मजदूरों का दावा है कि हम सरकार का आदेश पाकर पावर हाउस को चला सकते हैं और 15 मे0 वा0 बिजली का उत्पादन देकर 100 मे0 वा0 की मांग कर सकते हैं। इन कर्मचारियों के परिवार के लोग भी इस मांग को लेकर हर प्रकार की कुर्बानी देने को तैयार है। प्लान्ट न चालू होने पर 50 करोड़ की सम्पत्ति नष्ट हो जायेगी।

लोक महत्व की अविलम्बनीय समस्या को इस सदन के माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि मऊ पावर हाउस को चालू किया जाय और आन्दोलित विशाल जन असन्तोष की भावनाओं का आदर किया जाय।

बिसवां, जिला सीतापुर में दवा विक्रेताओं की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति व पुलिस निष्क्रियता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रामकुमार भार्गव–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से अपने विधान सभा क्षेत्र बिसवां जिला सीतापुर में घटी इस अविलम्बनीय लोक महत्व की घटना की तरफ इस आदरणीय सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामकुमार भार्गव]

दिनांक 6-2-84 को बिसवां नगर के बीच सायंकाल 7-30 बजे श्री ओम प्रकाश अग्रवाल एक प्रतिष्ठित व्यापारी, राहजनी के शिकार हुए जिसकी रिपोर्ट थाना बिसवां में लिखी गयी। हमलावरों की गिरफ्तारी न होने से आतंक का वातावरण कायम हो गया एवं दवा विक्रेता संघ ने सरकार को सूचना देकर दिनांक 10-2-84 को हड़ताल कर दी जिसको मैंने स्वयं विक्रेता संघ के पदाधिकारियों के साथ सीतापुर पुलिस अधीक्षक से 11-2-84 को मिलकर उनके आश्वासन से तुड़वायी। मगर आज तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। फिर हड़ताल की तैयारी हो रही है।

बिसवां नगर क्षेत्र के 20 मीलों तक कोई दवा की दुकान नहीं है। हड़ताल होने से बिना दवा के आम जनता के हाल की कल्पना की जा सकती है।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि बिसवां पुलिस के व दोषी अधिकारियों के विरुद्ध जिनकी अपराधियों से सांठगांठ है, कठोर कार्यवाही हो एवं अपराधियों को शीघ्र पकड़ा जाय ताकि जनजीवन सामान्य हो सके।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में ओला वृष्टि से हुई हानि के सम्बन्ध में राजस्व मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासनों की पूर्ति न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

माननीय अध्यक्ष जी, यह सरकार यह निश्चय कर चुकी है कि प्रदेश के किसानों का दमन किया जाए, इसके ऊपर मैं औचित्य का प्रश्न उठाना चाहता हूं। आपकी अनुमति से, मान्यवर, दिनांक 22 फरवरी को नियम 56 के अन्तर्गत कार्यस्थगन का प्रस्ताव दिया था कि प्रदेश में कुछ भागों में विशेषकर बुन्देलखण्ड, ललितपुर, हमीरपुर, झांसी के भागों में भयंकर ओलावृष्टि हुई है। इससे सम्पूर्ण रबी की फसल किसान की चौपट हो गयी है। आपने कार्यस्थगन के सम्बन्ध में राजस्व मंत्री को यह निर्देश दिए थे कि शासन ने जो भी इस प्रकार की प्राकृतिक क्षति हेतु, राहत सम्बन्धी जो आदेश दिए हैं उस पर तुरन्त कार्यवाही करने की कृपा करें लेकिन मान्यवर, आपके द्वारा दिए गए आदेश पर माननीय राजस्व मंत्री महोदय ने पांच दिन तक कोई भी कार्यवाही नहीं की है। कल मैं झांसी जनपद से वापस आया हूं इतनी ओलावृष्टि हुई है मैंने स्वयं देखा है। कहना चाहिए कि पकी हुई फसल गिर चुकी है और किसान बुरी तरह से परेशान है। राजस्व की वसूली तहसीलदार के कर्मचारियों द्वारा डंडे से वसूल की जा रही है। इसी प्रकार सहकारिता की वसूली है, इसी प्रकार बैंक की वसूली है इसी प्रकार छात्रों की तीन-तीन महीने की फीस जमा करने का समय आ गया है। और राजस्व मंत्री ने कोई निर्देश नहीं दिए हैं। केवल शासन से एक जानकारी प्राप्त हुई है कि 25 तारीख को एक पत्र जिलाधीश कार्यालय पहुंचा है। मान्यवर, अगर आपके द्वारा दिए गये निर्देशों की इस प्रकार से अवहेलना होती है तो क्या होगा मान्यवर? झांसी में इतनी ओलावृष्टि हुई है अगर राजस्व मंत्री, मुख्य मंत्री को लेकर दौरा करने चले जाएं तो इतनी क्षमता नहीं है कि उपद्रव को रोक सकें। इस प्रकार की गम्भीर स्थिति हो गई है और आपके आदेशों को मान्यवर, इस तरीके से नजर अन्दाज कर दिया जाता है तो भगवान ही मालिक है। जो किसान इस ओलावृष्टि से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

घिर गये हैं तो उनका क्या होगा। मैं सरकार से स्पष्ट घोषणा चाहता हूं कि वह राहत का कार्य आरम्भ करे और एक-एक हजार रुपया उन मजदूरों को दिया जाए और उनकी रोजी-रोटी का इन्तजाम किया जाए। श्रीमान्‌जी, इन्होंने आपके निर्देशों का पालन नहीं किया और संसदीय परम्पराओं की अवहेलना की है और इस सदन की बेइज्जती की है। मैं चाहूंगा कि हमारी बात मानी जाय और इस सम्बन्ध में आश्वासन दिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

(नगर विकास मंत्री से) माननीय मंत्री जी, आपके पास जो एम0एल0ए0 हैं, ये किस प्रकार से जाते हैं। इस तरह से न जाया करें। भविष्य में इस बात का ध्यान रखें।

राजस्व मंत्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)–

मान्यवर, आपके दिनांक 22-2-84 के आदेश . . .

श्री अध्यक्ष–

इस विषय को 6 तारीख को वक्तव्य के लिए निर्धारित किया गया है, इस समय जो सूचना है वह आप दे दें, 6 तारीख को फिर लिया जायगा।

श्री बल्देव सिंह आर्य–

मान्यवर, मैं वही कह रहा हूं। आपने दिनांक 22-2-84 को आदेश दिये थे कि बुन्देलखण्ड में ओलावृष्टि से जो नुकसान हो रहा है, उसके सम्बन्ध में क्या राहत कार्य हो रहे हैं, उसके सम्बन्ध में सूचना दे दी जाय। मान्यवर, आपके आदेशानुसार 23-2-84 को समस्त जिलाधिकारियों को आदेश कर दिये गये थे कि जहां-जहां ओलावृष्टि हुई है, वहां-वहां राहत कार्य प्रारम्भ कर दें। तीन माह तक वसूली न हो, इस प्रकार का अधिकार जिलाधिकारी स्वयं रखते हैं। उनके पास यह अधिकार 295 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था कानून के अन्तर्गत मौजूद है। उनके पास धन भेज दिया गया है ताकि जहां-जहां राहत कार्य करने की आवश्यकता है, वहां-वहां राहत पहुंचा दें और यदि कोई विशेष बात हो या धन की आवश्यकता हो, उनके पास और भेजा जा सकता है। मान्यवर, जिलाधिकारियों से जो रिपोर्ट आयी है उसके मुताबिक उन्होंने कार्य प्रारम्भ कर दिया है। अतः माननीय सदस्य को जो शिकायत है, वह अब नहीं होनी चाहिए क्योंकि आदेश दे दिये गये हैं और धन की व्यवस्था कर दी गयी है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

श्रीमान जी वसूली स्थगित करने के आदेश नहीं गये हैं।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी, आप माननीय सदस्य को अपने कक्ष में बुलाकर उनकी बात सुन लें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने औचित्य का प्रश्न दिया है, जिसमें दैनिक जागरण की कटिंग लगी है, संसदीय अनुभाग में दिया है।

श्री अध्यक्ष–

अभी मेरे पास आयी नहीं है, मैं उसको दिखवा लूंगा और मिल जायगा तो बाद में देख लूंगा।

उत्तर प्रदेश लोक लेखा समिति (1983-84) का द्वितीय प्रतिवेदन

श्री हुकुम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति (1983-84) का द्वितीय प्रतिवेदन जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वर्ष 1980-81 के प्रतिवेदन (सिविल) में उल्लिखित अनुदानों/विनियोगों में हुए व्ययाधिक्य से सम्बन्धित प्रस्तर संख्या 2.2 पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

लखनऊ के अतिरिक्त जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं एस0 ओ0 कैसरबाग के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

श्री अकबर अहमद, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 25 फरवरी, 1983 को श्री मानवेन्द्र बहादुर सिंह, अतिरिक्त जिलाधिकारी श्री जोशी, पुलिस अधीक्षक एवं सी0 एस0 पाण्डेय, एस0 ओ0 कैसरबाग, लखनऊ के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी थी। सूचना में माननीय सदस्य का कहना है कि दिनांक 2 फरवरी, 1983 से विधान सभा की बैठक आहूत की जा चुकी थी, उससे पूर्व 23 जनवरी, 1983 को वे आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक के चुनाव में भाग लेने के बाद जब लखनऊ पहुंचे और संजय मंच के अनेक कार्यकर्ताओं के साथ रेलवे स्टेशन से चले तो हुसैन गंज चौराहे पर पहुंचते ही उपर्युक्त अधिकारियों ने पुलिस को निर्देश देकर उनके साथियों पर लाठी चार्ज करवाया जिसमें वे भी घायल हो गये और उसके बाद उनके ऊपर पुलिस द्वारा विभिन्न धाराओं में मुकदमा कायम कर, जिला जेल, लखनऊ में बन्द कर दिया गया। उनके साथ के एक अन्य माननीय सदस्य श्री सुरेश दत्त पालीवाल के भी चोटें आयीं, और किसी को कोई चिकित्सा सुविधा नहीं दी गयी। माननीय सदस्य का यह भी कहना है कि स्पेशल जज, लखनऊ के निर्णय दिनांक 9 फरवरी, 1983 के अनुसार उक्त तिथि को चारबाग स्टेशन से 9–त्रिलोक नाथ रोड तक धारा 144 नहीं लगायी गयी थी। माननीय सदस्य ने अपनी सूचना में उक्त अधिकारियों पर यह भी आरोप लगाया है कि उन्होंने यह कार्य उन्हें सदन की कार्यवाही में भाग लेने से रोकने के लिए किया था।

मैंने इस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी थी। तत्कालीन माननीय राज्य मंत्री श्री गुलाब सेहरा के पत्र दिनांक 4 अप्रैल, 1983 में बताया गया है कि दिनांक 23 जनवरी, 1983 को श्री अकबर अहमद से रेलवे स्टेशन पर मिलने लगभग 1 हजार व्यक्ति आये थे जो जुलूस ले जाने की तैयारी में थे। रेलवे स्टेशन पर क्षेत्राधिकारी कैसरबाग द्वारा कुछ अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित पहुंच कर श्री अहमद और उनके समर्थकों को बताया गया कि नगर में धारा 144

---

†छापा नहीं गया।

दण्ड प्रक्रिया संहिता लगी होने के कारण बिना पूर्व अनुमति के कोई जुलूस नहीं निकाला जा सकता है, और यह भी बताया गया कि विधान सभा मार्ग पर गणतंत्र दिवस परेड का पूर्वाभ्यास किया जा रहा है अतः रवीन्द्रालय से बेगम हजरत महल पार्क तक उक्त मार्ग पर आवागमन रोक दिया गया है, किन्तु बार-बार समझाने पर भी श्री अकबर अहमद अपने समर्थकों सहित उत्तेजनात्मक नारे लगाते हुए जबरदस्ती जुलूस बना कर चल पड़े। बर्लिंगटन होटल के चौराहे के पास अतिरिक्त जिलाधिकारी, नगर तथा पुलिस अधीक्षक, नगर ने उन्हें रोका और चेतावनी देने के पश्चात् भीड़ को तितर-बितर कराया, तथा श्री अकबर अहमद और श्री सुरेश दत्त पालीवाल सहित 44 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके विरुद्ध थाना कैसरबाग पर भारतीय दण्ड विधान की कतिपय धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

मैंने माननीय सदस्य की शिकायत तथा शासन के स्पष्टीकरण पर विचार किया। चूंकि विधान सभा सत्र 1 फरवरी, 1983 से आहूत किया गया था, अतः इस निष्कर्ष पर पहुंचने का कोई ठोस आधार नहीं है कि दिनांक 23 जनवरी, 83 को माननीय सदस्य की गिरफ्तारी उन्हें सदन की कार्यवाही में भाग लेने से रोकने के लिए की गई थी। शासन से प्राप्त सूचना से यह स्पष्ट है कि दिनांक 23 दिसम्बर, 1982 को धारा 144 लागू किया गया था और वह दो माह के लिए प्रभावी था। अपनी सूचना दिनांक 25 फरवरी, 1983 में माननीय सदस्य का कहना है कि स्पेशल जज के निर्णय दिनांक 9 फरवरी, 1983 से यह स्पष्ट हो जाता है कि शहर में धारा 144 नहीं लगाई गयी थी। माननीय सदस्य ने उक्त निर्णय की प्रति संलग्न नहीं की। पत्र दिनांक 10 अगस्त, 1983 द्वारा उक्त निर्णय की प्रति उनसे मांगी गयी थी फिर भी वे उसे उपलब्ध नहीं करा सके। इतना ही नहीं, प्रश्नगत घटना 23 जनवरी, 1983 की है पर विशेषाधिकार की सूचना 25 फरवरी, 1983 को दी गयी जो काफी विलम्बित भी है।

उपरोक्त परिस्थितियों में विशेषाधिकार की अवहेलना का कोई मामला अन्तर्ग्रस्त नहीं प्रतीत होता और सदन में इसे उठाने की अनुमति नहीं प्रदान की जाती।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1984†

पंचायती राज, ग्राम्य विकास एवं नगर विकास मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1984 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1984 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

---

†दिनांक 29 फरवरी, 1984 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री बलराम सिंह यादव–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1984 को पुरःस्थापित करता हूं।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम–56 के अन्तर्गत आज 11 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री की, बुन्देलखण्ड में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। उसके आगे श्री शंकर सिंह की, कानपुर देहात की पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ में निर्दोष व्यक्तियों की हत्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। उसके आगे श्री हरगोविन्द वर्मा की द्वारिका प्रसाद पुत्र जोखन, सीतापुर की भूख से मृत्यु होने के सम्बन्ध में है। उसके आगे श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की, हैदरगढ़ (बाराबंकी) में किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज के सम्बन्ध में है। उसके आगे श्री मुहम्मद आजम खां तथा श्री हरगोविन्द वर्मा की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनारस में सुन्नियों की कब्रें हटाने के निर्देश से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। उसके आगे श्री मसरूर जाफरी, श्री मित्रसेन, श्री माता प्रसाद पाण्डेय तथा श्री गोपी नाथ वर्मा की, जनपद गोंडा के ग्राम एतमादपुर के प्रधान की पुलिस द्वारा हत्या के सम्बन्ध में है। श्री रेवतीरमण सिंह की लखनऊ विश्वविद्यालय में चुनाव न कराये जाने से उत्पन्न असन्तोष के सम्बन्ध में है। उसके आगे श्री फिरंगी प्रसाद विशारद की, जनपद गोरखपुर से खाद्यान्न की वस्तुओं की तस्करी के सम्बन्ध में है। श्री भीखा लाल की ग्राम अल्लूपुर थाना काकोरी में पड़ी डकैती के सम्बन्ध में है। श्री राम आसरे वर्मा, श्री गोपी नाथ वर्मा और श्री खैरुल बशर की, कृषि अभियंत्रण डिप्लोमा धारकों द्वारा भूख हड़ताल किये जाने के सम्बन्ध में है। उसके आगे श्री मसरूर जाफरी की, बाराबंकी के थानेदार श्री अरविन्द कुमार के अत्याचार से जनमानस में उत्पन्न आक्रोश के सम्बन्ध में है।

मैं श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री को बुलाने से पहले, माननीय सदस्यों से एक निवेदन करता हूं, वह यह है कि नियम–56 के अन्तर्गत जो सूचनाएं दी जाती हैं, उसमें कृपया नियमों को भी देख लिया करें। जो तमाम सूबे से सम्बन्धित हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, उसी प्रकार की घटनाओं को आप दिया करें। यह नहीं कि एक व्यक्ति से सम्बन्धित मामला है, उसी एक मामले पर आप काम रुकवा दीजिए। इसको आप लोग देखें, इससे सदन का भी समय बचेगा।

(श्री मसरूर जाफरी और श्री मुहम्मद आजम खां के खड़े होने पर)

आप लोग बैठें। मैं अभी खड़ा हुआ हूं। इसके अलावा माननीय मंत्री जी भी कृपया इस चीज को ध्यानपूर्वक सुन लें कि जिसमें मैं आवश्यक समझूंगा कि इसमें सूचना आप दें, तो उसी पर आप बोलें। यह नहीं कि एक इधर से बोला, तो आप उधर से बोलें। जिसमें मैं महसूस करूंगा कि सूचना की आवश्यकता है, उसी पर आप कहेंगे। इस पर आप ध्यान दें।

*श्री मसरूर जाफरी–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जैसे कि अभी आपने निर्देश दिये हैं माननीय मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को और हम लोगों को, तो मान्यवर जब माननीय मुख्यमंत्री जी समय पर सत्र ही नहीं बुलाते हैं, तो वह जो आवश्यक चीजें हम लोगों के पास इकट्ठी हो जाती हैं, तो उन्हें तो उठाना ही पड़ेगा, सदन के संज्ञान में लाना ही पड़ेगा जब यह भगोड़े मुख्यमंत्री जी सदन को बुलाने में ही पीछे भागते हैं, तो क्या किया जाय?

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, जो जरूरी मुद्दे हैं, वे तो मान्यवर, सदन के संज्ञान में लाये ही जायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैंने एक सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष–

मैं एक-एक करके ले रहा हूं। आप बैठें।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, निवेदन है कि मैंने जो सूचना बनारस में दो कब्रों की बाबत दी है, वह बहुत अहम है। आप माननीय राजेन्द्र अग्निहोत्री जी को सुन लें, उसके बाद मुझे मौका दे दें, तो कृपा होगी।

(श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री का नाम पुकारे जाने पर)

श्री नन्द राम–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, 3 लाख का घोटाला हो गया है, मैंने सूचना दी थी नियम 301 के अन्तर्गत।

श्री अध्यक्ष–

हम इस पर आगे विचार कर लेंगे। आप बैठिये।

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

श्रीमान् अध्यक्ष जी, मैं नियम 56 के अन्तर्गत, आज बुन्देलखण्ड क्षेत्र में झांसी, महोबा, तांदा, चरखारी और हमीरपुर में जो गम्भीर पेयजल संकट है, उसकी ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। पिछले तीन वर्षों से यह सरकार इस बात को लगातार स्वीकार करती है कि बुन्देलखण्ड के नगरीय क्षेत्रों में पानी का भयंकर संकट है। इस बात को स्वीकार करने के बाद और बार-बार वचनबद्ध होने के बाद भी पेयजल संकट को दूर करने के लिए कोई भी योजना नहीं बनायी गयी है। बुन्देलखण्ड के झांसी, महोबा, चरखारी में पेयजल संकट का मुख्य कारण यह है कि जितने पेयजल की आवश्यकता है, उतना पानी ही उपलब्ध नहीं है। शासन का नियम है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रति दिन 50 लीटर पानी प्राप्त होना चाहिए। झांसी,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री]

महोबा और हमीरपुर में 10 लीटर से 18 लीटर तक प्रति दिन पानी मिल पाता है और वह भी उन स्थानों पर मिलता है, जो बस्ती नीचे लेविल पर स्थित है। आज मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि बुन्देलखण्ड के पांचों नगरों में निर्धारित मात्रा से बहुत कम पानी प्राप्त हो रहा है। झांसी में माताटीला के जलाशय से पेयजल की आपूर्ति की जाती है, परन्तु उसका पानी सिंचाई के लिये भी उपयोग में आता है। ये बार-बार आश्वासन देते हैं और इस प्रकार की बात कहते हैं कि सिंचाई मंत्री से बात करके और अधिक पानी की व्यवस्था करेंगे। सिंचाई विभाग ने स्पष्ट मना कर दिया है कि झांसी के लिये आवश्यकतानुसार पेयजल की आपूर्ति माताटीला बांध से नहीं कर पायेंगे। राजघाट से जो व्यवस्था है, वह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के निकम्मेपन के कारण 10 साल में बन पायेगी। जल निगम ने राजघाट से जो योजना बनायी है, उसमें 12 करोड़ रु0 का खर्चा है। इस सरकार की हिम्मत नहीं है कि पैसा खर्च कर पाये। इन पांचों नगरों में पेयजल की गम्भीर अव्यवस्था है। ट्यूबवेल की जो व्यवस्था की है, प्रतिदिन वहां पर झगड़े हो रहे हैं। एक-एक बूंद पानी के लिये जनता परेशान है, जो पेयजल की लाइन बिछी है, वह वही है जो 15–20 साल पहले नगरपालिका द्वारा बिछायी गयी थी और वह भी आबादी के 25 प्रतिशत क्षेत्रों में बिछी हुई है। लाइनें पुरानी हो गयी हैं और बीच-बीच में टूट गयी हैं। आज बुन्देलखण्ड क्षेत्र के अन्तर्गत इन पांचों नगरों में पानी की गम्भीर स्थिति है, परन्तु सरकार मौन है। कर्मचारियों और जनता के बीच में रोज मार-पीट हो रही है, सारी स्थिति विस्फोटक है। मेरी आपसे मांग है कि ऐसे महत्वपूर्ण और अविलम्बनीय मुद्दे पर चर्चा कराने की कृपा करें।

*पंचायतीराज, ग्राम्य विकास एवं नगर विकास मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)–

माननीय अग्निहोत्री जी ने झांसी के नगरों में पेयजल से उत्पन्न स्थिति के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित किया, इसके लिये हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ इतना आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे ही यह भार मुझे मिला था, मैंने उसके दूसरे दिन ही सिर्फ बुन्देलखण्ड के लिए ही नहीं बल्कि समस्त उत्तर प्रदेश में जहां भी जल निगम या नगर विकास विभाग है, जो जल का प्रबन्ध करता है, उनको एक शासनादेश जारी कर दिया है और वह शासनादेश हर जगह, हर जनपद में जा चुका है और जहां तक अग्निहोत्री जी चिंतित हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि इस समस्या को लेकर शासन उससे अधिक चिंतित है और सिर्फ बुन्देलखण्ड के लिए ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए हम जागरूक हैं और हमने इसके लिए अधिकारियों के साथ बैठकें भी की हैं और विचार-विमर्श हुए हैं और जहां तक बुन्देलखण्ड की बात है मैं चाहूंगा अगर अग्निहोत्री जी सहमत हों तो किसी दिन अधिकारियों के साथ बैठ जाएं और उसमें क्षेत्रीय विधायकगण भी हों और इस सम्बन्ध में जितनी भी समस्याएं होंगी, उनके निराकरण के संबंध में शीघ्रता से प्रयास करेंगे, फिलहाल मैं इतना ही आश्वासन दे सकता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री शंकर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, दिनांक 20 और 21 फरवरी को जब महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस चल रही थी, उस दिन मान्यवर, अखबार के फ्रंट पेज पर यह निकला कि 'कल्लू काछी को और मीरा नटनी तथा दो अन्य को पुलिस द्वारा मार दिया गया जो डाकू दस्यु से सम्बन्धित थे, यह मान्यवर, कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह सिर्फ इसलिये किया गया है कि माननीय मुख्य मंत्री एवं सत्तारूढ़ दल के अन्य विधायकगण जनता की वाह-वाही लूट सकें और शासन की उपलब्धि दिखायी जा सके। फिर मान्यवर, कानपुर देहात के लोगों ने जो कहा, जो लोग उस स्थान से संबंधित हैं, समाचार-पत्र में आया कि जिन लोगों को मारा गया है, वह कल्लू काछी से सम्बन्धित नहीं है, यह लोग निर्दोष व्यक्ति हैं और मीरा नटनी, मीरा नटनी नहीं है, बल्कि कोई दूसरी सौभाग्यशाली महिला है, जिसके सिर में सेंदूर और पैरों में मेंहावर लगी हुई थी तथा जेवर आदि भी पहने हुए थी और पुलिस उनके साथ अत्याचार करती रही, तो इस तरह मान्यवर, यह शंका हो रही है कि कल्लू-काछी को मारा गया है या किसी और को उसके नाम पर मारा गया है सिर्फ इसलिए कि पुलिस कर्मचारी वाहवाही लूट सकें और इसीलिए ऐसा समय निश्चित किया गया मा0 मुख्य मंत्री जी का ताकि राज्यपाल अभिभाषण पर इस उपलब्धि में उन्हें भी वाह-वाही मिल जाए। इसलिए मान्यवर, कानपुर से कई राजनीतिक दलों ने इस तरह के ज्ञापन दिये हैं कि इस मामले की सी0बी0आई0 द्वारा जांच करायी जाए और इस मामले में मा0 मुख्य मंत्री जी से वक्तव्य दिलवा दीजिए ताकि इस पर बहस की जा सके।

(संबंधित मंत्री द्वारा कोई आश्वासन न दिये जाने पर और श्री आसरे वर्मा का नाम पुकारे जाने पर।)

(शोर)

श्री शंकर सिंह–

मान्यवर, इस पर कोई कार्यवाही या मा0 मंत्री जी से आश्वासन तो दिलवाइये। मान्यवर, यह मुठभेड़ सही है या नकली है, और इसमें सच्चाई क्या है, यह बात सामने आ सके, इसके लिए कुछ तो कहलवाइये।

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, इस पर वक्तव्य दिलवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

कोई आवश्यक नहीं है, आप लोग सुनिए तो सही।

(व्यवधान)

(श्री राम आसरे वर्मा के खड़े होकर बोलने पर श्री हर गोविन्द वर्मा अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने लगे।)

*श्री हर गोविन्द वर्मा–

हमारे जिले में भुखमरी से लोग पीड़ित हैं.....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

आप मेरी बात को सुनें। मैंने यह कहा है कि अन्त में मैं मंत्री जी को बुलाऊंगा सब सूचनाओं के होने के बाद, वह चाहें तो उत्तर दे दें, मैं उनको बाद में बुलाऊंगा।

श्री हुकुम सिंह–

ठीक है।

श्री हर गोविन्द वर्मा–

मेरे जिले में जल के भराव से लोग परेशान हैं . . .

श्री अध्यक्ष–

मैंने श्री राम आसरे वर्मा का नाम पुकारा है। मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं, आप कृपया बैठें।

श्री हर गोविन्द वर्मा–

मान्यवर, मैं बैठ नहीं सकता हूं। मान्यवर, मेरी बात को सुना जाय।

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी, आप अपने स्थान पर बैठें।

श्री हर गोविन्द वर्मा–

मान्यवर, मैं बैठूंगा नहीं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी, सदन को छोड़ो मैं निवेदन कर रहा हूं। आखिर में कि माननीय वर्मा जी सदन को छोड़ें, यह तरीका गलत है।

श्री हर गोविन्द वर्मा–

सदन में एक दिन के लिए क्या तीन दिन के लिये छोड़ दूंगा लेकिन मेरा जो अधिकार है सदन में अपनी बात को कहने का, वह मैं कहूंगा। आपके आदेश के लिये सदन में एक दिन के लिये क्या तीन दिन के लिये छोड़ दूंगा। मैं हाउस में रहा हूं, आपका आदेश है लेकिन इस तरह से अन्याय हो रहा है, जिलों में लूट हो रही है, सीपेज के प्रभाव से लोग मर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

मैंने इसको समाप्त नहीं किया है। अभी नियम 56 की सूचनाएं हमने समाप्त कहां की हैं? जब नम्बर आयेगा, तब मैं आपको बुलाऊंगा।

श्री हर गोविन्द वर्मा–

[* * *]

श्री अध्यक्ष–

ये बिना आज्ञा के बोल रहे हैं, कोई शब्द लिखा नहीं जायेगा।

श्री हर गोविन्द वर्मा–

[* * *]

नोट:–[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी, सदन को छोड़ें या आप कृपया बैठें। आप मेहरबानी करके बैठें।

श्री हर गोविन्द वर्मा–

[* * *]

श्री अध्यक्ष–

जब नम्बर आयगा, तब आपसे बोलने के लिये कहूंगा अभी मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

श्री हर गोविन्द वर्मा–

[* * *]

श्री अध्यक्ष–

(श्री राजेन्द्र सिंह से) आप नेता जी, इनको समझाइये।

श्री हर गोविन्द वर्मा–

यह चल कर गरीबों को समझावें। मैं निश्चित करके आया हूं या तो हमको निकाल दीजिये या फिर मेरी बात को सुनिये। सीतापुर और लखीमपुर के गरीब किसानों की हालत आप यहां पर सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष–

मैं कोई आज्ञा नहीं दूंगा। आप नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं।

श्री हर गोविन्द वर्मा–

आप इनसे कहिये कि ये रेज्यूल्यूशन ले आयें और आप हमको सदन से निकाल दीजिये।

श्री अध्यक्ष–

बैठिये। आप बैठिये।

(श्री हर गोविन्द वर्मा प्रेस गैलरी की ओर देखते हुए हंसे और अपने स्थान पर बैठ गये।)

श्री अध्यक्ष–

आप इस तरह से हंस रहे हैं, यह कोई तरीका नहीं है।

श्री मुहम्मद आजम खां–

तो क्या यह रोने की बात है, हंसने की नहीं?

श्री अध्यक्ष–

तो फिर रोइये।

श्री मुहम्मद आजम खां–

रो तो रहे ही हैं।

श्री अध्यक्ष–

मैंने यह कहा कि इसको अभी समाप्त नहीं किया है। मैं एक-एक को सुनूंगा। जब निर्णय दे दूं और आप की बात न सुनी जाये तो कहें। यह बात गलत है।

नोट:–[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, कृषि अभियन्त्रण डिप्लोमा धारक दिनांक 27-1-84 से विधान भवन के समक्ष क्रमिक अनशन कर रहे हैं। उन्होंने यह अल्टीमेटम दिया है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो वह 26-2-1984 से आमरण अनशन पर बैठेंगे, जिसके फलस्वरूप 6 लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं और उनकी हालत गम्भीर होती जा रही है। जो मांग लेकर बैठे हैं उसके औचित्य के बारे में समय-सयय पर शासन स्तर पर अधिकारियों के साथ बैठकें हुई हैं। उन लोगों ने अभी हाल ही में माननीय मुख्य मंत्री जी से मुलाकात की थी, 5 दिसम्बर, को वह लोग मुख्य मंत्री जी से मिल चुके हैं और मुख्य मंत्री जी ने उन लोगों को आश्वासन दिया था कि उनकी मांगों के बारे में एक महीने में निर्णय ले लिया जायेगा। माननीय मुख्य मंत्री जी का वह आश्वासन भी आश्वासन ही बन कर रह गया। अधिकारियों की मीटिंग हुई थी और उसमें यह निर्णय लिया गया, यह मीटिंग मान्यवर, 30-8-79 को हुई थी और उसमें यह निर्णय लिया गया था कि सभी कृषि अभियन्त्रण डिप्लोमा धारकों को खपाया जायेगा। वह निर्णय भी बेकार हो गया उसके बाद शासन स्तर पर भी बैठक हुई और मुख्य मंत्री जी से भी मिल चुके हैं, अब वह मजबूर हो गये अनशन करने के लिये। यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न बन गया है, 6 लोग आमरण अनशन पर हैं और उनकी हालत गम्भीर है कहीं ऐसा न हो कि लक्ष्य को पूरा करने में उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाये, अगर कहीं ऐसा हो गया तो यह शासन के लिए कलंक की बात होगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको आप कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में स्वीकार कर लें।

*श्री मसरूर जाफरी–

मान्यवर, पुलिस अभी तक संरक्षक के नाम से जानी जाती थी, परन्तु वह आज भक्षक बन गयी है। मैं बाराबंकी के बड्डपुर थाने के इन्चार्ज अरविन्द कुमार तिवारी के जन विरोधी कार्यों की ओर इस शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। यहां पर प्रतिदिन ट्रकों और जीपों का जमाव लगा रहता है, उनसे यह इन्चार्ज रुपया वसूल करता है और उनकी पिटाई करता है। सुरक्षा के स्थान पर यह रुपया वसूल करने में लगा हुआ है यह इन्चार्ज कई चालकों को मार चुका है, हालत बहुत गम्भीर होती जा रही है। जो गाड़ियां लखीमपुर और सीतापुर को जाती हैं वह सब बन्द हो गयी हैं, सारा रास्ता बन्द हो गया है। मैं चाहता हूं कि इसकी सी0 आई0 डी0 से जांच हो और उस थाना इन्चार्ज के खिलाफ कार्यवाही की जाये और उसको निलम्बित किया जाये। मान्यवर, एक और बात है कि यह अपने को मुख्य मंत्री का रिश्तेदार बताता है। मान्यवर, रिश्तेदारी अपनी जगह पर है और कानून अपनी जगह पर है। इस तरह से बराबर रुपया वसूल किया जा रहा है।

[1 बजकर 20 मिनट]

यह कोई न्याय नहीं है। यह प्रदेश की सरकार पर कलंक का टीका है। इसके ऊपर आज मुख्य मंत्री जी सदन में आश्वासन दें और इस थाना इंचार्ज को निलम्बित करें, सी0 आई0 डी0 से इन्क्वायरी करायें। इसकी जानकारी सबको अच्छी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तरह से है इसका चरित्र ठीक नहीं है क्योंकि अभी आई0 जी0 ने उत्तर प्रदेश की पुलिस के बारे में एक बात यह कही कि पुलिस के अन्दर बहुत से गड़बड़ लोग घुस आये हैं। उनमें एक यह थाना इन्चार्ज भी हैं जो अपने को मुख्य मंत्री का रिश्तेदार बताते हैं। वहां पर दर्जनों गाड़ियां रुकी पड़ी हैं, दर्जनों ट्रक रुके पड़े हैं, कई लोगों के सिर वहां पर फूट गये हैं। इसलिये मैं मांग करता हूं कि इसकी जांच कराई जाय और निलम्बन के आदेश दिये जायं। इस बात का आश्वासन मंत्री जी सदन में दें।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी आखिर में उत्तर दे देंगे।

श्री मसरूर जाफरी–

नहीं मान्यवर, वहां पर सैकड़ों गाड़ियां रुकी पड़ी हैं। रास्ते रुके पड़े हैं। ये कोई उत्तर नहीं देंगे। यह तो भागना चाहते हैं। सुरक्षा दल इनका जो है वह भक्षण दल का काम कर रहा है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठें। (व्यवधान) एक-एक जिले का एक-एक मसला है।

*श्री हर गोविन्द वर्मा–

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैंने एक कामरोको प्रस्ताव श्री द्वारिका प्रसाद जी के नाम से दिया है। यह एक हरिजन है और चांदपुर में रामकलां थाने के अन्तर्गत महमूदाबाद तहसील का रहने वाला है। मान्यवर, 31 दिसम्बर को इसे 3 दिन तक भोजन नहीं मिला। उसने महमूदाबाद तहसील पर जाकर अधिकारियों से अनुनय-विनय की कि मेरी स्थिति यह है कि हमको भोजन नहीं मिल रहा है, मेरा मकान गिर गया है। इस पर अधिकारियों ने कहा कि तुम्हारे पास एक एकड़ से ज्यादा जमीन है इसलिये तुमको कुछ नहीं मिल सकता है। इस तरह से वह अपने घर निकल गया और 3 बार घर जाते-जाते रास्ते में जमीन पर गिर गया।। अपने घर के दरवाजे में पहुंचते ही उसकी मृत्यु हो गयी। मान्यवर, यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि चूंकि यह बात सरकारी रिकार्ड में आ गयी है। सीतापुर, लखीमपुर, बाराबंकी और लखनऊ में सीपेज और जल-भराव की स्थिति है। वहां पर कोई गांव ऐसा नहीं है जहां एक-दो मृत्यु इस तरह से न हुई हो। सीपेज से वहां का पानी सड़ गया है। उस पानी को पीने की वजह से सैकड़ों आदमी बीमार हो गये हैं और हो रहे हैं। एक-दो महीने के अन्दर ऐसे लोगों का स्वर्गवास हो जाता है। इसके लिये पिछली बार भी और उससे पहले भी कई बार इसी सदन में हमने प्रश्न उठाया था और आपने भी मान्यवर, प्रयास किया था। सत्तारूढ़ दल ने उसके संबंध में हाउस की एक कमेटी बनाना स्वीकार नहीं किया। यदि वह कमेटी बन गई होती उस इलाके को देख लिया गया होता तो उस इलाके में चार-पांच लाख लोग लखीमपुर से लखनऊ तक इतने परेशान न होते। वहां पर सीपेज की वजह से एक दाना भी अन्न पैदा नहीं होता लेकिन उनसे वसूली की जाती है, उनके जेवर बरतन तक बिक चुके हैं...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठें ।

श्री हर गोविन्द शर्मा–

मान्यवर, उन लोगों से खाद की वसूली, बिजली की वसूली, सरकारी दयों की वसूली की बिना पर उन्हें तहसीलों की हवालातों में बन्द कर दिया जाता है । इसलिये मैं मांग करता हूं कि आज का कार्य रोक कर यह सदन इस विषय पर चर्चा करें । यदि इस पर चर्चा होती तो जैसा आपने मुझे आदेश दिया है कि मैं हाउस छोड़ दूं, निश्चित रूप से मैं हाउस को छोड़ दूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने कोई आदेश आपको नहीं दिया। माननीय संसदीय कार्य मंत्री, आपको इस पर कुछ कहना है. . . (व्यवधान) मैंने अभी इसे समाप्त नहीं किया है। . . . (व्यवधान) बहुत से लोगों का मसला है । नियमों के अन्दर एक भी मसला नहीं आता है । नियम 56 में वे विषय आते हैं जो पूरे सूबे से संबंधित हों । . . . (व्यवधान)। एक डकैत मर गया तो मर जाने दीजिये ।

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

अध्यक्ष जी, माननीय शंकर सिंह जी ने कल्लू काछी के बारे में कुछ बातें कहीं। उनको इसके बारे में कुछ संदेह है । इस सिलसिले में तो उसकी मैजिस्टीरियल जांच की जायेगी और अगर जरूरत पड़ी और आपके आदेश हुए तो वक्तव्य भी दिया जायेगा ताकि सही स्थिति सामने आ जाय । शासन का कोई अभिप्राय नहीं है कि किसी दोषी को बचाया जाय, या कोई अधिकारी की बात कही गयी है कि उसे प्रोटेक्ट किया जाय। सारे फैक्ट्स आपके सामने आ जायेंगे ।

कृषि डिप्लोमा होल्डरों की समस्या बहुत दिनों से चली आ रही है। जैसा माननीय राम आसरे वर्मा जी ने बात कही उससे शासन पूरी तरह से अवगत है। कुछ टैकनिकल दुश्वारियां थीं, टैकनिकल एजुकेशन से रिकगनिशन नहीं मिली इसलिये उनके डिप्लोमा को मंजूर नहीं किया जा सका । अब प्राविधिक शिक्षा निदेशालय इसमें कार्यवाही कर रहा है । पूरी उम्मीद है कि शीघ्र ही इस सिलसिले में आदेश पारित हो जायेंगे ताकि किसी प्रकार की कोई हड़ताल या कोई चीज वे न करें ।

सो बडड़ूपुर बाराबंकी के बारे में माननीय मसरूर जाफरी साहब ने जो कहा, इस तरह की कुछ शिकायतें मिली थीं । इसकी पूरी जांच किसी उच्च अधिकारी से कराई जायेगी और जरूरत पड़ी तो वहां के एस0 ओ0 को हटाया जायेगा । . .

श्री मसरूर जाफरी–

हटाना कोई दंड नहीं है । कम से कम उसे सस्पेंड कर दें। मान्यवर, मंत्री जी अपने कर्तव्यों से भाग रहे हैं । मैंने कहा था कि मुख्य मंत्री के रिश्तेदार हैं केवल इसलिये उनको बचाना पड़ता है ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, माननीय मसरूर जाफरी ने जो रिश्तेदार की बात कही है उसे कार्यवाही से खारिज किया जाय क्योंकि बगैर सबूत के कोई बात कहना ठीक नहीं है। (व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, मैं देख लूंगा और ऐसा होगा तो निकाल दिया जायेगा। (व्यवधान)

*श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मसरूर जाफरी ने एक आरोप लगाया कि थानेदार अपने को मुख्य मंत्री जी का रिश्तेदार बताता है। माननीय मंत्री जी ने इस बात को कबूल किया कि कुछ आरोप सही पाये गये, शिकायतें सही पायी गयीं। या तो माननीय मंत्री जी यह बतायें कि यह-यह शिकायतें सही पायी गयीं और यह-यह शिकायतें सही नहीं पायी गयीं। तो बिना यह जाने हुए. . .

श्री अध्यक्ष–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप बैठें।

श्री राम आसरे वर्मा–

बिना उन बातों को जाने क्या यह कार्यवाही से निकाला जा सकता है इस पर मैं व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

जो मेरा काम है वह मैं करूंगा।

श्री राम आसरे वर्मा–

शायद मैं अपनी बात को समझा नहीं पाया हूं। माननीय मसरूर जाफरी ने एक प्रश्न उठाया कि वहां का दरोगा अपने को मुख्य मंत्री का रिश्तेदार बताता है। तो या तो माननीय मंत्री जी यह कहें कि इस बात की जांच करा ली गयी है और जांच के बाद यह गलत पाया गया तब तो बात समझ में आती है। नहीं तो एक आरोप यहां पर आया है। बिना जांच पड़ताल के माननीय मंत्री जी यह कहें कि यह कार्यवाही से निकाल दिया जाय। जब तक उसकी जांच नहीं करायी जाय, तब तक कार्यवाही से निकाले जाने के आदेश आप न दें।

श्री अम्मार रिजवी–

मेरा तो केवल अनुरोध है जो भी उचित फैसला आप समझें ले लें। मैंने तो आपके माध्यम से एक निवेदन किया था कि इस प्रकार के आरोप लगाना उचित नहीं है जब तक कि पूरी जानकारी न हो। और अगर यह सिलसिला चला तो हर वक्त इस प्रकार की बात आयेगी यह इसका रिश्तेदार है। इसलिये मैंने निवेदन किया था कि इसको कार्यवाही से निकाला जाय। मान्यवर, श्री हर गोविन्द वर्मा ने एक द्वारिका प्रसाद के सिलसिले में कुछ बातें कहीं और उसके ऊपर डी0एम0 सीतापुर से इन्क्वारी करायी जा रही है कि घटना किस प्रकार हुई और सारी बातें जांच में पता चलेंगी कि स्टाफ के कर्मचारी से ऐसी बात हुई कि नहीं और फिर उस पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री हर गोविन्द वर्मा–

[* * *]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप बिना आज्ञा के बोलते हैं इसलिये कुछ नहीं लिखा जायेगा।

नोट:–[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हर गोविन्द वर्मा–

मान्यवर, द्वारिका प्रसाद सीपेज की समस्या से परेशान होकर भूख से मरा है। रोजाना गांव में लोग मर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जायं।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, यह कहना सत्य नहीं है कि भुखमरी से लोग रोज मर रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि इस पर आप चर्चा करायें जिससे सही तथ्य सामने आ जायं। (व्यवधान)

(श्री मुहम्मद आजम खां के खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष–

मुहम्मद आजम खां जी, आपने जो सूचना दिया है उसमें कहना है कि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिये इसमें यह नहीं आ सकता है।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, सुप्रीमकोर्ट के संबंध में मैं कुछ नहीं कहूंगा और यदि कहूं तो उसको कार्यवाही से आप निकाल देंगे। (व्यवधान)

श्री रेवती रमण सिंह–

(व्यवधान) व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

सभी लोग बोलना चाहते हैं, तो आप लोग निर्णय ले लें कि सभी को सुना जाये तो मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं सभी को सुन लूंगा आप लोग बैठ जायं। अभी समाप्त नहीं किया है।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, बनारस के दोषीपुरा मुहल्ले में एक मस्जिद और दो कब्रों को खोदे और हटाये जाने का अहम मसला है। यह एक ही मजहब के दो लोगों का मामला है। एक मजहब के लोगों ने चाहा था कि यह कब्रें इस मुहल्ले से हट जायं जिस पर सुप्रीम-कोर्ट ने फैसला कर दिया वह चाहे सही हो या गलत। मैं कहना चाहता हूं कि यह मामला जो इस समय मामूली नजर आ रहा है कि दो कब्रें हटा दी जायेंगी और कुछ नहीं होगा लेकिन यह इतना मामूली नहीं है, यह गम्भीर मामला है। जब कब्रें खोदी जायेंगी तो वहां एक खास समुदाय के लोग इकट्ठा होंगे और आपकी वहां पी0ए0सी0 होगी सुप्रीमकोर्ट के आदेशानुसार यह मार्च तक कब्रें हटायी जायेंगी और जब कब्रें खोदी जायेंगी तो उस बंद गली में जहां दो कब्रें हैं वहां 4--5 हजार लोग जो जमा होंगे, उनका झगड़ा किसी से नहीं होगा बल्कि वह आपस में झगड़ा होगा, भाई से भाई लड़ेगा और फिर दोनों पी0ए0सी0 से झगड़ा लड़ेंगे और पी0ए0सी0 अपना काम करेगी और कब्रें खोदी जायेंगी, इससे बेगुनाह लोग मारे जायेंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बहस नहीं करता। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे मांग करता हूं कि सदन में इस पर चर्चा करायें चूंकि यह गम्भीर मामला है और इन दिनों इससे गम्भीर कोई मामला यहां नहीं आने वाला है। क्या मंत्री जी ऐसा कोई हल इसका निकालेंगे जिससे सरकार इसमें पड़

कर या प्रधान मंत्री इसमें पड़ें चूंकि वह सुप्रीमकोर्ट स्तर का मामला है। (श्री अम्मार रिजवी के खड़े होने पर) पहले आप मेरी पूरी बात सुन लें, हो सकता है कि मेरा कोई सुझाव आपकी समझ में आ जाए।

श्री अध्यक्ष–

आप (मंत्री जी) बीच में पड़ जाएं और इसको टाल दीजिए। आप (श्री मुहम्मद आजम खां) इनके पास चले जाइयेगा।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मैं जाने को तैयार हूं, चला जाऊंगा।

श्री श्रीनाथ सिंह–

मैं इसमें अपनी बात कहना चाहता हूं, चूंकि मैं बनारस का रहने वाला हूं।

श्री अध्यक्ष–

अभी आप बैठ जायं।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मैं इसमें यह चाहूंगा कि शिया भाइयों की तरफ से अम्मार रिजवी साहब उधर से पड़ जायं। पिछली बार नश्तर साहब वहां गये थे, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। इसलिये अम्मार रिजवी साहब बीच में पड़कर इस मामले को खत्म करा दें, ताकि इस मामले में एक ही सम्प्रदाय के बेगुनाह लोग न मारे जायं। मेरा निवेदन है कि आसानी से सरकार इसको बाई-पास न करें। सरकार इसके लिये हमें आश्वासन दे और यदि हो, तो सदन स्थगित करके इस पर आप चर्चा करा दें।

श्री श्रीनाथ सिंह–

(तकलीफ होने के कारण मा0 अध्यक्ष ने श्री सिंह को बैठकर भाषण करने की अनुमति दी) इसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि बहुत ही बेहतर होगा कि सदन में इस पर चर्चा न की जाय। मैं बनारस का रहने वाला हूं और आज ही वहां से लौटा हूं। दुनिया के एक बड़े देश की राजनयिक महिला अभी बनारस गयी थीं वह तथा और भी कई बड़े लोग इसके लिये प्रयत्नशील हैं कि इसमें कुछ हो जाय, इसलिए इस पर बिलकुल चर्चा न की जाए, तो अच्छा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और असम्बली से बढ़कर मानवता है। यहां कुछ इस पर किया गया तो सभी समुदायों के लोग गलतफहमी में और उत्तेजना में पड़ सकते हैं। यह बहुत संवेदनशील जगह हो गयी है, मैं बनारस का रहने वाला हूं, खुदा के नाम पर आजम खां मान जायं और वह चर्चा इस पर बिलकुल न करें, यही बहुत अच्छा होगा।

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, मैंने नियम 56 में जो आपको सूचना दी है...

श्री अध्यक्ष–

एक मिनट अभी आप बैठ जायं। मैं सभी नेताओं से निवेदन करूंगा कि पहली तारीख की बैठक समाप्त होने के उपरान्त वे मेरे कक्ष में आ जायं। मेरे कक्ष में नेताओं की बैठक है, आप (श्री अम्मार रिजवी) भी और नेता भी आ जायें। मेरा ऐसा इरादा है

[श्री अध्यक्ष]

कि कार्य स्थगन की सूचनाओं के संबंध में जो कुछ भी आप निर्णय करें उसी के अनुसार कार्य चलाया जाय क्योंकि नियम 56 की सूचनाएं बहुत अधिक आती हैं। इसको मैं नेताओं के साथ तय करूंगा।

एक सदस्य–

यह कैसे होगा ?

श्री अध्यक्ष–

आप आपस में तय कर दें कि इसको लेना है, इसको नहीं लेना है, या सबको लेना है। आप लोग अपनी संस्तुति दे देंगे, मानूंगा या नहीं मानूंगा, इसका मैं परीक्षण करा लूंगा। इसलिये पहली तारीख को सदन उठने के बाद आप लोग मेरे कक्ष में मीटिंग में आ जायं।

श्री अम्मार रिजवी–

इसमें मेरा एक निवेदन है नेता विरोधी दल या उनकी जगह पर राजेन्द्र कुमार गुप्त, रियाज़त हुसैन और भीखा लाल जी की एक कमेटी बना दी जाय। वह सब तय कर दें।

श्री अध्यक्ष–

एक आपका, सरकार का भी तो उसमें प्रतिनिधि होगा?

श्री अम्मार रिजवी–

नहीं, यह लोग तय कर दें मैं मान लूंगा।

श्री शंकर सिंह–

इस संबंध में मेरा निवेदन है कि जिन नेताओं के सुपुर्द आप इसे करें उसमें यह भी कर दें कि वह नेता अपना कार्य-स्थगन नहीं पेश कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष–

यह आपस में तय हो जायेगा।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र–

इनको अपने नेताओं पर भी विश्वास नहीं है।

(व्यवधान)

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, मैंने जो अपना नियम 52 के अन्तर्गत प्रस्ताव दिया है, उसके संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव, ग्राम प्रधान, ग्राम एतमादपुर थाना नवाबगंज जिला गोण्डा को पुलिस वालों ने फर्जी एनकाउन्टर दिखा कर मार डाला है। पहले कुछ सिपाही उसके घर पहुंचे और कुछ बात करने लगे। इसके बाद 3 सिपाही और पहुंचे और उनके गले में पड़े मफलर से उनका गला कस दिया और पुलिस वाले घसीटते हुए अपनी जीप में ले आये। कुछ दूर जाकर मेन रोड पर उन्हें मार डाला। 14 जनवरी का यह मामला है। गांव के लोगों ने वहां पहुंच कर प्रतिरोध किया तो मनोज कुमार एस0 पी0 ने लोगों को एक कागज दिखाया और कहा कि देखो यह राज्यपाल महोदय का आदेश है कि इनकी जो हत्या करेगा उसको 2 हजार रुपये

का इनाम दिया जायेगा । इस तरह से गवर्नर महोदय का फर्जी आदेश दिखाकर राजेन्द्र प्रसाद प्रधान की हत्या कर दी गयी । इसके पूर्व वे बराबर बी0डी0सी0 की मीटिंगों में आया जाया करते थे। उनकी हत्या से प्रदेश के ग्राम प्रधानों में बड़ा रोष है और वे इससे बहुत क्षुब्ध हैं, जन प्रतिनिधियों में बड़ा रोष है। मैं चाहूंगा कि इस संबंध में आप दूसरे माननीय सदस्यों को भी सुन लें (व्यवधान) और कार्य-स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करें।

श्री माता प्रसाद पांडेय–

[* * *]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं, यह लिखा नहीं जायेगा ।

*श्री रेवती रमण सिंह–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । यहां मान्यवर, यह परम्परा देखी गयी है कि जो माननीय सदस्य जोरदार ढंग से अपनी बात कहते हैं, जो आपकी बात न मानकर अपनी बात कहते चले जाते हैं, उनको तो आज्ञा मिल जाती है, जो शान्त तरीके से अपनी बात कहना चाहते हैं उनको अवसर नहीं मिल पाता । (व्यवधान) मैंने अपने क्षेत्र में चल रहे आन्दोलन के बारे में नियम 56 के अन्तर्गत आपको लिख कर दिया था। कल 500 लड़के पकड़े गये, 30 जिलों में हड़ताल चल रही है, लाखों छात्रों के जीवन से उसका संबंध है . . .

श्री अध्यक्ष–

इसमें व्यवस्था का सवाल कहां उठता है? आप कृपया बैठें।

(व्यवधान)

श्री मसरूर जाफरी–

कृपया एक मिनट मुझे भी सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

एक विषय पर दो बार नहीं बोल सकते हैं । (व्यवधान) मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं, यह कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

*श्री रियासत हुसैन–

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव का मामला अभी माननीय मित्रसेन ने उठाया है, वह बड़ा गंभीर है। उसमें 2–3 प्वाइन्ट्स गौर करने योग्य हैं । इसको मफरूर बताया गया जब कि दूसरे तीसरे दिन नियमित रूप से पुलिस वाले उसके यहां जाते थे और खाते पीते थे। उसके यहां पुलिस बैठती थी वह मफरूर कैसे हो गया? तो चाय पीने के बाद पुलिस वाले उसे जीप में डालकर ले गये । जब बी0डी0सी0 की मीटिंग में अटेंडेंस है और कोर्ट की तारीख में वह हाजिर है तो वह एब्सकांडर कैसे हो गया? दूसरी चीज यह है कि एक फर्जी खत बनाकर

नोट:–[* * *] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रियासत हुसैन]

फर्जी हो या असली था, गया, उसमें था कि गवर्नर साहब का आदेश है कि इन्काउन्टर कर दिया जाय, 2 हजार रुपया का इनाम मिलेगा । तो यह पत्र असली है या नकली यह प्वाइंट आफ इन्क्वारी हो गयी । तीसरी चीज वह इलेक्टेड ग्राम प्रधान था। गांव के लोगों ने जब पीछा किया तो वह छूट कर भाग गया लेकिन गड्ढे में गिर गया । गिरे हुए आदमी पर गोली चलायी गयी और उसको गोली से मार दिया गया। तो इससे वहां की जनता में बड़ा असंतोष, भय तथा उत्तेजना का वातावरण बन गया है। तो श्रीमन्, इन तीनों बातों को ध्यान में रखकर इस विषय को टेकअप करें।

श्री मसरूर जाफरी–

मान्यवर, एक चीज और जोड़ लीजिये। जो बंदूक राजेन्द्र के पास थी. . . .

श्री अध्यक्ष–

आपकी सारी बातें रिकार्ड में आ गयीं। आप बैठें।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं चाहूंगा कि आप किसी को बुला लीजिये।

श्री मसरूर जाफरी–

एक मिनट मुझे सुन लीजिये। एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें, कोई शब्द नहीं लिखा जायगा।

*श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, शासन पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता है कि जो पत्र वहां पर दिखाया गया वह पत्र बिल्कुल फर्जी था। राज्यपाल महोदय का उससे कोई संबंध नहीं है और न राज्यपाल जी के यहां से वह लिखा गया । राज्यपाल जी का उस पत्र से कोई संबंध नहीं है। जिस घटना के संबंध में माननीय मित्रसेन जी ने बताया और मसरूर जाफरी तथा रियासत साहब ने जो तीन प्वाइंट उठाये हैं, मैं समझता हूं कि मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें जुडीशियल इन्क्वायरी किया जाना अत्यन्त आवश्यक है ताकि बात साफ हो जाय। मैं आपके माध्यम से इस सदन के माननीय सदस्यों को बता देना चाहूंगा कि इस प्रकार का पत्र, जो फर्जी खत था इसका राज्यपाल महोदय या शासन का उससे कोई संबंध नहीं है।

श्री मसरूर जाफरी–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपको याद होगा। पिछले साल माधोपुर गोंडा में जो 13 आदमियों को मारा गया था उसके बारे में मैंने सी0 बी0 आई0 की मांग की थी लेकिन उसको सरकार ने नहीं माना और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला किया। गोंडा में जो 13 आदमी मारे गये थे और डिप्टी एस0 पी0 मारा गया था उस पर सी0 बी0 आई0 की जांच बैठा दी। मैं चाहूंगा कि इसका निर्णय यहां पर हो जाय। यह भी सुप्रीम कोर्ट में न पहुंच जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

नियम 56 के अन्तर्गत जितनी सूचनायें थीं उन सबको मैंने अस्वीकार किया है। किन्तु श्री शंकर सिंह की सूचना के विषय को वक्तव्य के लिये मैंने स्वीकार किया है। माननीय हरगोविन्द वर्मा की जो सूचना है उसके विषय को मैंने वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है। माननीय मुहम्मद आजम खां की सूचना पर शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं। माननीय मित्रसेन की सूचना के सम्बन्ध में जुडीशियल इन्क्वायरी का आश्वासन दे दिया गया है। श्री राम आसरे वर्मा की सूचना पर शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं तथा श्री मसरूर जाफरी की सूचना पर शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं, विशेष रूप से जांच करने के लिये।

श्री मुहम्मद आजम खां–

व्यवस्था का प्रश्न है। बनारस के संबंध में सरकार क्या करने जा रही है?

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें। यह हो गया।

श्री मुहम्मद आजम खां–

यह तो बड़ा [XX] है।

श्री अध्यक्ष–

यह [XX] शब्द आक्षेप है।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह बिल्कुल [XX] की बात है।

श्री अध्यक्ष–

यह अन्याय शब्द निकाल दिया जाय, कार्यवाही से।

श्री मुहम्मद आजम खां–

[XX]

श्री अध्यक्ष–

यह नहीं लिखा जायगा।

श्री मुहम्मद आजम खां–

[XX]

(श्री मुहम्मद आजम खां सदन त्याग कर चले गये।)

श्री अध्यक्ष–

यह सदन उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1983 का अनुमोदन करता है, यह संकल्प प्रस्तुत किया जायगा।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मेरी व्यवस्था का प्रश्न है। मेरी बात सुन लें।

नोट:–[XX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री गोपी नाथ वर्मा--

मान्यवर, कृषि डिप्लोमा होल्डर्स की तरफ से लोग 27-1-84 से विधान भवन के सामने आमरण अनशन पर बैठे हैं । मान्यवर, अभी संसदीय कार्य मंत्री ने स्वीकार किया कि हम उनकी मांगे मानेंगे ।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, एक ही ईशू को आप बार-बार ले रहे हैं ?

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है और आप मान्यवर, आज्ञा नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

कोई कायदे की तो बात कहिये ।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1983 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1984 †

श्री राम गोविन्द--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1983 का अननुमोदन करता है ।

(इस समय 1 बजकर 51 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री यशपाल सिंह पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, सरकार ने तो निगम को बनाया और इसलिए बनाया कि इस सरकार को निगम के माध्यम से लोन आसानी से मिल जायेगा, विदेशों से भी इनको कर्जा मिल जायगा और काम निगम का चलेगा, लेकिन एक बात में सरकार फंस गयी कि निगम से अधिक पैसा इनको नहीं मिलता था, इसलिये इन्होंने सरकारीकरण करके जल निगम को अपने हाथ में लेकर उससे बचाखुचा जो काम है, उस काम को अस्त-व्यस्त कर देना चाहते हैं । मान्यवर, इन्होंने 7 प्वाइंट दिया है कि जिस मकान में किरायेदार है, अगर वह पैसा नहीं देता है पानी का, तो मकान मालिक का ही कनेक्शन काट दिया जायगा और मकान मालिक से पैसा वसूल किया जायगा । ऐसी यह क्यों नहीं व्यवस्था करते कि जब मकान मालिक के मकान में कोई किरायेदार पहुंचे, तो किरायेदार से ही अनुबन्ध कर लिया जाय कि आपको पानी का पैसा देना पड़ेगा और श्रीमन्, अगर किरायेदार पानी का पैसा न दे, तो उसका कनेक्शन काट दिया जाय ।

मान्यवर, स्थानांतरण और नियुक्ति का भी अधिकार ये अपने अध्यादेश के माध्यम से अपने में निहित कर लिये हैं । पहले जो एम0 डी0 होता था, वह नियुक्ति करता था और स्थानान्तरण करता था । सरकार ने नियुक्ति और स्थानान्तरण के अधिकार को अपने हाथ में ले लिया है, जिससे फिर कुछ उपलब्धि सरकार के लोगों

---

†दिनांक 17 फरवरी, 1984 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

को हो मान्यवर, हर चीज का सरकारीकरण करना अच्छा नहीं । जो सत्ता के विकेन्द्रीकरण की नीति है, यह ठीक उसकी अवहेलना है, क्योंकि अध्यादेश के माध्यम से निगम का सरकारीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है । दूसरी बात मैं आपसे बता दूं कि यह सरकार जो कहती है कि मैं जनतांत्रिक हूं, लोकतांत्रिक हूं और हमारा चुनाव में विश्वास है, लेकिन चुनाव से यह सरकार डर गयी है क्योंकि फिर से नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया, नगर पालिका और नगर-महापालिका के प्रशासकों का कार्य-काल एक साल और बढ़ाने जा रहे हैं इस अध्यादेश के माध्यम से, और एक साल तक चुनाव नहीं करायेंगे । मंत्री जी को नया विभाग मिला है। मैं 77 से देख रहा हूं जिस मन्त्री ने घोषणा किया कि हम चुनाव करायेंगे वह मंत्रिमंडल से हटा दिया गया । इसके पहले खन्ना जी ने कहा कि चुनाव कराने के विषय में विचार करेंगे, उनका विभाग छीन लिया गया । मंत्री जी क्या सदन में स्पष्ट इस बात की घोषणा करेंगे कि एक साल के अन्दर चुनाव करा देंगे ।

मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि मंत्री जी को नया विभाग मिला है, मंत्री जी मंत्री पद से हटना नहीं चाहेंगे और विभाग भी छोड़ना नहीं चाहेंगे । इसलिए एक साल का समय बढ़ाने का प्राविधान कर दिया । आप देखें कितने दिनों से टाउन एरिया, नोटीफाइड एरिया और नगर पालिकायें प्रशासक के अन्डर में चल रही हैं । सारे विकास कार्य अवरुद्ध हो गये हैं । सारा पैसा अधिकारी और कर्मचारी लूट-खसोट करके अपने थैले में डाल रहे हैं । जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये इनका गठन किया गया था उस भावना की एक प्रतिशत भी कदर नहीं हो रही है । जब विधान सभा आती है तो अध्यादेश ला देते हैं कि चुनाव का कार्यकाल एक साल के लिये बढ़ा दिया जाय । आखिर परेशानी किस बात की है, वोटर लिस्ट तैयार है, घोषणा हो गई कि चुनाव होंगे, फिर कौन से कारण हैं क्यों आप जनता के बीच में जाने से डर रहे हैं, क्यों चुनाव से डर लग रहा है। डर इस बात का है कि आप इस बार टाउन एरिया, नोटीफाइड एरिया और नगरपालिका में सत्ता प्राप्त करने में असमर्थ हैं । आपके कारनामें जनता के सामने उजागर हो गये हैं, आप अपने वादे से मुकर गये हैं। इसलिये चुनाव कराने से कतरा रहे हैं । नगरपालिका और टाउन एरिया के लिये विश्व बैंक से पैसा मिला था, जिस काम के लिये पैसा मिला था वह काम नहीं हुआ केवल खड़न्जा और छोटी-मोटी दुकानें बनाकर उस पैसे का दुरुपयोग किया गया। इसलिये उस पर पर्दा डालने के लिये सरकार एक साल के समय के लिये अध्यादेश लाये हुए हैं।

मेरा निवेदन है कि आप तत्काल चुनाव करायें और जो जलनिगम का सरकारीकरण करने का प्रयास किया है, जो नियुक्ति और स्थानान्तरण का अधिकार सरकार ने अपने हाथ में लिया है, सचिव को हटाकर नियोजन वाले सचिव को रखने का प्रयास किया है, विस्तृत रूप से जनता की कठिनाईयों को जानने के लिये

[श्री राम गोविन्द]

नोटीफाइड एरिया, नगरपालिका और टाउन एरिया में रहने वाले लोगों की कठिनाइयों को जानने के लिये और उनके समाधान के लिये मंत्री जी इस अध्यादेश को वापस लें और ये नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया, नगर महापालिका के चुनाव करा दें। जल-निगम का सरकारीकरण न करके विकेन्द्रीकरण की नीति के अनुसार निगम को रहने दें। मान्यवर, एक साधारण सी परिभाषा बन गई है . . .

श्री अधिष्ठाता—

आप बहस पर पूरी बात कहियेगा। समय का ध्यान रखते हुए आप अपनी बात कह दें।

श्री राम गोविन्द—

मान्यवर, जलनिगम हैण्ड पाइप लगा रहा है, जिसमें 8 से 10 हजार की लागत आ रही है। मेरे जनपद बलिया में जितने हैण्डपाइप लगे हैं उनमें एक प्रतिशत भी पानी नहीं दे रहे हैं। पूरे का पूरा रुपया बेकार जा रहा है। क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे कि जल निगम के हैण्डपाइप लग रहे हैं, पूरे प्रदेश में जाल बिछाया जा रहा है, उसमें कितनी लूट-खसोट हुई है? वह पानी क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों इतने महंगे पाइप लग रहे हैं? गांव का साधारण आदमी एक हजार, दो हजार में अपने घरों में हैण्डपाइप लगवाता है। इनका हैण्डपाइप 10-12 हजार में क्यों लग रहा है? कम से कम बलिया में तो यह हैण्डपाइप पानी नहीं दे रहे हैं दूसरे जिलों में और मंत्री जी के जिले में क्या हालत है मंत्री जी खुद जानते होंगे।

श्रीमन् आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मंत्री जी निश्चित रूप से चुनाव कराने की बात को दृष्टि में रखते हुए इस अध्यादेश को वापस ले लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अननुमोदन के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

*नगर विकास मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1984 पर विचार किया जाए।

मान्यवर, राज्य में जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 के अधीन नगर पालिका तथा जल संस्थानों की अपने प्रदेश के अन्दर स्थापना की गयी है। मान्यवर, जो महसूस किया गया है उसके आधार पर किया जाए जितने संशोधन प्रस्ताव हैं और मैं समझता हूं कि इनका इतना औचित्य है कि माननीय सदस्य इसका विरोध नहीं करेंगे। मान्यवर, एक तो मामूली सा है कि पहले स्वायत्त शासन सचिव हुआ करते थे अब उसको बदलकर नगर विकास सचिव हो गये हैं लिहाजा नगर विकास सचिव के पदेन सदस्य नियुक्त करने का अधिकार वापस लिया जा रहा है।

दूसरा मान्यवर, यह है कि जल संस्थानों के महाप्रबन्धक हैं उन पर नियंत्रण शासन का है क्योंकि शासन का नियंत्रण आवश्यक है इसलिये उनकी नियुक्ति के संबंध में अधिकार शासन से प्राप्त करना चाहते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसके अतिरिक्त मान्यवर, जल संस्थान में जो अधिकारी हैं उनकी नियुक्तियां जल संस्थान के महा प्रबन्धक करते थे लेकिन होता यह था कि यदि नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है तो भी कर लेते थे इसलिए शासन ने इसको अपने हाथ में ले लिया है।

इसके अलावा जल संस्थान में जो कर्मचारी हैं इनकी सेवा शर्तों की बात थी इसमें उनकी सेवा नियमावली बनाने का अधिकार शासन अपने हाथ में ले रहा है। जल संस्थानों में कई सेवा संवर्ग हैं और आवश्यकता इस बात की है कि उन समस्त सेवा सम्वर्गों का केन्द्रीकरण कर दिया जाए और इस प्रकार इनकी भर्ती सरकार करेगी इनकी सेवा शर्तों को राज्य सरकार के करने का उपबन्ध इसमें करना है। जल संस्थान में उपबन्ध करने की व्यवस्था इसमें दी गई है। इसके अतिरिक्त मान्यवर, ऐसा महसूस किया गया है कि जल संस्थान जो हैं अपने जल संयोजन में मीटर लगाने की इजाजत नहीं देते हैं और दूसरे प्रतिभूति जल की होती है वह जमा नहीं करते हैं तो यह अधिकार दिया जा रहा है जल निगम को कि जल संस्थानों की प्रभावी कार्यवाही कर सके और अगर कोई प्रतिभूति नहीं देते हैं तो मीटर काटा जा सके।

मान्यवर, अब प्रशासकों का संबंध आता है उसमें 31 दिसम्बर, 1984 तक बढ़ाने का प्राविधान किया गया था। पहले भी इस माननीय सदन में बताया जा चुका है कि हमारे प्रदेश में सेंसस होता रहा और चुनाव नहीं हो पाए, इसके बाद विभिन्न उप चुनाव होते रहे और इसके बाद सदन का सत्र आ गया। इसके पहले मान्यवर, बहुत से विधायकों ने और संसद सदस्यों ने प्रस्ताव सरकार के पास भेजा है, बात की है और कहा है कि उनकी कान्स्टीट्यूएन्सीज का रिलिमिटेशन हो और उसके बाद चुनाव कराए जायं। चुनाव का जहां तक सम्बन्ध है, हमने प्रदेश में ब्लाक्स के तथा और भी अन्य चुनाव कराए हैं, लेकिन आपने तो जो चुने हुए सदस्य थे, ब्लाक्स थे, उन्हें बर्खास्त ही कर दिया। हमने कुछ न कुछ तो करके दिया है और हमारी चुनाव कराने की मंशा है। इस सम्बन्ध में प्रयास जारी है और कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव शीघ्रातिशीघ्र कराए जायं। चूंकि विधान सभा सत्र में नहीं थी इसलिये यह अध्यादेश सरकार को लाना पड़ा। अतः माननीय सदस्य चौधरी साहब और रियासत साहब से अनुरोध है कि जो संशोधन उन्होंने पेश किया है उनको कृपा करके वापस ले लें।

*श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से अपना संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1984 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन]

श्रीमन्, मुझे बड़ा अफसोस है कि इस वक्त जो विधेयक पुट-अप हुआ वह आपके जरिये से पुट-अप हुआ है । मुझे अफसोस है कि इस मामले की जद में अब तक माननीय गणेश दत्त बाजपेयी जी आ चुके हैं, सत्य प्रकाश मालवीय जी आ चुके हैं और इस प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री बनारसी दास भी आ चुके हैं । उन्होंने भी मुख्य मंत्री की हैसियत से आश्वासन दिया था कि चुनाव कराएंगे । श्री राम सिंह खन्ना जी भी आ चुके हैं और अब श्री बलराम सिंह यादव जी भी आ गये हैं इसके चक्कर में और उनके जरिये से यह पेश हुआ । मैं नहीं चाहता कि इसका नुकसान यादव जी को भुगतना पड़े । उन्होंने एक बात कही कि हमें चुनाव कराना है । ठीक है, चुनाव कराइये, लेकिन एक काम कोई किया जाय और उसको बीच में छोड़ दिया जाय, वह उससे बुरा होता है कि काम करा ही न जाय । आपने पंचायतों के चुनाव कराए, लेकिन अफसोस है पंचायती राज के माध्यम से न्याय पंचायतों के चुनाव अब तक नहीं करा पाए । जिला परिषदों के मेम्बर्स के चुनाव कराए गये, वह परेशान हैं कि हम किस मर्ज की दवा हैं । मेम्बर्स परेशान हैं, ब्लाक में संघर्ष के साथ चुनाव होते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि उनका क्या काम है । तो आपने जिला परिषद् के चुनाव करा दिये यह कहने का तो अधिकार है, लेकिन श्रीमन् पूंछ अटक गयी, और यह पूंछ खतरनाक हो चुकी है । एक किस्सा मशहूर है कि लोटे में से पूरी भैंस तो निकल गयी लेकिन पूंछ अटक गयी । तो श्रीमन्, पूंछ बड़ी परेशान करती है, इसलिये यह मामला बहुत खतरनाक है ।

श्रीमन्, यह जो बिल है, मैं खास तौर से इसलिये इसको प्रवर समिति को सुपुर्द करना चाहता हूं ताकि वह एक महीने के अन्दर इस पर अपनी सिफारिश कर सके और इसका इनैक्टमेन्ट हो सके। शुरू से ही आप समय मांगते चले आ रहे हैं। माननीय सदस्यों की मांग यह रही है कि यदि आप चुनाव कराने में असमर्थ हैं, जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि भिन्न-भिन्न प्रकार की रुकावटें आ रही हैं और मैं तो समझता हूं कि इस प्रकार की रुकावटें माननीय श्री गणेश दत्त बाजपेयी जी के जमाने से चली आ रही हैं, तो आप एक नौमीनेटेड कमेटी बना दें। ताकि इस वक्त जो नौकरशाही चल रही है उसके ऊपर कुछ तो अंकुश लगे। भले ही वे इलेक्टेड न हों नौमीनेटेड हों, वे आपस में बैठकर क्षेत्रीय समस्याओं पर विचार तो करेंगे और उससे जनता का तो कुछ हित होगा ।

श्रीमन्, आज होता क्या है? होता यह है कि जो आफिसर इंचार्ज होता है, एक्जीक्यूटिव आफीसर होता है चाहे वह टाउन एरिया का हो, म्यूनिसिपिल बोर्ड का हो, उसके सामने में एक ही बात रह जाती है कि पहले वाले आफिसर ने इतने लाख रुपया कमाया यहां से। मुझे भी 2–3 साल का मौका मिला है, मैं भी 2–3 लाख रुपये चूस लूं। वह सब प्रलोभन करता है, क्योंकि उसे मालूम है कि उसे भी यहां से चला जाना है। आज जिन टाउन एरियाज में,

म्यूनिसिपल बोर्ड्स में शुरू से ही चुनाव नहीं हुए हैं, वहां की हालत बद से बद्तर है। यदि आप इसमें सिन्सियर होते तो एक कमेटी बना लेते, भले ही उसमें आप अपने ही कांग्रेस के लोगों को नौमीनेट करते। मुरादाबाद में यदि आप 25 आदमियों की कमेटी बना देते तो उसमें सभी नहीं 5–7 आदमी तो ऐसे होते जो जनहित की बात सोचते। उनके होने से यह तो मालूम पड़ता कि आमदनी क्या है और किस तरह से यह आमदनी हुई और इसे खर्च कैसे किया जाय। परन्तु इसे आप नहीं कर सके।

श्रीमन्, जिस समय जनता पार्टी बनी, उसने म्यूनिसपल बोर्ड को समाप्त कर दिया। मैंने उस समय भी कहा था कि वह ऐसा करके बेवकूफी कर रही है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को यह उस समय से देखना चाहिए था जब ये समाप्त नहीं किए गये थे। उस समय उनकी हालत क्या थी, यह वहां के लोगों से पूछा जाता और जब ये समाप्त कर दी गई थी, उस बीच उनकी क्या हालत रही, यह भी वहां के लोगों से पूछा जाना चाहिए था, वहां सड़कों का कार्य किस प्रकार हो रहा है, वहां सफाई हो रही है कि नहीं आदि। इन सबको आप देखते। इससे उनकी स्थिति स्पष्ट हो जाती। आज उनकी हालत पहले के मुकाबले बहुत जर्जर हो गई है और अब कोई पुरसाहाल नहीं। आप चाहें जिस जिले में या जिस शहर में जाकर पूछ लें, इस चीज को पूछ लें कि हालत क्या है।

इसलिए कहना यह है कि चुनाव की बाबत कभी इस चीज को पकड़ लेंगे कि साहब नये सेन्सस के मुताबिक 18 साल के लोगों को राइट आफ वोट दे दिया है, उसकी बाबत सर्वे हो रहा है इसलिए नहीं करा पा रहे हैं। पिछला चुनाव लोकसभा का हुआ, असेम्बली के 5 चुनाव हुए। असेम्बली में उस दिन क्वेश्चन हुआ था, पूरा प्रोग्राम डिक्लेयर कर दिया गया कि इस दिन नोटिफिकेशन, इस दिन नामिनेशन, इस दिन विड्ड्राल और इस दिन चुनाव–इसकी बाबत पूरा प्रोग्राम दे दिया। रेडियो में सुबह शाम 2-2, 3-3 बार बोला गया है इस खबर को कहा गया, अखबारों में आया। मान्यवर, वे तथाकथित चुनाव हो गये और उसी दिन की शाम को जो 7 बजकर 20 मिनट पर खबरें आती हैं, उसकी सबसे पहली न्यूज यह थी कि यह स्थगित हो गये। जब चुनाव डायरेक्टर से इसकी बाबत जानकारी की गयी कि वजह इसमें क्या है, तो वे नहीं बता पाये। मान्यवर, आप देखें यह जो पीलीभीत और अनूपशहर–बुलन्दशहर में और जगहों पर जहां-जहां यह बाई-इलेक्शन हुए, वहां जहां-जहां टाउन एरिया, म्यूनिसिपल बोर्ड नोटिफाइड एरिया, कैंटोन्मेंट एरिया में जहां-जहां वोट हुए, वहां-वहां तरह-तरह से लोगों को यह लालच दिया गया होगा, प्रलोभन दिया गया होगा कि जब हम चुनाव कराने का प्रोग्राम घोषित कर देंगे तो उसमें हम तुम्हें फलां बाडी का अध्यक्ष बनवा देंगे, हम तुम्हें फलां बाडी का उपाध्यक्ष या इसी तरह से मेम्बर आदि बनवा

[श्री रियासत हुसैन]

देंगे, तुम कांग्रेस का समर्थन करो। जब इलेक्शन हो गये, वोट 4 बजकर 30 मिनट पर सब पड़ गये, उसके बाद 7 बजकर 20 मिनट की खबरों के द्वारा यह घोषणा करा दी गयी कि ये चुनाव स्थगित कर दिये गये हैं।

अब मान्यवर, उसके बाद इस तरह से इसकी बाबत अब 31-12-84 तक का टाइम ले लिया गया है, एक वर्ष बढ़ा दिया है। जिस नौकरशाही ने इन टाउन एरिया, म्युनिसिपल बोर्ड्स को चूस लिया था, उनकी जर्जर हालत कर दी, जहां अब पैसा नहीं बचा, उसी नौकरशाही के हाथ में पुनः यह चीजें एक साल के लिये चली जायेंगी। उनका एक साल आपने और बढ़ा दिया। अगर मान्यवर, इस बीच में आपने नामिनेटेड कमेटीज टाइप की बना दी होती, जनता के प्रतिनिधियों को उसमें शामिल करा लिया जाता या इसी तरह की अन्य कोई व्यवस्था करा दी होती, तो यह बहुत सी मुश्किलें हल हो जायं। हमारे मुरादाबाद के मोहम्मद हाफिज सिद्दीकी साहब हैं, इनके वालिद म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं, उस वक्त के ऊपर जो डेवलपमेन्ट के वर्क हो गये, अब वर्तमान की हालत इनसे जानिए क्या हालत है। जो डेवलपमेन्ट के वर्क हो गये, उनको तोड़ना, उनको कम करना नौकरशाही के कार्य का तरीका हो गया है। जिस सड़क में एक गड्ढा है, वहां दो गड्ढे, चार गड्ढे हो गये हैं।

मान्यवर, डेवलपमेन्ट का वर्क बिल्कुल सफर कर रहा है। मान्यवर, इन चुनावों की बाबत मैं कहना चाहूंगा कि यह जो आप घोषित करते हैं, उसके बाद स्थगित कर देते हैं और इस तरह से इसकी बाबत जो आप 5-5, 6-6 बार प्रोंक्रया अपना चुके हैं, उससे आपकी इमेंज जनता में अच्छी नहीं होगी, वह बिगड़ेगी ही। मान्यवर, और भी तमाम मिसालें हैं। मान्यवर, माननीय नारायण दत्त तिवारी जी जब चीफ मिनिस्टर थे, उस समय वे निगम बनाने में ही लगे हुए थे, अब करीब इस वक्त प्रदेश में 80-81 निगम हैं। कुछ तो तिवारी जी के समय से पहले के थे और कुछ माननीय तिवारी जी ने बना दिये थे और इनकी स्थापना के बाबत उन्होंने कहा कि सरकार के जो साधन हैं, वे बड़े सीमित हैं, इसलिए ये निगम कायम किये जा रहे हैं, ताकि वे निगम अपनी पूंजी को बढ़ाने के लिए बैंकों से कर्जा ले सकें, अन्य वित्तीय संस्थाओं से कर्जा ले लें, और इस तरह से उसके साधन दसियों हो सकें और वे काम कर सकें। पर्टिकुलर निगम ट्रायल बेस पर लिया। मान्यवर, जब आप इस नीति पर बना रहे हैं, तो यह निगम अच्छी तरह से काम नहीं कर सकते। हमने उस वक्त भी बात कही थी कि निगम बनाने से एक वक्त आयेगा जब इनमें आपस में लोगों में झगड़े, तकरार की शक्ल पैदा हो जायेगी, निगम को बनाने से पहले ही यह चीजें हमारे सामने थीं।

मान्यवर, आप देखें बोर्ड आफ रेवेन्यू में रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट में पेरलल अथारटीज बन चुकी हैं, एग्रीकल्चर में पेरलल अथारटीज बन चुकी हैं। बोर्ड आफ रेवेन्यू अलग है, गवर्नमेन्ट अलग है। गवर्नमेन्ट का सेक्रेट्री यह बात कहने

पर मजबूर होता है कि हमारे आदेश का पालन कोई डिपार्टमेन्टल हेड नहीं करता है। वह सिर्फ इसलिए कि उस डिपार्टमेन्टल हेड की मंत्री जी तक पहुंच है, इसलिए

(2 बजकर 20 मिनट)

वे आदेश का पालन क्यों करें? जो डिपार्टमेन्ट के हैड हैं, बराबर मंत्री जी के पास जाते हैं, तो फिर वह सचिव की बात क्यों मानेगा? इसीलिए सरकार पावरलैस होकर रह गयी है।

जल निगम की बात आपने की है। जल निगम जिस कार्य के लिए बना था, वह परपज सर्व नहीं हो पा रहा था, इस बात को आपने माना। आपने पाठा जल योजना 3 करोड़ रुपये की लागत की बनायी। तमाम एरिया मलकापुर और बांदा से लेकर आपने इसमें लिया। आपने जल संस्थान को दे दिया मेण्टीनेन्स के लिये, लेकिन जल संस्थान में जब पैसा नहीं है तो मैण्टीनेन्स कैसे होगी? नतीजा यह हुआ कि लाइन जगह-जगह से टूट-फूट गयी। कोल जनजाति को, जिनके लिए यह योजना बनायी गयी थी, उनको पानी मिलने का सवाल ही नहीं है। इसी प्रकार, भदोही में आपने ड्रिंकिंग वाटर फेसिलिटीज लगायीं, लेकिन उसका तय नहीं हो पाया कि मैण्टीनेन्स कौन करेगा, आज भी पाइप लाइनें टूटी हुई हैं। आपको बाद में महसूस हुआ कि मैण्टीनेन्स जल निगम करेगा या संस्थान करेगा। इस बारे में एक मसल है कि– कई मुल्लाओं में मुर्गी हराम हो जाती है। वही बात हो गयी कि कौन मैण्टेन करेगा, तब आपको महसूस हुआ कि इसके ऊपर किसी सूरत से सरकारी कण्ट्रोल होना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय रियासत हुसैन जी, अब आप कृपया दूसरों को भी मौका दें।

श्री रियासत हुसैन–

बस मान्यवर, समाप्त कर रहा हूं।

आपने शासन के पास जो पावर्स ली हैं, इसकी क्या गारण्टी है कि जो पावर्स आप फिर शासन के पास ले रहे हैं, जो कि नारायण दत्त तिवारी जी के जमाने में जल निगम को दी गयीं, फिर शासन कंट्रोल कर सकेगा? आज जल निगम आया है, कल दूसरा निगम आएगा, फिर उस पर भी शासन का कंट्रोल हो। क्यों न हम लोग प्रवर समिति में बैठकर इसको डिसकस कर लें कि जल निगम की भांति ही और निगम भी असफल क्यों हो रहे हैं? जो गाइडलाइन्स प्रवर समिति द्वारा आयें, उसके आधार पर ही कार्यवाही की जाय। इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय।

*श्री धरमपाल–

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी के प्रस्ताव का समर्थन कर रहा हूं और भाई रियासत हुसैन जी के इस प्रस्ताव का कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, विरोध करता हूं।

लोकल बाडीज एक्ट, 1916 के अन्तर्गत ये नगरपालिकायें कार्य करती चली आ रही हैं और कर रही हैं। रियासत भाई का मुद्दा है कि चुनाव कराना चाहिए, हमारी ओर से यह सुझाव है कि फिलहाल चुनाव न कराये जायं, यही एक मुद्दा है। जब तक लोकल बाडीज एक्ट में संशोधन न हो जाय, इसके चुनाव नहीं कराये जाने चाहिए। इसके कई कारण हैं यदि गहराई में जायं, तो जैसे बजट पेश होता है तो नगरपालिकायें बजट तो पेश कर लेती हैं लेकिन रिवाइज्ड पे स्केल लागू करने का अधिकार नहीं है। इसलिए बजट डिस-बैलेंस हो जाता है। जब तक इन सबका निदान न हो जाय, नगरपालिकाओं का चुनाव कराना धोखा ही है।

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश की तमाम नगर पालिकाओं की आर्थिक स्थिति दयनीय है, यह कहना गलत है। जल-संस्थान द्वारा इसे टेक-ओवर करने पर उसकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है और कांग्रेस के जमाने में आप इन संस्थाओं की आमदनी भी बढ़ी है, जैसा कि भाई रियासत साहब ने कहा कि इन संस्थानों की आमदनी घट गयी है वह गलत है। एक ओवर हेड टैंक बनवाने में आज 20 लाख रु0 लगता है जो नगर पालिका के बस की बात नहीं थी, नगरपालिकाएं अपनी सीमित आय से यह नहीं बनवा सकती हैं और अब ऐसा किया जाने से शुद्ध पेय जल प्राप्त हो सकेगा। और जहां तक स्टाफ के ट्रांसफर की बात की गयी वह इसलिए किया गया है कि वाटर वर्क्स का स्टाफ जो काफी समय से एक जगह रहता है तो उसके संबंध आस-पास वालों से निश्चित तौर पर हो ही जाते हैं, यही वजह है कि अवैध रूप से तमाम कनेक्शन की एक बाढ़ सी आई हुयी थी जो लगभग इस प्रकार के कनेक्शन 40 प्रतिशत होंगे और अगर रियासत भाई अपने यहां इस प्रकार के मामलों की जांच कराएं तो तमाम मामले प्रकाश में आयेंगे। तो जल-संस्थान के बन जाने से इस प्रकार के मामलों पर भी रोक लगी और प्रत्येक नगर पालिका में जल-संस्थान के बन जाने के बाद पीने का शुद्ध और स्वच्छ पानी भी उपलब्ध होगा। श्रीमन् इसके अन्तर्गत और भी अन्य सुझाव हैं, जब तक इन पर विचार न कर लिया जाए, तब तक चुनाव का होना उचित न होगा। दूसरी बात वार्ड्स परिसीमन की एक प्रक्रिया आपके जमाने से ही चल रही है, जो अब भी चल रही है और जिसकी सूचियां अभी तैयार नहीं हुयी हैं, उनके तैयार हो जाने पर ही चुनाव संबंधी कोई कदम उठाये जाने चाहिए। और दूसरी बात यह कि नगर पालिका के अध्यक्ष को केवल 100 रु0 ही खर्च करने के अधिकार हैं नियमों के हिसाब से और इस 100 रु0 में आज कल कहीं पर 10 फिट हडण्डा भी नहीं लगवाया जा सकता है, इन्हीं शब्दों के साथ जल-संस्थान को उपयोगी सिद्ध करते हुए मा0 मंत्री जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री राम स्वरूप निम–

माननीय अधिष्ठाता जी, भाई रियासत साहब ने जो प्रस्ताव प्रवर समिति के सुपुर्द करने के संबंध में रखा है, उसके पक्ष में बोलते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रक्खा है, जिसमें विशेष रूप से जल-निगम की बात कही गयी है, मैं जिस जनपद से आता हूं, हमारे निवास से लगभग 185 कि0मी0 दूर एक स्थान है धाड़ क्षेत्र, जहां पर जल निगम द्वारा पीने के पानी की व्यवस्था की गयी है, जिस समय वहां पर पाईप लाइनें डाली गयीं, उसके एक माह बाद में वहां पर गया और जाकर देखा और लोगों से मालूम किया पानी के बारे में क्या स्थिति है, पानी मिल रहा है अब या नहीं, तो उन लोगों ने कहा पाईप लाईन डाले जाने के दो दिन तक तो पानी आया, लेकिन उसके बाद आज तक पानी नहीं आया और धीरे-धीरे वह पाईप लाईनें भी टूटती जा रही हैं, उनके रख-रखाव को कोई देखने वाला नहीं है, तो यह तो जल निगम की स्थिति है। और जहां तक मान्यवर, नगर पालिकाओं के चुनाव व अन्य समस्याओं की बात है, वह यह कि एक तहसील के अन्दर जितनी भी नगर पालिकाएं हैं, टाउन एरियाज, नोटी-फाइड एरियाज हैं, उनके प्रशासक एस0डी0एमस् होते हैं, लेकिन आज हो क्या रहा है?

जिलाधिकारी यह देखते हैं कि कौन ए0डी0एम0 उनको कमाकर ज्यादा देगा, उसे वह नगर पालिका दे दी जाती है, एस0डी0एम0 वहां पर चाहे कोई भी हो उसे नहीं दी जाती है। सहारनपुर में एक तहसील है देवबंद, वहां पर एक जगह है मनिहारान, रामपुर वहां के एस0 डी0 एम0 सदर श्री गोयल के पास चार्ज है। तो मान्यवर, गुप्ता जी डी0 एम0 हैं और एस0 डी0 एम0 गोयल साहेब हैं, अच्छी कमाई कर रहे हैं और नगर पालिका की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, कोई सुधार इस प्रकार से होने वाला नहीं है।

अभी उधर के सदस्य कह रहे थे कि चुनाव कराने से बजट डिसबैलेन्स हो जाता है। मैं कहता हूं कि जब किसी अधिकारी को अधिकार दिया जाता है, कोई जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो वह अपना उत्तरदायित्व समझता है कि किस तरीके से कार्यप्रणाली चलायी जाय। वह एक व्यवस्था अपने हिसाब से बना कर कार्यप्रणाली को चलाते हैं। इसी से प्रजातंत्र का जन्म होता है। लेकिन आज नगर महापालिका की स्थिति यह हो रही है कि वहां का प्रशासन मनमाने ढंग से जिस नाली को चाहे, ठीक करा रहा है। किसी भी नगरपालिका में आप चले जाईये वहां की न सड़कें ठीक हैं, ड्रेनेज की व्यवस्था ठीक है और न पाईप लाइनें ही ठीक हैं। पीने के पानी के कनेक्शन दे दिये जायेंगे लेकिन उनके लिये पैसा नहीं दिया जायेगा। थोड़े दिनों के बाद उसका पानी का बिल भी आ जायेगा और पैसा न देने पर कनेक्शन काट दिया जायेगा। इन्होंने कनेक्शन दे दिये हैं जिसमें पानी जाता नहीं है तो वह पैसा काहे के लिये देगा?

मैं अपनी ही बात बतलाता हूं, मैंने अपने पैसे से पाईप लाईन लगवाई, इनसे कनेक्शन की मांग की परन्तु इन्होंने कनेक्शन नहीं दिया परन्तु पिछले 6 सालों का टैक्स लेने के लिये बिल मुझे भेज दिया गया 650 रु0 का। जब इनकी इस तरह की व्यवस्था है, अधिकारियों पर इनका कोई अंकुश नहीं है। मैंने कहा कि यह बिल किस लिये है जब पानी ही नहीं मिला? उन्होंने कहा कि कनेक्शन किसी को दिया ही नहीं है, पाईप लाईन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं।

[श्री राम स्वरूप निम]

मान्यवर, आखिरकार यह व्यवस्था ऐसी क्यों है? इसका एक उद्देश्य है, अगर वहां की नगरपालिका चुनी हुई होती तो वहां के हर सदस्य को अपने वार्ड की जानकारी होती और उसी जानकारी के हिसाब से सारी चीजें सुधारी जा सकती थीं, सारी व्यवस्था ठीक की जा सकती थी। इसका कारण यही है कि जल्दबाजी में बिल पेश कर दिया, बहुमत इनका है ही, इसमें जो कमियां हैं जिस पर प्रवर समिति बैठ कर गौर कर सकती है और एक नतीजे पर पहुंच सकती है और नतीजे पर पहुंचकर समझदारी से हल निकाल सकती है और इससे इस बिल पर गौर हो सकता है और इसका महत्व भी समझ में आ जायेगा, अन्यथा यह बिल पास हो जायेगा तो कलेक्शन काल से ही ये काटने शुरू कर देंगे और अन्ततोगत्वा मंत्री जी फिर एक संशोधन ले आयेंगे। इसलिये मैं ज्यादा कुछ न कह कर मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसे प्रवर समिति को सौंप दिया जाय और जैसा कि अभी रियासत साहेब ने कहा है जब तक यह हाउस चल रहा है तब तक इसकी रिपोर्ट आ जायेगी और यह एक अच्छा विधेयक बन जायेगा जिससे कि नगरपालिका का कल्याण होगा, जल निगम का कल्याण होगा, सारी व्यवस्था में सुधार आयेगा और माननीय मन्त्री जी को फिर इस बिल पर संशोधन लाने पर भी विचार नहीं करना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया। धन्यवाद।

श्री गोरे लाल शाक्य—

मैं आपकी आज्ञा से, माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1984 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और विपक्षीगण ने उसको प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव किया है, उसका विरोध करता हूं। मान्यवर, बहुत सी कठिनाइयां हैं, उनको हल करने के लिए यह संशोधन विधेयक लाया गया है। अब मैं जो संशोधन उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1984 में लाया गया है, उसको प्रस्तुत करता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1984 के खण्ड 1 के उप खण्ड (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप खण्ड रख दिया जाये—

"(2) धारा 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 और 10 बारह दिसम्बर, 1983 को प्रवृत्त हुई .....

श्री रियासत हुसैन—

यह तो मान्यवर, अभी जनरल डिसकशन हो रहा है। खण्ड वाइज कैसे आ गये? प्रवर समिति के प्रस्ताव पर विचार हो रहा है।

श्री गोरे लाल शाक्य—

मान्यवर, जो प्रवर समिति को भेजे जाने का प्रस्ताव है उसका विरोध करता हूं। मैं संशोधन का प्रस्ताव रखता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य संशोधन की बात कहां से आ गयी अभी तो प्रवर समिति को भेजे जाने के प्रस्ताव पर विचार हो रहा है?

श्री गोरे लाल शाक्य–

जो प्रस्ताव प्रवर समिति के लिए किया गया है, वह औचित्यपूर्ण नहीं है। इसलिए जो प्रस्ताव रखा गया है कि इसको विचार के लिए प्रवर समिति के पास भेज दिया जाये, उसका मैं विरोध करता हूं।

*श्री खैरूल बशर–

मान्यवर, जब से इस शासन ने नगरपालिकाओं को अपने हाथ में लिया है, उनमें बहुत भ्रष्टाचार फैल गया है, ऐसा भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश के शासन में कभी भी नहीं रहा है। इसलिए रियासत हुसैन साहब ने जो प्रस्ताव किया है कि इसको प्रवर समिति को भेज दिया जाये, उसका मैं समर्थन करता हूं। मान्यवर, इसका समर्थन मैं इसलिए करता हूं कि जो खराबियां इसमें हैं वह दूर हो जायेंगी, माननीय मंत्री जी ने जो प्रस्ताव किया है वह चुनाव टालने के लिए भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए रखा है। नगर पालिकाओं में बहुत सी खराबियां आ गयी हैं, वहां के कर्मचारियों को तनख्वाहें नहीं मिलती हैं, सफाई नहीं होती है, उनकी हालत बहुत ही खराब हो गयी है। मऊनाथ भंजन की दशा को मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि वहां के सफाई मजदूरों ने हड़ताल किया था, उनकी तनख्वाहें नहीं मिली, 3-4 महीने की बाकी थी, किसी तरह से उसको हल किया गया, फिर उनकी तनख्वाहें बाकी हैं। कोपा गंज नगरपालिका में बक्सी तनख्वाहें ले जाते हैं और वे काम पर नहीं आते हैं जिससे सफाई नहीं हो पाती है। इसी प्रकार से अग्री नगर पालिका है, जो अभी नयी है उसमें बक्सी हैं वह तनख्वाहें लेकर चले जाते हैं सफाई नहीं होती है, इस प्रकार की तमाम खराबियत आ गयी है। नये-नये टैक्स लगाये जा रहे हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि जब बोर्ड कांग्रेस का था और जब बोर्ड विरोधियों के हाथ में आया तब भी कोई कर नहीं वहां पर लगाया गया। चाहे कम्युनिस्ट हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों सभी लोग कहते हैं कि टैक्स नहीं लगना चाहिये। मऊ नगर पालिका का चुनाव करा दिया जाये तो किसी कर को लगाने की जरूरत ही नहीं है, वहां पर काम नहीं होता है, चुनाव करा दिया जाये तो सारा काम होने लगे और नगर चमकता हुआ नजर आवे, इस समय वहां पर कूड़ा करकट का अम्बार लगा हुआ है। उनको चार-चार, छ-छ दिन तक फेंकने वाला कोई नहीं है। मान्यवर, नगरपालिकाओं की बड़ी दुर्दशा हो रही है। अवैधानिक निर्माण वहां इतने बड़े पैमाने पर हो रहे हैं कि जो वहां क्षेत्रीय प्रतिनिधि होते थे उनसे लोग मिलते थे, उनके सामने अपनी कठिनाइयां रखते थे, जनता के बीच में रहते थे, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि कोई गड़बड़ कर सके। उसमें विरोधी दल के लोग भी होते थे। लेकिन आज इन नगर पालिकाओं का काम एकदम सुन्न पड़ा हुआ है। जो प्रशासक नियुक्त होते हैं वह लूट कर रहे हैं, अपनी जेब भर लेते हैं। इसलिये इस करप्शन को और जनहित को नजर में रखते हुये जो संशोधन पर प्रस्ताव आया कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, यह ठीक है। आप बजट की बात करती हैं कि वह असंतुलित हो जाता है यदि उसे संशोधित न किया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री खैरुल बशर]

मैं कहता हूं कि यह जो हमारी उत्तर प्रदेश की विधान सभा है या और प्रदेशों की सरकार है उसके लिये फाइनेन्स की सारी मंजूरी सेन्ट्रल से ही आती है उनका बजट अधूरा रह जाता है। जो एनुअल बजट पेश किया जाता है उसमें 20-20 अरब रुपये के घाटे का कोई समाधान नहीं होता है उसे भगवान के ही सहारे छोड़ दिया जाता है। इसलिये नगरपालिकाओं के संबंध में जो यह बजट के असंतुलन का प्रश्न उठाया गया है यह निराधार है। हम लोग इस बात को जानते हैं, अनुभव भी है कि नगर पालिकाओं की आमदनी जनता के बीच में रहने वाले जन प्रतिनिधि जिस ढंग से वसूल कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं कर सकता है। सरकारी अधिकारी जो यहां पर हैं वे कल दूसरी जगह चले जायेंगे, वे अपना हाथ साफ करते हैं हम लोगों ने एक मर्तबे चुनौती दी थी कि हमारी नगर पालिकाओं की आमदनी 1700 रुपये थी। जब ललकारा गया, चैलेंज किया गया तो वही आमदनी 7 हजार रुपये हो गई। फिर ढील दी गई तो वह वहीं पर फिर चली गई। जहां पर इतना अन्तर हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 1700 रुपये से बढ़कर 7 हजार की जहां आमदनी हो गयी थी और इस तरह से जो लूट हुई, उसकी कोई जांच करने वाला है। एक मर्तबे 7 लाख रुपये जैपुरिया मिल पर बकाया था, वह पकड़ा गया। हमारे सामने यह बात आई तो यह कहा गया कि इसको निर्माण कार्य में लगाया जाय। हम सब विरोधी दल के लोग इकठ्ठा हुये और कहा गया कि यह 7 लाख रुपया कहां खर्च किया जाय। आज तक कोई खर्च नहीं किया गया। जब यहां पर उसके बारे में सवाल किया गया, जांच की मांग की गई। जांच होने के बाद उसमें कोई त्रुटि भी नहीं पायी गई, कोई गबन नहीं था, सब निराधार था। यह जांच करके आ गया। तो इस तरह की बातें हो रही हैं।

इसलिये मैं जोरदार शब्दों में माननीय रियासत साहब ने जो संशोधन का प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं और मांग करता हूं कि यह जो संशोधन विधेयक लाया जा रहा है रूलिंग पार्टी की तरफ से, इसे वापस ले लिया जाय और प्रवर समिति को इसको भेज दिया जाय और साथ ही नगर पालिकाओं के चुनाव की जल्द से जल्द घोषणा की जाय। चुनाव टालने का सरकार का बहाना है। सारी नगरपालिकाओं का पैसा कांग्रेस के चुनाव के लिये लूटा जा रहा है, चुनाव के लिये इन्हें पैसा लेना है। इसलिये मैं रियासत साहब के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का मौका दिया है। मैं केवल दो मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूं और वह यह है कि यदि माननीय मंत्री जी को सामने मजबूरी है कि वे नगर पालिकाओं का चुनाव नहीं करा सकते हैं तो मेरा सुझाव है कि जो पुराना बोर्ड 74 में बना था वही बहाल कर दिया जाय। वह इलेक्टैड बोर्ड था इससे इलेक्शन की जहमत भी नहीं लेनी पड़ेगी। पब्लिक में अधिकारियों की वजह से जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसको अब जनता अधिक टालरेट करने की स्थिति में नहीं है। यदि ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो नामिनेशन कर दिया जाय।

दूसरी बात जो आपने टाक्स कलेक्शन काटने के लिए संशोधन पेश किया है उसमें मैं चाहता हूं कि यह अत्यधिक है इसको एकदम नहीं तो 50 से 75 परसेंट कम कर दिया जाय। इन शब्दों के साथ जो संशोधन पेश किये गये हैं उनका समर्थन करता हूं।

*श्री सरदार सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने जो माननीय रियासत साहब के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, हमारी नगर पालिकाओं का संबंध नागरिकों के जीवन से जुड़ा है। आज जो स्थिति नगरपालिकाओं की हो रही है वह अत्यंत शोचनीय है। किसी नगर पालिका या टाउन एरिया में आप चले जायें वहां पर गंदगी के ढेर पड़े हैं, सड़कें टूटी हैं और पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। इसीलिए आज नागरिक तरह-तरह के रोगों से पीड़ित हैं। क्योंकि डाक्टर भी ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं। हमारे सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य श्री रिछारिया जी ने सुझाव दिया है और औपचारिक रूप से मंत्री जी का जरूर समर्थन किया है लेकिन वह भी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं हैं। इनका हमारे जन जीवन से सीधा संबंध जुड़ा हुआ है इसलिए मैं रियासत साहब के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि उन्होंने जिस साहस से ग्राम सभाओं और बी0डी0सी0 के जल्दी से जल्दी चुनाव करा दिये उसी तरह नगरपालिकाओं के भी चुनाव करा दें। अगर चुनाव नहीं करा पाते हैं तो वे अपने ही दल के कुछ आदमियों की समितियां गठित कर दें ताकि इनके कार्यों में सुधार आये और जनता को राहत मिले। इन शब्दों के साथ मैं रियासत साहब के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री लल्लू सिंह चौहान–

मान्यवर, मैं आपका अनुग्रहीत हूं कि आपने मुझे नगरपालिका के संबंध में संशोधन विधेयक पर बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय रियासत साहब के प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि आज नगर पालिकाओं की जो स्थिति है उसका आभास जो सत्ता पक्ष के लोग बोल रहे हैं, उससे स्पष्ट है। माननीय रिछारिया जी ने भी कहा है कि वहां पर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। आज भ्रष्टाचार सर्वमान्य हो गया है। नगर पालिकाओं में भ्रष्टाचार है तथा उनके द्वारा जितनी भी संस्थायें हैं चाहे मंडी समिति हो या नगर पालिका हो सब जगह भ्रष्टाचार है इसको सब मानते हैं। और जब हम लोग भी मंत्री जी से बात करते हैं तो वह इसे स्वीकार करते हैं।

जिस तरह से ग्राम प्रधानों का चुनाव हो गया, क्षेत्र समितियों का चुनाव हो गया उसी तरह से नगरपालिकाओं और टाउन एरियाज समितियों का चुनाव कराने में भी कोई बाधा नहीं है। यह तो सिर्फ सत्ताधारी पार्टी का एक राजनीतिक संकट है जिसकी वजह से चुनाव नहीं हो रहे हैं। इसलिए मैं चुनाव तत्काल कराने की मांग करता हूं और अगर चुनाव जल्दी न हो सकें तो इसमें भी किसी को एतराज नहीं है कि जैसा सरदार सिंह जी ने कहा कि सत्ता पक्ष के लोगों को नामिनेट कर दें। तो कम से कम जनता अपनी बात तो किसी से कह सकेगी। आजकल जैसे पोलिटिकल बैलेंस माननीय मुख्य मंत्री जी बनाते हैं कि किसी विभाग को किसी मंत्री को दे दिया और किसी विभाग को दूसरे मंत्री को दे दिया ठीक उसी तरह से कलैक्टर महोदय किसी एस0डी0एम0 को नगर पालिका दे देते हैं और किसी को मंडी समिति दे देते हैं। तो इस तरह से सन्तुलन बनाने के काम में यह संस्थायें हो गयी हैं। इस तरह से इन संस्थाओं की लूट हो रही

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लल्लू सिंह चौहान]

है और जो रुपया जन कल्याण के लिये इनको दिया जाता है उसका दुरुपयोग हो रहा है। मेरे अपने जिले में शिकोहाबाद, सिरसागंज और मैनपुरी तीन नगर पालिकायें हैं इनमें भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सड़क बनाने के लिये अगर मध्यम, मोटी और महीन गिट्टी पड़नी चाहिए तो वहां पर दो ही तरह की गिट्टी पड़ती है इस तरह से लाखों रुपयों का घोटाला हो रहा है।

यह जो वाटर टैक्स की बात कही जाती है। नगर पालिकाओं में उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। ए क्लास नगरपालिका में भी आज लाईट की व्यवस्था नहीं है। मैनपुरी हेडक्वार्टर होते हुए भी वहां मेन रोड पर लाईट की व्यवस्था नहीं है जबकि 10 साल पहले टाउन एरिया में ट्यूबलाईट थी। इसलिये मंत्री जी जो सक्षम मंत्री हैं उनसे कहना चाहता हूं कि जब पंचायतों के वह चुनाव करा सकें तो नगरपालिकाओं के, टाउन एरिया के चुनाव जो कि आसान हैं, इसीलिए इनको यह विभाग दिया गया है, चूंकि यह चुनाव के विशेषज्ञ हैं, इसलिये आप मन्त्री जी उस क्षमता का प्रयोग करें और इसी वर्ष नगरपालिकाओं के चुनाव करा दें जिससे शासन और आपकी छवि अच्छी हो और जनता समझ सके कि स्वायत्तशासी विभाग में जनता की भागीदारी है। मान्यवर, 10 सालों से वहां जो प्रशासक और अधिकारी हैं जो अध्यक्ष का काम करते हैं जिससे वहां के कर्मचारियों और अधिकारियों में कोई अनुशासन नहीं है। इसलिये मैं चाहता हूं कि चुनाव की तत्काल व्यवस्था की जाये ताकि जनता में भ्रम समाप्त हो कि डेमोक्रेसी को आप खाना नहीं चाहते हैं और डेमोक्रेसी के माध्यम से ही आप शासन करना चाहते हैं।

श्री हरदेव–

अधिष्ठाता महोदय, आपने उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1984 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये, इस पर बोलने का समय दिया मैं उसके लिये आपका आभारी हूं। अधिष्ठाता महोदय, मेरी राय है कि इसे प्रवर समिति में भेजने की कोई न आवश्यकता है और न कोई औचित्य है। मैं अपनी ओर से कहना चाहता हूं कि बड़ी खुशी की बात है कि ग्राम्य विकास मन्त्री ने अब नगर विकास मंत्री का कार्यभार संभाला है तो उनसे उम्मीद है कि वह जो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं उनकी ओर वह विशेष ध्यान देंगे। मान्यवर, प्रवर समिति को सुपुर्द करने के विरोध में मैं अपनी बात रखना चाहता हूं कि शासन या सरकार ने इस ओर विशेष रुचि लिया है जिससे कि नगर, टाउन एरिया और नोटीफाइड एरियाज का विकास हो सके। मान्यवर, बलिया जनपद में रसड़ा नोटीफाइड एरिया है जहां इस बात की आवश्यकता है कि एक कमेटी तत्काल बनायी जाय जो वहां के सुन्दरीकरण, सफाई और शौचालय आदि समस्याओं का परीक्षण और जांच करे और उसके बाद उन समस्याओं का हल किया जाये। वहां प्रशासक और प्रशासन में सामंजस्य लाने की ओर ध्यान दिया जाये जिससे कि वहां की विषम परिस्थितियों को हल किया जा सके। मंत्री जी इस पर ध्यान दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री शंकर सिंह–

मान्यवर, यह वाकई शासन के लिये लज्जा की बात है कि पिछले 10 वर्षों से नगर पालिकाओं और टाउन एरियाज के चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। जो प्रबंध है वह

इन्होंने सरकारी अधिकारियों के सुपुर्द कर रखा है। मान्यवर, प्रदेश की टाउन एरियाज, नोटीफाइड एरियाज और नगरपालिकायें जो हैं आज उनकी बुरी हालत है, जैसी कि इसके पहले कभी नहीं थी। मान्यवर, जो फंड देते हैं वह भले ही सड़कों और रोशनी की व्यवस्था के लिये देते हों लेकिन यह सर्वविदित है कि सारे का सारा धन, मुश्किल से 20 परसेंट छोड़कर, कर्मचारियों के बीच में बंट जाता है। आज हर टाउन एरिया में अधिशासी अधिकारी या अन्य अधिकारी होंगे। अधिशासी अधिकारी का काम यही होता है और वही इस पर रह पाता है जो अपने प्रशासक को खुश रख सके। और प्रशासक का काम ऐसे व्यक्तियों को ठेके देने का रहता है जो उससे सौदेबाजी करके उसे फिट कर ले। बामुश्किल कहीं पर सड़क का निर्माण भी हो जाता है तो जहां आवश्यकता होती है और आम जनता रहती है वहां पर कतई नहीं होता है। जहां आवश्यकता नहीं होती है, पर पी0डब्लू0डी0 आदि विभागों के रेस्ट हाउस होते हैं, मंत्री और बड़े अधिकारी आकर ठहरते रहते हैं, वहां की सड़क ठीक हो जाती है। प्रशासक के निवास स्थान की भी सड़क ठीक हो जाएगी। वहां की प्रकाश व्यवस्था भी ठीक हो जाएगी और जहां आम जनता रहती है, वहां पर कोई काम नहीं होगा। वही पीने के पानी की स्थिति है। पानी की सप्लाई किसी भी कस्बे में नहीं हो पा रही है, बड़ी-बड़ी जगहों पर भी हालत बड़ी खराब है, वहां भी बहुत कम पानी सप्लाई होता है और अनियमित तरीके से होता है। पिछली बार प्लास्टिक की पाईप लाईन डालने का कार्य प्रारम्भ किया गया। उस समय कहा यह गया कि कास्ट आइरन की पाइपें फट जाती हैं, यह ज्यादा ठीक रहेंगी, इन प्लास्टिक पाईप लाइनों को 7/8 फुट की गहराई में डालना था। सड़कें भी नगरपालिका की खुदवा कर फेंकवा दी गईं, लेकिन कहीं भी 7/8 फुट की गहराई में पाईप नहीं डाले गये, दो एक फुट की गहराई में डालकर चलता कर दिया। इस संबंध में सड़कों की मरम्मत के लिए जो पैसा उनको मिला था, वह भी उस कार्य में नहीं खर्च किया गया वह भी खा गये।

आज उसका नतीजा यह है कि छोटे-छोटे वाहन तांगा व रिक्शा आदि भी उन सड़कों में फंसे पड़े रहते हैं। पाईपें भी इनकी जगह-जगह से कट गई हैं, जिसका परिणाम यह है कि सड़कों में जगह-जगह कीचड़ व टूट-फूट बनी रहती है और पाईप का पानी सीवर में जाता रहता है और सीवर का पानी पाईप लाइनों में जाता रहता है, जिससे लोग दूषित और गन्दा पानी पीने को विवश रहते हैं। अतः जैसा माननीय सदस्यों ने कहा है तुरन्त चुनाव कराये जाएं और जब तक चुनाव न हों, प्रशासक को जो आपने खुली छूट दे रखी है, वह तुरन्त बन्द की जाए। इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप कोई कमेटी वहां बना दें, जब तक चुनाव नहीं होते हैं, उस क्षेत्र के विधायकों की एक कमेटी आप बना दें और उसे आप प्रशासक के साथ शामिल कर दें। ताकि जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती है विधायकों के परामर्श से वह सारे कार्य करे। उसमें आप एम0पी0 को भी शामिल कर सकते हैं। इस तरह से काम कराया जाए, साथ ही मंत्री जी तुरन्त चुनाव भी करायें।

*श्री जसवन्त सिंह विष्ट–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस संशोधन पर बोलने का अवसर दिया। एक बात में मैं भाग्यशाली हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में न तो नगरपालिका है और न नोटीफाइड एरिया, बल्कि कैन्टूनमेंट एरिया है। लेकिन सारे प्रदेश में जाने के नाते मुझे यह देखने का मौका मिला है। आज नगरपालिकाओं की जो दुर्दशा है और हो रही है, उसको देखते हुए सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के विधायक इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि उसमें तुरन्त चुनाव हो जाने चाहिए। माननीय सदस्यों ने नगर विकास मंत्री के बारे में कहा है कि आप सक्षम हैं, आप चुनाव करा सकते हैं और आप शीघ्र चुनाव करायें, लेकिन मैं तो कहता हूं कि आप लंगड़े हैं, क्योंकि आप अभी तक जिला परिषदों के भी चुनाव नहीं करा पाये हैं।

क्यों यह चुनाव नहीं हो रहे हैं? आम आदमी भी जब चर्चा इस विषय पर करता है तो यही कहता है कि निकट भविष्य में प्रधान मंत्री जी लोक सभा का चुनाव कराना चाहती हैं और इस समय अगर नगरपालिका आदि के चुनाव करा देंगे तो सत्तारूढ़ दल के लोगों में टूटन आयेगी और इस टूटन के डर से यह सरकार चुनाव को टाल रही है। पहले नगर विकास मंत्री जी ने चुनाव कराने की तिथि तक घोषित कर दी, पर बाद को उसे रद्द कर दिया, कारण क्या था? कारण यही आपस में टूटन का था। आज देश में कांग्रेस पार्टी नाम की तो कोई पार्टी रह ही नहीं गयी है। यह तो (कांग्रेस पक्ष) कांग्रेसी जामा पहन कर उसके नाम को बेच कर खाये जा रहे हैं। जो इन्होंने इतने लोगों को बटोर रखा है वह तो प्रलोभन देकर बटोर रखा है। यह सरकार अपने टूटन के डर से चुनाव को टाल रही है और उसका परिणाम आम जनता को भुगतना पड़ रहा है।

आज नगरपालिकाओं की इतनी दुर्दशा है कि उसको बताया नहीं जा सकता। गंदगी का हर जगह बोलबाला है। अभी शाहजहांपुर में जो बीमारी के कारण तमाम लोगों की जानें गयीं, वहां का कारण यही था कि वहां गंदगी थी, शुद्ध जल पीने का नहीं उपलब्ध था, इसलिये भीषण बीमारी का प्रकोप बढ़ गया। आज सारे प्रदेश में मच्छरों का प्रकोप मिलेगा। मंत्री जी के यहां और उच्च अधिकारियों के यहां सफाई अवश्य हो जाती होगी पर यदि आप यहीं लखनऊ शहर की गलियों में या किसी भी शहर में जाकर वहां की गलियों में देखेंगे तब आपको गंदगी का हाल पता चलेगा। वहां जगह-जगह कचरे-कूड़े के ढेर मिलेंगे। मंत्री जी से मैं कहूंगा कि वे समय निकाल कर कभी गलियों को अचानक देखने जायें, तब उनको असली जानकारी मिलेगी। आज माननीय श्यामलाल वाजपेयी का भी एक प्रश्न था जिसमें उन्होंने भी यही चाहा था कि उच्चाधिकारी यकायक दौरा करके देखा करें।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी ने ही अपने समय में क्षेत्र समितियों और नगरपालिकाओं को भंग कर दिया था। उसी का यह परिणाम आज देखने को मिल रहा है कि अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं। उसी कारण से यह जनता पार्टी हारी और आज अगर यह कांग्रेस पार्टी चाहती है कि वह कुछ मैजारिटी में आ जाये, हालांकि इसकी उम्मीद नहीं है, आज जनता इनसे बहुत नाखुश है, पर भगवान इनको सद्बुद्धि दे, अगर यह चाहते हैं कि कुछ चुनाव में जीत कर आ जायें तो इनको चाहिये कि पहले

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नगरपालिकाओं के चुनाव यह सरकार करा दे। मगर यह सरकार कराये कैसे? यह तो बेचारे सेवक हैं। जब तक ऊपर से प्रधान मंत्री का आदेश नहीं होगा यह चुनाव नहीं करायेंगे। इसलिये मैं चाहता हूं कि ये लोग प्रधान मन्त्री जी से कहें कि अगर अगले चुनाव में कुछ सीटें लेनी हैं तो इनके चुनाव शीघ्र करा दिये जायें।

जैसा प्रधानमंत्री कहती हैं वैसा ही आप करियेगा तो भगवान आपको शायद सद्-बुद्धि दे रहा है, इसी से आज आपके दल के अंदर टूटन आ रही है। सारे विधायक इसलिये असंतुष्ट हैं कि भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोरी का बोलबाला चल रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि जितने उच्च अधिकारी हैं वह अपने-अपने विभाग से मंत्रियों को रुपया भेजते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

आप समाप्त करें। आप विषय के बाहर बोल रहे हैं।

श्री जसवंत सिंह विष्ट–

मान्यवर, मैं विषय के बाहर नहीं बोल रहा हूं। मैं तो बिल्कुल लाइन पर चल रहा हूं। मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं हमारे सत्ता रूढ़ दल के विधायक भी इस बात को बराबर कहते हैं पार्टी की मीटिंग में। मेरे साथ, बहुत से विधायक जब लाबी में मिलते हैं तो कहते हैं कि आज भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, चोरबाजारी जितनी बढ़ रही है उतनी कभी नहीं बढ़ी। मंत्री लोग, उनके विभाग से रुपया आता है, उनका भी मान्यवर, दोष नहीं है, वह दिल्ली भेजते हैं ऐसा सत्ता-रूढ़ दल के लोग हमसे कहते हैं। इसलिये ज्यादा न कहकर मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि तत्काल नगरपालिकाओं के चुनाव करायें तथा अध्यक्ष के चुनाव करायें।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, श्री रियासत हुसैन जी ने जो प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव किया है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, यह जो संशोधन विधेयक माननीय नगर विकास मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसमें सबसे गम्भीर और मुख्य बात यह है कि नगर पालिकायें बहुत दिनों से सरकारी कर्मचारियों के शिकंजे में हैं, पिछले दिनों मैंने सवाल किया था जिसका जवाब मंत्री जी नही थे उनके राज्य मंत्री जी ने दिया था। उन्होंने कारण बताये थे चुनाव न कराने के सम्बन्ध में। मैं कहना चाहता हूं, बिना किसी की नीयत पर शंका किये हुए, सत्ता रूढ़ दल के जो भारसाधक मंत्री हैं उनके तर्कों से ही साबित हो जायगा, मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि इतने दिनों चुनाव नहीं कराने से जहां भारत के संविधान की जो भावना है उसका निरादर कर ही रहे हैं बल्कि निरादर के साथ-साथ जो नगर पालिकाओं का प्रशासन है उसके साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। चुनाव की तिथि करीब-करीब घोषित हो गयी थी और कार्य भी प्रारम्भ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]

हो गया था उसको आपने रोक दिया । यह तर्क दिया गया है कि कुछ प्रशासनिक कठिनाइयां हैं जिनके कारण चुनाव नहीं कराये जा सकते । कारण यह बताये गये कि कहीं डिलिमिटेशन की बात है, कहीं वार्डों की कुछ बातें हैं तो अगर यह बातें मान भी ली जायं तो, मैं किसी की नीयत पर शंका किये बिना, मैं कहना चाहता हूं कि 90 फीसदी नगरपालिकायें ऐसी हैं जहां पर कोई प्रशासनिक कठिनाइयां नहीं हैं । मतदाता सूची तैयार है, परिसीमन हो गया है, सब चीजें पूरी हैं । 5 या 10 फीसदी ऐसी होंगी जहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव प्राबलम्स होंगी । उनको छोड़ भी दें तो बाकी का चुनाव न करा पाना इस बात का प्रतीक है कि इस सरकार की जनतंत्र में आस्था नहीं है, निर्वाचित निकायों में इनकी आस्था नहीं है और अपने दलीय हितों के लिये चुनाव नहीं कराये जा रहे हैं ।

आप किसी भी नगर में चले जायं गंदगी, टूटी सड़कें, गंदी नालियां, अंधेरा यह मानो प्रदेश की एकरूपता की बात हो गयी है। मैं इसी संदर्भ में अपने जनपद सीतापुर की बात कहना चाहता हूं। हमारे जनपद की मांग रही है और सब राजनीतिक दलों के लोगों ने और सत्तारूढ़ दल के लोगों ने, सब सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पेयजल के संकट को दूर करने के लिये मांग की थी कि नगरपालिका को जनरेटर सेट खरीदना चाहिये । सब स्तरों पर यह तय हो गया कि जनरेटर सेट खरीदना चाहिये । मेरी पार्टी के लोगों ने आंदोलन, धरना और भूख हड़ताल भी की । नगरपालिका की ओर से जो बजट आयुक्त के पास अनुमति के लिये आया था उसमें जनरेटर सेट का प्राविधान कर दिया गया लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा मार्च बीत गया, अप्रैल, मई, जून, जून तक यहां से स्वीकृति नहीं गयी है । तो मैंने विधान सभा में एक सवाल किया कि आखिर बजट स्वीकृत होकर क्यों नहीं जा रहा है ? तो मैंने जानकारी की, सत्तारूढ़ दल के एक नेता और यहां के अधिकारी न जाने क्यों उसमें इन्टरेस्टेड हो गये और उन्होंने यह कहा कि आप जनरेटर खरीदने के प्रस्ताव को वापस ले लें और उसके स्थान पर कूड़ा उठाने वाली मशीन का प्रस्ताव करें । मान्यवर, कितना बड़ा हस्तक्षेप है, मैं मंत्री जी से मिला, मैं अधिकारियों से मिला, मैंने कहा कि सीतापुर की तंग गलियों में छोटे-छोटे रास्तों में क्या कूड़ा उठाने वाली मशीन काम कर पायेगी ? मान्यवर, नगर विकास मंत्री ने स्वयं स्वीकार किया कि उन्होंने बरेली में कूड़ा उठाने की मशीन खरीदने के प्रस्ताव का विरोध किया और खरीदने नहीं दिया ।

मान्यवर, बजट की अनुमति मिली, इस शर्त के साथ मिली कि आप एक पूरक बजट फिर भेजिये, कूड़ा उठाने वाली मशीन खरीदने के लिये । मान्यवर, मैं उसकी घोर निन्दा करता हूं । मान्यवर, न जाने इनका कौन सा निहित स्वार्थ था, आज जो साजिश चल रही है । कभी टेण्डर के नाम पर, कभी किसी नाम पर, मशीन खरीद का आदेश नहीं दिया, यह साजिश है। मान्यवर, विकास की योजना के लिये हमारे यहां नगर पालिका के लिए काफी रुपया गया, उसकी निर्माण की गतियां हमको दिखाई दे रही हैं, हरिजन बस्तियों के सुधार के लिए, शापिंग काम्प्लैक्स के लिए, लेकिन जिस गति से काम होना चाहिए, उस गति से काम नहीं हो रहा है । जो

हमारे निर्बल वर्ग के लोग हैं, जिनके अन्तर्गत हरिजन वर्गों का आरक्षण होना चाहिए, हमारे यहां एक बड़ा पड़ाव है, शहर के बीच में एक मैदान है, वहां पर दुकानें बन रही हैं, वहां पर जो लोग 20-20, 30-30 साल से काबिज हैं, उन लोगों को वहां से हटाया न जाय और अगर हटाया जाय, तो इस बात का वायदा किया जाय कि उनको बिना किसी पगड़ी के दुकानें दी जायेंगी, मान्यवर, यह मेरी मांग थी, हमारे जिलाधिकारी बड़े उदार हैं। उन्होंने इस बात को माना, लेकिन एक घटना हो गयी, सत्तारूढ़ दल के एक नेता ने कोई आवेदन दिया कि यह जमीन हमको एलाट कर दी जाय।

मान्यवर, आपको आश्चर्य होगा कि कम से कम दो लाख की जमीन बीचोबीच शहर में, उनको एलाट कर दी गयी। मान्यवर, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन शासन से आदेश पहुंचा। मान्यवर, मामला न्यायाधीश के यहां गया, वहां स्टे हो गया। मान्यवर, वह जमीन ऐसी थी, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मिली हुई थी। मान्यवर, इतनी मूल्यवान जमीन उनको दे दी गयी। मान्यवर, जिस तर्क के आधार पर उनको 13-14 हजार रुपये में जमीन एलाट कर दी गयी, तो इसी आधार पर जितने दुकानदार जो 30-30, 40-40 साल से काबिज हैं, उनको भी दे दी जाय। मान्यवर, मैंने जिलाधिकारी से कहा कि आप इसको खारिज करके शासन को भेज दीजिए। यह आया हुआ है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, अगर माननीय मंत्री जी सत्य कहीं जिन्दा है, समानता का सिद्धान्त कहीं जिन्दा है, जिस जमीन का सम्बन्ध कोसों दूर तक उस व्यक्ति से नहीं था, उनको दे दी गयी, मान्यवर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को उजाड़ कर। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि जो गरीब लोग वहां से उजाड़े जा रहे हैं, उनको वह जमीन देने की कृपा करेंगे? अगर उनको जमीन देने की कृपा नहीं करेंगे तो मैं जानना चाहूंगा कि शासन की कौन सी नीति है कि लाखों रुपये की जमीन मिट्टी के भाव सारे कानून और नियमों को दरकिनार करते हुए जमीन दे दिया मैं इस पर घोर आपत्ति करता हूं।

प्रवर समिति का समर्थन करते हुये मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं। दुर्भाग्य है सीतापुर का वहां पर एक पुराना सीतापुर है। कुछ गरीब और अल्पसंख्यक लोग वहां रहते हैं, हमेशा दुर्लक्ष्य किया गया उनका। जब मैं विधायक बना तो मैंने कहा समानता होनी चाहिए नगर के विकास में बराबरी की भागीदारी होनी चाहिए। जो योजना बने वहां के लिये बने। जब हमारी सरकार बनी कुछ योजनायें वहां गयीं। मैं प्रतीक स्वरूप एक बात कहना चाहता हूं 80 लाख रुपये की पेयजल की योजना वहां के लिये बनी। विधान सभा के पटल का लाभ उठाते हुए भी मैंने यह बात कही थी। हो सकता है प्रतिपक्ष का विधायक होने की बात आपके मन में हो। लेकिन मेरी कोई व्यक्तिगत शिकायत नहीं है।

मैं जो बात कहना चाहता हूं वह इस बात का प्रतीक है और मैं एक तर्क देना चाहता हूं। वहां टंकी बन रही है, टंकी बनने में एक वर्ष लगेगा, उसके बाद पाइप लाइन डाली जायेगी उसमें दो वर्ष लगेगा। अगर प्रतिपक्ष का प्रतीक नहीं है तो क्या मेरे इस

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–]

तर्क में बल नहीं है कि पाइप लाइन और टंकी का काम एक साथ क्यों नहीं हो रहा है। टंकी बनने के बाद 2 साल तक पाइप लाइन न होने के कारण लोगों को इंतजार करना होगा। अगर दोनों काम साथ-साथ हो जायं तो क्या कठिनाई है। यह सौभाग्य से चौधरी साहब जो मंत्री जी के बगल में बैठे हैं उनके क्षेत्र की बात है। अगर पानी की व्यवस्था वहां हो जाती है तो इनको उसका लाभ मिलेगा। दो-तीन बातें मैंने कही है। मैं चाहूंगा और मैंने यह बात प्रतीक रूप में इसलिये कही है कि अगर आप वहां के जनप्रतिनिधि होते तो खुद समस्या को समझते कि पैसों की प्रायरटी कैसे हो। यह बात सही है कि चाहे राज्य सरकार की, केन्द्र सरकार की या नगर पालिका का बजट हो उसके पास पैसा अनन्त नहीं है लेकिन उसमें प्राथमिकता तय करनी होती है। प्राथमिकता वह तय कर सकता है जो समस्याओं से विज्ञ हो। जो जनता के प्रति जवाबदेह हो कि यह काम क्यों नहीं हुआ। एक बार नहीं अनेक बार मैंने कहा है कि जो नगरपालिकाओं में निर्माण कार्य हो रहा है बहुत ही घटिया स्तर का हो रहा है। मैंने सदन में जांच की मांग की, जांच करायी गयी लेकिन मेरी जानकारी है कि किसी उच्च अधिकारी से जांच नहीं करायी गयी। जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांग ली गयी और उन्होंने वहां से रिपोर्ट ले लिया। हम लोग शहरों में जाते हैं पत्र लिखते हैं फला गली में बल्ब नहीं है, पत्थर टूट गया है। दूसरा पत्थर लगाया गया और दूसरे दिन वह भी टूट गया। आप एक साल का आंकड़ा मंगवा लें कि कितना पत्थर कहां लगाया गया और कब-कब टूटा। जहां पत्थर लगते हैं उसका नाम रहता है। वहां पर आये दिन पत्थर टूट जाते हैं। जब इतनी घटिया किस्म का निर्माण हो रहा है तो क्या जांच की आवश्यकता नहीं है। जांच की आवश्यकता है।

मैं जांच की मांग इसलिए करता हूं कि जनता की जो गाढ़ी कमाई है, जो पैसा खर्च किया जा रहा है उस पर अंकुश लगाया जाय। जांच की मांग हम एक पवित्र भावना को लेकर करते हैं, उसका आपको स्वागत करना चाहिए। मान्यवर, टंकी बनी, पानी रिस रहा है मैंने जांच की मांग की, कोई जांच नहीं हुई। जल निगम पाइप लाइन डालता है, सड़क की मरम्मत के लिये नगरपालिका पैसा ले लेता है। मैं सीतापुर नगरपालिका के बारे में बतलाना चाहता हूं कि पैसा लिया होगा या नहीं।

(3 बजकर 20 मिनट)

मुझे यह जानकारी है लेकिन आज भी सीतापुर शहर में देखें, न जाने कितनी सड़कें ऐसी होंगी जिनका टूटा हुआ हिस्सा देखकर पता लग जाएगा कि सड़क पर पाइप लाईन डाली गयी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री मोहन सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से श्री रामगोविन्द चौधरी एवं श्री रियासत हुसैन द्वारा जो प्रवर समिति का प्रस्ताव रखा गया है उसका समर्थन करना चाहता हूं। हमारी दिक्कत है कि जो नगरपालिकायें, महापालिकायें स्वायत्त संस्थायें हैं इनकी कोई मुस्तकिल सेवा नियमावली बनने से, वेतन निर्धारण सम्बन्धी न जाने कितने विवाद

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, चल रहे हैं और आपका नगरपालिका का कार्य विस्तार बढ़ता जा रहा है। जल सम्पूर्ति की व्यवस्था शासन ने इसके जिम्मे कर दी है जहां आपका कार्य बढ़ रहा है और जिस दिन से निदेशालय बना जिस दिन से काम उसके जिम्मे किया गया उस दिशा में उस निदेशालय ने कोई काम नहीं किया। आज नगरपालिका को, लोगों का मत है कि उनको स्थानान्तरण नियुक्तियां आदि का काम दिये जा रहे हैं। यह उचित नहीं होगा। निगम बना निगम के पास यह अधिकार रहना चाहिए। निगम में आपकी 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल की योजना है वह दी जा रही है। और नगर-पालिका ने हैन्डपाइप का इन्तजाम किया है और 20 हजार 17 हजार तक इस पर खर्च हुआ है। मैं समझता हूं कि जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। हैन्डपाइप जो आपने दिया है जनता की गाढ़ी कमाई का रुपया व्यय करके उसे बरबाद किया जा रहा है। मैं समझता हूं यह अनुचित है। इस योजना के बारे में विचार होना चाहिए जब उसका मेन्टिनेन्स जलनिगम को दे रहे हैं तो यह योजना मेरी राय में गलत है। करोड़ों रुपया इसमें बरबाद कर दिया जा रहा है। इसके अलावा जो टंकी बनाकर व्यवस्था की गयी थी मैं समझता हूं वह ज्यादा उचित थी। जल सम्पूर्ति और जल भराव जिनकी वजह से जो टाउन एरिया नगरपालिका के तहत रहता है, वह प्रदूषण का शिकार होता जा रहा है।

मान्यवर, तीन साल से इलाहाबाद का एक हिस्सा परेशानी और तबाही का शिकार है। उसकी बात उठती रही सदन में, और मंत्री जी ने कहा कि योजना स्वीकृत होगी रुपया मिलेगा लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि इस एकत्रित जल के बहाव की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई। मैंने अभी एक महीने पूर्व वहां की दुर्दशा को देखा मान्यवर, जो शासकीय अनुदान मिलता है विशेष रूप से जो सत्ता में सदस्य हैं जिनकी पहुंच है उनको मिलता है लेकिन वास्तविक रूप में बाढ़ जहां नगरों में आती है उनको सीमित अनुदान दिया गया शासन की ओर से उसमें सही स्थिति यह है कि जो टाउन एरिया और नगरपालिका है जो बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए उनको अनुदान नहीं दिया गया, वास्तविक रूप से जो टाउन एरिया और नगरपालिका को स्वीकार करना था उनकी वजह से, मैंने अनुदान की सूची देखी जो शासन की ओर से प्रकाशित हुई है, वह सूची बड़े पक्षपातपूर्ण ढंग से प्रकाशित की गयी है। यदि जन प्रतिनिधियों के हाथ में यह होता तो जो अनुदान मिलता है, उसका व्यय और नगरपालिकाओं के संसाधनों के विस्तार के बारे में जन प्रतिनिधि सोचते, मेंटीनेंस के बारे में सोचते और शासन से वास्तविक खर्च लेने के बारे में संघर्ष करते। आप कहते हैं प्रक्रिया सम्बन्धी दिक्कतें हैं। तो एक तिथि घोषित करने के बाद चुनाव निरस्त किये गये। इसका मूल कारण यह था कि जन भावनाओं ने, इस प्रदेश की जनता ने इनके शासन को अस्वीकार किया उसकी प्रतिध्वनि इन स्वायत्तशासी संस्थाओं के चुनाव में दिखाई पड़ती, इसलिए सर-कार ने चुनाव स्थगित किये।

मैं पुनः आग्रह करना चाहता हूं कि जो नगर पालिकाओं में काम करने वाले और जल संस्थान में काम करने वाले कर्मचारियों की सेवा नियमावली और नगरपालि-काओं में अधिनियम की धारा 31 में मन माने ढंग से नियुक्ति करने का जो अधिकार

[श्री मोहन सिंह]

मिला हुआ है उसमें परिवर्तन होना चाहिये । एक गाइड लाइन बननी चाहिए। जब जो सरकार बनती है, अपने हिसाब से अधिशासी अधिकारी नियुक्त कर देती है और कुछ दिन काम करने के बाद दूसरी सरकार अपने मन चाहे लोगों को नियुक्त कर देती है । सुप्रीम कोर्ट में तमाम केसों में अधिकांशतः इस प्रदेश के मंत्रियों, राजनेताओं, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने जो नियुक्ति कराई है, उसकी सूची प्रस्तुत की गयी है, और पब्लिक सर्विस कमीशन के अधिकारियों की उपेक्षा की जाती रही है। कम से कम अधिकारियों की सेवा नियमावली के बारे में और धारा 31 के तहत उम्र में मनमानी छूट देकर नियुक्ति करने को मर्यादित किये जाने के बारे में एक विधेयक सदन में आना चाहिए । इन शब्दों के साथ मैं इसकी निन्दा करना चाहता हूं कि यह शासन बार-बार स्वायत्तशासी संस्थाओं के चुनाव टालती जा रही है।

श्री राम गोविन्द–

माननीय मंत्रीजी न तो चुनाव की घोषणा कर रहे हैं और न जन प्रतिनिधियों के नामिनेशन की घोषणा कर रहे हैं और न जल निगम का सरकारीकरण न कर निगम बने रहने देने की ही घोषणा करने को ही तैयार हैं। जनतंत्र में इनका विश्वास नहीं है। यह कहते हैं हमने जिला परिषद के चुनाव कराए, ब्लाकों के चुनाव करवाए तो आप इसका भी चुनाव करा दें ताकि जनतंत्र बना रहे। यह तमाम लूट खसोट जो बनी हुई है नगरपालिकाओं में, अगर यह चुनाव करा दें तो दूर हो जाय। अगर यह चुनाव की घोषणा नहीं करते हैं तो मैं इस अननुमोदन के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

*श्री रियासत हुसैन–

श्रीमन्, मैं आभारी हूं माननीय सदन के उन माननीय सदस्यों का, जिन्होंने मेरे इस प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लिया। माननीय सदस्यों ने अपने-अपने म्युनिसिपल वोर्डों और टाउन एरिया के बारे में कहा। मैं लखनऊ नगरमहापालिका, जो बिल्कुल आपके नीचे है की एक बात कहता हूं। अभी 8 दिन पहले एक घटना हुई है जिसमें पिछली टाउन एरिया के जो अशोक बाजपेयी जी थे, उनकी टांग कटी पड़ी है। बलरामपुर अस्पताल में उनसे पूछताछ कर लें। दोनों टांगों में प्लास्टर लगा हुआ है। पुराने लखनऊ का जो चौक एरिया है, वहां तो गंदगी है, इसमें मैं नहीं जाता, लेकिन यह घटना गवर्नर साहब के चौराहे से जहां से आपके वीतम पल्ली और कालीदास मार्ग को रास्ता जाता है, वह स्कूटर से आ रहे थे, सड़क पर पानी था, उधर एक बस आ रही थी। उन्होंने सड़क पर पानी समझ कर अपना स्कूटर उसमें डाल दिया और स्कूटर मेन होल में चला गया। पानी सड़क पर आ गया। स्कूटर बढ़ाते समय वह गिर गये और बस का पिछला पहिया उनकी दोनों पिंडलियों पर चढ़ गया। उनके दोनों पिण्डे फ्रैक्चर हो गये । यह 10 दिन पहले की घटना है। वह बलरामपुर हास्पिटल में एडमिट हैं। मैं माननीय मंत्री जी से इस बात की मांग करना चाहता हूं कि वह कम से कम सीतापुर, मुरादाबाद में तथा अन्य जो टाउन एरिया हैं, लोगों की जो शिकायतें आती हैं तथा इस लोकेलिटी से जो घटना जुड़ गई है, उसे तो सजा दीजिए।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, यदि ये चुनाव कराना नहीं चाहते हैं, तो एक कमेटी बना दें। माननीय मंत्री जी तो जनहित के सहारे सब कुछ करना चाहते हैं। विपक्ष ने तो यहाँ तक अपने को सरेन्डर कर दिया कि आप अपने ही लोगों को उस कमेटी में नामीनेट करें, किन्तु आप अवश्य कमेटी बनायें। ताकि उससे कुछ तो कन्ट्रोल हो सकेगा। माननीय श्री रिछारिया जी ने जो सुझाव दिया, उसे ही आप मान लें। आप हमारी बात न मानें। इसमें अमेन्डमेन्ट आया है कि 31 दिसम्बर की जगह पर 30 जून रखें। पिछली बार भी यही बात आयी थी, उस समय भी यही कहा गया था कि 31 दिसम्बर की जगह पर 30 जून रखा जाय, तो हम अपने संशोधन के प्रस्ताव को वापस लेने के लिए तैयार हैं। आपने नहीं माना।

श्रीमन्, मैं चैलेन्ज के साथ कहना चाहता हूँ कि यदि आप चुनाव के लिए 31 दिसम्बर तक समय लेंगे तो आप्प इसे नहीं कर पायेंगे। क्योंकि पार्लियामेन्ट का बजट पास होते ही पार्लियामेन्ट का चुनाव आपके सामने आ जायेगा। जैसा कि अभी आपने कहा कि चुनाव ड्यू समय पर ही होंगे। वैसे हम इस पर विश्वास नहीं करते हैं कि चुनाव सही समय पर होंगे। जब चुनाव पार्लियामेन्ट के सामने आयेंगे तो उस समय स्वयं आप लोग अपने टिकट के लिए भाग रहे होंगे। उस समय आपको कहाँ ध्यान रहेगा कि चेयरमैन का टिकट देना है और टाउन एरियाज के मेम्बर्स को टिकट देना है। यदि माननीय मंत्री जी 30 जून तक इसे स्वीकार कर लें और घोषणा कर दें कि 30 जून से पहले ही हम चुनाव करा देंगे, तो एक माननीय मंत्री जी के आश्वासन पर विश्वास करके हम इसे वापस ले लेंगे। जैसा कि अभी माननीय श्री धरम पाल जी कह रहे थे कि मैं 10 साल तक इसका अध्यक्ष रहा हूँ और मुझे इसका काफी अनुभव है। माननीय धरमपाल जी आज उसी अध्यक्ष की जड़ काटी जा रही है। नौकरशाह ही अध्यक्ष रहेंगे आप नहीं।

आज दिल्ली से नीचे तक यही हालत है। आज इस देश में एक ही शख्सियत की हुकूमत चल रही है। आज पूरा का पूरा ढांचा आपका बिगड़ा हुआ है। मैं एक बात पुनः कहना चाहता हूँ कि आज जो चीजें इसमें रखी गई हैं, वह इस बात को बता रही हैं कि आपके सारे निगमों में फेलियोर शुरू हो गया है। जो आज जल निगम के ऊपर हो रहा है, वही कल सभी निगमों में हो जायेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि प्रवर समिति में बैठकर, इस मामले पर चर्चा करके, इस पर विचार हो जाय। प्रवर समिति की सिफारिशों के मातहत, इसे पुनः लाया जाय और इसी सत्र में यह पास हो जाय।

इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं अपने इस संशोधन के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, आज इस प्रस्तावित अध्यादेश में संशोधनों के बारे में और इसके सम्बन्ध में, जितने माननीय सदस्यों ने वाद विवाद में भाग लिया है और जो इसकी बाबत हमें सुझाव दिये हैं, उन सभी के हम आभारी हैं।

[श्री बलराम सिंह यादव]

मान्यवर, जो भी वाद विवाद आज हुआ, इतनी देर तक, उससे मैं एक परिणाम पर पहुंचा हूं और वह यह है कि जो संशोधन हमारी तरफ से आये हैं, उन संशोधनों के बारे में न तो विपक्ष वालों ने और न सत्ता पक्ष के किसी सदस्य ने कोई खास बात कही। जिससे मैं समझता हूं कि इसमें कोई विरोध नहीं है, क्योंकि इन संशोधनों से सम्बन्धित सुझाव कम से कम हमारे सामने आये हैं।

मान्यवर, दो बातों पर हमारे विपक्षी दल के माननीय सदस्यों ने जोर दिया है। उसमें एक तो यह कि जो नगरपालिकाएं हैं, उनमें कार्य सुचारु रूप से नहीं हो रहा है, गंदगी व्याप्त है, पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है—आदि-आदि सुझाव दिये हैं और मैं समझता हूं कि जो अच्छे सुझाव दिये जाते हैं, उनका हमें स्वागत करना चाहिए। और, मैं ऐसे सुझावों का स्वागत करता हूं। मैं पहले भी इस बात को साफ कर चुका हूं कि हमारा पूरा प्रयास इस बात का होगा कि जो हमारी महापालिकाएं, नगरपालिकाएं हैं, टाउन एरिया कमेटी हैं, उनके प्रशासन को अधिक से अधिक दुरुस्त और चुस्त किया जाय और इसकी बाबत हर सम्भव प्रयास शासन की तरफ से किये जायेंगे।

मान्यवर, दूसरी बात चुनाव के सम्बन्ध में हमारे विपक्षी दल के सदस्यों ने कही और उन्होंने यहां तक कहा कि चुनाव नहीं कराये जा सकते और सुझाव दिया कि कोई कमेटीज बना दी जायं। मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि चुनाव न कराने की बात हमारे यहां नहीं है। आप लोकतंत्र की बात करते हैं, माननीय रियासत भाई ने लोकशाही की बात कही, मैं कहना चाहूंगा कि लोकशाही को हमारी पार्टी ने इस देश में स्थापित किया है। इस लोकशाही के तहत ही हमारी सरकार ने 74 हजार पंचायतों का चुनाव कराया और लगभग 900 क्षेत्र समितियों का चुनाव कराया है। मान्यवर, किन्हीं कारणवश नगर विकास विभाग के चुनाव नहीं हो सकते हैं। जिनको होना चाहिए, इस से भी मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। इस विचारधारा से अपने को सम्बद्ध करता हूं। लेकिन, वे चुनाव किन्हीं कारणवश नहीं कराये जा सके हैं। हमारा प्रयास जो है, नगर विकास विभाग के चुनाव कराने का भी जारी है और इसी तरह से जिला परिषद् के जो चुनाव हैं, उनके सम्बन्ध में भी हमारा प्रयास जारी है। इस तरह से हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि नगर विकास विभाग की जो टाउन एरिया, म्युनिसिपल बोर्ड और महापालिकाओं के जो चुनाव हैं, उन्हें निकट भविष्य में कराया जाय।

मैं यह कहना चाहूंगा यहां पर कि आप अपने मन में यह विचारधारा न बनायें कि लोकसभा के कोई चुनाव होने वाले हैं, इसलिए उन चुनावों से भी आगे इन पर असर पड़ेगा। लोकसभा के जो चुनाव होंगे, भले ही वे ड्यू डेट पर हों, लेकिन उन चुनावों से इन चुनावों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वह अपनी जगह होंगे, यह अपनी जगह होंगे। मान्यवर, इसकी बाबत कठिनाई जो हमारे सामने थी, वह यह थी कि तिथि की घोषणा की गयी और इसके बाद बहुत से माननीय सदस्यों ने माननीय सांसदों ने सरकार से सम्पर्क किया, हमारे तत्कालीन मंत्री जी से बात की और उनसे यह कहा कि डिलिमिटेशन जो है कांस्टीट्यूएन्सीज का, सदस्यों की कांस्टीट्यूएन्सीज का, वह होना बहुत आवश्यक है, जब तक डिलिमिटेशन न हो जाय, तब तक चुनाव

न कराये जायं। डि-लिमिटेशन बहुत पुराना था, इसलिए जनप्रतिनिधियों की भावनाओं का आदर करते हुए यह चुनाव फिलहाल स्थगित रखे गये हैं। हमारा प्रयास जारी है। लोकतंत्र में मैं समझता हूं कि हम से ज्यादा किसी की आस्था नहीं हो सकती है। हम तो चुनाव का प्रयास करते हैं किन्हीं कारणोंवश न हो पायं, वह दूसरी बात है, लेकिन आपने तो चुनी हुई पंचायतों को, नगरपालिकाओं को, नगरमहापालिकाओं को सबको अपनी एक कलम से बर्खास्त करके लोकतंत्र में अपनी अनास्था प्रगट कर दी थी। आज आप खुद ही कहते हैं इस बात को कि पहले के म्युनिसपल बोर्ड्स को ही रिवाइव कर दीजिए या कोई कमेटी बना दीजिए। जनप्रतिनिधियों के न होने से सम्बन्धित जो कठिनाइयां हैं नगरपालिकाओं में, नगरमहापालिकाओं में वे आपके ही द्वारा भेंट की हुई हैं जनता को। हम तो कोशिश कर रहे हैं जहां तक सम्भव होगा चुनाव कराने का प्रयास करेंगे।

माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने स्पेसिफिक कम्पलेंट्स की हैं सीतापुर के बारे में। मैं चाहता हूं कि लिखकर दे दें, हम उसकी जांच करायेंगे जहां पर भी कोई कमी है दुरुस्त करायेंगे। मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य अपना संशोधन वापस ले लें। इसके साथ ही मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री रियासत हुसैन–

आपने भूतपूर्व मंत्री का हवाला दिया। भूतपूर्व नगर विकास मंत्री तो पीलीभीत से निकलकर कहीं गये ही नहीं। तो क्या पीलीभीत के लोगों ने ही जो कुछ कहा होगा, उसको ही पूरे सूबे की बात मान लें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

एक सफाई चाहता था। माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में डि-लिमिटेशन की चर्चा की है। मेरी अपनी जानकारी जो है, जो कि शासन के माध्यम से मिली है, उसके अनुसार परिसीमन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। परिसीमन की चर्चा कर रहे हैं, वह प्रक्रिया किस स्टेज पर है, यह बता दें?

श्री बलराम सिंह यादव–

परिसीमन बहुत पुराना था। परिसीमन के बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है, वे पहले वाले मंत्री जी से भी मिले। उन्होंने कहा कि परिसीमन दुबारा किया जाना चाहिए।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

इसके मायने यह हुए कि इस स्टेज पर कोई नोटीफिकेशन नहीं है, तो क्या पूरे उत्तर प्रदेश का डि-लिमिटेशन करने के लिये कोई नोटीफिकेशन जारी करने वाले हैं?

श्री बलराम सिंह यादव–

इस सम्बन्ध में शासन विचार कर रहा है, इस सम्बन्ध में सक्रियता से विचार हो रहा है।

श्री रियासत हुसैन–

बहुत खुले कार्ड्स रखे थे, अगर 30 जून तक विधेयक पर विचार करने को सहमत हों, तो संशोधन वापस ले लें।

श्री अधिष्ठाता–

(श्री राम गोविन्द को इंगित करते हुए)

चौधरी जी, क्या आप इसको वापस ले रहे हैं?

श्री राम गोविन्द–

जी नहीं, मान्यवर।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1983 का अननुमोदन करता है?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1984 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1984 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2 से 10 तक

अध्याय–द

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 43 सन् 1975 की धारा 4 का संशोधन

2––उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 की जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4 में,––

(एक) उपधारा (2) में, खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :––

"(घ) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, प्रभारी जल सम्भरण विभाग, पदेन;

(घघ) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, नियोजन विभाग पदेन"

(दो) उपधारा (4) में, शब्द "खंड (ग) या खंड (घ)" के स्थान पर शब्द "खण्ड (ग), खण्ड (घ) या खण्ड (घघ)" रख दिये जायेंगे।

3––मूल अधिनियम की धारा 20 में, उपधारा (3) में, खण्ड (ग) में शब्द "जिसे राज्य सरकार के अनुमोदन से निगम द्वारा नियुक्त किया जायगा" के स्थान पर शब्द "जिसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायगा" रख दिये जायेंगे।

धारा 27 का प्रतिस्थापन

4—मूल अधिनियम की धारा 27 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्—

पदों का सृजन और कर्मचारियों की नियुक्ति

"27-(1) जल संस्थान राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों से ऐसे पदों का और ऐसे पदनामों के साथ सृजन कर सकता है जिसे वह अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण सम्पादन के लिये आवश्यक समझे।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति जल संस्थान द्वारा ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर की जायगी जिसे वह उचित समझे:

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे पदों पर जिसे राज्य सरकार धारा 27-क के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा या सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, नियुक्ति और ऐसे पदों पर नियुक्ति के निबन्धन और शर्तों का अवधारण सरकार के अनुमोदन से किया जायगा।

(3) अध्यक्ष के सामान्य नियंत्रण और निदेशों के अधीन रहते हुए जल संस्थान के समस्त कर्मचारियों का पर्यवेक्षण और उन पर नियंत्रण महाप्रबन्धक में निहित होगा।"

धारा 27-क का बढ़ाया जाना

5—मूल अधिनियम में धारा 27 के पश्चात निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्—

सेवाओं का केन्द्रीयकरण।

"27-क—(1) धारा 27 या अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार किसी भी समय ऐसे अधिकारियों और सेवकों की जिन्हें राज्य सरकार उपयुक्त समझे, एक या अधिक ऐसी सेवायें सृजित करने के लिये नियमों द्वारा व्यवस्था कर सकती है जो राज्य में जल संस्थान या जल संस्थानों, नगर महापालिकाओं और नगर पालिकाओं के लिये सामान्य हो, और किसी ऐसी सेवा में भर्ती करने की रीति और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तें विहित कर सकती है।

(2) जहाँ ऐसी किसी सेवा का सृजन किया जाय, वहाँ सेवा में सम्मिलित पदों पर कार्यरत कर्मचारियों और उन पदों के कर्त्तव्यों और कृत्यों का पालन करने वाले अधिकारियों और सेवकों को, यदि उपयुक्त पाये जायं, अनन्तिम या अन्तिम रूप से सेवा में आमेलित किया जा सकता है, और अन्य की सेवायें निहित रीति से समाप्त की जायगी।

(3) ऐसी सेवा के सृजन पर स्थानीय निकाय निदेशक के लिये या सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के लिये किसी जल संस्थान या जलकल में किसी पद पर कार्यरत किसी कर्मचारी को किसी अन्य जल संस्थान या जलकल को स्थानान्तरित करना विधि पूर्ण होगा।

(4) उपधारा (1) और (2) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में उक्त उपधाराओं में निर्दिष्ट किन्हीं विषयों के संबंध में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के लिये भी व्यवस्था की जा सकती है।"

धारा 38 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 38 में,—

(क) उपधारा (1) में, शब्द और अंक "जिसके अन्तर्गत" और "यू0 पी0 म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 की धारा 69-बी" के बीच शब्द और अंक "इस अधिनियम की धारा 27-क" बढ़ा दिये जायेंगे,

(ख) उपधारा (9) में—,

(एक) शब्द "यू0 पी0 म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट" के पहले शब्द और अंक "इस अधिनियम की धारा 27—क" बढ़ा दिये जायेंगे,

(दो) शब्द "यथास्थिति, ऐसे जल संस्थान या निगम में जिसको कि निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश के किसी आदेश द्वारा तत्समय उसकी सेवायें प्रदान की जायं, प्रतिनियुक्ति पर सेवा करने के लिये आबद्ध, होगा" के स्थान पर शब्द "ऐसे जल संस्थान या निगम में जिसको कि स्थानीय निकाय निदेशक, उत्तर प्रदेश के किसी आदेश द्वारा तत्समय उसकी सेवाएं प्रदान या स्थानान्तरित की जायं, सेवा करने के लिये आबद्ध होगा" रख दिये जायेंगे।

धारा 56 का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 56 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड और उपधारा (2) बढ़ा दी जायगी, अर्थात्—

"प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (क) के अन्तर्गत आने वाले मामले में जहाँ ऐसा भू-गृहादि एक से अधिक अध्यासियों को किराये पर दिया जाय या किसी अन्य पर्याप्त कारण से अध्यासी से कर की वसूली समीचीन न पाई जाय, वहाँ जल संस्थान, अपने विकल्प पर कर का उद्ग्रहण अध्यासी से करने के बजाय स्वामी से कर सकती है।

(2) ऐसा कोई स्वामी जिससे उपधारा (1) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन कर का उद्ग्रहण किया जाय, किसी प्रतिकूल संविदा के न होने पर, उसे अध्यासी से वसूल कर सकता है।"

धारा 72 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 72 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड (ज) बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

"(ज) यदि उपभोक्ता जल संस्थान को अपने जल संयोजन में मीटर लगाने की अनुमति नहीं देता है या मीटर देने के लिये प्रतिभूति जमा करने से इन्कार करता है।"

अध्याय तीन

संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 का संशोधन

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 2 सन् 1916 की धारा 69-बी का संशोधन

9—संयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 69—बी में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्—

"(1) धारा 57, 59, 65 से 68, 69, 69—क, 71, 74, 79 और 80 में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार किसी भी समय ऐसे अधिकारियों और सेवकों की जिन्हें वह उपयुक्त समझे, एक या अधिक ऐसी सेवायें सृजित करने के लिये नियमों द्वारा व्यवस्था कर सकती है जो राज्य में सभी या कुछ नगरपालिका बोर्डों के लिये या नगरपालिका बोर्डों महापालिकाओं और जल संस्थानों के लिये सामान्य हो, और किसी ऐसी सेवा में भर्ती करने की रीति और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तें विहित कर सकती है।"

अध्याय चार

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 का संशोधन

10—उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 112—क में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्—

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959 की धारा 112-क का संशोधन

"(1) धारा 106 से 110 में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार किसी भी समय ऐसे पदाधिकारियों और सेवकों की जिन्हें वह उपयुक्त समझे, एक या अधिक ऐसी सेवाएं सृजित करने के लिये नियमों द्वारा व्यवस्था कर सकती है, जो राज्य की महापालिकाओं के लिये या महापालिकाओं, नगरपालिका बोर्डों और जल संस्थानों के लिये सामान्य हों, और किसी ऐसी सेवा में भर्ती करने की रीति और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तें विहित कर सकती है।"

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से लेकर खण्ड 10 तक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड—11

अध्याय—पाँच

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 का संशोधन

11—उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, जहाँ-जहाँ भी शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1983" आये हों, उनके स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1984" रख दिये जायेंगे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1977 की धारा 2 का संशोधन

(संशोधन प्रस्तुत करने हेतु श्री राम स्वरूप वर्मा का नाम पुकारे जाने एवं उनके उपस्थित न होने पर।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड 11 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड—12

12—मूल अधिनियम की धारा 3 में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1984" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1984" रख दिये जायेंगे।

धारा 3 का संशोधन

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड 12 इस विधेयक का अंग माना जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–13

अध्याय––छः

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1978 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 सन् 1978 की धारा 24 का संशोधन

13––उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 24 में शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1983" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1984" रख दिये जायेंगे।

श्री अधिष्ठाता––

प्रश्न यह है कि खण्ड 13 इस विधेयक का अंग माना जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–14

अध्याय––सात

प्रकीर्ण

निरसन और अपवाद

14––(1) उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1983 और उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1983 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 47 सन् 1983 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 48 सन् 1983

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों द्वारा यथा संशोधित अध्याय दो, तीन, चार, पाँच और छः में निर्दिष्ट किन्हीं अधिनियमों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियमों के तत्समान उपबन्धों के अधीनकृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अधिष्ठाता––

प्रश्न यह है कि खण्ड 14 इस विधेयक का अंग माना जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1984

उत्तर प्रदेश जल-सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975, संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम 1916, उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959, उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 और उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1978 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:––

अध्याय––एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1––(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1984 कहा जायगा।

(2) धारा 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 और 10 बारह दिसम्बर, 1983 को प्रवृत्त हुई समझी जायेंगी, धारा 11, 12 और 13 छब्बीस दिसम्बर, 1983 को प्रवृत्त हुई समझी जायेंगी, धारा 7 ऐसे दिनाँक को प्रवृत्त होगी जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे और शेष धारायें तुरन्त प्रवृत्त होंगी ।

श्री गोरे लाल शाक्य---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1984 में संशोधन प्रस्तुत करता हूं । मान्यवर, संशोधन इस प्रकार है कि "उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1984 में खण्ड 1 के उप खण्ड (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप खण्ड रख दिया जाए:-

"(2) धारा 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, और 10 बारह दिसम्बर, 1983 को प्रवृत हुई समझी जायेंगी, धारा 11, 12 और 13 छब्बीस दिसम्बर, 1983 को प्रवृत हुई समझी जायेंगी, धारा 7 एक फरवरी, 1984 को प्रवृत हुई समझी जायेगी और शेष धाराएं तुरन्त प्रवृत होंगी।"

मान्यवर, हमारा यह संशोधन सिर्फ इसलिए है कि एक ही घर में जब कई किरायेदार होते हैं तो उनसे सीवर टैक्स और जल का पैसा वसूलने में बड़ी कठिनाई उत्पन्न हो जाती है, इसलिए इस कठिनाई को दूर करने के लिए यह संशोधन रक्खा है और माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इस संशोधन को वह स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मंत्री जी, क्या यह संशोधन आपको स्वीकार है ?

श्री बलराम सिंह यादव-

मान्यवर, यह संशोधन मैं स्वीकार करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 के उपखण्ड (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जाए:-

"(2) धारा 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 और 10 बारह दिसम्बर, 1983 को प्रवृत हुई समझी जायेंगी, धारा 11, 12 और 13 छब्बीस दिसम्बर, 1983 को प्रवृत हुई समझी जायेंगी, धारा 7 एक फरवरी, 1984 को प्रवृत हुई समझी जायेगी और शेष धाराएं तुरन्त प्रवृत होंगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड 1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बलराम सिंह यादव–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1984 जैसा सदन द्वारा संशोधित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1984 जैसा सदन द्वारा संशोधित हुआ को पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) द्वितीय अध्यादेश, 1983 के अननुमोदन का संकल्प तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1984†

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मन्त्री जी तो हैं नहीं, इसलिये इसको स्थगित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीया राज्य मन्त्री जी तो उपस्थित हैं ।

श्री राम गोविन्द–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1983 का अननुमोदन करता हूं ।

मान्यवर, यह विधेयक 26 दिसम्बर, 1980 को विधान सभा में पास हुआ था इसमें मुख्यत: दो बातों का प्राविधान किया गया था कि किसी भी विद्यालय की प्रशासन योजना में या प्रबन्ध समिति में किसी एक व्यक्ति, किसी एक जाति, किसी एक समुदाय का एकाधिकार नहीं रहेगा । दूसरी उसमें महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें ऐसी व्यवस्था की गयी थी कि अगर किसी भी प्रबन्ध समिति में कोई गम्भीर भ्रष्टाचार के आरोप हों तो उसे तुरन्त भंग कर दिया जायेगा और वहां पर रिसीवर की नियुक्ति कर दी जायेगी। श्रीमन्, इसके लिये 6 महीने का समय दिया गया था शिक्षा निदेशक को कि प्रदेश के तमाम विद्यालयों की प्रशासन योजना की देख-रेख करें और उसमें जो कमियां हों उसमें क्या परिवर्तन करना है, यह सब ठीक ढंग से देखकर उसमें परिवर्तन करें और जिसको लागू करना चाहें, लागू करें ।

श्रीमन्, इसके लिये शिक्षा निदेशक को 6 महीने का समय दिया गया था । इस प्रदेश में कम से कम 5 हजार विद्यालय हैं परन्तु इस अवधि में एक विद्यालय की भी प्रशासन योजना ठीक नहीं की गयी और 6 महीने का समय बीत गया तो फिर इन्होंने इस काम के लिये 3 वर्ष के समय की मांग की है और अब उसके बाद भी अध्यादेश में यह व्यवस्था कर दी कि इसको अनिश्चित समय तक के लिये समझा जाय, इसके कार्यकाल का कोई टाईम निश्चित नहीं किया गया, फिर अनन्तकाल के लिये इसमें समय की मांग की गयी है ।

---

†दिनांक 17 फरवरी, 1984 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

अभी ग्राम्य विकास मन्त्री जी कह रहे थे कि ये सबसे बड़े लोकतांत्रिक हैं बहुत बड़े जनतांत्रिक हैं । लेकिन मैं कहता हूं कि सत्तारूढ़ दल अपने निहित स्वार्थों में आकर इस तरह का विधेयक यहां ले आये हैं क्योंकि सत्तारूढ़ दल में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इन विद्यालयों की प्रबन्ध समितियों में बैठ कर 10-10, 12-12 और 15-15 शिक्षण संस्थाएं चलाते हैं और उससे उनका रोजगार चलता है । तमाम प्रदेश के विद्यालयों की प्रबन्ध समितियों में झगड़े चल रहे हैं, अव्यवस्था फैली हुई है । प्रबन्ध समिति का मैनेजर अध्यापकों की नियुक्ति करके उन्हें नियुक्ति-पत्र नहीं देता है, कभी बिना कारण बताये अध्यापकों को निलम्बित कर देता है । इन्हीं सब अव्यवस्थाओं के कारण, विद्यालयों के प्रबन्ध समितियों को बदलने के कारण माध्यमिक शिक्षक संघ के दोनों ग्रुपों ने शिक्षा के राष्ट्रीयकरण के लिये आन्दोलन चलाया । अगर आप प्रशासन योजना को ठीक नहीं कर सकते हैं, जिसको निश्चित समय दिया गया है, अब उसको 3 साल बढ़ा रहे हैं, क्यों नहीं आप शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर दे रहे हैं और प्रबन्ध समिति को समाप्त कर दें, लेकिन यह सरकार प्रबन्ध समिति को कैसे समाप्त करे ? प्रशासन योजना को कहां तक ठीक करे ? इन्होंने यूनियनों के प्रबन्ध समितियों के अध्यक्ष को ही मंत्री बना दिया है और जिसके कारण शिक्षा जगत में खलबली मची हुई है यह सरकार प्रशासन योजना को देखने के लिए शिक्षा निदेशक के कार्यकाल को बढ़ा रही है मेरा कहना है कि जो काम वह छः महीने में नहीं कर सके उसको 3 साल में भी नहीं कर सकेंगे । तो अनवरत समय बढ़ाने का अधिकार सरकार को नहीं है ।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, पता कर लें कि कोरम है या नहीं।

श्री राम गोविन्द–

मान्यवर, जब नौनिहाल जी शिक्षा मंत्री थे .....

श्री अधिष्ठाता–

आप दो मिनट रुक जाइये क्योंकि कोरम का प्रश्न उठा दिया गया है ।

(कोरम के लिए घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर)

श्री राम गोविन्द–

श्रीमन्, इसमें यह व्यवस्था की गयी है, प्रशासन योजना में सुधार के लिए शिक्षा निदेशक नोटिस देंगे और नोटिस देने के बाद अगर प्रशासन योजना में संशोधन और परिवर्तन न हुआ तो सरकार के मानक के अनुसार तो जो शिक्षा निदेशक परिवर्तन कर देंगे वही मान लिया जायगा लेकिन सरकार अपनी पार्टी के लोगों के दबाव में आकर इसके कार्यकाल को बढ़ा रही है । श्रीमन्, इसी विधान सभा में प्रतिदिन 4–5 ऐसे-ऐसे मामले आते हैं जो प्रबन्ध समिति के घोटाले और भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में होते हैं लेकिन आज तक मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि कोई भी प्रबन्ध समिति भ्रष्टाचार के मामलों में निलम्बित नहीं की गयी है । मैं देख रहा हूं कि जहां पर प्रबन्ध समिति विरोधी पार्टी के लोगों के हाथ में होती है इसको तो तुरन्त निलम्बित कर

[श्री राम गोविन्द–]

दिया जाता है लेकिन जो शिक्षा संस्थाएं, जहां पर सत्तारूढ़ दल के लोगों का कब्जा है घोटाला कर रही हैं, निजी व्यवसाय बनाये हुए हैं, अध्यापकों का दोहन कर रही हैं और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का उत्पीड़न कर रही हैं ऐसी समितियों को जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनको भी भंग नहीं किया गया है ।

मान्यवर, इस तरह का एक विधेयक इसके पहले भी लाये हुए थे । जो माननीय नौनिहाल सिंह जी भूतपूर्व शिक्षा मंत्री हैं वह इलाहाबाद में कायस्थ संस्थाएं बनाकर उनका संचालन करते हैं और आजमगढ़ के ब्रह्मचारी जी हैं उनका भी वहां की शिक्षण संस्थाओं पर एकाधिकार है । शिक्षा संस्थाओं पर ऐसे-ऐसे बहुत से लोग हैं जो उन पर हावी हैं और उनको निजी व्यवसाय का रूप दिये हुए हैं, शिक्षण संस्थाओं को उद्योग का रूप दिये हुए हैं । शिक्षा की बढ़ोत्तरी या उसमें सुधार की वह चेष्टा नहीं करते हैं, छात्रों का जीवन सुधरने के बजाय बिगड़ता चला जा रहा है । इन तमाम बातों को नेगलेक्ट करके शिक्षा संस्थायें पैसा कमाने का काम कर रही हैं । और चूंकि इसमें अधिक भागीदारी सत्तारूढ़ दल के लोगों की है इसलिये इसमें सुधार लाने का कार्य तुरन्त न करके इसको दिन प्रतिदिन बढ़ा रहे हैं अतः मैं माननीय मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप तो अभी-अभी नई शिक्षा मंत्री हुई हैं आप इन तमाम बातों पर गौर करें क्योंकि जो काम 6 महीने में नहीं हुआ, 3 वर्ष में नहीं हुआ उसे आप अनवरत रूप से समय बढ़ाने के लिये कह रही हैं, इसका कोई औचित्य नहीं था । जो भूतपूर्व शिक्षा मंत्री यहां पर रह चुकी हैं कम से कम उनके कारनामों पर परदा तो आप न डालें । आप उत्साह दिखायें और दृढ़ता पूर्वक इस विधेयक को वापस ले लें और शिक्षा संस्थाओं में जो कमियां हैं, जो उसमें उत्पीड़न है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का जो दोहन है, आज पूरे प्रदेश में जो 5 हजार शिक्षण संस्थायें हैं उनमें जो कमियां हैं उनके ऊपर दृढ़ता से विचार करने के लिये यह आवश्यक है कि इस विधेयक को आप वापस ले लें और इसे पुनः जनता, अध्यापकों और बुद्धिजीवियों के बीच ले चलें ताकि इस पर पुनः विचार हो सके और उनकी समस्याओं का समाधान हो सके । उसके बाद एक दूसरा विधेयक दूसरी बार जब विधान सभा की बैठक हो तब आप यहां पर उसको रखें । इन शब्दों के साथ में पुनः अपने अननुमोदन के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

*शिक्षा एवं सांस्कृतिक कार्य राज्य मंत्री (श्रीमती सुनीता चौहान)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करती हूं कि इन्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1984 पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, अभी माननीय सदस्य ने वास्तव में शिक्षण संस्थाओं की तरफ जो यह संशोधन आया है उसके ऊपर ध्यान आकृष्ट किया है । आज किसी भी स्तर पर जो हमारी शिक्षण संस्थायें हैं उनका संचालन सुचारु रूप से हो, वे ठीक ढंग से चलें और विद्यार्थी और उससे सम्बद्ध लोग लाभ उठा सकें, उसी हेतु यह संशोधन प्रस्तुत किया गया है । यह संशोधन बहुत छोटा सा है । इसके अन्तर्गत केवल समय मांगा गया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है । 6 महीने की जगह पर 3 वर्ष का समय मांगा गया है । अभी माननीय सदस्य ने इस तरफ ध्यान दिलाया कि चाहे मैनेजिंग कमेटी का मामला हो, चाहे शिक्षकों का मामला हो, सबकी तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिए । उसी कारण से 6 महीने में यह कार्य पूरा नहीं हो पा रहा था । प्रशासन योजना के तहत में यह आवश्यक है कि हम विस्तार से इसे देखने के लिये सदन से समय लें । इसीलिये हमने इस विधेयक में 6 महीने के स्थान पर 3 वर्ष का समय सदन से मांगा है । मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगी कि यह एक छोटा सा संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है बिना किसी ऐसी नीयत के कि हम काम नहीं करना चाहते हैं या सरकार काम नहीं करना चाहती है, बल्कि इस नीयत से कि 6 महीने में प्रशासन योजना के तहत काम नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिये कुछ समय चाहिए इसलिये हमने इसमें 3 साल का समय सदन से चाहा है । मैं अनुरोध करूंगी कि सदन इसको स्वीकार करेगा ।

(श्री पंचानन राय का नाम पुकारे जाने पर)

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, पहले प्रवर समिति को सुपुर्द करने वाला प्रस्ताव आ जाय । उसके बाद आप उनसे बुलवा लें ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1984 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

अधिष्ठाता महोदय, मैं अभी भारसाधक मन्त्री का संक्षिप्त भाषण सुन रहा था । तो यह जो विधेयक प्रस्तुत हुआ है या तो उसके उद्देश्य और कारणों को मैं समझ नहीं पाया, मैं ऐसा तो नहीं कह सकता हूं कि वह इसके उद्देश्य और कारणों को समझ नहीं पायीं लेकिन मैं आरोपित करता हूं कि जैसा वह समझी वैसा मैं नहीं समझ पाया । यह 6 महीने और तीन साल का जो जिक्र किया उसकी बात कहां है । यह संशोधन इस बात की पुष्टि करता है कि शासन की शिक्षा के बारे में दोहरी नीति साफ सिद्ध होती है । यह हमारा दुर्भाग्य कहा जायेगा कि आजादी के 36, 37 वर्ष बाद भी हम राष्ट्रीय शिक्षा की कोई नीति नहीं बना पाये कि कैसी संस्कृति हो, इसका क्या उद्देश्य होगा, कैसे यह दी जायेगी, कैसे इसकी संरचना हो उसी तरह से हमारी प्रदेशीय सरकार भी तय नहीं कर पायी कि प्रशासन योजना कैसे लागू हो । जहां तक प्रशासन योजना को मैं समझ पाया हूं कि विभिन्न प्रकार के निजी प्रबंध तंत्र अपनी कमेटियां रजिस्टर कराकर मान्यता ले लेते हैं। शासन ने यह सोचा कि एक रूपता के साथ-साथ शासन कुछ बिन्दुओं को तय करे और उसी के आधार पर यह संस्थायें चलें । जाति बिरादरी पर संस्थायें न चलें या कुछ परिवारों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–]

द्वारा शोषण न हो । तो इसके लिए एक प्रशासकीय योजना लागू की जायेगी जिसकी पुष्टि सरकार द्वारा की जायेगी । इसमें हर विद्यालय को अपनी प्रशासनिक योजना खुद तैयार करने का अधिकार है लेकिन शासन को शिक्षा निदेशक के माध्यम से यह देखने का अधिकार है कि उन मानक बिन्दुओं के आधार पर प्रशासनिक योजना लागू है या नहीं इसको देखेगा । तो इसके लिए सरकार ने 6 महीने का समय लिया । क्या उसमें कमी रह गयी है या क्या सुधार करना है । तो वह 6 महीने 10 अगस्त 81 को पूरे हो गये । किसी संस्था को मान्यता तब दी जायेगी जब यह व्यवस्था लागू हो जायेगी । लेकिन इस व्यवस्था को यह लागू नहीं करा पाये । इसके अन्तर्गत जो विद्यालय यह योजना लागू नहीं करेंगे उनकी ग्रांट रोक दी जायेगी । लेकिन यह दबाव के कारण इसे लागू नहीं करा पाये क्योंकि इनके सामने कोई दिशा नहीं थी कोई लक्ष्य नहीं था और 10 अगस्त 81 को यह अवधि समाप्त हो गयी । अगर कोई कमी थी तो तत्काल एमेंडमेंट आना चाहिये था लेकिन इतने समय तक यह एमेंडमेंट नहीं लाये और इनका प्रशासन सोता रहा क्योंकि मंत्रियों का अपने सचिवालय पर कोई नियंत्रण नहीं था और उसके बाद एकदम दिमाग में बात आई यह हमने क्या कर दिया है कि तीन साल के अंतराल को पूरा करना है ।

माननीय राज्यपाल के संवैधानिक कृत्यों की यहां पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं उनकी हम यहां पर भतर्सना नहीं कर सकते हैं । लेकिन उस वृद्ध सज्जन से आर्डिनेन्स जारी करा दिया गया जो 30 मई को जारी हुआ । उसे 6 महीने की अवधि में यहां से पारित हो जाना चाहिये था लेकिन उसे यहां पर पेश नहीं कर सकें और आर्डिनेन्स पर आर्डिनेन्स जारी करते गये । संविधान में यह अधिकार नहीं है कि जो अध्यादेश एक बार प्रख्यापित हो गया वह दुबारा प्रख्यापित होगा । इस सम्बन्ध में बिहार सरकार के सम्बन्ध में निर्णय उच्च न्यायालय ने दे दिया है । मैं सरकार की इस नीति की निन्दा करता हूं जो यह अध्यादेशों के बल पर चल रही है । मानयवर, जिस समय हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे उस समय एक एक्ट 1935 में लागू किया गया उसमें भी आर्डिनेन्स की व्यवस्था थी लेकिन उस समय भी हम बराबर जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे सरकार को चेतावनी देते थे कि कोई आर्डिनेन्स जारी नहीं होगा । जिस समय 1977 से 1979 तक जब हमारी सरकार रही उस समय एक भी आर्डिनेन्स जारी नहीं किया गया लेकिन उसके बाद सरकार बदली, जमाना बदला और आस्थायें बदल रही हैं, प्रजातंत्र की और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं तब यह आर्डिनेन्स पर आर्डिनेन्स जारी हो रहे हैं । इसलिये सरकार की भतर्सना करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि विधेयक देखने में छोटा सा मालूम होता है और मंत्री जी ने भी यही कहा कि अवधि बढ़ा रहे हैं लेकिन इसके दूरगामी क्या परिणाम होंगे क्या इस पर भी आपने सोचा है ?

मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा में व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। सबसे अव्यवस्थित चीज है तो शिक्षा है जिसकी न कोई दिशा है और न ठीक करने की रुचि है । इसलिये मैं आरोप लगाना चाहता हूं कि हमारा न कोई चिन्तन है और न कोई चिन्ता है और करोड़ों बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है ।

मान्यवर, शिक्षा के बारे में आज जरूरत है कि नियम बनें, निजी प्रबन्ध तंत्र को हटाने की बात होती तो हम सहमत होते । मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि करीब 1,500 ऐसे अध्यापक हैं जो बिना अध्यापन कार्य किये वेतन पा रहे हैं, यह क्यों ? इसका कारण है कि शासकीय आदेशों के तहत, जिनका शोषण हुआ था, नौकरी से निकाला गया, तो माननीय न्यायालय के आदेशानुसार उनको फिर से रिइंस्टेट कर दिया गया , लेकिन निजी प्रबन्ध तंत्र उनको नियुक्ति पत्र नहीं दे रहा है और न उनको वेतन दे रहा है, तो यह कोई बात नहीं है । मान्यवर, निजी प्रबन्ध तंत्र पर अंकुश आपका होना चाहिये कि न्यायालय ने या सरकार ने आदेश दे दिया तो उनको ज्वाइन करने देना चाहिये ।

मान्यवर, विगत दिनों प्रश्न यहां किया गया था, तो मंत्री जी ने उत्तर दिया था कि शिक्षा के क्षेत्र में परिसीमन का नियम लागू हो गया है । तो मैं कहना चाहता हूं कि अन्य विभागों में खर्चों की स्कीम है लेकिन शिक्षा विभाग जो बड़ा विभाग है वहां वेतन वितरण पर परिसीमन का नियम लागू है, यह क्यों ? मान्यवर, उस दिन सरकार ने उत्तर में स्वीकार किया था कि ऐसे उदाहरण सामने आये कि शासन तंत्र के लोग और प्रधानाचार्य मिलकर जो भुगतान करना था उससे ज्यादा पैसा निकाल लिया । इसलिये जब भ्रष्टाचार का मामला आया तो यह कदम परिसीमन का उठाया गया । लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या आज तक पैसा जिन्होंने ज्यादा निकाला, जो गलत काम किया तो उन लोगों के खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही किया या कर रहे हैं । इसलिये भ्रष्टाचार का यह उदाहरण हमारे सामने है ।

अब मान्यवर, नियुक्तियों का मामला ले लें । तो न्यायालय में मामले गये। चयन आयोग के बारे में हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि क्योंकि जो नियमावली है, चयन आयोग की, उस पर यह प्रतिबंध लगा दिया गया कि नियुक्तियों के मानक बनाने की जरूरत थी, उसने यह मानक नहीं बनाये थे, इसलिये नियुक्तियां अनियमित हो गयीं । इसके पहले भी तदर्थ अध्यापक नियुक्त हुए थे, प्रबन्ध समितियों ने नियुक्तियां की थीं । लेकिन आज 22 हजार तदर्थ अध्यापक जो हैं वह मानक, मेरिट के बिना, सिफारिश के मानक पर गये थे जिससे, वह बेचारे सड़क पर हैं । मान्यवर, आज ही यहां उत्तर मिला था जिसमें कहा गया था कि चयन आयोग को आदेश कर दें कि वह नियम बना लें और तदर्थ अध्यापकों का नियमितीकरण किया जायेगा । तो उसका मूल उद्देश्य ही फाल्स हो जायेगा चूंकि हाईकोर्ट ने यह तो आपत्ति ही किया है और उसने कहा है कि मानक तो बनाया नहीं है । इसलिये जब आयोग मानक बनायेगा तो कुछ हो सकता है और दो चार साल जो काम कर चुके हैं उनको सेवा का लाभ मिलना चाहिये । मान्यवर, भ्रष्टाचार शिक्षा के क्षेत्र में और गलत परम्पराओं का चलन शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने पैदा कर दिया है जिसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

आप कुछ बातें बाद के लिए रख लें।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--]

मुझे केवल दो-तीन बातें कहनी हैं। जो प्राइवेट छात्र हाईस्कूल में एपियर होंगे उनको कोई प्रमाण पत्र नैतिक शिक्षा का देना होगा। अब वह किसी प्रधानाचार्य के पास जाकर नैतिक शिक्षा का प्रमाण पत्र लेकर आयेगा। क्या प्रधानाचार्य के लिए बिना पढ़ाई के किये निःशुल्क प्रमाण-पत्र देने की कोई व्यवस्था है? नहीं है तो इसका मतलब यह है कि इसमें भ्रष्टाचार होगा। इसको आप देख लें। अध्यापकों की अभी हड़ताल हुई, वह जिस उद्देश्य को लेकर हुई मैं उससे सहमत हूं। इससे डेढ़ माह तक विद्यालयों में पढ़ाई बन्द रही। सरकार कहती है कि हड़ताल नहीं हुई, वह कहते हैं कि हड़ताल जोरदार रही। पर अब इसमें कोई मतभेद नहीं है कि डेढ़ माह तक लड़कों की पढ़ाई अव्यवस्थित रही। अब परीक्षा समीप आ गयी है। क्या सरकार ने सोचा कि ऐसी हालत में लड़कों का क्या होगा, प्रतिभाशाली बच्चों का क्या होगा। इस बारे में सरकार ने कोई चिन्तन नहीं किया, किन्तु तारीख घोषित कर दी। ऐसी कुछ बातें हैं, जिनसे साबित होता है कि सरकार के सामने कोई दिशा नहीं है और पूरे शिक्षा क्षेत्र में एक अव्यवस्था लागू है।

मैं अन्तिम बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। आपकी एक माध्यमिक शिक्षा परिषद् है, उसका गठन इसलिए हुआ था कि वह परीक्षाओं का संचालन करेगी। किन्तु उसमें ही इतना भ्रष्टाचार होता रहा है और भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। वहां भ्रष्टाचार होता है, घूस और दबाव चलता है, सार्टीफिकेट फर्जी जारी होते हैं पैसे लेकर और पैसे लेकर केन्द्र तय किये जाते हैं। इसी सन्दर्भ में उसके सचिव का ट्रांसफर जिस तरीके से किया गया है वह बहुत ही निन्दनीय काम है। यह सही है कि न्यायालय ने इस मामले में खुद माना है कि हमारी शिक्षा परिषद् के लोगों ने दबाव में आकर, उसने उनका नाम लिया है— किसी व्यक्ति का नाम नहीं संस्था का नाम ले सकता हूं, उसने कहा है कि कांग्रेस (आई) का जो टीचर सेल है, उसके द्वारा सेक्रेटरी पर ऐसा दबाव डाला गया है। रिजल्ट प्रिन्ट होने के लिये यहां 'स्वतंत्र भारत' कार्यालय आया था, उनके आदमी यहां आये और उन्होंने वहां पर दबाव डाला कि इन-इन लोगों का परीक्षाफल घोषित नहीं होगा, जिससे ऐसे लोगों का परीक्षाफल रोक दिया गया। इसे हाईकोर्ट के आदेश से रोक दिया गया और उसने कहा है कि इसमें ऐसे-ऐसे प्रतिभाशाली छात्रों का परीक्षाफल रोक दिया गया है कि यदि उन्हें न्याय न मिल पाता तो वह छात्र आत्महत्या कर लेते और आदेश दिया कि परीक्षाफल घोषित कर दिया जाये। इस पर उनका परीक्षाफल तो घोषित हो गया, लेकिन अन्तिम निर्णय इसमें आज तक नहीं हुआ है। यह मैं कहना चाहता हूं और जानबूझकर कहना चाहता हूं कि इस शिक्षा परिषद् का आज जिस कुत्सित तरीके से और राजनैतिक रूप से और राजनीतिज्ञों द्वारा शोषण हो रहा है, लोगों ने अपनी यूनियन और ट्रेड यूनियन के आधार पर उस पर कब्जा कर लिया है वह बहुत ही आपत्तिजनक और शर्मनाक चीज है। एक अग्रवाल साहब, सचिव को जो निकाला गया है, उसने नाम लेकर कहा है कि यह-यह लोग हम लोगों पर दबाव डालकर सेन्टर्स तय कराया करते थे और अपने मनचाहे छात्रों को पास करने के लिए हम पर जोर दबाव डाला करते थे।

हमारा यह संशोधन विधेयक इस बात की पुष्टि करता है कि इस सरकार के सामने न चिन्तन है और न चिन्ता है। यह इसी का परिणाम है कि तीन साल में आर्डिनेन्स, फिर आर्डिनेन्स। इसमें सख्ती क्यों नहीं की जाती है। जो प्रशासनिक योजना है उसे गम्भीरता के साथ निजी प्रबन्ध तन्त्र पर लागू किया जाना चाहिए। पर यह लागू करने की इनकी नीयत नहीं है। मैं चाहता हूं नेकनीयती के साथ इस प्रशासनिक योजना को लागू किया जाये और इसके लिए सरकार द्वारा प्रभावी कदम उठाये जायें।

(4 बजकर 20 मिनट)

अगर कोई विद्यालय नहीं मानता तो कैसे सख्ती की जायेगी, आदि-आदि बातें ऐसी हैं जिन पर विचार करने के लिये यह आवश्यक है कि इसे प्रवर समिति में भेजा जाये। मुझे आशा है माननीया भारसाधक मंत्री इसे स्वीकार करेंगी क्योंकि जहां इतने समय में कोई बात नहीं हुई, वहां और कुछ दिनों में कोई कहर बरपा नहीं होने वाला है।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, जिस अधिनियम में इस विधेयक के द्वारा संशोधन प्रस्तावित है यह 26 सितम्बर, 1980 को इसी सदन के द्वारा पारित किया गया था और 11 फरवरी, 1981 को अधिनियम बनकर इस प्रदेश में वह लागू हुआ। इसमें मुख्य रूप से दो प्राविधान किये गये थे जो बहुत छोटे हैं, लेकिन जैसा कि माननीय गुप्ता जी ने कहा, उनके प्रभाव दूरगामी हो सकते थे।

मान्यवर, अधिनियम में यह प्राविधान किया गया था कि गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों की प्रबन्ध समितियों का गठन जनतंत्रीय आधार से होगा क्योंकि जनतंत्र में हमारी आस्था है। यह भी प्राविधान किया गया था कि किसी व्यक्ति विशेष का या किसी परिवार का या किसी जाति का एकाधिकार किसी संस्था पर न हो। विद्यालयों में प्राधिकृत नियंत्रक एप्वाइन्ट करने की जो प्रक्रिया है वह बहुत लम्बी है यदि किसी विद्यालय के खिलाफ कोई गम्भीर आरोप होते हैं तो तत्काल उसके प्रबन्धतंत्र को निलम्बित कर 6 माह के लिये नियन्त्रक नियुक्त करने का प्राविधान किया गया था। अगर प्रबन्धतंत्र अपनी योजना को जनतांत्रिक नहीं बनाता है या व्यक्ति के एकाधिकार को अथवा परिवार के एकाधिकार को समाप्त नहीं करता है तो जो यह प्राविधान किया गया है उसके अनुसार निदेशक उसे नोटिस देगा। 6 महीने में सुधार न करने पर निदेशक द्वारा दिये गये सुझाव प्रशासन योजना में सम्मिलित माना जायेगा। लेकिन आज तक विद्यालय के संबंध में कार्यवाही नहीं की गयी जबकि साढ़े पांच हजार विद्यालय हैं। देखने में यह आ रहा है कि जाति के नाम पर जहर बोया जा रहा है और जो लोग शिक्षण संस्थाओं को अपने परिवार की जागीर समझे हुए हैं और इसीलिये वे उनको तानाशाही तरीके से चला रहे हैं और इस कारण जो मंशा है वह पूरी नहीं हो पा रही है। इसके कारण हमारी शिक्षण संस्थाओं में विकृति पैदा हो रही है तथा राष्ट्रीय मूल्यों को चोट पहुंच रही है। जब यह देखा गया कि 6 माह में कोई कार्यवाही नहीं हो सकी तब सरकार ने अध्यादेश जारी किया। और यह प्राविधान किया गया है कि 6 माह के स्थान पर 3 साल कर दिया जाये। इस अवधि में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आज 28 फरवरी है आज

[श्री पंचानन राय–]

इस विधेयक को पास भी कर दें और यह अधिनियम भी बन जाय तो इसका प्रभाव 10 फरवरी, 84 तक ही रहेगा उसके बाद नहीं हो सकता तो मेरी समझ से इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करने का कोई औचित्य नहीं है। यह 10 फरवरी, 1984 को समाप्त हो गया तो इस प्रकार का विधेयक इस सदन में, कम से कम मेरी छोटी बुद्धि में, मेरी समझ में नहीं आया कि इसको क्यों लाया गया है? सरकार के मंत्रियों और उनकी नौकरशाही जिसकी सलाह पर यह लाये होंगे उनको इसकी उपयोगिता लग सकती है। जब इसके द्वारा कोई परिवर्तन करना नहीं है और 10 फरवरी, 84 को यह समाप्त हो गया तो फिर यह लाया क्यों गया? इसको लाने का कोई औचित्य नहीं है।

मान्यवर, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, एक प्राविधान इसमें किया गया था उसकी बड़ी चर्चा हुई। माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को मैं बधाई देता हूं उनकी अनुपस्थिति में। इन्होंने इसे पारित कराया था कि हम शिक्षा क्षेत्र से भ्रष्टाचार मिटायेंगे और जनतंत्र की भावना पैदा करेंगे। जाति बिरादरी के जहर को खत्म करेंगे। लेकिन पूरे प्रदेश में किसी प्रबन्ध समिति के खिलाफ इस अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की गयी। तो यह संशोधन एक तरह से निरर्थक हो गया। मान्यवर, गुप्ता जी ने नैतिक शिक्षा की बात कही। नैतिक शिक्षा की एक समिति बनी इस प्रदेश में। सबसे ज्यादा जो अनैतिक आदमी हो सकता है, सुबह से लेकर शाम तक जो शराब पीता है उसकी सलाह पर जबरन नैतिक शिक्षा लड़कों पर लाद दी गयी। जिनकी जिम्मेदारी थी पाठ्यक्रम बनाने की उन्होंने बार-बार कहा कि इससे भ्रष्टाचार पनपेगा। एक एडवांस सर्टीफिकेट लिया जा रहा है। लड़कों से दो साल का प्रमाण पत्र एक साल में लिया जा रहा है। दो साल के कार्यों का मूल्यांकन दर्जा 9 के बाद कर देने से भ्रष्टाचार फैला हुआ है। तो अनैतिक आदमी की सलाह पर नैतिक शिक्षा का प्रयोग हम करेंगे तो कोई नतीजा नहीं निकलेगा। सभी लोग जानते हैं कि इस प्रदेश में नैतिक शिक्षा की जो स्थिति है, मैं किसी व्यक्ति विशेष की चर्चा नहीं करना चाहता हूं लेकिन यह कहना चाहता हूं कि जो आदमी सुबह से लेकर शाम तक शराब पिये उसको बच्चों को नैतिक शिक्षा देने की सलाह देने का कोई हक नहीं है।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो भी कानून बनता है, जो भी विधेयक सदन द्वारा पारित होकर अधिनियम बन रहे हैं तो उन्हें लागू किया जाना चाहिए आज एक ऐसी स्थिति में हम हैं कि पैबंद लगाने से काम चलने वाला नहीं है। रोज इस प्रकार के छोटे-मोटे संशोधन कर रहे हैं। अलग-अलग विधेयक बन रहे हैं, इसी संदर्भ में मैं माध्यमिक शिक्षा की चर्चा करना चाहता हूं कि एक कानून बनाया गया कि विद्यालयों की जो सम्पत्ति है उसका ट्रांसफर बिना शिक्षा निदेशक की अनुमति के नहीं होगा। अगर होगा तो वह अपराध होगा और उसके लिये सजा दी जायगी। प्रदेश में हजारों विद्यालयों में, शहरों में दूकानें बन गयीं, फिरोजाबाद में स्कूल के कैम्पस में सिनेमा हाल बन गया। गोरखपुर में सिनेमा हाल भगौती कन्या इण्टर कालेज के कैम्पस में बन गया। सन् 74 में कानून बना था लेकिन 84 आ गया है पूरे प्रदेश में किसी प्रबन्धतंत्र के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। जब नहीं करना था तो इस कानून को बनाने का कोई औचित्य नहीं था।

मैं तो साफ कहना चाहता हूं कि कानून कम से कम हम बनावें, लेकिन उसको लागू करवायें। अगर कानून बनाकर हम रोज तुड़वायेंगे, तो सामान्य जनता की आस्था कानून से डिग जायगी। गुप्ता जी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद् की चर्चा की। उन्होंने सरकार पर इस बात का आरोप लगाया, उन्होंने एक न्यायाधीश का हवाला दिया कि एक तबादला कर दिया सरकार ने, माध्यमिक शिक्षा परिषद् तबादला नहीं करती, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की निन्दा की, नौकरशाही के एक व्यक्ति के कहने पर इसलिये कि उनकी विचारधारा के आर0एस0एस0 के लोग जब चुनाव होता है, तो चुनाव में पूरे प्रदेश के लोग हार गये, 15 प्रतिशत वोट भी नहीं पा सके। तो जो चुने हुए व्यक्ति होंगे, नगर विकास का जब विधेयक आया, तो यह बात आई कि जनता के चुने हुए लोग होने चाहिए। जब आर0एस0एस0 के लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में इनकार कर दिया, तो दलील किस बात की? दलील उन्होंने दिया, एक न्यायाधीश की चर्चा की, सरकार ने सचिव को बदल दिया, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप था, वह अदालत में गये, अदालत से उनको कोई रिलीफ नहीं मिली, [X X X]

(कई सदस्यों के खड़े होने से व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप इस प्रकार की टिप्पणी न करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता–

यह शब्द कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, न्यायालय का मैं पूरा सम्मान करता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

आप समाप्त करें।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, मैं आखिरी बात सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार ने बहुत कुछ किया, कांग्रेस सरकार जब-जब रही, उसने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ किया। मान्यवर, मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं कि पूरे पक्के इरादे से उतना कानून हमको बनाना चाहिए, जितना हम लागू करा सकें, पायबन्द लगाते जाते हैं और कानून रोज टूटते जाते हैं।

श्री केदार नाथ सिंह–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि इस विषय पर आपने हमें बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, अभी माननीय पंचानन राय जी ने इस संशोधन से संबंधित उन चीजों के संबंध में यह बात कही कि अगर इसी तरह से अवधि बढ़ायी जाती रही और प्रदेश के अंदर

नोटः–[ ] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[श्री केदार नाथ सिंह]

जाति और साम्प्रदायिक दुर्भावनाएं काम करती रहीं, तो मैं समझता हूं कि हालत इस प्रदेश की दिन प्रति दिन बदतर ही होती जायेगी। मान्यवर, अगर ये संशोधन होते रहे, तो इस प्रदेश से विषाक्त वातावरण कभी भी समाप्त नहीं हो सकता और हम समझते हैं कि यह विधेयक जो आज लाया जा रहा है, जो कार्यवाही सक्षम अधिकारी द्वारा समय से की जानी चाहिए, न किये जाने के फलस्वरूप, आज ऐसा विधेयक सदन में लाना पड़ रहा है, यह बहुत ही चिन्ताजनक और खेदजनक बात है। मान्यवर, मैं तो यह कहूंगा कि इस प्रदेश के अन्दर गत 3–4 सालों से शिक्षा की व्यवस्था इतनी लुंज-पुंज और दयनीय हो गयी है कि आत्मा सोंचकर ग्लानि से भर जाती है।

मान्यवर, अधिकारी जो चाहता है स्वेच्छाचारिता से कर रहा है। मैं नहीं कह सकता हूं इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन आज जो हो रहा है मैं वह कह रहा हूं। आज सरकारी अधिकारी स्वेच्छाचारिता से काम कर रहा है। मान्यवर, जो अधिनियम प्रस्तुत किया गया है इसमें मूल बात यह है कि इसमें प्रशासन योजना की बात कही गयी है। मैं एक बात कहना चाहता हूं बड़ी नम्रता के साथ। प्रशासन योजना को जिन विद्यालयों में सुधार नीति के अन्तर्गत लागू नहीं किया उन संस्थाओं को आज भी हम अपने स्थान पर कायम रखे हैं। यह बहुत बड़ी कमी है। इस कमी को तत्काल दूर किया जाना चाहिए, बहुत पहले किया जाना चाहिए था। आज तक नहीं किया गया। प्रश्न यह है कि इस अवधि को बढ़ाकर क्या सरकार इसका कड़ाई से पालन करेगी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि सरकार किसी कार्य प्रणाली को इतनी दुरूह और दुर्गम बना देती है कि शिक्षण संस्थायें बुरी तरह प्रभावित होती रहती हैं। यह जो प्रशासन योजना की बात कही गई है मेरा सुझाव है कि इस नियम से इसको हटा देना चाहिए। जब संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन होता है, फर्म एण्ड सोसाइटी रजिस्ट्रेशन से उसी स्तर पर जो बाईलाज बनता है, शिक्षा विभाग की नीति के अनुरूप बाईलाज बनाया जाय और प्रशासन योजना को उसमें सम्मिलित कर लिया जाय।

आज स्थिति यह है कि शिक्षण संस्थायें सरकारी विभागों में जाती हैं बाईलाज रजिस्ट्रेशन के लिये और जब मान्यता की बात आती है तो प्रशासन योजना का पत्थर सामने आकर खड़ा हो जाता है। इसमें बहुत हेराफेरी हो रही है। जो बाईलाज सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर होता है उसमें यह प्राविधान कर देना चाहिए कि प्रशासन योजना उसमें सम्मिलित किया जाय। बाईलाज शिक्षा विभाग एवं शासन की मंशा के अनुरूप बनाया जाय। यदि बाईलाज में प्रशासन योजना को सम्मिलित कर लिया जाता है तो विभिन्न विभागों की हेराफेरी बन्द हो जायेगी। आप जानते हैं कि भ्रष्टाचार का कितना बोलबाला है। संस्थाओं को रजिस्ट्रेशन के लिये पैसा खर्च करना पड़ता है और उसके बाद अब दूसरी प्रशासन योजना आ गयी। इतने ऊंचे स्तर पर इसके अनुमोदन की आवश्यकता नहीं थी। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि जो नये विद्यालय स्थापित होते हैं उसके बाईलाज के साथ प्रशासन योजना को अटैच कर दिया जाय बाईलाज के समय से ही प्रशासन योजना लागू कर दी जाय। ताकि आगे चलकर इस तरह के अधिनियम अनावश्यक रूप से लाने न पड़े। प्रशासन योजना को इस स्तर पर स्वीकृत करने का कोई औचित्य नहीं है। जब कोई संस्था शिक्षा के जगत में काम करने जा रही है, क्यों न शुरू में ही प्रशासन योजना उसके बाईलाज में सम्मिलित कर

दें। ऐसा प्राविधान कर दें कि बाईलाज तब तक रजिस्टर नहीं होगा जब तक शासन की नीति के अनुसार प्रशासन उसमें सम्मिलित नहीं हो जायेगी। ताकि जो अधिकारियों और कर्मचारियों की काली करतूतें हैं वह बन्द हो सकें। इससे शिक्षण संस्थाओं को विभिन्न विभागों में दौड़ने से बच जायेगी।

मैं मंत्री महोदय का और पूरे मंत्रि मंडल का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि प्रशासन योजना को बाईलाज के साथ जोड़ दिया जाय ताकि रजिस्ट्रेशन के प्रशासन योजना की बात उसमें सम्मिलित कर ली जाय और यह दिक्कत समाप्त हो जाय। शिक्षण संस्थाओं में रजिस्ट्रेशन के समय प्रशासन योजना लागू कर दी जाय। इससे प्रदेश की जनता और संस्थाओं का हित सब तरह से होगा।

*श्री लाल प्रताप सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस संशोधन में काफी विचार विमर्श हुआ। बहुत ही छोटा सा संशोधन है और उस पर बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है एक समय एक कार्य के लिये रखा गया था वह समय पूरा हो गया लेकिन वह कार्य फिर भी पूरा नहीं हुआ इसलिए समय बढ़ाने की जरूरत पैदा हुई। जो एक्ट नम्बर 86 में प्राविधान थे वह समाप्त हो गये इसलिए उसको तीन वर्ष बढ़ाने की बात कही गयी लेकिन चर्चा दूसरे तरीके की भी चलती जा रही है। इसलिये मैं संशोधन में कुछ नहीं कहना चाहता। शिक्षा के संबंध में कुछ निवेदन करना चाहता था जितने लोग हैं वह सभी चिन्तित हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में जो कुव्यवस्था फैली हुई है उसे कैसे दूर किया जाए। कभी-कभी हम यह भी सोचते हैं कि कोई चीज कोई समय ऐसा आएगा, कोई न कोई व्यवस्था ऐसी पैदा हो जाएगी जो इस कुव्यवस्था को दूर करेगी। आज शिक्षा हर शहर में है। कुछ ऐसी संस्थायें आजकल ऐसी हो गई हैं जो बहुत ही बेहतर चल रही हैं। कुछ इंगलिश मीडियम संस्थायें कुछ और संस्थायें ऐसी हैं जहां बच्चे तेजी से जा रहे हैं। मैं अपने जिले की बात जानता हूं कि हमारे यहां इसी वर्ष एक इंगलिश मीडियम स्कूल खुला और बहुत सारे बच्चे वहां जाते हैं क्योंकि बहुत से मां-बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे अच्छे निकलें हर माता पिता अपने बच्चों के आगे हार जाना चाहते हैं। तो इस कुव्यवस्था को दूर करने का कोई न कोई रास्ता तो निकलेगा ही। सबसे बड़ी बात यह कही जाती है कि राजनीति की समस्या शिक्षा संस्थाओं से समाप्त हो जाए तो शिक्षा में बेहतरी आ सकती है लेकिन उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। नतीजा यह होता है कि शिक्षा संस्थायें बहुत खराब स्थिति में होती जा रही हैं। जहां तक शिक्षकों की अध्यापकों की बात है जनतन्त्र की बात है जनतन्त्र को कितना आगे ले जाएंगे अगर किसी को उसूल से आगे ले जायेंगे तो वह बेकार हो जायेगा। अब हर बात में जनतन्त्र नहीं है इससे कुव्यवस्था पैदा होती है। दुनिया में जितने विकसित

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बाल प्रताप सिंह]
देश है आधुनिक देश है मुझे ऐसा कहीं नहीं मिला कि शिक्षक ऐसे हो जायें कि धरना दें हड़ताल करें।

(इस समय 4 बजकर 43 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

आप एक भी मसला बताएं, माध्यमिक शिक्षक संघ के लोग बताएं जिसमें इस तरह का उदाहरण मिले। बड़े-बड़े टीचर्स पैदा हुए हैं प्रो0 गालब्रेथ, प्रो0 कीसिंजर आदि, अच्छी व्यवस्था के माध्यम से पैदा हुए हैं। हमारे यहां टीचर्स बहुत बड़ी राजनीतिक बातें करते हैं। हमारे यहां शिक्षा पर राजनीतिक कुप्रभाव ज्यादा हो गया है और इतना ज्यादा हो गया है कि कुछ और दिखाई नहीं पड़ता है। राजनीति के हर क्षेत्र में राजनीतिक कुप्रभाव हो गया है। हमारे यहां की शिक्षा संस्थाओं के टीचर्स में भी यही बात हो गयी है। इससे दूर रहने की आवश्यकता है। मुझे एक सम्मेलन में देखने का सौभाग्य हुआ। वहां देखा कि कितनी जबर्दस्त राजनीति की बात ये लोग करते हैं। एक शिक्षक महोदय कहने लगे कि मुझे प्रधान मंत्री से ज्यादा अधिकार मिलना चाहिए। हमको स्पिरिट मिलनी चाहिए, सम्मान मिलना चाहिये। सम्मान क्या है? वह तो अपने खुद के कार्यों से पैदा होगा। सरकार जो सम्मान देगी, वह तो टैम्पोरेरी बात है। टीचर्स अपनी संस्थाओं में राजनीति की बात करते हैं। टीचर वास्तव में पालीटीशियन हो गया है, यह टीचिंग का काम है। तमाम पालिटिकल रंग पैदा हो गया है। इन सब बातों पर गम्भीरता से विचार कराने की आवश्यकता है। तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। नैतिक शिक्षा का कोई उपयोग नहीं है। बच्चे के ऊपर एक बोझ कर दिया है। इसका उद्देश्य अच्छा हो सकता है कि लड़का अच्छा बने, वातावरण अच्छा बने, लेकिन उसका फल नहीं मिल रहा है। कहीं-कहीं यह भी कहा जाता है कि धर्म की शिक्षा दी जाय। यह शिक्षा कर देंगे तो यह और भी अव्यवस्था पैदा कर देगी। उसका कोई मकसद नहीं है। वह घर में पढ़ी जा सकती है। इससे तो वातावरण और खराब हो जायगा। इससे नफरत पैदा होगी, सुहृदयता का वातावरण नहीं पैदा हो सकता है। इसलिए यह भूल नहीं करनी चाहिए। शिक्षा एक तरह की होनी चाहिए, बहुत तरह की शिक्षा हो गयी है। तरह-तरह के शिक्षा मंदिर खुलते जा रहे हैं, कोई फासिस्ट की ट्रेनिंग दे रहा है तो कोई कैसी शिक्षा दे रहा है। इस पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। लोकतन्त्र बहुत आगे बढ़ गये हैं, वातावरण दुरुस्त करने की आवश्यकता है। भाषणबाजी से शिक्षा संस्थाएं दुरुस्त नहीं हो सकतीं, नारेबाजी से दुरुस्त नहीं हो सकतीं। बहुत से पुराने टीचर्स हैं, जिनका प्रभाव विद्यार्थियों पर पड़ा। विद्यार्थी स्वीकार करते हैं कि अध्यापकों के जीवन का प्रभाव उनके जीवन पर भी पड़ा। एक तरफ मुल्क तरक्की कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ गिरावट भी आयी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अच्छे विद्यार्थी आज भी अच्छे हैं। वह आगे बढ़ा है। गिरावट तो सामान्य और साधारण में आयी है, जो कन्डेम स्टूडेंट हैं, उनमें आयी है। शिक्षा का बहुत प्रचार हो रहा है, लेकिन क्वालिटी क्या हो इसको देखने की जरूरत है, इस पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। पूरी तरह से शिक्षा की प्रणाली कैसी हो, इस पर एक कमीशन

बैठा कर विचार करने की आवश्यकता है, ताकि वह विचार कर अपना दृष्टिकोण रखे और मार्गदर्शन करे ।

अभी-अभी कुछ बात राष्ट्रीयकरण की आयी । इस सम्बन्ध में मैं एक बात कहना चाहता हूं । जिस चीज को हम नहीं पाते हैं तो तर्क रख देते हैं कि राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय । राष्ट्रीयकरण का क्या रूप होगा, मैं पूछता हूं । जिस पेशे में मैं हूं उसमें भी लोग कहते हैं कि राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय । वकालत का राष्ट्रीयकरण होगा तो मैं पूछता हूं कि वह क्या टेक्स्ट पढ़ेंगे, जो गवर्नमेंट मुकर्रर करेगी ? आज उसका इण्टरप्रिटेशन वही होगा, जो सरकार करेगी सरकार हस्तक्षेप से स्वतंत्र इण्टर प्रिटेशन समाप्त हो जायेगा । शिक्षा के क्षेत्र नेशनलाइजेशन की बात करते हैं ताकि स्वतंत्र रूप-रेखा की जो बात है वह दूर हो जाय । रास्ता ऐसा निकाला जाय, जिसमें हम सभी लोग मिल-जुलकर शिक्षा को बेहतर बना सकें ।

अन्त में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों को तथा इस सदन को इस पर गम्भीरतापूर्वक सोचने की आवश्यकता है । क्योंकि आज शिक्षा का स्तर गिर रहा है, स्कूलों में अनुशासन गिर रहा है तथा छात्रों में गड़बड़ी हो रही है । आज प्राइमरी स्कूलों की हालत ऐसी है कि हर गांव में नर्सरी स्कूल खोले जा रहे हैं, जिसमें प्रत्येक बच्चे से 10-10 रुपये फीस मांगी जाती है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक 1984 का समर्थन करता हूं ।

*श्री लल्लू सिंह चौहान—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। यह जो संशोधन रखा है माननीय शिक्षा मंत्री जी ने, इसके पक्ष में जो श्री लाल प्रताप सिंह जी बोल रहे थे, वही हम लोग भी कह रहे थे । उनका भी यही कहना है कि शिक्षा में एक रूपता आनी चाहिये । यह नहीं होना चाहिए कि कोई खालसा स्कूल खोल रहा है, कोई नर्सरी स्कूल खोल रहा है और कोई आर्यसमाजी स्कूल खोल रहा है । जब तक शिक्षा में एक रूपता नहीं आयेगी ता तक इस देश का भला आप नहीं कर सकेंगे । आज समाज की आवश्यकता भी यही है । आज इन्होंने इस संशोधन के जरिये 6 महीने की जगह पर 3 साल का समय मांगा है, यह इस बात का प्रतीक है कि यह नौकरशाही के हाथों में और अधिक शक्ति या अधिकार देना चाहते हैं । आज शिक्षा का स्तर गिरता चला जा रहा है । इस बात से हम ही नहीं सारा प्रदेश परिचित है ।

अभी डेढ़ महीने पहले शिक्षा के राष्ट्रीयकरण के मामले को लेकर शिक्षकों ने हड़ताल शुरू की थी । उनका कहना था कि बगैर शिक्षा के राष्ट्रीयकरण के एक रूपता नहीं आ सकती है । यदि आप जातिवाद के आधार पर स्कूल खोलोगे और उस पर यह कहोगे कि एक ही घर के सभी आदमी नहीं होने चाहिए तो वह लोग

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लल्लू सिंह चौहान]

एक-एक आदमी सभी के घर से अपने ही जाति के लोगों में रख देंगे । यदि आप कहोगे कि एक ही वर्ग के आदमी नहीं होने चाहिए तो वे अपने ही जाति के लोगों के एक ही वर्ग में से रख देंगे । जैसे व्यापारी लोग हैं, वे व्यापारी वर्ग से ही रखेंगे और यदि राजनैतिक लोग होंगे तो वे राजनैतिक वर्ग से ही लोगों को रखेंगे जब से यह एडमिनिस्ट्रेशन स्कीम चली है, इससे शिक्षा के स्तर में गिरावट आ गई है । यह फ्राड है । जो नियमावली बनायी गयी थी, वह भी गलत बनायी गयी । जिसकी वजह से शिक्षक लोग हाईकोर्ट में भी हार गये। मैं समझता हूं कि इसमें कोई समय की आवश्यकता नहीं है। 6 महीने का समय पर्याप्त है। समय बढ़ाकर ये गलतियों पर परदा डाल रहे हैं, इसका विरोध किया जाय ।

श्री राम गोविन्द—

मान्यवर, मैं पहले भी कह चुका हूं कि यह प्रशासन योजना पूरे प्रदेश में लगभग 5 हजार स्कूलों में से एक स्कूल को भी दुरुस्त नहीं कर पायी और 3 साल तक बिना किसी सूचना के पड़ी रही, तो ऐसी स्थिति में इसका समय बढ़ाना लाजमी नहीं है । इसमें श्रीमन् देख लीजिये, इन्होंने लिखा है इसके क्रम-2 में देखें-इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 16-गग ग में उपधारा (1) में, शब्द "छः मास" के स्थान पर शब्द "तीन वर्ष" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे। देखिये श्रीमन्, लिखा है कि सदैव से रखे गये समझे जायेंगे । पहले से ही इसको समझा जाय । मान्यवर, विधान सभा में इस तरह से लोगों को शब्द जाल में फसाना इस शासन की नीति हो गयी है ।

मान्यवर, एक छोटा सा विधेयक यह विधान सभा में नहीं ला सकते हैं कि इंटरमीडिएट तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लागू की जायेगी । मान्यवर, इसकी मांग होती रही है जब से हिन्दुस्तान आजाद हुआ है, हिन्दुस्तान में इंटर-मीडिएट तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कर दी जाय और इसी मांग को विधान सभा में भी समय-समय पर दोहराया गया है लेकिन यह सरकार एक छोटा विधेयक, जो जनहित में है, जो लोकतांत्रिक देश को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करने वाला है, उसे न लाकर, अधिकारियों की लापरवाही उनके नकारात्मक कार्यों पर, पर्दा डालने के लिये, इस विधेयक को यहां लायी है । इसलिए मैं पुनः आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने अपनी बात कही है आपके सामने और जिस तरह से शिक्षा संस्थाओं में व्याप्त विषमताएं, असमानताएं और प्रबन्ध समितियों में व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर इशारा किया गया है, प्रशासन योजना में इन तमाम चीजों को दुरुस्त करने के लिये यह सबसे बढ़िया तरीका है कि आप इस विधेयक को वापस ले लीजिए और इसको फिर से जनता में, बुध्दिजीवियों में, शिक्षा संस्थाओं के जानकार लोगों में, प्रचारित करायें और इस पर उनकी राय मशविरा लें, तब इसे एक अच्छे विधेयक की शक्ल में यहां लाकर प्रस्तुत करें ।

अगर, मान्यवर, यह ऐसा नहीं कर रही है, इनका ऐसा विचार नहीं है, तो इनसे यह घोषणा करवा दीजिए कि इंटरमीडिएट तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा संबंधित विधेयक माननीया मंत्री जी, इस विधेयक के स्थान पर, ले आयेंगी। अगर यह ऐसी घोषणा करती हैं, तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि हम लोग सर्वसम्मति से उस विधेयक को पास करवायेंगे । मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः अपने अननुमोदन के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं, जिन्होंने इस संशोधन प्रस्ताव पर अपने मूल्यवान विचार प्रकट किया ।

मान्यवर, मैं केवल दो बातों पर सीमित रहूंगा । अभी माननीय सदस्य आजमगढ़ बोल रहे थे, वे इस समय सदन में हैं नहीं, वे शिक्षकों के घोषित नेता हैं हमारे प्रदेश के। अपने भाषण के दरमियान जिस छिछली और अशोभनीय मानसिकता का परिचय दिया था, उसे नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है। मान्यवर, उन्होंने अपने भाषण के दौरान सुप्रीमकोर्ट के एक माननीय न्यायाधीश पर टिप्पणी की। मैं समझता हूं कि उन्होंने जिस मानसिकता का परिचय दिया था, उससे अध्यापकों के गौरवमय पद को और भी कलंकित कर दिया गया है। मैं समझता हूं कि चाहे इधर के लोग हों या उधर के लोग हों, यह हमारे सामने एक विचारणीय बिन्दु है। मान्यवर, "अध्यापक" जिसको गुरू के नाम से भी पुकारते हैं और जो समाज को चेतना और संस्कार देने का गुरुतम काम करता है, समाज को बनाने वाले का काम करता है, उसकी अगर यही मानसिकता रहेगी और यह जो इस तरह की छिछली और निन्दनीय बातें हैं, वे बातें, इस गौरवमय पद की गरिमा को गिराने में और भी साधक बन रही हैं। मान्यवर, मैंने एक आरोप लगाया इस मामले पर उसकी बाबत न तो इनके पास उसके सुधार का कोई चिंतन है और न ही चिन्ता है।

मान्यवर, जैसा कि कहा गया कि जाति का नाम न हो, धर्म का नाम न हो, इस विचार का मैं भी स्वागत करता हूं और मैं इस प्रशासनिक योजना को लागू करने पर बल देता हूं । उस पक्ष वाले तो इसे टाले जा रहे हैं और वर्षों से संशोधन किये जा रहे हैं। मैं उदाहरण देना चाहूंगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चे के माननीय चौधरी चरण सिंह का मान्यवर, एक समय था जब उत्तर प्रदेश में माननीय चौधरी चरण सिंह जी यहां के मुख्य मंत्री थे और उनके साथ श्री राम प्रकाश शिक्षा मंत्री थे। उनके मन में यह था, इन बातों का, कानून का, कड़ाई के साथ पालन कराने का । मान्यवर, जो उनके मंत्रिमंडल का स्वरूप था, उस मंत्रिमंडल ने फैसला किया था कि ऐसी शिक्षा संस्थाओं के आगे से जाति बोधक या धर्म बोधक नाम निकाल लिये जायेंगे । आप सब साक्षी हैं, एक कलम से कुछ महीनों के अन्दर ही सारे नाम बदल दिये गये। मैं समझता हूं कि माननीय लाल प्रताप सिंह जी मेरी बात का समर्थन करेंगे । आप चाहे वर्षों तक संशोधन करते चले जाइये, लेकिन निश्चयात्मक पद्धति नहीं है उसी का परिणाम है कि आप बात कितनी भी करें, शिक्षा में गिरावट आयेगी । आज शिक्षा क्षेत्र में झगड़े कौन करा रहा है ? ये झगड़े सुनियोजित रूप से सत्तारूढ़ दल करा रहा है । निजी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]

प्रबंध तंत्र को कायम रखने वाला है शासक दल। दोनों मिलजुल कर चल रहे हैं और शिक्षा नष्ट हो रही है। मैंने भाषण में चर्चा की थी, नाम लेकर कहा था कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। उस समय माननीय सदस्य आजमगढ़ बोल पड़े कि भ्रष्ट कर्मचारी का गुप्त जी समर्थन कर रहे हैं। मेरी नियत है कि अच्छे कर्मचारी की तारीफ होनी चाहिए, लेकिन अगर गन्दा है तो उसकी प्रताड़ना होनी चाहिए।

रतन चन्द्र अग्रवाल का नाम लिया था मैंने। जिनका पहले नाम लिया था श्री भगवान बख्श सिंह, उनके हस्ताक्षर से एक कागज गया, बोर्ड में सचिव के पास नहीं पहुंचा, बीच में टिप्पणियां होती रहीं, उसकी टेम्परिंग हुई है। उसके दो हिस्से हैं, आपके पास साइक्लोस्टाइल्ड कापी रखी है। हाथ से लिखा है, दोनों की हैण्ड-राइटिंग भिन्न है। पहले पेज पर लिखा है "सहायता" और दूसरे पेज पर लिखा है "यत:"। यह मैंने फोटोस्टेट कापी दी है। यह इस बात का प्रमाण है कि भ्रष्टाचार कौन फैला रहा है। भ्रष्टाचार के खून में किसके हाथ रंगे हैं। इसीलिये हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने स्पेसिफिक नाम लेकर कहा है कि ये लोग पूरी शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने में लगे हैं। यह बात जो प्रशासनिक योजना की है, इसका आप कठोरता से पालन करायें और इसको भी देखें कि बोर्ड के संविधान में अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूशन्स को जो संरक्षण मिला हुआ है, उनको अपनी रुचि की शिक्षा देने का हक मिलना चाहिए, लेकिन काम करने वाले कर्मचारियों की सर्विसेज का संरक्षण न दिया जाय, इसका कौन समर्थन करेगा।

एक बार मैं भाषण दे रहा था, उस समय माननीय रिजवी साहब ने कहा था कि वे मेरे विचारों से सहमत हैं और ऐसी व्यवस्था लायी जानी चाहिए। मैं सीतापुर के जिस मकान में रहता हूं वहां पर एक मिशनरी स्कूल है, उसमें कल्लू माली की तनख्वाह 165रुपये है, मंहगाई भत्ता मिलाकर उसको 250 रु0 मिलते हैं। इसी प्रकार, साजन चौकीदार है उसकी तनख्वाह 120 रुपये हैं, महंगाई भत्ता मिलाकर कुल 202 रु0 मिलते हैं। यह कौन सा नियम है, कौन से नियम के अन्तर्गत यह नेतन पा रहे हैं। ये शिक्षा सचिव के पास गये, भूतपूर्व शिक्षा मंत्री को एप्लीकेशन दी, लेकिन कहा गया कि हस्तक्षेप नहीं हो सकता। काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनकी सेवा की गारण्टी करें, प्रशासनिक योजना में संशोधन करें। जो 30(1) में प्रोटेक्टेड इंस्टीट्यूशन्स हैं, वहां पर भी प्रशासनिक योजना लागू होनी चाहिए। यह वहां के कर्मचारियों की मांग है, इसकी आप व्यवस्था करें। जैसी कि माननीय सदस्य आजमगढ़ ने बात रखी थी कि इस विधेयक को लाने की जरूरत नहीं थी। इसका प्रभाव तो वैसे ही नष्ट हो चुका है क्योंकि 10 फरवरी भी बीत चुकी है। अगर आप अपनी बुद्धि और विवेक से काम नहीं लेना चाहते हैं तो दूसरे के विवेक से ही काम लें, वैसे 3 साल में, 4 साल में इसका संशोधन हो सकता था तो आपने अपनी स्थिति स्वयं ऐसी बना ली है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं मा0 मंत्री जी से आशा करता हूं कि वह इस विधेयक को वापस ले लेंगे।

(श्री राम कुमार भार्गव के दूसरी तरफ बैठने पर।)

श्री अध्यक्ष–

मा0 राम कुमार जी आप कहां बैठे हैं, उधर बैठा करते थे आज इधर कैसे बैठ गये ।

श्रीमती सुनीता चौहान–

मान्यवर, हमारे एक छोटे से संशोधन में माननीय सदस्यों ने जो अपने विचार व्यक्त किये हैं, वह बहुत ही सही और बहुमूल्य हैं । मान्यवर, यह संशोधन तो बहुत छोटा था, जिसमें हमने केवल समय मांगा लेकिन उसके तहत जो और संशोधन आयें प्रवर समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए, जिसमें शिक्षा की तरफ अनेकों तरह के विचार प्रस्तुत किये गये हैं और जहां तक किसी भी कानून के बनाने का सवाल है, चाहे जो भी कानून हो, चाहे शिक्षा का ही हो या किसी और विभाग का, हरेक में जब तक आप लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक वह नहीं बन सकता है। शिक्षा परिषद् में भ्रष्टाचार की बात कही गयी, अगर ऐसी कोई बात है, तो उसके बारे में हमें बताएं और सबूत दें फिर उसके विषय में अवश्य विचार किया जायेगा और उस पर कार्यवाही की जायेगी और जहां तक स्कूलों की सम्पत्ति को हड़पने की बात माननीय सदस्यों ने कही, लेकिन इस बारे में ऐसी बातें पहले भी बहुत आयी और जब उनकी जांच हुयी तो कहीं पर कोई जायदाद व जमीन के हड़पे जाने के कोई सबूत नहीं मिले और अगर अब कोई माननीय सदस्य इस प्रकार की बातें सामने लायेंगे और सुबूत होगा तो अवश्य कार्यवाही की जायेगी । 5 हजार विद्यालयों का जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है कि 5 हजार से अधिक हमारे विद्यालय हैं, उनके लिए 6 माह का समय बहुत कम था, इसलिए हमने 3 वर्ष का समय मांगा और साथ ही यह भी कहा पिछले दिनों के कामों की पूर्ति के लिए हमें 3 वर्ष का समय दें । इसलिये मैं इन शब्दों के साथ अनुरोध करूंगी कि अपने प्रवर समिति के प्रस्ताव को वापस ले लें ताकि मैं इसे पारित करवा सकूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1983 का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि इण्टरमीडिएट शिक्षा संशोधन विधेयक, 1984 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए, जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1984 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2 से 5 तक, खण्ड 1 प्रस्तावना व शीर्षक

इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1984

इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 का अग्रतर संशोधन करने के लिये विधेयक

भारत गणराज्य के पैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—(1) यह अधिनियम इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1984 कहा जायगा। — संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 23 मई, 1983 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा

2—इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 16—गग ग में उपधारा (1) में शब्द "छः मास" के स्थान पर शब्द "तीन वर्ष" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे। — संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 2 सन् 1921 की धारा 16-गगन का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 16-घ में, उपधारा (8) में, स्पष्टीकरण दो में, शब्द और अंक "या उपधारा (8)" के स्थान पर शब्द और अंक "या उपधारा (6)" रख दिये जायेंगे। — धारा 16-घ का संशोधन

4—मूल अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, मूल अधिनियम के उपबन्धों के जैसा कि वे इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व थे, अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही विधि मान्य होगी और सदैव से विधिमान्य समझी जायेंगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे। — वैधीकरण

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 42 सन् 1983

5—(1) इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1983 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। — निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 5 तक, खण्ड 1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती सुनीता चौहान–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करती हूं कि इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन विधेयक, 1984 पारित किया जाय।

जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1984 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 51 के अन्तर्गत मुझे 5 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिसमें से मैंने श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की और श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री की सूचनाओं के विषय को स्वीकार किया है और शेष को अस्वीकार किया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने जो सूचना दी है उसमें वक्तव्य के लिये मंत्री जी से तिथि तो निश्चित करा दें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)

4 या 5 तारीख के बाद ही इसमें तिथि निश्चित हो सकेगी। आप आ जाइयेगा, बात कर लेंगे ।

(व्यवधान)

जनपद सीतापुर में बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन विद्यालयों के अध्यापकों को जनवरी, 84 से वेतन न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

शिक्षा एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

जिला स्तर से प्राप्त सूचना के अनुसार सीतापुर के बेसिक परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का वेतन, मिश्रिख नगर क्षेत्र को छोड़कर शेष अन्य के वेतन संदाय में अनुदान उपलब्ध न होने के कारण 20 फरवरी, 1984 तक भुगतान नहीं किया जा सका। इस सम्बन्ध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सीतापुर, द्वारा माह जनवरी, 1984 के वेतन, आदि के भुगतान हेतु अपने पत्र दिनांक, 13-1-1984 द्वारा शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को अपेक्षित धनराशि स्वीकृत करने हेतु मांग पत्र भेजा गया था। परन्तु मांग पत्र में दर्शाये गये आंकड़ों के सत्यापन हेतु शिक्षा निदेशालय ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सीतापुर को समस्त अभिलेखों सहित निदेशालय में उपस्थित होने के निर्देश दिये। तद्नुसार वे संबंधित अभिलेखों को लेकर निदेशालय में उपस्थित हुए। तदुपरान्त उनके द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के सत्यापन एवं समायोजन के पश्चात वांछित अतिरिक्त धनराशि रुपये चालीस

[श्री अम्मार रिजवी]

लाख दिनांक 13-2-84 को स्वीकृत की गयी। उक्त स्वीकृति आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सीतापुर को दिनांक 15-2-84 को उपलब्ध हो सका। निदेशालय की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अनुदान का बिल दिनांक 17-2-84 को राजकीय कोषागार, सीतापुर में प्रस्तुत किया गया परन्तु उस दिन बिल स्वीकार नहीं किया गया। उक्त बिल पुनः 18-2-1984 को प्रस्तुत किया गया। दिनांक 19-2-84 को रविवार होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। दिनांक 20-2-1984 को कोषागार से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सीतापुर को यह जानकारी मिली कि कोषाधिकारी के उपस्थित न होने के कारण वेतन खाते में धन हस्तान्तरित नहीं हो सका है। फलस्वरूप वेतन की चेकें दिनांक 21-2-1984 को वितरण हेतु निर्गत की गयीं जो दिनांक 22-2-84 को अध्यापकों के वेतन खाते में वितरण हेतु बैंक को दे दी गयीं। अतः यह स्पष्ट है कि जनपद सीतापुर के बेसिक परिषदीय शिक्षकों को समय से वेतन वितरित करने का हर सम्भव प्रयास किया गया। परन्तु धनाभाव तथा अन्य कठिनाइयों के कारण यह सम्भव नहीं हो सका। इन कर्मचारियों के वेतन का भुगतान दिनांक 22-2-1984 को हो चुका है और अब कोई समस्या नहीं है।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, इस वक्तव्य में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि बेसिक परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का वेतन अनुदान उपलब्ध न होने के कारण 20 फरवरी, 1984 तक भुगतान नहीं किया जा सका। जबकि अध्यापकों को वेतन दिलाने की पूरी जिम्मेदारी शासन की है और इसके लिये नियम है कि उनको 7 तारीख तक अवश्य वेतन बंट जाना चाहिए जबकि उनको जनवरी का वेतन 21 तारीख तक बांटा नहीं गया और कारण यह बताया गया कि अनुदान उपलब्ध नहीं था तो इस अनुदान के उपलब्ध न होने के क्या कारण थे?

शिक्षा राज्य मंत्री (श्रीमती सुनीता चौहान)–

मान्यवर, कुछ दिनों तक ही धन उपलब्ध नहीं था, जैसे ही उपलब्ध हुआ, उन्हें वेतन दे दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

कारण बताइये कि क्यों नहीं उपलब्ध हुआ?

श्रीमती सुनीता चौहान–

मान्यवर, इसमें कई कारण दिये गये हैं। आपने तो वक्तव्य देखा है जिसमें हमारे बैंक से, विभाग से कोषागार को दिक्कत हुई थी। सीतापुर के लिये जानकारी मिली कि कोषाधिकारी के उपस्थित न हो सकने के कारण उन्हें धन उपलब्ध कराने में देरी हुई।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आप वक्तव्य को देख लें। यह तो प्रोसीजर की बात है कि जिस दिन इतवार पड़ गया या कोषाधिकारी उपस्थित नहीं थे। लेकिन वेतन समय से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बांटने की पूरी जिम्मेदारी शासन की है। 7 तारीख तक प्राइमरी टीचर्स को वेतन बंट जाना चाहिये लेकिन अनुदान उपलब्ध न होने के कारण उनको वेतन नहीं दिया जा सका। मान्यवर, मेरी जानकारी है कि वहां का बी0 एस0 ए0 पे-बिल बना कर लाया था परन्तु धन उपलब्ध न होने के कारण उस बिल में आपत्ति लगा दी गयी और उसे वापस कर दिया गया था जबकि पे-बिल में कोई फर्क नहीं था। अनुदान सरकार के पास था नहीं इसलिये बहाना बना कर बी0 एस0 ए0 को लौटा दिया।

श्री अम्मार रिजवी–

माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जो बात कही है कि 7 तारीख तक वेतन बांट देने की सरकार की जिम्मेदारी है, यह सही है। साथ ही साथ जो वांछित सूचनाएं हैं, जो चार्ट, सैलरी बिल हैं अगर उनके अन्दर कोई त्रुटि है, किसी भी विद्यालय से जो पे बिल प्राप्त होता है वह तब रोका जाता है जब उसमें कमियां होती हैं, और जब तक वह कमियां पूरी न हो जायें तब तक उसको रोका जाता है। इसी कारण उसमें विलम्ब हुआ। कुछ ट्रेजरी का मामला था, इस कारण भी विलम्ब हुआ। मैं बताना चाहता हूं कि अब सारी कार्यवाही कर दी जायेगी और इस प्रकार की कोई चीज नहीं होगी।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के समय श्री मुहम्मद आजम खां के व्यवहार की विस्तृत जांच करने हेतु गठित समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को एक सूचना देना चाहता हूं। दिनांक 13 फरवरी, 1984 को उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष महामहिम श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अवसर पर इस सदन के सदस्य श्री मुहम्मद आजम खां के व्यवहार की विस्तृत जांच करने तथा आवश्यक कार्यवाही की संस्तुति करने हेतु इस सदन की 7 से अनधिक सदस्यों की एक समिति गठित करने का प्रस्ताव विधान सभा के 22 फरवरी, 1984 के उपवेशन में स्वीकृत हुआ है। तद्नुसार मैंने निम्नलिखित माननीय सदस्यों को उक्त समिति में नाम निर्देशित किया है–

1–श्री राम रतन सिंह	सभापति
2–श्री खान गुफरान जाहिदी	सदस्य
3–श्री प्रियदर्शी जेतली	सदस्य
4–श्री कैलाश चन्द्र	सदस्य
5–श्री जयदीप सिंह बरार	सदस्य
6–श्री भीखा लाल	सदस्य
7–श्री रियासत हुसैन	सदस्य

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, पहली तारीख को 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 15 मिनट पर बृहस्पतिवार, 1 मार्च, 1984 के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ : भाल चन्द्र शुक्ल,

28 फरवरी, 1984 सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी "क"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 11 का उत्तर पृष्ठ 1276 पर।

श्री कृष्णधर (पत्रकार) दैनिक जागरण, कुमारगंज के तार की प्रतिलिपि
225 अ 20 फैजाबाद 20–42

श्रीयुत् मुख्य मंत्री, उ0 प्र0, लखनऊ मुझे एस0 ओ0, कुमारगंज तथा दो अन्य दरोगा ने खत्म कर देने की धमकी दी है, बड़े भाई को कल मारपीट कर बन्द कर दिया है। कृपया उक्त पुलिस कर्मियों का स्थानान्तरण करके सुरक्षा प्रदान की जाय। कृष्णधर (पत्रकार) दैनिक जागरण, कुमारगंज।

विधान सभा पुस्तकालय

नत्थी ख

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–62 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1309 पर)

1981–82 में 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र जबालपुर के अन्तर्गत खराब ट्रासफार्मरों के पुनर्स्थापन का विवरण:–

क्रम-सं0	पुनर्स्थापन का स्थान	ट्रासफार्मर की क्षमता	पुनर्स्थापन का कारण
1	प्रधाननपुर	63 के0वी0ए0	जलना
2	लखीमपुर	63 तदैव	जलना
3	ताला मझबारा	25 के0वी0ए0	दोषपूर्ण होना
4	तदैव	25 तदैव	जलना
5	बदलापुर	25 तदैव	जलना
6	कुकडीपुर	25 तदैव	जलना
7	कुडी	25 तदैव	जलना

सूची–2

वर्ष 1981–82 में 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र मुर्तजाबाद के अन्तर्गत खराब ट्रासफार्मरों के पुनर्स्थापन का विवरण :–

क्रम-सं0	पुनर्स्थापन का स्थान	ट्रासफामर की क्षमता	पुनर्स्थापन का विवरण
1	कुसला	63के0वी ए0	जलना
2	परमानपुर	25 ,,	जलना
3	ब्राह्मनपुर	63 ,,	जलना
4	तेजपुर	63 ,,	जलना
5	बेलहरी	63 ,,	जलना
6	परमानपुर	63 ,,	जलना
7	सोनपुर	25 ,,	जलना
8	सूरतपुर	25 ,,	जलना
9	अकबरपुर	63 ,,	जलना
10	मोगापट्टी	25 ,,	जलना
11	खदेउरा	25 ,,	जलना
12	अगसरी	63 ,,	जलना
13	उत्तरगांव	100 ,,	जलना
14	गौराबादशाहपुर	25 ,,	जलना
15	गौवापार	25 ,,	जलना

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ग"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–64 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1310 पर)

लाभान्वित वृद्धावस्था पेंशनरों की सूची ब्लाक जलालपुर तथा मुफ्तीगंज, तहसील केराकत, जनपद जौनपुर जिन्हें 1981 से 1–6–83 तक पेंशन भेजी गयी––

क्रम- सं0	पेंशन खाता नम्बर	नाम पेंशनर	पूरा पता
1	ख–56	श्री मया पाठक	पुत्र ठाकुर प्रसाद, ग्राम हुरहुरी, पो0 जयगोपाल, गंज।
2	ख–57	श्री घनश्याम दास	पुत्र श्री बंशीधर, ग्राम व पो0 गुप्तीगंज
3	ख–63	श्रीमती सन्जाकी	बेवा श्री जयनाथ, ग्राम व पो0 वीरमपुर
4	ख–64	श्रीमती जगवन्ती	बेवा श्री अमरेज ग्राम व पो0 बीरमपुर
5	ख–65	श्रीमती अमतुल	बेवा श्री हसनअली, ग्राम व पो0 वीरमपुर
6	ख–66	श्रीमती बत्तूला	बेवा श्री सुक्खू, ग्राम व पो0 वीरमपुर
7	ख–67	श्रीमती मन्जी	बेवा श्री सुखदेव, ग्राम व पो0 मजगवाकर
8	ख–72	श्रीमती मुनवरी	पत्नी श्री मुलई राजभर, ग्राम कुसाव पो0 त्रिलोचन महादेव।
9	ख–73	श्री बाबू हरिजन	पुत्र श्री सुक्खू हरिजन ग्राम तालामझवार पो0 जलालपर।
10	ख–85	श्रीमती रमराजी	पत्नी श्री बाबू नन्दन, ग्राम व पो0 देवकली।
11	ख–86	श्री बाबू नन्दन हरिजन	पुत्र श्री दौलत हरिजन, ग्राम व पो0 देवकली
12	ख–87	श्रीमती मुनरी	पत्नी श्री बाबू हरिजन, ग्राम तालामझवारा, पो0 जलालपुर।
13	ख–96	श्रीमती सरस्वती	पत्नी श्री लौलारक, ग्राम तालामझवारा, पो0 जलालपुर।
14	ख–99	श्रीमती मोहरानी	पत्नी श्री बुधिराम, ग्राम मथुरापुर कोठवा, पो0 ओइना।
15	ख–100	श्रीमती चनरी	पत्नी श्री घनराज मल्लाह, ग्राम व पो0 राजेपुर
16	ख–101	श्रीमती हुविया	पत्नी श्री बलई, ग्राम व पो0 राजेपुर
17	ख–103	श्रीमती कबूतरा	पत्नी श्री जैनाथ, ग्राम तालामझवारा, पो0 जलालपुर।
18	ख–104	श्री ब्रह्मदाय	पुत्र श्री सीताराम तिवारी, ग्राम राजेपुर, पो0 जलालपुर।
19	ख–105	श्रीमती बटुका	पत्नी श्री सुक्खू, ग्राम खुरहुरपुर, पो0 जलालगंज
20	ख–110	श्रीमती इन्द्रासनी	बेवा श्री शम्भू सिंह, ग्राम बगथरी, पो0 गुप्तीगंज।
21	ख–112	श्री राम अकबाल सिंह	पुत्र श्री जदुवंश सिंह, ग्राम भुइली, पो0 भदेवी

नत्थी (घ)

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–112 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1328 पर)

रंगीन टी0वी0 सेटों की वितरण सूची

	संख्या
1—महामहिम राज्यपाल जी	1
2—मुख्य मन्त्री जी	1
3—उद्योग एवं सिंचाई मन्त्री जी	1
4—वित्त मन्त्री	1
5—स्वास्थ्य मन्त्री	1
6—पंचायतीराज एव ग्रामीण विकास मन्त्री	1
7—आबकारी मन्त्री	1
8—सार्वजनिक निर्माण मन्त्री	1
9—स्वायत्त शासन मन्त्री	1
10—शिक्षा मन्त्री	1
11—खाद्य एवं रसद मन्त्री	1
12—राजस्व मन्त्री	1
13—परिवहन एवं पर्वतीय विकास मन्त्री	1
14—जेल एवं मुस्लिम वक्फ मन्त्री	1
15—कृषि मन्त्री	1
16—नेता विरोधी दल (विधान सभा)	1
17—नेता विरोधी दल (विधान परिषद्)	1
18—पर्यटन राज्य मन्त्री	1
19—स्वास्थ्य राज्य मन्त्री	1
20—उद्योग राज्य मन्त्री	1
21—गन्ना एवं चीनी राज्य मन्त्री	1
22—आबकारी/कृषि राज्य मन्त्री	1
23—सिंचाई राज्य मन्त्री	1
24—सहकारिता राज्य मन्त्री	1
25—राजस्व एवं न्याय राज्य मन्त्री	1
26—हरिजन समाज कल्याण राज्य मन्त्री	1
27 सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री	1
28—श्रम एवं सेवायोजन राज्य मन्त्री	1
29—पशुधन एवं वन राज्य मन्त्री	1
30—अध्यक्ष, विधान सभा	1
31—सभापति विधान परिषद्	1

विधान सभा उत्तर प्रदेश

	संख्या
32—उप सभापति, विधान सभा	1
33—मुख्य सचिव	1
34—सूचना सचिव	1
35—वित्त सचिव	1
36—सूचना निदेशक	1
37—राज्य सूचना केन्द्र	1
38—सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट	1
39—मुख्य मन्त्री जी के आवास पर	1
40—जिला सूचना अधिकारी, रायबरेली	2
41—जिला सूचना अधिकारी, उन्नाव	2
42—जिला सूचना अधिकारी, सुल्तानपुर	1
43—जिला सूचना अधिकारी, बाराबंकी	1
44—जिला सूचना अधिकारी, कानपुर	1
45—उत्तर प्रदेश सूचना केन्द्र, नई दिल्ली	1
46—जिला सूचना अधिकारी लखनऊ को के0डी0 सिंह बाबू स्टेडियम के लिए ..	1
कुल योग टी0 वी0 सेटस	48

नोट—शेष दो रंगीन टी0वी0 सेटस मुख्यालय स्टोर में हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ङ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–131 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1337 पर)

सूची

पर्वतीय क्षेत्र के नगरों में वन विभाग द्वारा खोले गये डिपो का विवरण

जिले का नाम	नगरों का नाम
उत्तरकाशी	(1) उत्तरकाशी
	(2) बड़कोट
टिहरी	टिहरी
देहरादून	(1) ऋषिकेश
	(2) रायवाला
	(3) हरबर्टपुर
	(4) चन्द्रवनी
चमोली	(1) बद्रीनाथ
	(2) केदारनाथ
	(3) जोशीमठ
	(4) गोपेश्वर
	(5) कर्णप्रयाग
	(6) गौचर
	(7) अगस्तमुनि
गढ़वाल	(1) रुद्र प्रयाग
	(2) श्रीनगर
	(3) पौड़ी
	(4) लैन्सडाउन
	(5) दुगड्डा
	(6) कोटद्वार
	(7) कालागढ़
	(8) बीला
नैनीताल	(1) रामनगर
	(2) हल्द्वानी
	(3) टनकपुर
	(4) लालकुआँ
	(5) खटीमा
	(6) नैनीताल
अल्मोड़ा	(1) अल्मोड़ा
	(2) रानीखेत
	(3) द्वाराहाट
	(4) बागेश्वर
पिथौरागढ़	(1) पिथौरागढ़
	(2) लोहाघाट
	(3) चम्पावत

पी० एच० यू० पी०—एल० 447 वि० सभा (755)—1984—813 ।